



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2006/माघ 21, 1927

No. 48]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2006/MAGHA 21, 1927

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2006

सा.का.नि. 54(अ).—केन्द्रीय सरकार विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) को धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

## अध्याय 1

## प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रबृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) 'अधिनियम' से विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) अभिप्रेत है;

(ख) 'अग्रिम अनुज्ञाप्ति' से विदेश व्यापार नीति की शुल्क छूट और माफी स्कीम के अधीन जारी कोई अग्रिम अनुज्ञाप्ति अभिप्रेत है;

(ग) 'प्राधिकृत अधिकारी' से विशेष आर्थिक जोन में तैनात और इन नियमों के अधीन अपने किसी कृत्यों के निर्वहन के लिए विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी निरीक्षक या निवारक अधिकारी या अंकक या सीमाशुल्क अधीक्षक अभिप्रेत है;

(घ) 'जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट' से विदेश व्यापार नीति की जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्कीम के अधीन अनुमोदित कोई यूनिट अभिप्रेत है;

(ङ) 'पूंजीगत माल' से माल के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उत्पादन के लिए या सेवा प्रदान करने या विशेष आर्थिक जोन के विकास के लिए अपेक्षित संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर या उपसाधन अभिप्रेत है जिनमें निर्माण प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी के उन्नयन या विस्तार के लिए अपेक्षित सामग्री भी शामिल है और इनमें सामग्री संभलाई उपस्कर पैकेजिंग मशीनरी और उपकरण प्रारंभिक लाइनिंग के लिए परिशोधनशालाओं, प्रशीतन उपकरण, विद्युत उत्पादक सेट, मशीन औजार, परीक्षण अनुसंधान और विकास, गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली के लिए उपस्कर और उपकरण भी शामिल हैं। इसे निर्माण खनन, कृषि, जलचर पालन, पशु पालन, पुष्प कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन और रेशम - उत्पादन और अंगूरोत्पादन के साथ-साथ सेवा विभाग में भी उपयोग में लाया जा सकता है;

(च) 'संघटक' से उप संयोजन या संयोजन का वह पुर्जा अभिप्रेत है जिससे एक विनिर्मित उत्पाद तैयार किया जाता है या जिसमें वह आमेलित हो सकता है और इसमें संघटक के सहायक या साधन सामग्री भी शामिल है;

(छ) 'खपत योग्य' माल से ऐसी कोई मद (ईधन, उच्च गति डीजल तेल, हल्का डीजल तेल या ऐसे अन्य पैट्रोलियम उत्पाद) अभिप्रेत है जो विनिर्माण प्रक्रिया के लिए अपेक्षित होती है जो विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान प्रर्याप्त रूप से या पूर्ण रूप से खपत योग्य हो सकती है या नहीं हो सकती है परंतु ये अंतिम उत्पाद का आवश्यक रूप में भाग नहीं होती है;

(ज) 'अभिरक्षक' से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 45 में उल्लिखित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) "सीमा शुल्क अधिनियम" से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) अभिप्रेत है;

(ঁ) "वापसी" से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय 10 में उल्लिखित वापसी अभिप्रेत है;

(ং) "शुल्क हककारी पास बुक स्कीम" से विदेश व्यापार नीति के अधीन बनाई गई शुल्क छूट पास बुक स्कीम अभिप्रेत है;

(३) ' शुल्क मुक्त पुनः पूर्ति प्रमाणपत्र ' से विदेश व्यापार नीति के अधीन जारी शुल्क मुक्त पुनः- पूर्ति प्रमाण - पत्र अभिप्रेत है;

(४) 'इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट' से विदेश व्यापार नीति के अधीन बनाई गई इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्कीम के अनुसार अनुमोदित कोई यूनिट अभिप्रेत है;

(५) 'निर्यातोन्मुख यूनिट' से विदेश व्यापार नीति के अधीन बनाई गई निर्यातोन्मुख स्कीम के अनुसार अनुमोदित कोई यूनिट अभिप्रेत है;

(६) 'विदेश व्यापार नीति' से विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992(1992 का 22) की धारा 5 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर अधिसूचित विदेश व्यापार नीति अभिप्रेत है :

(७) " प्ररूप " से इन नियमों के सम्बन्ध संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(८) " पुस्तिका " से विदेश व्यापार नीति के अधीन बनाई गई प्रक्रिया पुस्तिका अभिप्रेत है;

(९) ' निर्यात और आयात मर्दों के आयात व्यापार नियंत्रण (सुमेलीकृत प्रणाली) वर्गीकरण ' से विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992(1992 का 22) की धारा 5 के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर अधिसूचित मर्दों अभिप्रेत हैं;

(१०) ' अवसंरचना ' से किसी विशेष आधिक जोन के विकास, प्रचालन और रख-रखाव के लिए अपेक्षित सुविधाएं अभिप्रेत हैं और इनमें भूमि, सड़क, भवन, मलव्ययन तथा निस्सारण उपचार सुविधाओं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं जैसी औद्योगिकी, कारबार और सामाजिक सुविधाओं, जैटियों सहित पत्तन एकल स्थानी बंधन, भंडारण टैंक और तरल तथा गैसों के लिए आपस में जोड़ने वाली पाइप लाइने, अंतर्देशीय आधान डिपो या आधान भाड़ा स्टेशन, भंडारणार, वायु पत्तन, रेलवे, परिवहन प्रणाली, विद्युत, गैस तथा उर्जा के अन्य रूपों का उत्पादन और वितरण, दूरसंचार, आंकड़ा संप्रेषण नेटवर्क, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क, अस्पताल, होटल, ईक्सिक संस्थान, अवकाश गृह, मनोरंजनात्मक और अतिथ्य सुविधाएं,

आवासीय तथा व्यापारिक कम्पलेक्स, खारे पानी को मृदु बनाने वाले संयंत्र सहित जल पूर्ति, सफाई सुविधा शामिल है;

(न) "नामनिर्देशित अभिकरण से अभिप्रेत है:-

क) एम एम टी सी लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956(1956 का 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी है;

ख) हस्तशिल्प और हस्तकर्ता निर्यात निगम लि. जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी है;

ग) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. जो कंपनी अधिनियम, 1956(1956 का 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी है;

घ) प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमैंट कारपोरेशन लि. जो कंपनी अधिनियम, 1956(1956 का 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी है;

ङ.) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अभिकरण;

(प) कच्ची सामग्री से अभिप्रेत है:-

क) आधारिक सामग्री जिसकी माल के विनिर्माण में आवश्यकता होती है, किन्तु वह अभी कच्ची, प्राकृतिक, अपरिष्कृत या अविनिर्मित अवस्था में है, और

ख) किसी विनिर्माण के लिए वह सामग्री या माल (आरंभिक प्रभार के लिए उत्प्रेरक सहित) जिसकी उसे विनिर्माण प्रक्रिया में आवश्यकता होती हो, चाहे वह सामग्री या माल वास्तव में पहले से विनिर्मित हो या संसाधित की गई हो, या वह अभी भी कच्ची या प्राकृतिक अवस्था में हो;

(फ) "पुनः पूर्ति अनुज्ञाप्ति" से विदेशी व्यापार नीति के अधीन जारी पुनः पूर्ति अनुज्ञाप्ति अभिप्रेत है;

(ब) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(म) 'क्षेत्र' से एक या अधिक उत्पाद या किसी क्रौंची के अधीन आने वाली एक या अधिक सेवाएं अभिप्रेत हैं जैसे इंजीनियरी, वस्त्र और परिधान, भेषज और रसायन, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण, इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं सम्मिलित हैं तथा जैव प्रौद्योगिकी;

(म) 'साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट' से विदेश व्यापार नीति की सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्कीम के अधीन अनुमोदित कोई यूनिट अभिप्रेत है;

(य) 'पुर्जे' से कोई पुर्जा या कोई प्रतिस्थापन के लिए उपसंयोजन या संयोजन अभिप्रेत है जो समानुरूप या समान पुर्जे के पुनःस्थापन या उप-संयोजन या संयोजन के लिए तैयार हैं और जिनमें कोई संघटक या उपसाधन सम्मिलित है;

(यक) 'बहु-उत्पाद के लिए विशेष आर्थिक जोन' से ऐसा विशेष आर्थिक जोन अभिप्रेत है, जहां यूनिटें दो या उससे अधिक क्षेत्रों में आने वाली किसी वस्तु या माल में दो या अधिक माल के विनिर्माण या व्यापार और भण्डारण या किसी क्षेत्र में दो या अधिक सेवाएं प्रदान करने या दो या उससे अधिक क्षेत्रों में आने वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित की जा सकती है;

(यख) 'विशिष्ट क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक जोन' से एक क्षेत्र में अनन्य रूप से एक या अधिक उत्पाद या एक क्षेत्र में एक या अधिक सेवाओं के लिए नियंत्रित विशेष आर्थिक जोन अभिप्रेत है;

(यग) 'किसी पत्तन या वायु पत्तन पर विशेष आर्थिक जोन' से किसी क्षेत्र में दो या अधिक माल या दो या अधिक क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले माल के विनिर्माण या व्यापार और भण्डारण या सेवाएं प्रदान करने के लिए विद्यमान किसी पत्तन या वायु पत्तन में स्थित कोई विशेष आर्थिक जोन अभिप्रेत है;

(यघ) किसी विशेष आर्थिक जोन के संबंध में 'विनिर्दिष्ट अधिकारी से विशेष आर्थिक जोन में तत्समय तैनात संयुक्त या उप या सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अभिप्रेत है;

(यङ) 'स्थिति धारक' से विदेश व्यापार नीति के अधीन मान्यता प्राप्त कोई निर्यातकर्ता अभिप्रेत है;

(2) 'इन नियमों में प्रयुक्त ऐसे सभी अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों का जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, अर्थ वही होगा जो क्रमशः अधिनियम में उनका है।

## अध्याय- 2

## विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए प्रक्रिया

3. विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए प्रस्ताव - धारा 3 की उपधारा (2) से उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक प्रस्ताव प्ररूप - क में होगा ।
4. प्रस्ताव को बोर्ड के पास भेजना - (1) राज्य सरकार धारा 3 की उपधारा (2) और उपधारा (4) के अधीन प्राप्त प्रस्तावों को, ऐसे प्रस्ताव की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ अनुमोदन बोर्ड (उप सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली 110011) के पास भेजेगी।

परन्तु यह कि जहां बोर्ड धारा 3 की उप-धारा(3) के अधीन प्राप्त किसी प्रस्ताव का अनुमोदन कर देता है, वहां वह व्यक्ति ऐसे अनुमोदन की तारीख से छः माह के भीतर राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी प्रस्ताव को भेजते समय राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नियम (5) के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन हो गया है और वह इस संबंध में जारी सुसंगत अधिसूचनाओं की प्रतियां संलग्न करेगी ।

5. विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए अपेक्षाएं - (1) बोर्ड धारा 3 की उपधारा (8) के उपबंधों के अनुसार भूमि के न्यूनतम क्षेत्र की अपेक्षाओं और उप- नियम(2) में उपदर्शित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए किसी प्रस्ताव का उस रूप में अनुमोदन कर सकेगा या उसे उपांतरित अनुमोदित कर सकेगा ।

(2) धारा 3 की उप-धारा (8) के निबंधनों में विशेष आर्थिक जोन की एक श्रेणी या श्रेणियों के लिए भूमि के न्यूनतम क्षेत्र की अपेक्षाएं निम्नलिखित होंगी;  
अर्थातः-

(क) बहु-उत्पाद के लिए एक विशेष आर्थिक जोन में एक हजार हैक्टेएर या उससे अधिक का संलग्न क्षेत्र होगा ।

किन्तु यह कि सेवाओं के लिए अनन्य रूप से स्थापित ऐसे विशेष आर्थिक जोन में एक सौ हैक्टेएर या उससे अधिक का संलग्न क्षेत्र हो सकता है ।

किन्तु यह और कि यदि कोई विशेष आर्थिक जोन असम, मेघालय, नागालैंड, अस्सी, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, गोवा या किसी संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है तो क्षेत्र

दो सौ हैक्टेएक्टर या उससे अधिक होगा ।

किन्तु यह भी कि उक्त क्षेत्र का कम से कम पच्चीस प्रतिशत भाग विकास प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए निश्चित किया जाएगा:

किन्तु यह भी कि संलग्न क्षेत्र की अपेक्षा की पूर्ति पर बौर्ड द्वारा गुणागुण के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर विचार और उसका विनिश्चय किया जाएगा;

(ख) किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए किसी विशेष आर्थिक जोन में अथवा किसी पत्तन या वायु पत्तन में उक्त जोन में एक सौ हैक्टेएक्टर या उससे अधिक का संलग्न क्षेत्र होगा;

किन्तु यदि कोई विशेष आर्थिक जोन सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं सहित अनन्य रूप से इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सोफ्टवेयर के लिए स्थापैतै करने का प्रस्ताव किया जाता है तो उक्त क्षेत्र एक लाख वर्ग मीटर का न्यूनतम निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र के साथ-साथ दस हैक्टेएक्टर या उससे से अधिक का होगा:

किन्तु यह और कि यदि कोई विशेष आर्थिक जोन सौर ऊर्जा उपकरणों सहित अनन्य रूप से जैव प्रौद्योगिकी अपारंपरिक ऊर्जा या रस्ते और आमूषण क्षेत्रों के लिए स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है तो उक्त क्षेत्र दस हैक्टेएक्टर या उससे अधिक का होगा ।

किन्तु यह भी कि यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए कोई विशेष आर्थिक जोन को असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, गोवा या किसी संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है तो उक्त क्षेत्र प्रथम तथा द्वितीय परंतुक के अंतर्गत न आने वाले विशेष आर्थिक जोनों के लिए पचास हैक्टेएक्टर या उससे अधिक का क्षेत्र होगा ।

किन्तु यह भी कि उक्त क्षेत्र का कम से कम पचास प्रतिशत भाग विकास प्रसंस्करण क्षेत्र निश्चित किया जाएगा ।

(ग) मुक्त व्यापार और भण्डागारण के लिए विशेष आर्थिक जोन में एक लाख वर्ग मीटर से अनाधिक निर्मित क्षेत्र सहित थालीस हैक्टेएक्टर या उससे अधिक का क्षेत्र होगा:

किन्तु किसी मुक्त व्यापार और भण्डागारण जोन की स्थापना बहु-उत्पाद के लिए किसी विशेष आर्थिक जोन के एक भाग के रूप में भी की जा सकेगी;

किन्तु यह और कि विशिष्ट क्षेत्र के लिए किसी विशेष आर्थिक जोन में मुक्त व्यापार और भण्डागारण जोन का न्यूनतम क्षेत्र की किसी अपेक्षा के बिना अनुज्ञात किया जा सकता है किन्तु यह इस शर्त के अधीन होगी कि ऐसे मुक्त व्यापार और

भण्डारण जोन का अधिकतम क्षेत्र प्रसंस्करण क्षेत्र के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(3) विशेष आर्थिक जोनों के लिए भूमि के न्यूनतम क्षेत्र संबंधी अपेक्षाएँ :-

(क) जिसे इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व, -

(i) भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की अधिसूचना सं. 14/1/2002, तारीख 7 अगस्त, 2001 द्वारा गठित अनुमोदन बोर्ड द्वारा सिफारिश की गयी है; और

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है; और

(ख) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व विदेश आर्थिक जोनों की स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि को अधिग्रहीत या कब्जे में लेलिया गया है; और

(ग) जो इन नियमों के उपाबंध-॥ के कालम (2) में उल्लिखित राज्यों में से किसी राज्य में अवस्थित है, उपाबंध -॥ के कालम (3) में प्रत्येक क्षेत्र के लिए वही होगी जैसाकि उक्त उपाबंध-॥ के कालम (2) में उल्लिखित राज्यों में अवस्थित प्रत्येक क्षेत्र के सामने कालम (4) में तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लेख किया गया है ।

(4) विकासकर्ता या सह- विकासकर्ता को किसी विशेष आर्थिक जोन में कारबार, आवसीय या मनोरंजक सुविधाएं सृजित करने का प्रस्ताव करने वाले आस्तित्व में कम से कम 26% साधारण शेयर रखने होंगे यदि ऐसा विकास किसी पृथक आस्तित्व या कंपनी अधिनियम, 1956(1956 का 1) के अधीन गठित और रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी होने के कारण किसी विशेष प्रयोजन के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव किया गया हो ।

(5) किसी विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए किसी प्रस्ताव की सिफारिश करने से पूर्व राज्य सरकार यह प्रयास करेगी कि प्रस्तावित विशेष आर्थिक जोन और विकासकर्ता को उक्त राज्य में निम्नलिखित उपलब्ध करा दिया जाए, अर्थात् :-

(क) किसी यूनिट या विकासकर्ता द्वारा प्राधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित माल और घरेलू टैरिफ क्षेत्र से उपाप्त तथा उसी रूप में विक्रय किए गए माल को छोड़कर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में किसी यूनिट द्वारा विक्रय किए माल पर स्टॉप शुल्क तथा स्थानीय निकायों द्वारा उद्गृहीत करों सहित राज्य और स्थानीय करों, उद्ग्रहणों और शुल्कों से छूट;

(ख) किसी विशेष आर्थिक जोन के प्रसंस्करण क्षेत्र में उपयोग के लिए स्वतः उत्पादित

या क्रय की गई विद्युत की विक्रय पर विद्युत शुल्क या करों से छूट;

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003(2003 का 36) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी विशेष आर्थिक जोन के भीतर विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण को अनुज्ञात करना;

(घ) विकासकर्ता द्वारा उपलब्ध कराने या उपलब्ध कराए जाने के लिए अपेक्षित जल, विद्युत और ऐसी अन्य सेवाओं की व्यवस्था करना;

(ङ.) यूनिट के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947(1947 का 14) तथा अन्य संबंधित अधिनियमों के अधीन विकास आयुक्त को शक्ति का प्रत्यायोजन;

(च) विकासकर्ता द्वारा नियोजित कर्मकारों के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947(1947 का 14) के अधीन विकास आयुक्त को शक्ति का प्रत्यायोजन;

(छ) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947(1947 का 14) के अधीन विशेष आर्थिक जोन को लोक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित करना;

(ज) राज्य अधिनियमों और नियमों के अधीन विकासकर्ता और यूनिट को एकल पटल समाशोधन प्रणाली उपलब्ध कराना;

(6) बोर्ड को विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए किसी प्रस्तावों की सिफारिश करते समय राज्य सरकार यह निश्चित करेगी कि क्या प्रस्तावित क्षेत्र आरक्षित या पारस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के अन्तर्गत आता है या नहीं ।

6. विकासकर्ता को अनुमोदन - पत्र - (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 3 की उप-धारा (10) के अधीन उसे प्राप्त पत्र के तीस दिन के भीतर संबंधित व्यक्ति या राज्य सरकार को प्ररूप ख में या विशेष आर्थिक जोन में अवसंरचना संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनुमोदन की स्थिति में प्ररूप ग में अनुमेदन पत्र प्रस्ताव को अनुमोदित करते समय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त शर्तों, यदि कोई हो, को समाविष्ट करते हुए प्रदान करेगा ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन किसी विकासकर्ता को प्रदत्त अनुमोदन पत्र तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा जिस अवधि के भीतर उक्त विकासकर्ता द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को कार्यान्वयित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे:

किन्तु बोर्ड, यदि उसका समाधान हो जाता है तो विकासकर्ता या सह-विकासकर्ता के लिखित अनुरोध पर विधिमान्यता की अवधि आगे दो वर्ष से अनाधिक अवधि तक बढ़ाई

जा सकती है ।

7. किसी क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले बौरे - (1) विकासकर्ता धारा 3 की उप-धारा (2) या उपधारा (4) में उल्लिखित क्षेत्र (जिसे इसमें इसके पश्चात परिलक्षित क्षेत्र कहा गया है) के संबंध में धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित विवरण विधिक अधिकार और कब्जे के सबूत तथा राज्य सरकार या प्राधिकृत अभिकरण से इस अशय के प्रमाण पत्र के साथ केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा कि उक्त क्षेत्र सभी विलंगमों से मुक्त है ।

किन्तु यह कि जहां विकासकर्ता का उक्त परिलक्षित क्षेत्र पर पट्टा अधिकार है, वहां उक्त पट्टा बीस वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए होगा ।

(2) परिलक्षित क्षेत्र संलग्न और खाली होगा और इसमें नियम 5 के उप-नियम (2) के खण्ड (क) के तीसरे परन्तुक के अधीन कोई सार्वजनिक मार्ग नहीं होगा ।

8. विशेष आर्थिक जोन की अधिसूचना - नियम 7 के अधीन अपेक्षित बौरों और केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित अन्य बौरों, यदि कोई हो, को प्रस्तुत करने और अनुमोदन पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों को स्वीकार करने के पश्चात केन्द्रीय सरकार परिलक्षित क्षेत्र को धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन उस दशा में किसी विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करेगी यदि अधिसूचना के लिए प्रस्तावित क्षेत्र नियम 5 के अधीन विहित न्यूनतम क्षेत्र से कम नहीं है ।

9. प्राधिकृत प्रचालनों के लिए अनुमोदन प्रदान करना - विकासकर्ता विशेष आर्थिक जोन की स्थापना या उसके पश्चात अनुमोदन प्राप्त करने के समय धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकार प्राप्त करने के लिए विशेष आर्थिक जोन में किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रचालनों के बौरे बोर्ड को प्रस्तुत करेगा :

किन्तु प्राधिकृत प्रचालनों के लिए छूट, वापसी और रियायते नियम 8 के अधीन विशेष आर्थिक जोन को अधिसूचित किए जाने के पश्चात नियम 12 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध रहेगी :

किन्तु यह और कि किसी विद्यमान विशेष आर्थिक जोन का विकासकर्ता छूट, वापसी और रियायतों का लाभ प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ विशेष आर्थिक जोन में किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रचालनों के बौरे बोर्ड को प्रस्तुत करेगा :

10. मदों के उपापन के लिए अनुज्ञा- अनुमोदन समिति नियम 9 के अधीन प्राधिकृत प्रचालन

आरंभ करने के लिए माल और सेवाओं की अनुज्ञा प्रदान कर सकेगी ।

किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित विशेष आर्थिक जोनों के लिए प्राधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित माल और सेवाओं को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है ।

किन्तु यह और कि यथास्थिति किसी विकासकर्ता या सह-विकासकर्ता को अनुज्ञात माल और सेवाओं पर छूटें, वापरी और रियायतें ऐसे विकासकर्ता या सह-विकासकर्ता द्वारा नियुक्त ठेकेदारों को भी उपलब्ध होंगी और ऐसी दशाओं में सभी दस्तावेजों पर ठेकेदार के साथ-साथ विकासकर्ता या सह-विकासकर्ता के नाम का उल्लेख होगा और इन्हें विकासकर्ता या सह-विकासकर्ता और ठेकेदार के नाम से संयुक्त रूप से भरा जाएगा :

किन्तु यह भी कि यथास्थिति विकासकर्ता या सह-विकासकर्ता, समस्त मामलों में ऐसे माल के समुचित उपयोग के लिए उत्तरदायी और दायी होगा ।

11. प्रसंस्करण और अप्रसंस्करण क्षेत्र - (1) संबंधित विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त धारा 6 के उपबंधों के अधीन विशेष आर्थिक जोन के भीतर आने वाले क्षेत्रों का विभाजन करने के लिए प्राधिकारी होगा ।
  - (2) प्रसंस्करण क्षेत्र और मुक्त व्यापार तथा भण्डागार जोन को कुर्सी स्तर से कम से कम दो मीटर और चालीस सेटीमीटर की ऊँचाई वाली चार दीवारी या कांटे की बाड़ से पूर्णतः सुरक्षित किया जाएगा जिसमें सबसे ऊपर के सात सेटीमीटर भाग में इस्पात के एंगल लगाकर गोलाईनुमा तार की बाड़ लगाई जाएगी तथा प्रवेश और निकास द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।
  - (3) विकास आयुक्त उप-नियम(2) की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा ।
  - (4) प्राधिकृत व्यक्तियों को ही विशेष आर्थिक जोन के प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुज्ञात किया जाएगा ।
  - (5) प्रसंस्करण क्षेत्र या मुक्त व्यापार और भण्डागारण जोन में भूमि या निर्मित स्थान को नियम 19 के अधीन जारी विधिमान्यता अनुमोदन - पत्र रखने वाले उद्यमियों को ही पट्टे पर प्रदान किया जाएगा और पट्टे की अवधि इस अनुमोदन-पत्र की विधिमान्यता की सह-अवसानी होगी :

किन्तु विकासकर्ता अनुमोदन समिति के पूर्व अनुमोदन से कैटीन, सार्वजनिक टेलिफोन बूथों, प्राथमिक उपचार केन्द्रों, क्रैच जैसी सुविधाएं जो यूनिट के अनन्य उपयोग के लिए अपेक्षित हों ऐसी अन्य सुविधाएं सृजित करने के लिए पट्टे की भूमि या निर्मित स्थान की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है।

(6) पट्टे के आधार पर भूमि धारण करने वाला विकासकर्ता विधिमान्य अनुमोदन-पत्र धारण करने वाले उद्यमी को पट्टा अधिकार प्रदान करेगा।

(7) विकासकर्ता द्वारा उप-पट्टे या किसी अन्य ढंग से किया गया कोई अंतरण तभी विधिमान्य होगा यदि ऐसा अंतरण विकास आयुक्त द्वारा जारी विधिमान्य अनुमोदन-पत्र रखने वाले किसी व्यक्ति को किया गया हो।

(8) विकासकर्ता प्रसंस्करण क्षेत्र में पट्टे के आधार पर भूमि का आबंटन संभावित यूनिटों के प्रयोग के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाएं सृजित करने के इच्छुक किसी व्यक्ति को कर सकता है।

(9) विकासकर्ता किसी विशेष आर्थिक जोन में स्थित भूमि का विक्रय नहीं करेगा।

(10) विकासकर्ता अप्रसंस्करण क्षेत्र में भूमि का आबंटन व्यापार और शैक्षिक संस्थानों, अस्पतालों, होटलों, मनोरंजन और आतिथ्य सुविधाएं, आवासीय और कारबाह कॉम्प्लैक्सों जैसे विशेष प्रयोजनों के लिए कर सकता है :

किन्तु विशेष आर्थिक जोन में कारबाह या सामाजिक प्रयोजन के लिए अवसंरचना जैसा बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया जाए छूटों, रियायतों और वापसी के लिए पात्र होंगी।

(11) विशेष आर्थिक जोन को इस निमित्त अधिसूचित तारीख से धारा 53 के उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 7 के अधीन पत्तन, विमान पत्तन, अंतर्देशीय आधान डिपो, भूमि सीमा शुल्क स्टेशन माना जाएगा:

किन्तु विनिर्दिष्ट अधिकारी विशेष आर्थिक जोन में किसी क्षेत्र या क्षेत्रों को आयात या निर्यात स्थोरा की लदाई और उत्तराई के क्षेत्र के रूप में अभिहित कर सकेगा :

किन्तु यह और कि यदि उक्त पत्तन, विमान पत्तन, अंतर्देशीय आधान डिपो, भूमि सीमा-शुल्क स्टेशन का उपयोग घरेलू टैरिफ क्षेत्र के आयातकर्ताओं और निर्यातकर्ताओं के लिए नियत आयात या निर्यात स्थोरा की लदाई और उत्तराई के लिए भी किया जाना है, तो ऐसे स्थोरा का भण्डारण पृथक भाग में किया जाएगा और ऐसे स्थोरा के परिवान को उक्त सीमा शुल्क केन्द्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले सहायक या उप-सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रवेश बिल के आधार पर उक्त विशेष आर्थिक जोन के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा

अनुज्ञात किया जाएगा ।

12. विकासकर्ता द्वारा माल का आयात और उपापन -(1) विकासकर्ता उप नियम (2) से उप नियम (8) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत प्रचालनों के लिए शुल्क, करों और उप-कर के संदाय के बिना घरेलू टैरिफ क्षेत्र से माल का आयात या उपापन कर सकता है ।

(2) विकासकर्ता नियम 9 के अधीन प्राधिकृत प्रचालन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात प्राधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित मशीनरी, उपरकर और निर्माण सामग्री सहित, माल और सेवाओं में किसी चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित सूची के साथ आवेदन अनुमोदन समिति के अनुमोदन के लिए विकास आयुक्त को करेगा ।

(3) विकासकर्ता विशेष आर्थिक जोन के भीतर माल के भण्डारण की स्थान की घोषणा विनिर्दिष्ट अधिकारी को करेगा:

किन्तु यदि भण्डारण प्रसंस्करण क्षेत्र के बाहर किन्तु विशेष आर्थिक जोन के भीतर किया जाता है तो ऐसे भण्डारण के लिए ऐसे रखोपायों का अनुपालन किया जाएगा जिन्हें विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजनार्थ आवश्यक हो और अनुमोदित किया गया हो ।

(4) प्राधिकृत प्रचालनों के लिए विकासकर्ता द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र से आयातित या उपाप्त माल को उपयोग में लाए जाने से पूर्व इसे प्राधिकृत द्वारा निरीक्षण के लिए स्पष्ट रूप से अभ्यंकित क्षेत्र में रखा जाएगा ।

(5) विकासकर्ता एक वर्ष की अवधि या ऐसी अवधि जो विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा बढ़ाई गई हो, के भीतर प्राधिकृत प्रचालनों के लिए माल के उचित लेखे जोखे और उपयोग के बारे में विकास आयुक्त और विनिर्दिष्ट अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से प्ररूप घ में बंध-पत्र- सह विधिक वचनपत्र निष्पादित करेगा ।

(6) विकासकर्ता माल के आयात या उपापन, उपभोग और उपयोग का उचित लेखा-जोखा रखेगा और प्ररूप ड. में विकास आयुक्त को तिमाही और छमाही विवरणियां विचार -के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष रखेगा ।

(7) विकासकर्ता उप नियम (2) के प्रयोजनार्थ प्रभाणपत्र देने वाले इंजीनियर से भिन्न

किसी स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर से माल के उपयोग के बारे में प्रत्येक वित्त वर्ष की 31 मार्च और 30 सितम्बर को समाप्त अवधि के लिए छमाही प्रमाणपत्र विकास आयुक्त को प्रस्तुत करेगा और इस उप-नियम के अधीन प्रत्येक प्रमाणपत्र यथास्थिति विनिर्दिय अवधि के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा ।

(8) विकास आयुक्त, विनिर्दिष्ट अधिकारी की अनुज्ञा के बिना और ऐसे माल पर लागू शुल्क के संदाय पर विशेष आर्थिक जोन से घरेलू टैरिफ क्षेत्रों में उक्त माल नहीं हटाएगा ।

13. कोई विकासकर्ता पूँजीगत माल और निर्माण उपस्कर सहित ऐसे पुर्जों, जो बेकार या फालतू हो गए हैं, का किसी अन्य विकासकर्ता या यूनिट को निर्यात या अंतरण विनिर्दिष्ट अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात कर सकेगा ।
14. माल और सेवाओं के आयात या उपापन, उनके प्रवेश तथा माल की निकासी आदि पर लागू होने वाली प्रक्रिया - माल और सेवाओं के आयात या उपापन, उनके प्रवेश तथा माल की निकासी आदि पर लागू होने वाली प्रक्रिया विकासकर्ता पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगी सिवाए इसके कि विकासकर्ता की दशा में घरेलू टैरिफ क्षेत्र से आयातित या उपाप्त माल विशेष आर्थिक जोन अप्रसंस्करण क्षेत्र में प्राधिकृत प्रचालनों के प्रयोजनार्थ ले जाने या उपयोग में लाने को अनुज्ञात किया जाएगा ।
15. मानिटरिंग - विकासकर्ता द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र से आयातित या उपाप्त माल के उपयोग की मानिटरिंग अनुमोदन समिति द्वारा की जाएगी ।
16. विकासकर्ता के अनुमोदन पत्र का अंतरण - धारा 10 की उप धारा (9) के खण्ड (क) के अधीन किसी विकासकर्ता के अनुमोदन -पत्र के अंतरण पर यथासंभव धारा 3 और इन नियमों के सुसंगत उपबंध लागू होंगे ।

### अध्याय- 3

#### यूनिट की स्थापना के लिए प्रक्रिया

17. यूनिट की स्थापना के लिए प्रस्ताव -(1) नीचे उल्लिखित बातों से किसी यूनिट की स्थापना और अन्य समाशोधनों की अनुमति की अपेक्षा करते हुए पाँच प्रतियों में एक समेकित आवेदन प्ररूप च में विकास आयुक्त को किया जाएगा जिसकी एक प्रति विकासकर्ता को भेजी जाएगी;
  - (क) विशेष आर्थिक जोन में यूनिट की स्थापना;
  - (ख) उप-संविदा हेतु वार्षिक अनुज्ञा;
  - (ग) आयातकर्ता -निर्यातकर्ता कोड संख्या का आवंटन;
  - (घ) विशेष आर्थिक जोन में भूमि/औद्योगिक शेषों का आवंटन;
  - (ङ.) पानी का कनेक्शन;

(च) रजिस्ट्रीकरण सदस्यता प्रमाण - पत्र;

(छ) लघु उद्योग रजिस्ट्रीकरण;

(ज) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण;

(झ) विद्युत कनेक्शन;

(झ) भवन अनुमोदन योजना;

(ट) विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण;

(ठ) कारखाना निरीक्षणालय का अनुमोदन;

(ड) प्रदूषण नियंत्रण समाशोधन, जहां अपेक्षित हो;

(ढ) कोई अन्य अनुमोदन, जो राज्य सरकार से अपेक्षित हो ।

(2) विकास आयुक्त उक्त प्रस्ताव की संवीक्षा कराएगा और उसे विचारार्थ अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत कराएगा ।

(3) धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) और (ड.) के अधीन प्राप्त प्रस्ताव विकास आयुक्त द्वारा बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे ।

18. किसी विशेष आर्थिक जोन में थूनिट की स्थापना के लिए विचार - (1) अनुमोदन समिति नियम 17 के उप - नियम (2) के अधीन उसके समक्ष रखे गए प्रस्ताव को उसकी प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अनुमोदित या उपांतरण सहित अनुमोदित या अस्वीकृत कर सकेगी ।

किन्तु जहां अनुमोदन नियम 17 के उप- नियम (3) के अनुसार बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाना है वहां बोर्ड ऐसे प्रस्ताव के प्राप्त होने के पैतालीस दिनों के भीतर उसे अनुमोदित या उपांतरण सहित अनुमोदित या अस्वीकृत कर सकता है :

किन्तु यह और कि यथास्थिति अनुमोदन समिति या बोर्ड, उपांतरणों सहित किसी प्रस्ताव को अनुमोदित करने या उसे अस्वीकृत करने की दशा में कारणों को लिखित रूप में लेखबद्ध करेगा और विकास आयुक्त प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को आदेश द्वारा ऐसे कारणों के बारे में सूचित करेगा ।

(2) अनुमोदन समिति प्रस्ताव का अनुमोदन करेगी यदि उसमें निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा किया गया हो, अर्थात्-

(i) प्रस्ताव, नियम 53 में यथा उपबंधित सकासात्क शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन की अपेक्षा पूरी करता हो;

(ii) आवेदित स्थान तथा अन्य अवसंरचना संबंधी सहायता की उपलब्धता की पुष्टि विकासकर्ता द्वारा स्थान के अनन्तिम प्रस्ताव के रूप में लिखित रूप में की गई हो;

किन्तु विकासकर्ता विकास, आयुक्त द्वारा अनुमोदन पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही

कोई पट्टा करार कर सकेगा और विशेष आर्थिक जोन में उक्त स्थान का कब्जा उद्यमी को देगा :

किन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकृत पट्टा बिलेख की एक प्रति अनुमोदन पत्र जारी होने के छः मास के भीतर संबंधित विकास आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी ।

(iii) आवेदक पर्यावरणीय और प्रदूषण नियंत्रण मानदण्डों को पूरा करने का वचन देता हो ;

(iv) आवेदक ने निवास का साक्ष्य अर्थात् यथास्थिति पासपोर्ट या राशन कार्ड या चालन अनुज्ञाप्ति या मतदाता पहचान पत्र या भागीदारी फर्मों के रखामी या भागीदारों या कंपनी के निदेशकों का कोई साक्ष्य विकास आयुक्त के समाधानप्रदर्श्य में प्रस्तुत करता है;

(v) आवेदक स्वामी या भागीदारों या कंपनी की दशा में पिछले तीन वर्ष के संपरीक्षित तुलन-पत्र के उपाबंध के साथ आय-कर विवरणी प्रस्तुत करता है ।

(3) प्रस्ताव निम्निलिखित क्षेत्र की विशिष्ट अपेक्षाओं को भी पूरा करेगा अर्थात्:-

(क) चौसठ प्रतिशत और उससे अधिक के लौह तत्व वाले उच्च श्रेणी के लौह अयस्क का निर्यात गोवा और रेडीमूल के सिवाय लौह अयस्क जो अनुमोदन बोर्ड के अधीन होगा;

(ख) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में या अन्य विशेष आर्थिक जोन में निर्यातोन्मुख यूनिट या यूनिटों में पालिस्टर सूत की कोई उपसंविदा या फुटकर काम अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

किन्तु यह निबंधन उन यूनिटों पर लागू नहीं होगा जो उपसंविदा के लिए पॉलिस्टर या टैक्सचरीकृत सूत से बनाए गए परिधान को भेजने के आशयित हैं; किन्तु तीसरे पक्षकार के निर्यातों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(4) किसी प्रस्ताव पर निम्निलिखित के लिए विचार नहीं किया जाएगा:-

(क) प्लास्टिक स्क्रैप या अपशिष्ट का पुनःचक्रण;

किन्तु किसी विद्यमान यूनिट के अनुमोदन पत्र का विस्तार पर बोर्ड द्वारा विनिश्चय किया जाएगा;

(ख) विद्यमान यूनिटों को यूनिट के प्रचालन के आरंभ से उक्त यूनिट की औसत वार्षिक मात्रा से अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट और स्क्रैप की अनुमोदित आयात मात्रा में वृद्धि;

(ग) परिधानों या उपयोग में लाए गए वस्त्रों या पुरानी वस्त्र सामग्री और पुनःचक्रण योग्य अन्य वस्त्र सामग्री का किलिपिंग या कतरन या औद्योगिक वाइपरों या घटिया ऊन या सूत या कंबलों या शालों का पुनः प्रसंस्करणः

किन्तु किसी विद्यमान यूनिट के अनुमोदन पत्र के विस्तार पर बोर्ड द्वारा विनिश्चय किया जाएगा;

(घ) पुनःचक्रण के लिए उपयोग में लाए गए अन्य माल का आयातः

किन्तु किसी विद्यमान यूनिट के अनुमोदन पत्र के विस्तार पर बोर्ड द्वारा विनिश्चय किया जाएगा;

किन्तु यह और कि पुनर्नुकूलन, मरम्मत और पुनः इंजीनियरी को इस शर्त के अधीन अनुज्ञात किया जा सकता है कि निर्यातों का आयातों के साथ अलग - अलग सह-संबंध होगा और पुनर्नुकूलन या मरम्मत किए गए या पुनः इंजीनियरी समस्त उत्पादों और रक्कैप या अवशिष्ट या अपशिष्ट वा निर्यात किया जाएगा तथा इनमें से किसी माल का घरेलू ट्रैकिंग क्षेत्र में विक्रय या नष्ट करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

ड.) विशेष रसायनों, अवयवों, सामग्रियों, उपस्कर और प्रौद्योगिकियों का निर्यात तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वह निर्यात और आयात मर्दों के आयात व्यापार नियंत्रण (सुमेलिकृत प्रणाली) वर्गीकरण में उल्लिखित शर्तों को पूरा न करता हो ।

(च) यदि संवर्धनकर्ताओं द्वारा विधि या लोक नीति के उल्लंघन का कोई उदाहरण हो तो उसका प्रस्ताव के गुणावगुण पर प्रभाव होगा ।

(5) मुक्त व्यापार और भाण्डागारण जोनों में यूनिटों या अन्य विशेष आर्थिक जोन में स्थापित मुक्त व्यापार और भाण्डागारण जोन की यूनिटों को मालिक के अनुदेशों के अनुसार प्रेषण के लिए विदेशी प्रदानकर्ताओं के लिए माल को खने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और किसी प्रसंस्करण के लेबलिंग, पैकिंग या पुनः पैकिंग सहित या उसके बिना व्यवसाय के लिए अनुज्ञात किया जाएगा;

परंतु भंडारण के प्रयोजनार्थ प्रशीतन और पूर्णरूपेण विकृत या अर्द्ध-विकृत किटों को संयोजित करने के लिए भी ऐसे कार्यकलाप करने वाली मुक्त व्यापार और भाण्डागारण यूनिटों को अनुज्ञात किया जाएगा;

परंतु भंडारण के प्रयोजनार्थ प्रशीतन और पूर्णरूपेण विकृत या अर्द्ध-विकृत किटों को संयोजित करने के लिए भी ऐसे कार्यकलाप करने वाली मुक्त व्यापार और भाण्डागारण यूनिटों को अनुज्ञात किया जाएगा;

परंतु यह भी कि ये यूनिटें उनके द्वारा आयातित माल का पुनः विक्रय या पुनः बीजकीकरण या पुनः निर्यात भी कर सकेंगी;

परंतु यह भी कि मुक्त व्यापार और भाण्डागारण जोन की किसी यूनिट द्वारा सभी संव्यवहार संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में ही होंगे;

(6) यूनिटें निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विदेशी अस्तित्वों को सेवाएं या विनिर्माण सेवाएं प्रदान करने के लिए भी स्थापित की जा सकेंगी; अर्थात्

(क) पूंजीगत माल, कच्ची सामग्रियां तथा उपभोज्य उप- संयोजन, संघटक, अर्ध-परिष्कृत माल का विदेशी अस्तित्वों द्वारा बिना लागत के प्रदाय किया जाएगा;

(ख) ऐसी सुविधाओं की स्थापना के लिए पूंजीगत माल जो ऋण या पट्टे के आधार पर भी नियम 53 के अधीन शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन की गणना को हिसाब में लेते हुए ऐसी पूंजीगत माल का नाममात्रा का मूल्य ध्यान में रखा जाएगा;

(ग) तैयार माल देश से बाहर निर्यात किया जाएगा या विदेशी अस्तित्व द्वारा अनुरक्षित सीमाशुल्क विभाग द्वारा प्रत्याभूत भाण्डारण को स्थानांतरित किया जाएगा:-

परंतु तैयार माल का प्रदाय विदेशी अस्तित्व के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा;

(घ) यूनिट उक्त विदेशी अस्तित्व से संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्रत्यक्ष रूप से अपनी विनिर्माण सेवाओं के लिए प्रस्ताव प्राप्त करेंगी;

(ङ) यदि उक्त विनिर्माण सुविधा का स्वयं के लिए उत्पादन करने के लिए यूनिट द्वारा प्रयोग किया जाता है तो विनिर्माण और सेवा क्रियाकलाप के लिए पृथक लेखे रखे जाएंगे ।

**स्पष्टीकरण:-** "विदेशी अस्तित्व" से कोई अनिवासी या विदेशी मूल का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें भारत में अनिगमित कोई कम्पनी सम्मिलित है ।

19. किसी यूनिट को अनुमोदन पत्र-(1) नियम 18 और 19 के अधीन प्रस्ताव में अनुमोदन के पश्चात विकास आयुक्त यूनिट की स्थापना के लिए प्ररूप "छ" में एक अनुमोदन पत्र जारी करेगा;

(2) अनुमोदन पत्र में विनिर्माण की मद्दें या सेवा क्रियाकलाप के विवरण और व्यापार या भाण्डारण, अनुमानित वार्षिक निर्यात प्रचालनों के पहले पांच वर्ष के तिए शुद्ध विदेशी मुद्राँ आय, सीमाएं यदि कोई हो, जो तैयार माल, उपोत्पादों तथा अस्तीकृत माल की घरेलू टैरिफ सेत्र विक्रय पर अन्य निवंधन और शर्तें यदि कोई हों, होंगी जो अनुमोदन समिति या बोर्ड द्वारा नियत की जाए ।

परंतु अनुमोदन समिति ब्राउडबैंडिंग, विविधीकरण उत्पादन की क्षमता की वृद्धि, विनिर्माण या सेवा क्रियाकलाप की मद्दों में परिवर्तन करने का अनुमोदन भी कर सकती है यदि वह नियम 18 की अपेक्षाओं को पूरा करती है ।

परंतु यह और कि अनुमोदन समिति अनुमोदित यूनिट के उद्यमी के परिवर्तन का अनुमोदन भी कर सकेंगी यदि आने वाला उद्यमी विद्यमान यूनिट की आस्तियों और दायित्वों को संभालने का वंचन देता है ।

(3) उप-नियम (1) के अधीन जारी अनुमोदन पत्र धारण करने वाला कोई उद्यमी यथास्थिति विशेष आर्थिक जोन या मुक्त व्यापार तथा भाण्डारण जोन में ही कोई यूनिट स्थापित करने का हकदार होगा ।

परंतु विशेष आर्थिक जोन या मुक्त व्यापार भाण्डागारण जोन में कोई यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव पर, नियम 11 के अधीन विशेष आर्थिक जोन या मुक्त व्यापार भाण्डागारण जोन का प्रसंस्करण क्षेत्र सीमांकन करने के पश्चात ही विचार किया जाएगा।

(4) अनुमोदन पत्र एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगा जिस अवधि के भीतर यूनिट उत्पादन या सेवा या व्यापार या मुक्त व्यापार और भाण्डागारण क्रियाकलाप शुरू करेगी और यूनिट विकास आयुक्त को उत्पादन या क्रियाकलाप शुरू करने की तारीख सूचित करेगी।

परंतु उद्यमी के अनुरोध पर दो वर्ष से अनधिक आगे की अवधि के लिए विधिमान्य कारणों को लेखबद्ध करते हुए विकास आयुक्त द्वारा और समय बढ़ाया जा सकेगा।

परंतु यह भी कि विकास आयुक्त यूनिट की स्थापना से संबंधित संनिर्माण पूरा होने सहित दो-तिहाई कार्यकलाप पूरा होने की शर्त के अध्यधीन तथा यूनिट द्वारा इस आशय का चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर एक वर्ष के लिए और बढ़ा सकेगा।

(5) यदि यूनिट ने विधिमान्य अवधि के भीतर या उप-नियम (4) के अधीन बढ़ाई गई विधिमान्यता अवधि में उत्पादन या सेवा क्रियाकलाप आरंभ न किया हो, तो अनुमोदन पत्र विधिमान्यता समाप्ति की तारीख से समाप्त समझा जाएगा।

(6) अनुमोदन पत्र उत्पादन या सेवा क्रियाकलाप के आरंभ होने की तारीख से पांच वर्ष के लिए विधिमान्य होगा और यह सभी प्राधिकृत प्रचालनों से संबंधित प्रयोजनों के लिए एक अनुज्ञाप्ति के रूप में समझा जाएगा और उत्पादन के आरंभ होने की तारीख से पांच वर्ष पूरे होने के पश्चात विकास आयुक्त यूनिट के अनुरोध पर एक बार में आगे पांच वर्ष और अवधि के लिए अनुमोदन पत्र की विधिमान्यता बढ़ा सकता है।

(7) यदि कोई उद्यम घरेलू टैरिफ क्षेत्र यूनिट के साथ-साथ किसी विशेष आर्थिक जोन यूनिट में प्रचालन कर रहा है तो दो सुभिल्ल पहचान और पृथक बही खाते रखने होंगे परंतु विशेष आर्थिक जोन यूनिट के लिए एक अलग विधिक अस्तित्व होना अनिवार्य नहीं होगा।

परंतु विदेशी कम्पनियां भी विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेश मुद्रा व्युत्पन्न सविदाएं) विनियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार विशेष आर्थिक जोनों में अपने शाखा प्रचालनों के रूप में विनिर्माण यूनिट स्थापित कर सकती हैं।

20. विशेष आर्थिक जोनों का प्रशासनिक नियंत्रण-प्रत्येक विशेष आर्थिक जोन धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त एक विकास आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा।

21. अपतटीय बैंकधारी यूनिट - (1) विशेष आर्थिक जोन में अपतटीय बैंकधारी यूनिट की स्थापना और प्रचालन का आवेदन बैंकधारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अधीन बैंकिंग विनियम (कम्पनी) नियम, 1949 के अधीन निर्धारित फॉर्म VI में भारतीय रिजर्व बैंक को किया जाएगा।

(2) निबंधन और शर्तें जिनके अध्यधीन अपतटीय बैंकधारी यूनिट स्थापित की जा सकती हैं और विशेष आर्थिक जोन में प्रचालित की जा सकती हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 7 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना सं. 71/2002-आरबी में यथाविनिर्दिष्ट होंगी।

## अध्याय 4

वे निबंधन और शर्तें जिनके अध्यधीन उद्यमी और विकासकर्ता छूटों, वापसी और रियायतों के हकदार होंगे

22. प्राधिकृत प्रचालनों के लिए प्रत्येक विकासकर्ता और उद्यमी द्वारा प्राप्त की जाने वाली छूटों, वापसियों और रियायतों के लिए शर्तें - (1) उद्यमी या विकासकर्ता को छूट, वापसी और रियायत प्रदान करना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् :-

- (i) यूनिट आयातित या शुल्क मुक्त खरीदे हुए ईंधन सहित पूँजीगत माल, अतिरिक्त पुर्जों, कच्ची सामग्रियों, संघटकों और उपभोज्य माल सहित उचित उपयोग तथा माल के लेखे के बारे में अपने दायित्वों और सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा आय की प्राप्ति के संबंध में प्ररूप "ज" में एक बंध पत्र- सह-विधिक वचनबंध निष्पादित करेगी ।
- (ii) विकासकर्ता और सहविकासकर्ता अपने द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत किसी ठेकेदार द्वारा खरीदी गई या आयातित माल सहित माल के विवरण और उचित उपयोग के बारे में अपने दायित्वों के संबंध में प्ररूप "घ" में बंधपत्र-सह-विधिक वचनबंध निष्पादित करेगा ।
- (iii) बोर्ड-बंधपत्र-सह-विधिक वचनबंध विकास आयुक्त तथा विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से स्वीकार किए जाएंगे ।

परंतु यह कि यूनिट या विकासकर्ता, सह विकासकर्ता द्वारा निष्पादित बंधपत्र-सह-विधिक वचनबंध में एक या अधिक निम्नलिखित क्रियाकलाप शामिल होंगे, या:-

- (क) आयात या निर्यात पत्तन तथा विशेष आर्थिक जोन के बीच माल का आवागमन ।
- (ख) घरेलू ट्रैफिक क्षेत्र में शुल्क के संदाय के बिना यूनिट या विकासकर्ता पर यथा लागू प्राधिकृत प्रचालन ।
- (ग) मरम्मत या परीक्षण या अंशाकन या प्रदर्शन या प्रसंस्करण या उप संविदाकरण या उत्पादन प्रक्रिया या उत्पादन या अन्य अस्थायी स्थानांतरण के प्रयोजनार्थ यूनिट में माल या विनिर्मित माल का अस्थायी स्थानांतरण ।
- (घ) निर्यातित माल का पुनः आयात ।
- (iv) बंधपत्र-सह-विधिक वचनबंध के निष्पादन की प्रक्रिया इस प्रकार होगी:-

- (क) जहाँ कोई उद्यमी या विकासकर्ता एक कम्पनी है, तो बंध पत्र-सह-विधिक वचनबंध कम्पनी के प्रबंध निदेशक या निदेशक या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित की जाएगी जो कम्पनी के निदेशक बोर्ड के एक संकल्प द्वारा इस प्रयोजनार्थ सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो और उस पर कम्पनी की सामान्य मुहर लगाई जाएगी; जहाँ उद्यमी कोई सहभागी फर्म हो तो बंधपत्र-सह-विधिक वचनबंध सभी भागीदारों अथवा प्राधिकृत भागीदारों द्वारा निष्पादित की जाएगी; जहाँ उद्यमी कोई हिन्दू अविभक्त परिवार हो, तो बंधपत्र-सह-विधिक वचनबंध कर्ता द्वारा निष्पादित किया जाएगा और जहाँ उद्यमी स्वामित्व समुत्थान हो तो बंधपत्र-सह-विधिक वचनबंध स्वामी द्वारा निष्पादित की जाएगी ।

(ख) बंधपत्र-सह-विधिक वचनबंध का मूल्य आयात या अनुमानित पूंजीगत माल, कव्यी सामग्रियों, अतिरिक्त पुर्जों, उपभोज्य माल, मध्यवर्ती माल, संघटकों, पुर्जों यथा लागू तीन मास के लिए पैकिंग सामग्रियों पर लगाए जाने वाले प्रभावी शुल्कों परंतु यूनिट में ऐसे माल के प्रवेश के कारण नहीं लगाई जाएंगी, कि राशि या विकासकर्ता द्वारा प्राधिकृत प्रचालन के लिए माल की अनुमानित आवश्यकताओं के घरेलू टैरिफ क्षेत्र से क्रय या आयात पर लगाये जाने वाले प्रभावी शुल्कों परंतु जिन्हें विशेष आर्थिक जोन में ऐसे माल के प्रवेश के कारण नहीं लगाया जाएगा, की राशि के समान होगा ।

(ग) जहां अतिरिक्त माल की आवश्यकता के कारण निष्पादित बंधपत्र-सह-विधिक वचनबंध का मूल्य कम रहता हो, तो यूनिट या विकासकर्ता अतिरिक्त बंधपत्र-सह-विधिक वचनबंध प्रस्तुत करेगा ।

(घ) कोई विकलन और प्रत्यय नहीं होगा, बंधपत्र-सह-विधिक वचनबंध की राशि पर यथास्थिति विकासकर्ता या यूनिट द्वारा प्रस्तुत तिमाही प्रगति रिपोर्ट या वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर त्रैमासिक या वार्षिक मॉनीटरी की जाएगी और यदि बंधपत्र-सह-विधिक वचनबंध की राशि में कोई कमी रहती है तो एक नया या अतिरिक्त बंधपत्र-सह-विधिक वचनबंध प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ङ.) बंधपत्र-सह-विधिक वचनबंध की मूल प्रति विकास आयुक्त के कार्यालय में रखी जाएगी और प्रमाणित प्रतियां विनिर्दिष्ट अधिकारी और यूनिट या विकासकर्ता को दी जाएंगी ।

(च) रत्न और आभूषण यूनिटों के संबंध में बंधपत्र-सह-विधिक वचनबंध के मूल्य की गणना समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाअधिसूचित दरों पर की जाएगी ।

(छ) ऊपर नियमों के अनुसरण में यूनिट या विकासकर्ता यथास्थिति, द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित बंधपत्र-सह-विधिक वचनबंध स्वीकृत समझा जाएगा यदि इसके प्रस्तुत करने की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर कोई संसूचना प्राप्त नहीं होती है ।

(2) प्रत्येक यूनिट और विकासकर्ता द्वितीय वर्ष-वार उचित लेखे रखेगा और ऐसे लेखे जिनमें घरेलू टैरिफ क्षेत्र से आयातित या उपाप्त माल का मूल्य खपत या माल का उपभोग, माल का उत्पादन तथा उपोत्पाद, अवशिष्ट या स्कैप या अवशेष घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निर्यात, विक्रय या प्रदायाओं के रूप में विनिर्मित या उत्पादित माल का व्यय या यथास्थिति विशेष आर्थिक जोन या निर्यातोन्मुख यूनिट या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या साप्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिटों या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट, को स्थानान्तरण और स्टॉक में बकाया को स्पष्ट रूप से दर्शित किया जाना चाहिए ।

परंतु यह कि यूनिट विकासकर्ता ऐसे अभिलेख को सुसंगत द्वितीय वर्ष के अन्त से सात वर्ष की अवधि के लिए रखेंगे ।

परंतु यह और कि व्यापार और विनिर्माण दोनों क्रियाकलापों में लगी यूनिट व्यापार और विनिर्माण क्रियाकलाप के लिए पृथक अभिलेख रखेंगी ।

(3) यूनिट फॉर्म 'झ' में वार्षिक कार्यपालन रिपोर्ट विकास आयुक्त को प्रस्तुत करेंगी और विकास आयुक्त उनको अनुमोदन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगा ।

(4) विकासकर्ता, घरेलू टैरिफ क्षेत्र से माल की खरीद अथवा, आयात, उपापन उनके उपयोग और स्टॉक के माल के संबंध में प्ररूप 'ड.' में विकास आयुक्त और विनिर्दिष्ट अधिकारी को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और विकास आयुक्त उन्हें अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

23. घरेलू टैरिफ क्षेत्र से यूनिट या विकासकर्ता को उनके प्राधिकृत प्रचालनों के लिए प्रदाय विदेश व्यापार नीति के अधीन अनुज्ञेय निर्यात लाभों के लिए हकदार होंगे ।

24.(1) किसी विकासकर्ता या यूनिट को वापसी दावों को प्रदान करने तथा शुल्क हकदारी प्रत्यय पासबुक में धनराशि जमा करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

(क) वापसी दावे- निर्यात के निर्धारित बिल की तीन प्रतियों को वापसी दावे के रूप में समझा जाएगा और विशेष आर्थिक जोन के सीमाशुल्क अनुभाग में इन पर कार्रवाई की जाएगी और विनिर्दिष्ट अधिकारी उक्त दावों के लिए संवितरण प्राधिकारी होगा ।

परंतु विनिर्दिष्ट अधिकारी, शुल्क वापसी दावों और विलंबित भुगतानों पर ब्याज को र्हीकृत करने के लिए इस संबंध में बनाए गए सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 1995 परिपत्रों और अनुदेशों का अनुपालन होगा ।

(ख) शुल्क हकदारी पासबुक प्रत्यय - घरेलू टैरिफ क्षेत्र से किसी यूनिट या विकासकर्ता को प्रदायों के लिए शुल्क हकदारी पासबुक प्रत्यय में जमा की जाने वाली राशि मंजूर करने का आवेदन, घरेलू टैरिफ क्षेत्र प्रदायकर्ता या यूनिट या विकासकर्ता द्वारा विदेश व्यापार नीति के अधीन विहित प्ररूप में किया जाएगा ।

(2) कोई यूनिट या विकासकर्ता संबंधित विकास आयुक्त को शुल्क हकदारी पासबुक दावे के लिए आवेदन करेगा या घरेलू टैरिफ क्षेत्र का प्रदायकर्ता विदेश व्यापार महानिदेशालय या संबंधित विकास आयुक्त के कार्यालय के संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी से उसका दावा कर सकेगा :

25. जहां कोई उद्यमी या विकासकर्ता उन माल या सेवाओं का उपयोग नहीं करता है जिन पर प्राधिकृत प्रचालनों के लिए छूट, वापसी, उपकर और रियायतें प्राप्त की गई हैं या उनका सम्यक रूप से लेखा रखने में सक्षम नहीं है तो उद्यमी या विकासकर्ता यथास्थिति सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम, 1985, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 और वित्त अधिनियम, 1944 (सेवा कर के संबंध में) और अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों यथास्थिति, के संगत उपबंधों के अधीन कोई अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राप्त की गई छूटों, वापसी, उपकर और रियायतों के फायदे के बराबर राशि प्रतिवाय करेगा ।

परंतु यदि किसी यूनिट द्वारा सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन प्राप्त करने में असफलता है तो उद्यमी विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के शास्ति का दायी होगा ।

26. आयात और निर्यात की सामान्य शर्तें :- कोई इकाई कृषि उत्पादों, भागत प्रसंस्कृत माल, उप संयजनों, संघटकों, उप उत्पादों, अस्वीकृत माल, अपशिष्ट या आयात व्यापार नियंत्रण (सुमेलीकृत प्रणाली) निर्यात और आयात मदों के वर्गीकरण में उल्लिखित प्रतिषिद्ध निर्यात की मदों के सिवाय स्कैप सहित माल और सेवाओं का निर्यात कर सकेगी ।

परंतु विशेष रसायनों, जीवाणुओं, सामग्रियों, उपस्करों और प्रौद्योगिकियों का निर्यात आयात व्यापार नियंत्रण (सुमेलीकृत प्रणाली) निर्यात और आयात मदों के वर्गीकरण में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा ।

परंतु यह भी कि किसी अन्य विधि के अधीन आयात के लिए कोई अनुज्ञा अपेक्षित हो, तो वह अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन से अनुज्ञात की जाएगी ।

27. आयात और खरीद:- (1) कोई यूनिट या विकासकर्ता निर्यात हकदारियां प्राप्त करने के पश्चात, घरेलू टैरिफ क्षेत्र से शुल्क, करों या उपकर के संदाय के बिना घरेलू टैरिफ क्षेत्र से आयात कर सकता है या उपाप्त कर सकता है या दूसरे विशेष आर्थिक जोन या उसी आर्थिक जोन में अन्य यूनिटों या निर्यातोन्मुख यूनिटों या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट से आयात व्यापार नियंत्रण (सुमेलीकृत प्रणाली) निर्यात और आयात मदों का वर्गीकरण के अधीन निषिद्ध मदों के सिवाय प्राधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित पूंजीगत माल (नई या पुरानी), कच्ची सामग्रियों, अर्द्ध-परिष्कृत माल (अर्द्ध-परिष्कृत आभूषणों सहित), संघटकों, उपभोज्य माल, फालतू माल और पूंजीगत माल के निर्माण के लिए सामग्रियों सहित सभी प्रकार के माल उपाप्त कर सकेगा ।

(2) यह संदेह होने पर कि क्या कोई माल या सेवा किसी यूनिट या विकासकर्ता द्वारा प्राधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित है या नहीं, इसका विनिश्चय विकास आयुक्त द्वारा किया जाएगा ।

(3) विशेष आर्थिक जोन के अप्रसंस्करण क्षेत्र में शैक्षिक संस्थानों, अस्पतालों, होटलों, आवासीय और/या कारबार कॉम्प्लेक्स, अवकाश और मनोरंजन सुविधाओं या किन्हीं अन्य सुविधाओं की स्थापना के लिए शुल्क मुक्त सामग्री का आयात बौद्ध द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और निःशुल्क सामग्री के आयात के लिए ऐसी सुविधाओं के प्रचालन और रख-रखाव के अनुज्ञात किया जाएगा ।

परंतु यह भी कि किसी यूनिट या विकासकर्ता से संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, कर्मचारीदृढ़ मालिकों या अन्य किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत उपयोग या उसके द्वारा उपभोग के लिए कोई माल धारा 7 या 28 के उपबंधों के अनुसार छूटों, वापसियों और रियायतों या किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी ।

(4) कोई यूनिट या विकासकर्ता एक विधिमान्य पट्टा करार के अधीन घरेलू या विदेशी पट्टा कम्पनी से शुल्क, कर या उपकर का संदाय किए बिना भी पूंजीगत माल प्राप्त कर सकेगा है और ऐसी दशा में यूनिट या विकासकर्ता और घरेलू या विदेशी पट्टाकर्ता कम्पनी यथास्थिति आयात या घरेलू उपापन के लिए संयुक्त रूप से दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे ।

(5) कोई यूनिट विशेष आर्थिक जोन में यूनिटों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए कोई केन्द्रीय सुविधा सृजित करने के लिए शुल्क, कर या उपकरण का संदाय किए बिना सभी प्रकार के माल और सेवाएं घरेलू टैरिफ क्षेत्र से आयात कर सकेगी या उपाप्त कर सकेगी और जहां ऐसी सुविधा सॉफ्टवेयर विकास के लिए सृजित की जाती है, वहां उसमें घरेलू टैरिफ क्षेत्र के सॉफ्टवेयर निर्यातिकों द्वारा भी पहुँच की जा सकती है।

(6) कोई रत्न और आभूषण यूनिट नामनिर्दिष्ट अभिकरणों के माध्यम से सोना या चांदी या प्लैटिम का सीधा विक्रय या उधार के आधार पर भी प्राप्त कर सकती है और जहां ऐसी प्राप्ति उधार के आधार पर हो, तो वह लागू विदेश व्यापार नीति के उपबंधों के अधीन ऐसे संव्यवहारों पर लागू शर्तों के अध्यधीन होगी।

परंतु ऋण संव्यवहार पर लागू शर्तें वहाँ लागू नहीं होंगी जहाँ यूनिट ऋण सोदे पर लागू विदेश व्यापार नीति के अधीन निर्धारित निर्यात की अवधि के भीतर बकाया ऋण की राशि और ब्याज का भुगतान करके ऐसे ऋण को सीधी क्रय में से परिवर्तित कर दे।

(7) अनुमोदन- पत्र जारी करने से पहले आयातित या पोत लदान या पहुँचा हुआ माल निःशुल्क निकासी के लिए पात्र होंगे परंतु यह तब जब कि सीमाशुल्क का संदाय न किया गया हो और सीमाशुल्क द्वारा माल का निकास न किया गया हो या निकासी करके बंधक भाण्डागार में रख दिया गया हो।

(8) तराशे न गए हीरों के किसी आयात या निर्यात को तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक पोत लदान पार्सल के साथ विकास आयुक्त द्वारा जारी किंबरले प्रसंस्करण प्रमाणपत्र न लगा हो।

(9) जहाँ घरेलू टैरिफ क्षेत्र में आयातित या उपाप्त माल और उनके पुर्जे त्रुटिपूर्ण पाये गए हों या प्रयोग के लिए अन्यथा उपयुक्त न हो या ऐसे आयात या उपाप्त के पश्चात नष्ट हो गए हों या त्रुटिपूर्ण हो गए हों, तो उन्हें प्रदायकर्ता या उनके प्राधिकृत व्यौहारी को मरम्मत के लिए शुल्क का संदाय किए बिना विशेष आर्थिक जोन में बाहर भेजा जा सकेगा या नष्ट किया जा सकेगा।

परंतु जहाँ विदेशी प्रदायकर्ता या माल का घरेलू टैरिफ क्षेत्र प्रदायकर्ता पुनः निर्यात के लिए या माल के घरेलू टैरिफ क्षेत्र को पुनःप्रदाय करने के लिए दबाव नहीं डालता है तो दबाव नहीं डाला जाएगा और ऐसी वस्तुएं विनिर्दिष्ट अधिकारी की अनुज्ञा से नष्ट की जाएंगी।

परंतु यह भी कि बहुमूल्य और कम मूल्य के रत्नों तथा बहुमूल्य धातुओं की दशा में नष्ट करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

परंतु यह भी कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र से उपाप्त किए गए माल की दशा में इसकी निर्यात हकदारी का प्रतिदाय करने पर अनुज्ञात किया जा सकेगा जिसे यथास्थिति घरेलू टैरिफ क्षेत्र प्रदायकर्ता या यूनिट या विकासकर्ता यथास्थिति, द्वारा प्राप्त या उपयोग या दावा किया गया हो।

(10) किसी विकासकर्ता या यूनिट द्वारा किए गए आयातों और घरेलू उपाप्त का निर्धारण स्वतः घोषणा के आधार पर किया जाएगा और निर्यात हकदारियों के दावे के अधीन घरेलू टैरिफ क्षेत्र से उपाप्त की दशा के सिवाय नैमित्तिक जांच के अध्यधीन नहीं होगा।

परंतु जहां पूर्व आसूचना के आधार पर जांच आवश्यक हो जाती है, वहां उसे विकास आयुक्त या विनिर्दिष्ट अधिकारी से लिखित अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जाएगा ।

(11) यदि माल के आयात या निर्यात या घरेलू टैरिफ क्षेत्र से उपाप्त माल की जांच अपेक्षित हो, तो उसे विशेष आर्थिक जोन के दरवाजे पर किया जाएगा या यदि ऐसा संभव न हो तो उसे प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में किया जाएगा और यूनिट के परिसर में कोई जांच नहीं की जाएगी जब तक यूनिट द्वारा अनुरोध न किया जाए और विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा लिखित में विशिष्ट रूप से अनुज्ञात न जाए ।

28. (1) कोई यूनिट या विकासकर्ता किसी अन्य के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से विशेष आर्थिक जोन में माल का आयात कर सकेगा ।

- (क) पत्तन या विमानपत्तन;
- (ख) भूमि सीमाशुल्क स्टेशन;
- (ग) अंतर्देशीय आधान डिपो;
- (घ) विदेशी डाकघर;
- (ड.) प्राधिकृत कुरियर या;
- (च) विशेष आर्थिक जोन यूनिट द्वारा प्राधिकृत यात्रियों के व्यक्तिगत सामान के माध्यम से या;
- (छ) उपग्रह आंकड़ा संसूचना के माध्यम से जैसे इंटरनेट या कोई अन्य दूरसंचार संपर्क ।

(2) पत्तनों या विमानपत्तनों, भूमि सीमाशुल्क स्टेशनों या अंतर्देशीय आधान डिपो के माध्यम से आयातित माल के लिए पूरे स्थोरा भार में स्थानांतरित करने या विशेष आर्थिक जोन को ऐसे पत्तन या विमानपत्तन या अंतर्देशीय आधान डिपो या भूमि सीमाशुल्क स्टेशन को सीधे स्थानांतरित करके आधान भार स्थोरा से कम भार के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(3) साफ्टवेयर सहित सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के आयात की भी आंकड़ा संचार संपर्क, इंटरनेट ई-मेल या अन्य इलैक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) यूनिट या विकासकर्ता भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों या विदेश व्यापार नीति के अधीन रथापित बंधक भाण्डागारों और घरेलू टैरिफ क्षेत्र में सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन शुल्क का संदाय किए बिना प्राधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित माल उपाप्त कर सकेगा ।

(5) यूनिट या विकासकर्ता द्वारा आयातित माल को यथास्थिति पत्तन या विमानपत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जांच किए बिना विशेष आर्थिक जोन को, पत्तन या विमानपत्तन से स्थानांतरित करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

परंतु यदि कोई विशिष्ट प्रतिकूल सूचना या आसूचना प्राप्त होने की दशा में, सहायक या उप सीमाशुल्क आयुक्त की लिखित पूर्व अनुज्ञा से माल की जांच की जा सकेगी ।

(6) किसी विकासकर्ता या यूनिट द्वारा आयातित माल का वाहक द्वारा या इसके अभिकर्ता द्वारा सीधे विशेष आर्थिक जोन को यानांतरण किया जाएगा ।

(7) जहां आयातित स्थोरा का गंतव्य स्थान विशेष आर्थिक जोन से भिन्न हो, वहां परिदान किसी यानांतरण के बिना विशेष आर्थिक जोन सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित प्रविष्टि बिल पर गंतव्य पत्तन या विमानपत्तन पर अनुज्ञात किया जाएगा;

परंतु विमान पत्तन के माध्यम से आयातित उच्च मूल्य की माल की दशा में माल को अभिरक्षक को स्थानांतरित किया जा सकता है जो विकासकर्ता या यूनिट को आगे परिदान के लिए विशिष्ट अधिकारी द्वारा अभिहित प्रसंस्करण क्षेत्र के भीतर स्थित किसी अभिहित सीमाशुल्क क्षेत्र को स्थानांतरित करेगा ।

परंतु यह और कि विमानपत्तन के माध्यम से आयातित अधिक मूल्य के स्थोरा को यूनिट या विकासकर्ता के विकल्प पर सीमाशुल्क की अभिरक्षा के अधीन भी स्थानांतरित किया जा सकेगा ।

29. (1) पत्तनों या विमानपत्तनों या भूमि सीमाशुल्क स्टेशनों या अंतर्राष्ट्रीय आधान डिपो से यूनिटों और विकासकर्ता द्वारा आयातित माल की स्वीकृति के लिए आयात के स्थान पर सीधा परिदान करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जैसा कि निनश्वर और प्राण सक औषधियों के आयात की दशा में किया जा रहा है ।

(2) यूनिट या विकासकर्ता जिसे इसमें इसके पश्चात् विशेष आर्थिक जोन आयातकर्ता कहा गया है, आयातों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे अर्थात्:-

(क) विशेष आर्थिक जोन आयातकर्ता घरेलू खपत के लिए पांच प्रतियों में प्रविष्टि बिल प्रस्तुत करेगा जिसमें "विशेष आर्थिक जोन स्थोरा" के रूप में विशेष रूप से मोहर लगे पृष्ठांकन सहित विवरण तथा उत्तराई बिल या वायुमार्ग बिल और बीजक तथा प्राधिकृत अधिकारी की पैकिंग सूची दी जाएगी जो एक चालू वार्षिक क्रम संख्यांक रजिस्टर करेगा और समनुदेशित करेगा तथा संव्यवहार मूल्य के आधार पर प्रविष्टि बिल का निर्धारण करेगा जिस पर विनिर्दिष्ट अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी ।

परंतु जहां प्रविष्टि बिल का निर्धारण इसको फाइल करने की तारीख को नहीं किया जाता है वहाँ माल को रजिस्ट्रीकृत प्रविष्टि बिल के आधार पर विशेष आर्थिक जोन आयातकर्ता को स्थानांतरित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस आशय का पृष्ठांकन कर दिया गया है ।

परंतु यह और कि जहां माल, जिसके अंतर्गत पूंजीगत माल भी है, की लागत के बिना या त्रह या पट्टे के आधार पर प्रदाय कर दिया गया है, वहाँ प्रविष्टि बिल, विशेष आर्थिक जोन आयातकर्ता और प्रदायकर्ता के नाम से संयुक्त रूप से फाइल किया जाएगा ।

परन्तु यह भी कि जहां माल जिसके पूंजीगत माल भी है, का प्रदाय उधार या पट्टा आधार पर किसी घरेलू प्रदायकर्ता द्वारा किया जाता है, वहाँ प्रविष्टि बिल, विशेष आर्थिक जोन के आयातकर्ता और घरेलू प्रदायकर्ता के नाम से संयुक्त रूप से फाइल किया जाएगा;

(ख) रजिस्ट्रीकृत या निर्धारित प्रविष्टि बिल आयात के स्थान पर सीमाशुल्क अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और उसे विशेष आर्थिक जोन आयातकर्ता को माल के स्थानांतरण की अनुज्ञा समझा जाएगा ।

(ग) मोहरबंद पूरे आधान भार आधान के दशा में माल को सीमाशुल्क अभिस्का के बिना मोहर का सत्यापन करने के पश्चात रजिस्ट्रीकृत या निर्धारित प्रविष्टि बिल के आधार पर विशेष आर्थिक जोन को स्थानांतरित किया जाएगा ।

(घ) अन्य स्थोरा वी दशा में माल को विशेष आर्थिक जोन आयातकर्ता के विकल्प पर या तो सीमाशुल्क अभिस्का में या यानांतरण प्रक्रिया के अधीन रजिस्ट्रीकृत या निर्धारित प्रविष्टि बिल के आधार पर विशेष आर्थिक जोन को स्थानांतरित करने की अनुज्ञा दी जाएगी ।

परंतु किसी पृथक दस्तावेज या यानांतरण बंधपत्र को प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी और यानांतरण की मोहर प्रविष्टि बिल की पांचवीं प्रति पर लगाई जाएगी ।

(ङ.) यथास्थिति पूरे आधान भार स्थोरा या मोहरबंद ट्रक के रूप में माल के पहुँचने पर आधान या ट्रक पर लगी मोहर का विशेष आर्थिक जोन के प्रवेश द्वार पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा ।

(च) आधान भार स्थोरा से कम माल के पहुँचने पर चिह्नों और संख्याओं का सत्यापन विशेष आर्थिक जोन के प्रवेश द्वार पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अचानक किया जाएगा ।

परंतु आधान भार स्थोरा से कम माल के चिह्नों और संख्याओं का सत्यापन विशेष आर्थिक जोन के प्रवेश द्वार पर नहीं किया जा सकता, माल को यथास्थिति विशेष आर्थिक जोन आयातकर्ता के परिसर में सीधे या अभिस्कक के परिसर में ले जाने की अनुज्ञा दी जाएगी और वहां पर सत्यापन किया जाएगा ।

(छ) विशेष आर्थिक जोन आयातकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के पृष्ठांकन वाले प्रविष्टि बिल की पांचवीं प्रति प्रस्तुत करेगा कि माल विशेष आर्थिक जोन में यथास्थिति विमानपत्तन या पत्तन या अंतर्देशीय आधान डिपो या भूमि सीमाशुल्क स्टेशन या डाकघर या लोक या निजी बंधित भाष्डागार में यथास्थिति ऐसे विमानपत्तन या पत्तन या अंतर्देशीय आधान डिपो या भूमि सीमाशुल्क स्टेशन या डाकघर या लोक या निजी बंधित भाष्डागार से माल के प्रेषण की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर भारसाधक सीमाशुल्क अधिकारी को प्राप्त हो गया है जिसके न हो सकने पर यथास्थिति ऐसे विमानपत्तन या पत्तन अंतर्देशीय आधान डिपो या भूमि सीमाशुल्क स्टेशन या डाकघर अथवा सार्वजनिक या निजी बंधित वेयरहाउस का भारसाधक अधिकारी विशेष आर्थिक जोन आयातकर्ता से लागू शुल्क की मांग करने के लिए विनिर्दिष्ट अधिकारी को पत्र लिखेगा ।

(ज) आधान भार स्थोरा से कम माल की दशा में चिह्नों और संख्याओं का संबोधन या पूरे आधान भार स्थोरा अथवा मोहरबंद ट्रक की दशा में मोहर के सत्यापन के बारे में पृष्ठांकन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा और विशेष आर्थिक जोन आयातकर्ता द्वारा माल की प्राप्ति की माल के प्रभार के बिना सीमाशुल्क प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी ।

(झ) जहां माल का आयात कूरियर के माध्यम से होता है:-

(क) प्राधिकृत अधिकारी माल का निर्धारण करेगा;

(ख) कूरियर, सीमाशुल्क अभिक्षक के अधीन माल परिदान या विशेष आर्थिक जोन आयातकर्ता को माल के परिदान के लिए अभिक्षक को करेगा;

(ग) यदि विशेष आर्थिक जोन, उस स्टेशन से दूर स्थित है जहां कूरियर द्वारा माल का आयात किया गया है तो माल को यानांतरण प्रक्रिया के अधीन विशेष आर्थिक जोन आयातकर्ता को यानांतरित किया जाएगा ।

परंतु किसी पृथक दस्तावेज अथवा यानांतरण बंधपत्र फाइल करना नहीं होगा और यानांतरण अनुज्ञा की मोहर प्रविष्टि बिल की पांचवी प्रति पर लगाई जाएगी ।

परंतु यह और कि यदि विशेष आर्थिक जोन आयातकर्ता निःशुल्क कूरियर पार्सलों को प्राप्त करने में असमर्थ हो तो ऐसी पात्र माल पर कथित आयातकर्ता द्वारा संदाय किया गया शुल्क विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्रतिदाय किया जाएगा मानो आयातित माल विशेष आर्थिक जोन को निर्यात किया गया हो और ऐसा प्रतिदाय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(3) विशेष आर्थिक जोन में स्थित रत्न और आभूषण यूनिटों द्वारा आयातित ऊंचे मूल्य के पार्सलों की दशा में पत्तन, अंतर्देशीय आधान डिपो, अभिक्षक का अभिहित सीमाशुल्क क्षेत्र के माध्यम से परिदान की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी:-

- (i) जहां माल विशेष आर्थिक जोन में स्थित अंतर्देशीय आधान डिपो को प्रेषित किया जाता है वहाँ माल का स्थानांतरण इस प्रयोजन के लिए नियुक्त वाहक द्वारा किया जाएगा और माल आधान लाइन या अभिक्षक द्वारा विशेष आर्थिक जोन में अंतर्देशीय आधान डिपो को परिदान किया जाएगा ।
- (ii) विशेष आर्थिक जोन अंतर्देशीय आधान डिपो में माल की प्राप्ति के पश्चात माल परिदान आधान भार रथोरा से कम के पैकेजों के चिह्नों और संख्या का सत्यापन और पूरे आधान भार रथोरा की मोहर के सत्यापन के पश्चात निर्धारित प्रविष्टि बिल के आधार पर अभिक्षक के परिसर में अंतर्देशीय आधान डिपो के अभिक्षक द्वारा किया जाएगा ।
- (iii) विशेष आर्थिक जोन में माल के पहुँचने से पहले अग्रिम प्रविष्टि बिल प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा और विशेष आर्थिक जोन आयातकर्ता अपने विकल्प पर माल के पहुँचने से पूर्व या पश्चात में प्रविष्टि बिल प्रस्तुत करेगा ।

किंतु यदि जहां अभिक्षक के परिसर में सत्यापन नहीं किया जा सकता है या यदि विशेष आर्थिक जोन का निर्यातकर्ता ने ऐसा अनुरोध किया है तो माल को विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विशेष आर्थिक जोन के परिसर में ले जाने की अनुज्ञा प्रदान जाएगी और तत्पश्चात वहाँ माल का सत्यापन किया जाएगा ।

- (iv) माल का कोई सत्यापन नहीं किया जाएगा और विशेष आर्थिक जोन आयातकर्ता को माल सौंपने की तारीख को माल को प्रभार रहित माना जाएगा ।

(4) डाक द्वारा आयात की प्रक्रिया- जहां माल को डाक द्वारा आयात किया जाता है, वहां विशेष आर्थिक जोन आयातकर्ता, उप- नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करेगा और 'डाकीय आयात ' के पश्चात चिह्नांकन के साथ और निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को प्रविष्टि बिल प्रस्तुत करेगा : -

(i) डाकघर द्वारा जारी किए गए सूचना ज्ञापन में यथाउपदर्शित डाकघर रजिस्ट्रीकरण संख्या को सामान्य आयात मालसूची और प्रविष्टि बिल की मद संख्या माना जाएगा;

(ii) डाकघर कार्यालय से प्राप्त सूचना ज्ञापन की प्रति, मूल प्रविष्टि बिल के पृष्ठ भाग पर चिपकाई जाएगी;

(iii) जहां, विशेष आर्थिक जोन, विदेशी डाकघर से दूर अवस्थित है, वहां माल के पार्सल को सीलबंद करने के पश्चात सीमाशुल्क अभिरक्षा के अधीन, विशेष आर्थिक जोन ले जाया जाएगा या विशेष आर्थिक जोन के अभिरक्षक को अथवा यूनिट अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सौंप दिया जाएगा ।

(5) यूनिट, निम्नलिखित पद्धति के अधीन रहते हुए, एक प्राधिकृत यात्री के माध्यम से व्यक्तिगत सामान के रूप में सोना या चांदी अथवा प्लेटिनम या रत्न और आभूषण जैसे बहुमूल्य माल सहित माल का आयात कर सकेगा; अर्थात् -

(i) बहुमूल्य माल लाने वाला प्राधिकृत यात्री, प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत सूचना की सम्यक अभिस्वीकृति प्रति के साथ वायुपत्तन पर आगमन कक्ष में सीमाशुल्क प्राधिकारियों के समक्ष, वायुपत्तन के भारसाधक सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट घोषणा प्ररूप में माल की घोषणा करेगा;

(ii) प्राधिकृत यात्री, सम्यक रूप से पैक किए गए माल को परेषिती यूनिट का नाम व पता दर्शित करते हुए विमान पत्तन पर भाण्डागार में रोके जाने संबंधी रसीद के अधीन रोके जाने के लिए बीजक और पैकिंग सूची के साथ सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सौंपेगा;

(iii) वायु पत्तन का सीमाशुल्क प्राधिकारी माल को रोक कर रखेगा और रोके जाने संबंधी रसीद जारी करेगा;

(iv) यूनिट, बीजक की प्रति, पैकिंग सूची और प्राधिकृत अधिकारी को दिए गए घोषणा पत्र के साथ प्रविष्टि बिल की पांच प्रतियां प्रस्तुत करेगी और विमान पत्तन पर सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा जारी की गई रोके जाने संबंधी रसीद की संख्या को सामान्य आयात मालसूची और मद संख्या माना जाएगा;

(v) प्रविष्टि बिल के निर्धारण के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी मूल प्रविष्टि बिल को अपने पास रखेगा और शेष प्रतियों को यूनिट के प्राधिकृत प्रतिनिधि को सौंप दिया जाएगा ताकि उन्हें विमान पत्तन डिटेन्शन काउंटर पर प्रस्तुत किया जा सके, जहां भाण्डागार रजिस्टर और राके जाने संबंधी रसीद रजिस्टर में प्रविष्टि कर के, यूनिट प्राधिकार के साथ मूल रोके जाने संबंधी रसीद प्राप्त करने के पश्चात माल की निकासी की अनुज्ञा दी जाएगी;

(vi) निकासी के पश्चात्, माल को या तो सीमाशुल्क की अभिस्था में यूनिट को भेज दिया जाएगा या सीलबंद करने के पश्चात् अभिस्थक या यूनिट के प्राधिकृत प्रतिनिधि को परिदत्त कर दिया जाएगा;

(vii) विशेष आर्थिक जोन के प्रवेश द्वार पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा चिह्नों और पैकेजों की संख्या के सत्यापन के पश्चात् माल को यूनिट में ले जाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा;

(6) आंकड़े संसूचना या दूर संचार संपर्कों के माध्यम से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या सेवाओं के आयात के लिए यूनिट एक माह के लिए, माह की समाप्ति के तीन कार्यदिवसों के भीतर बीजक और अन्य सुसंगत दस्तावेजों के साथ एक संघटित प्रविष्टि बिल फाइल करेंगे और प्राधिकृत अधिकारी से "प्रभारण से बाहर" ; निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक रूप से अभिप्राप्त करेंगे :-

(i) आयात संबंधी दस्तावेज बैंकों के माध्यम से भेजे जाएंगे या आयातों के लिए अग्रिम संदाय विदेशी मुद्रा खातों के माध्यम से भेजे जा सकते हैं;

(ii) इस विषय में समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का, यदि कोई हों, अनुपालन किया जाएगा।

(7) कोई यूनिट, निम्नलिखित शर्तों के अधीन उप- नियम (2) के अधीन प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अपने द्वारा निर्यातित माल का आयात कर सकेगा, जिसे या तो विदेशी क्रेता द्वारा दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त पाया जाता है या विदेशी क्रेता द्वारा उसका परिदान लेने से इंकार कर दिया जाता है :-

(i) पुनः आयात के समय माल को अभिज्ञात किया जाता है; और

(ii) माल को वारंटी अवधि के भीतर या अनुरक्षण संविदा की वैधता की अवधि या निर्यात की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पश्चातवर्ती हो, पुनः आयात किया जाता है।

(8) आयात की गई परंतु त्रुटिपूर्ण पाए गए माल के प्रतिस्थापन को भारत में विदेशी प्रदायकर्ता के प्राधिकृत व्यौहारी के माध्यम से आयात या प्रतिस्थापन के रूप में विशेष आर्थिक जोन में प्रवेश अनुज्ञात किया जाएगा।

30. घरेलू टैरिफ क्षेत्र से उपायन की प्रक्रिया (1) यूनिट या विकासकर्ता को माल का प्रदाय करने वाले किसी घरेलू टैरिफ क्षेत्र के प्रदायकर्ता द्वारा माल की निकासी की जाएगी, जैसा कि निर्यात के मामले में किया जाता है, या तो एक बांड के अधीन या तारीख 26 जून, 2001 की अधिसूचना सं. 40/2001- केंद्रीय उत्पाद (एनटी) में निर्दिष्ट की गई एआरई के समावेश पर छूट के दावे के अधीन ऐसे शुल्क संबंद माल के रूप में की जाएगी। ये पांच प्रतियों में होगी जिसमें क्रम संख्यांक वित्त वर्ष के प्रथम दिन से शुरू होगी।

(2) किसी इकाई या विकासकर्ता द्वारा उपाप्त किए गए माल, जिन पर निर्यात हकदारी की प्राप्ति के बिना केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूट उपाप्त की गई है, का एआरई-1 के आधार पर विशेष आर्थिक जोन में प्रवेश अनुमति किया जाएगा;

(3) किसी इकाई या विकासकर्ता द्वारा निर्यात हकदारी के दावे के अधीन उपाप्त किए गए माल का एआरई- 1 और प्रदायकर्ता द्वारा तथा उसकी ओर से इकाई या विकासकर्ता द्वारा फाइल किए गए निर्यात बिल के आधार पर और जिसका निर्धारण माल के पहुंचने से पूर्व निर्धारण माल प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया है, विशेष आर्थिक जोन में प्रवेश अनुमति किया जाएगा;

परन्तु यदि माल, निर्यात बिल के फाइल करने और निर्धारण करने से पूर्व ही पहुंच जाता है, तो उसे विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के स्थिर अभिहित क्षेत्र में रखा जाएगा और निर्यात बिल के निर्धारण के पूर्ण होने के पश्चात ही यूनिट या विकासकर्ता की भिरुक्ति किया जाएगा;

(4) यथास्थिति एआरई- 1 की एक प्रति और/या निर्यात को बिल की एक प्रति के साथ प्राधिकृत अधिकारी के पृष्ठांकन कि वह माल विशेष आर्थिक जोन में पूरा प्रवेश कर युक्ता है, को घरेलू टैरिफ क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को 45 दिनों के भीतर अग्रेसिस कर दिया जाएगा, इसमें असफल होने पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, घरेलू टैरिफ क्षेत्र के प्रदायकर्ता के विरुद्ध शुल्क में बृद्धि की मांग कर सकता है ।

(5) जहां वायसी या शुल्क हकदारी पास बुक के दावे के अधीन कोई निर्यात बिल वहाँ फाइल किया जाता है, यूनिट अथवा विकासकर्ता द्वारा क्रमशः विनिर्दिष्ट आधिकारी और अधिकारी विकास आयुक्त के समक्ष इसी प्रकार का दावा किया जाएगा और यदि यूनिट या विकासकर्ता प्रति अदायगी या शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम संबंधी दावा करने का विचार नहीं करता है तो इस संबंध में घरेलू टैरिफ क्षेत्र के प्रदायकर्ता को एक अनु-अंगीकरण विवरण दिया जाएगा ।

परन्तु घरेलू टैरिफ क्षेत्र प्रदायकर्ता द्वारा विकास आयुक्त या विदेश व्यापार महानिदेशालय के उनके अधिकारिता वाले क्षेत्रीय अनुज्ञाति प्राधिकारी से शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम संबंधी दावा किया जा सकेगा :

(6) निर्यात बिल का निर्धारण राजस्व विभाग द्वारा निर्यात माल पर लागू अधिकथित जांच संबंधी सम्बन्धियमों सहित अनुदेशों और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा :

परन्तु निर्धारण के समय, अनुमोदन पत्र या विकासकर्ता के लिए अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित माल की सूची के संदर्भ में, इस तथ्य की विशेष रूप से जांच की जाएगी कि क्या माल, यूनिट या विकासकर्ता द्वारा प्राधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित किया गया है ।

(7) घरेलू टैरिफ क्षेत्र से उपाप्त किए माल के विशेष आर्थिक जोन के प्रवेश द्वार पर पहुंचने पर प्राधिकृत अधिकारी एआरई-1, बीजक, निर्यात बिल तथा पैकिंग सूची में दिए गए विवरण, मात्रा,

चिह्नों तथा अन्य सुसंगत विवरणों के संबंध में माल की जांच करेगा तथा ऐसे मामलों में जहां माल का उपापन एक निर्यात हकदारी के दावे के अधीन किया गया है वहीं निर्यात माल के संबंध में अधिकथित जांच सन्नियमों के अनुसार भी जांच की जाएगी ।

(8) घरेलू टैरिफ क्षेत्र प्रदायकर्ता द्वारा माल के प्रदाय के विरुद्ध वापसी या शुल्क हकदारी पासबुक ऋण अनुज्ञेय होगा, परन्तु प्रदाय के लिए किया जाने वाले संदाय, यूनिट के विदेशी मुद्रा खाते से किए जाएं ।

(9) निर्यात बिल और ए आर ई- 1 की एक- एक प्रति के साथ प्राधिकृत अधिकारी के इस पृष्ठांकन कि वह माल विशेष आर्थिक जोन में पूरा प्रवेश हो चुका है, को निर्यात का सबूत माना जाएगा ।

(10) जहां माल का उपापन यूनिट या विकासकर्ता द्वारा ऐसे घरेलू टैरिफ क्षेत्र प्रदायकर्ता से किया गया है जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों से पंजीकृत नहीं है या व्यापारी या वाणिज्यिक निर्यातक है, तो आवश्यक परिवर्तनों सहित उक्त उप- नियम (1) और (2) के अधीन प्रक्रिया लागू होगी, सिवाय उस माल के जो विशेष आर्थिक जोन में एक बीजक के अधीन लाया जाएगा और एआरई-1 अपेक्षित नहीं होगा;

(11) कोई यूनिट अथवा विकासकर्ता, प्रदायकर्ता द्वारा जारी बीजक या परिवहन दस्तावेजों के आधार पर दी जा रही छूटों, प्रति अदायगियों तथा रियायतों को प्राप्त किए बिना भी घरेलू टैरिफ क्षेत्र से माल उपाप्त कर सकते हैं :

परंतु ऐसे बीजकों या परिवहन दस्तावेजों में इस तथ्य को इस प्रभाव का पृष्ठांकित किया जाएगा कि उक्त प्रदायों में कोई छूट, वापसी और रियायतें प्राप्त नहीं की गई हैं ।

(12) भाण्डागार से उपापन की प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार होगी : -

(क) जब वस्तुएं भाण्डागार से उपाप्त की जाएं, तो यूनिट या विकासकर्ता विनिर्दिष्ट अधिकारी को प्रवेश पत्र फाइल करेगा;

(ख) कोई यूनिट या विकासकर्ता, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रवेश पत्र, विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विकासकर्ता, जहां से माल का उपापन करना चाहता है उस भाण्डागार के प्रभारी सीमाशुल्क अधिकारी को प्रस्तुत करेगा;

(ग) किसी भाण्डागार के प्रभारी सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा यूनिट या विकासकर्ता को प्रदाय के लिए एकस बॉण्ड शिपिंग पत्र के कवर पर शुल्क के संदाय के बिना प्राधिकृत अधिकारी को प्रवेश पत्र के सम्यक निर्धारण के आधार पर भाण्डागार से माल की निकासी को अनुज्ञात किया जाएगा ।

(घ) जहाँ किसी भाण्डागार से माल की निकासी की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर भाण्डागार के प्रभारी सीमाशुल्क अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एक्स बॉण्ड शिपिंग पत्र की प्रति के पृष्ठांकन के माध्यम से पुनः भण्डारण प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता तो भाण्डागार के प्रभारी सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा प्रदायकर्ता पर लागू शुल्क की मांग की कार्रवाई की जाएगी ।

परन्तु विशेष आर्थिक जोन में स्थित नामनिर्दिष्ट अभिकरण से माल के उपापन के लिए विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा और प्रवेश पत्र या एक्स बॉण्ड शिपिंग पत्र में सम्मिलित माल के अंतरण का निर्धारण अपेक्षित नहीं होगा ।

(13) कोई विशेष आर्थिक क्षेत्र यूनिट या विकासकर्ता उप नियम (12) के अधीन प्रक्रिया का अनुसरण कर भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों से भी माल का उपापन कर सकें ।

(14) कोई यूनिट या विकासकर्ता उप नियम (12) के अधीन प्रक्रिया का अनुसरण कर शुल्क का संदाय किए बिना निर्यातोन्मुखी यूनिट या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट से भी माल या सेवाओं का उपापन कर सकेंगे ।

(15) कोई यूनिट या विकासकर्ता निम्नलिखित शर्तों के अधीन उसी या अन्य किसी विशेष आर्थिक जोन में स्थित अन्य यूनिट से माल या सेवाओं का उपापन कर सकेंगे : -

- (i) कोई प्राप्तकर्ता यूनिट या विकासकर्ता एक बीजक और ऐकिंग सूची के साथ माल का विवरण देते हुए घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश पत्र की पांच प्रतियां प्राधिकृत अधिकारी को निर्धारण के लिए फाइल करेगा;
- (ii) ऐसे निर्धारित प्रवेश पत्र के आधार पर प्राप्तकर्ता यूनिट या विकासकर्ता को यानांतरण अनुज्ञा पत्र के अधीन माल का अंतरण अनुज्ञात किया जाएगा;
- (iii) माल के यानांतरण के प्रयोजन के लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज या बॉण्ड (बॉण्डों) को फाइल करना अपेक्षित नहीं होगा और यानांतरण की अनुज्ञा सूचक मुहर प्रवेश पत्र पर ही लगा दी जाएगी ।
- (iv) प्रदायकर्ता यूनिट द्वारा पुनः भण्डारण प्रमाण पत्र प्रदायकर्ता यूनिट पर अधिकारिता रखने वाले विनिर्दिष्ट अधिकारी को पैंतालीस दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके असफल होने पर प्रदायकर्ता यूनिट के किसी विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्राप्तकर्ता यूनिट या विकासकर्ता से शुल्क की मांग करने के लिए प्राप्तकर्ता यूनिट या विकासकर्ता पर अधिकारिता रखने वाले किसी विनिर्दिष्ट अधिकारी को लिखा जाएगा ।
- (v) यदि प्रदायकर्ता तथा प्राप्तकर्ता यूनिटें या विकासकर्ता उसी विशेष आर्थिक जोन में स्थित हैं, तो उप नियम (i) से (iv) के उपबंध लागू नहीं होंगे और माल को लाना- ले जाना अनुज्ञात होगा और ऐसे संव्यवहारों को प्राप्तकर्ता यूनिट या विकासकर्ता तथा प्रदायकर्ता यूनिट की नियमित लेखा बहियों में अभिलिखित किया जाएगा और प्रवेश पत्र का फाइल किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।

(16) घरेलू टैरिफ क्षेत्र से काटे एवं चमकाए गए हीरों एवं बहुमूल्य और कम मूल्य के रत्नों का उपापन : कोई भी रत्न और आभूषण यूनिट किसी घरेलू टैरिफ क्षेत्र से निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार काटे और चमकाए गए हीरों और बहुमूल्य एवं कम मूल्य के रत्नों को उपाप्त कर सकेगी अर्थात् : -

- (i) घरेलू टैरिफ क्षेत्र पदायकर्ता या कर्टम हाउस अभिकर्ता द्वारा ऐसा बीजक द्वारा मुहरबन्द पार्सल, जोन में लाया जाएगा, जो ऐसा बीजक जिस पर मूल, दूसरी प्रति तथा तीसरी प्रति स्पष्ट रूप से अंकित हो, प्रवेश द्वार पर प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा;
- (ii) प्राधिकृत अधिकारी, विशेष आर्थिक जोन के प्रवेश द्वार पर बीजक को रजिस्टर करेगा और बीजक की मूल तथा दूसरी प्रति पर रजिस्ट्रीकरण संख्या अंकित करेगा और उस पार्सल का यूनिट परिसर में ले जाना अनुज्ञात करेगा और ऐसे माल को यूनिट द्वारा पृथकतः लेखा दिया जाएगा ।
- (iii) प्राधिकृत अधिकारी के पृष्ठांकन सहित बीजक की दूसरी प्रति विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त से पुनः पूर्ति करने वाले अनुज्ञाप्ति का दावा करने के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र के प्रदायकर्ता को अग्रेषित की जाएगी ।

31. विशेष आर्थिक जोन में वित्त अधिनियम, 1994 या (1994 का 32) की धारा 65 के अधीन किसी भी सेवा प्रदाता द्वारा किसी विकासकर्ता या यूनिट (निर्माणाधीन यूनिट सहित) को दी गई करयोग्य रेवाओं पर सेवा कर के संदाय से प्रदत्त छूट प्राधिकृत प्रचालनों के लिए उपलब्ध रहेगी ।

32. केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अधीन समाचार पत्रों से अन्य माल की विक्रय या क्रय पर करों के उद्ग्रहण से छूट विकासकर्ता या यूनिट द्वारा प्राधिकृत प्रचालन के लिए प्रयुक्त माल पर भी उपलब्ध रहेगी ।

परन्तु अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन किसी पंजीकृत व्यौहारी को माल बेचने वाला व्यौहारी केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, 1957 के प्ररूप - I में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा ।

33. माल का प्रवेश : घरेलू टैरिफ क्षेत्र से आयातित या उपापित किए गए किसी माल, जो प्राधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित हैं, को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विशेष आर्थिक जोन में दाखिल किया जाएगा अर्थात् : -

- (i) घरेलू टैरिफ क्षेत्र से आयातित या उपापित किए गए माल को यूनिट के परिसर में लाया जाएगा;
- (ii) ऐसा माल, जिसका जोन में बार- बार लाया जाना या वहां से बाहर ले जाया जाना अपेक्षित है और जो प्राधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित नहीं हैं, को विनिर्दिष्ट अधिकारी की सामान्य अनुज्ञा से विशेष आर्थिक जोन में लाया या वहां से बाहर ले जाया जाएगा और ऐसी अनुज्ञा के कारण विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे;

(iii) खत्तरनाक माल को ऐसे रक्षोपायों के अध्यअधीन, जो विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, विशेष रूप से अभिहित क्षेत्र या विशेष आर्थिक जोन के प्रतिष्ठानों द्वारा किए जा सकेंगे।

34. माल का उपयोग- विशेष आर्थिक जोन में प्रविष्ट किए गए माल का उपयोग यूनिट या विकासकर्ता द्वारा प्राधिकृत प्रचालनों के प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा, परन्तु यदि प्रविष्ट माल का उपयोग प्राधिकृत प्रचालनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किया जाता है या यदि यूनिट या विकासकर्ता माल को इन नियमों के प्रावधान के अनुसार लेखबद्ध नहीं करता तो ऐसे माल पर शुल्क प्रभार्य होगा, मानो माल की निकासी घरेलू खपत के लिए की गई हो;

परन्तु यदि यूनिट घरेलू टैरिफ क्षेत्र से आयातित या उपाप्त माल का उपयोग करने में असफल रहता है, तो वह उनका निर्यात कर सकती है या शुल्क के संदाय के बिना किसी अन्य यूनिट या किसी निर्यातोन्मुखी यूनिट या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी पार्क या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या जैव प्रौद्योगिकी पार्क को विक्रय कर सकेगी या जहां लागू हो, किसी घरेलू टैरिफ क्षेत्र क्रेता द्वारा प्रस्तुत आयात अनुज्ञाप्ति के आधार पर लागू शुल्क का संदाय करने पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उनका व्ययन कर सकती है।

35. आयात परेषण तत्समान निर्यात परेषण से सह संबंध- यूनिट घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निर्यात, विक्रय या उपापन के माध्यम से शुल्क मुक्त रूप से आयातित या क्रय की गई या किसी अन्य विशेष आर्थिक जोन, यूनिट या निर्यातोन्मुखी यूनिट या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या बंधित भाण्डागार को स्थानांतरित माल की समस्त मात्रा तथा स्टॉक में शेष मात्रा का हिसाब रखेगी।

परन्तु किसी भी समय यूनिट के लिए प्रत्येक आयात परेषण तथा किसी विशेष आर्थिक जोन यूनिट या निर्यातोन्मुखी यूनिट या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट को इसके निर्यात या इसके स्थानांतरण या बंधित भाण्डागार को इसके प्रदाय का सह- संबंध स्थापित करना अपेक्षित नहीं होगा। नियम 18 के उप नियम (4) के खण्ड (घ) के परन्तुक के अंतर्गत आने वाले माल तथा स्टॉक के रूप में रखे गए माल के सिवाय और यूनिट 'पहले- अंदर- पहले- बाहर' पद्धति अपना सकती है और जो परेषण पहले प्राप्त हुआ है उसका उपयोग पहले किया गया समझा जाएगा।

36. प्रवेश तथा हटाने के लिए दस्तावेज को फाइल करना : - विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश तथा वहां से बाहर जाने वाले सभी माल के सभी दस्तावेज सीमाशुल्क विभाग के प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष फाइल किए जाएंगे।

37. विशेष आर्थिक क्षेत्र में माल या सेवाओं की अवधि- (1) विशेष आर्थिक जोन में प्रविष्ट माल का उपयोग, निर्यात या व्ययन अधिनियम तथा नियमों के अनुसरण में यूनिट को जारी अनुमोदन पत्र की विधिमान्यता की अवधि के भीतर या किसी विकासकर्ता की दशा में एक वर्ष या

ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जिसकी अनुज्ञा विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा नियम 12 के उप नियम (5) के अधीन दी गई हो ।

(2) माल का उपयोग या व्ययन यथाप्रावधान न कर सकने की दशा में ऐसे माल पर शुल्क का इस प्रकार संदाय करना होगा, मानो उप नियम (1) के अधीन उक्त विधिमान्यता अवधि की समाप्ति की तारीख को माल घरेलू टैरिफ क्षेत्र से हटा लिया गया है ।

38. स्वामित्व का अंतरण और माल का हटाया जाना- विशेष आर्थिक जोन में शुल्क का संदाय किए बिना प्रविष्ट माल या सेवाओं या विनिर्मित या उत्पादित या भागतः प्रसंस्कृत या अर्ध- प्रसंस्कृत माल को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उसी विशेष आर्थिक जोन के भीतर या किसी अन्य विशेष आर्थिक जोन में या किसी यूनिट या विकासकर्ता को या किसी निर्यातोन्मुखी यूनिट या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में किसी यूनिट या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में किसी यूनिट या जैव- प्रौद्योगिकी पार्क की किसी यूनिट को शुल्क के संदाय के बिना अंतरित या ऋण पर दिया जा सकेगा, अर्थात्-

- (i) अंतरिती या उधारग्रहीता यूनिट या विकासकर्ता अपने प्राधिकृत प्रचालनों के लिए माल के शुल्क मुक्त उपापन का हकदार होगा;
- (ii) यथास्थिति आपूर्तिकर्ता और प्राप्तिकर्ता यूनिट या विकासकर्ता, अंतरित माल या ऋण पर लिए या दिए गए माल का उचित हिसाब रखेगा;
- (iii) अंतरित या ऋण के आधार पर दिया गया माल यूनिट द्वारा शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन के प्रयोजनार्थ हिसाब में नहीं लिया जाएगा;
- (iv) अंतरित माल (घरेलू टैरिफ क्षेत्र से उपाप्त कच्ची सामग्री से भिन्न) का प्राप्तकर्ता इकाई द्वारा आयात के रूप में हिसाब में लिया जाएगा जबकि उसका मूल्य अंतरणकर्ता यूनिट के आयात में से काट दिया जाएगा;
- (v) अन्य विशेष आर्थिक जोनों में यूनिटों या विकासकर्ताओं को या निर्यातोन्मुख यूनिट या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की यूनिट या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की यूनिट अथवा जैव प्रौद्योगिकी पार्क की यूनिट को माल अंतरण या उधार आधार पर दिया जाना विनिर्दिष्ट अधिकारी की पूर्व लिखित अनुज्ञा से अनुज्ञात किया जाएगा और यह ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो अधिरोपित की जाएं ।

39. माल को नष्ट करना- (1) कोई यूनिट विनिर्दिष्ट अधिकारी को अग्रिम सूचना देने के पश्चात शुल्क का संदाय किए बिना माल जिसमें घरेलू टैरिफ क्षेत्र से उपाप्त पूंजीगत माल भी सम्मिलित है या विशेष आर्थिक जोन के भीतर यूनिट द्वारा आयातित माल या विनिर्मित या उत्पादित माल जिसमें अस्वीकृत या अपशिष्ट या स्कैप अथवा अवशिष्ट भी सम्मिलित है, को नष्ट कर सकेगी ।

परन्तु ऐसे विनाश के लिए पर्यावर्णिक स्वीकृति अभिप्राप्त करने; यदि अपेक्षित हो, की जिम्मेदारी उक्त यूनिट की होगी ।

(2) जहां विशेष आर्थिक जोन के भीतर माल को नष्ट करना संभव नहीं है वहां उप नियम (1) के अधीन माल को विनिर्दिष्ट अधिकारी की अनुज्ञा से और प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में विशेष आर्थिक जोन से बाहर नष्ट किया जाएगा :

परन्तु बहुमूल्य और कम मूल्य के रत्नों तथा बहुमूल्य धातुओं को नष्ट करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(3) घरेलू टैरिफ क्षेत्र से उपाप्त माल को नष्ट किए जाने की दशा में यूनिट को वापसी और शुल्क छूट पासबुक ऋण लाभ का वापसी संदाय करना अपेक्षित होगा ।

(4) जहां वापसी या शुल्क हकदारी पासबुक ऋण के दावे के अधीन या किसी निर्यात संबंधन स्कीम के अधीन घरेलू टैरिफ क्षेत्र से उपाप्त कोई माल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट किया जाता है वहां जोन की यूनिट को ऐसे माल पर दावा की गई शुल्क वापसी या शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम ऋण का संदाय करना अपेक्षित होगा :

परन्तु उस दशा में जहां यूनिट ने विदेशी मुद्रा के संदाय पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र से माल का उपापन किया है, वहां उक्त यूनिट ऐसे माल पर दावा की गई शुल्क वापसी या शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम ऋण या किसी निर्यात प्रोत्साहन का वापसी संदाय करने की दायी नहीं होगी ।

40. गैर- प्रसंस्करण क्षेत्र से माल का संचलन - ले जाना- गैर- प्रसंस्करण क्षेत्र से प्रसंस्करण क्षेत्र में और से माल का संचलन और विशेष आर्थिक क्षेत्र के एक प्रसंस्करण क्षेत्र से उसी विशेष आर्थिक जोन के भिन्न प्रसंस्करण क्षेत्र को लाना- ले जाना यथास्थिति स्वामी या प्रबंध निदेशक या कार्यकरण भागीदार या कंपनी सचिव या कंपनी या फर्म द्वारा इस संबंध में सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व- प्रमाणित क्रमागत अंक वाले चालानों के अधीन किया जाएगा तथा चालान में माल का सम्पूर्ण विवरण निहित होगा ।

41. उप- संविदा करना- (1) कोई यूनिट अपने उत्पादन के या किसी उत्पादन प्रक्रिया के किसी भाग की घरेलू टैरिफ क्षेत्र में किसी इकाई/इकाइयों या विशेष आर्थिक जोन या निर्यातोन्मुख इकाई में या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या जैव- प्रौद्योगिकी पार्क इकाई में किसी यूनिट के साथ विनिर्दिष्ट अधिकारी की पूर्व अनुमति से वार्षिक आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन उपसंविदा कर सकेगी, अर्थात्-

(क) उप संविदा करने के लिए विशेष आर्थिक जोन के बाहर ले जाया गया ऐसा तैयार माल, या अर्द्ध तैयार माल जिसके अंतर्गत जड़ाऊ आभूषण भी है, जिनका आगे और प्रसंस्करण अपेक्षित है, 120 दिनों के भीतर या ऐसी अवधि में, जो विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा ऐसा विस्तार प्रदान करने के लिए लेखबद्ध किए गए कारणों से बढ़ाई गई है, यूनिट में वापस लाई जाएंगी;

(ख) तराशे और पालिश किए गए हीरों और बहुमूल्य और कम मूल्य के रत्न (अपरिष्कृत हीरों, बहुमूल्य या कम मूल्य के रत्न जिन पर शुल्क शून्य है, के सिवाय) का उपसंविदा करने के लिए विशेष आर्थिक जोन के बाहर ले जाए जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

(ग) कोई रत्न और आभूषण यूनिट घरेलू टैरिफ क्षेत्र से या किसी निर्यातोन्मुख इकाई से या उसी या दूसरे विशेष आर्थिक जोन में किसी इकाई से, प्रक्रिया पुस्तिका के साथ पठित विदेश व्यापार नीति के उपबंधों के अधीन अनुमत स्वीकार्य अपशिष्ट या विनिर्माण घाटे के समायोजन के पश्चात् उक्त आभूषण में निहित स्वर्ण या रजत या प्लेटिनम की समतुल्य मात्रा के विनिमय द्वारा सादा स्वर्ण या रजत या प्लेटिनम आभूषण प्राप्त कर सकता है;

(घ) उप-संविदा या विनिमय में अपशिष्ट प्रक्रिया पुस्तिका के साथ पठित विदेश व्यापार नीति के अधीन स्वीकार्य अपशिष्ट मानकों के अनुसार की अनुज्ञात किया जाएगा :

परन्तु यूनिट का कुल अपशिष्ट, जिसमें विनिमय के आधार पर उपसंविदाकार या आभूषण के प्रदायकर्ता का अपशिष्ट भी सम्मिलित है, किसी भी दशा में प्रक्रिया पुस्तिका के साथ पठित विदेश व्यापार नीति के अधीन अनुज्ञेय अपशिष्ट के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा:

(ड.) स्वर्ण या रजत या प्लेटिनम के विनिमय के प्रति उप संविदाकार या आभूषणों की प्रदायकर्ता घरेलू टैरिफ क्षेत्र यूनिट उपक्रम निर्यात हकदारियों के योग्य नहीं होगा;

(च) किसी वित्तीय वर्ष में किसी इकाई के उप संविदाकारी उत्पादन का मूल्य यूनिट द्वारा इसके अपने परिसर में उत्पादित माल के तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में मूल्य से अधिक नहीं होगा :

परन्तु कोई यूनिट जो उत्पादन या उत्पादन प्रक्रिया के किसी भाग की उप- संविदा उसी विशेष आर्थिक जोन में किसी अन्य यूनिट के साथ करती है तो उसे विनिर्दिष्ट अधिकारी की अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु वह तब जबकि कि आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों यूनिटें उप संविदा में सम्मिलित माल का समुचित हिसाब रखें ।

**स्पष्टीकरण:** संदेहों के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नियम के अधीन अपने उत्पादन के किसी भाग की ' उप संविदा करना ' का अभिप्राय कच्चे माल का तैयार उत्पादों में संपर्कितन के लिए सभी उत्पादन प्रक्रियाओं की उपसंविदा करना अभिप्रेत है परन्तु केवल वर्ष के दौरान या उत्पादन के प्रथम वर्ष में निर्यातित तैयार उत्पादों की मात्रा के भाग के लिए उप संविदा की गई माल का मूल्य यूनिट द्वारा उत्पादित माल के मूल्य से अधिक नहीं होगा ।

(छ) व्यापार या भण्डागारण में लगी हुई किसी यूनिट को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उत्पादन या उत्पादन प्रक्रिया की उपसंविदा करने की सुविधा की अनुज्ञात नहीं की जाएगी;

(ज) कोई यूनिट विनिर्दिष्ट अधिकारी की अनुज्ञा से उप संविदाकार/संविदाकारों के परिसर से मोल्ड्स या जिग्स या औजार या फिक्सचर्स या टेकल्स या उपकरण या हेंगर्स और पैटर्न्स और ड्राइंग्स को इस शर्त के अध्यधीन हटा सकती है कि इन्हें यूनिट के परिसर में ऐसी उप संविदाकारी व्यवस्था की समाप्ति पर और उप संविदाकार पर अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद ऐसी शुरू अधिकारी से तिमाही सत्यापन रिपोर्ट को प्रस्तुत करने पर कि ऐसा माल उपसंविदाकार के परिसर में हैं और यूनिट के लिए माल के उत्पादन हेतु प्रयुक्त की जा रही हैं, तुरंत वापस लाया जाएगा ।

(ङ) ईधन के सिवाय कच्चा माल, संघटक और खपने वाली सामग्री इस माल के साथ या पृथक रूप से भेजे जा सकेंगे;

(2) विकास आयुक्त भी उत्पादन प्रक्रियाओं के भाग की विदेश में उप संविदा करने की अनुज्ञा दे सकेंगे और उस दशा में माल का उप संविदाकार के परिसर से विदेश में निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए निर्यात किया जा सकेगा अर्थात् -

(क) उप संविदा के प्रभारों को निर्यात घोषणा प्रारूपों और बीजकों और अन्य संबंधित दस्तावेजों में घोषित किया जाएगा;

(ख) निर्यात आय पूर्णतः यूनिट के पक्ष में प्रत्यावासित होगी ।

42. घरेलू टैरिफ क्षेत्र में या अन्य विशेष आर्थिक जोनों में किसी इकाई में या निर्यातोन्मुख इकाई में या इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्क इकाई में या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या जैव प्रौद्योगिकी पार्क इकाई में या विदेश में उप संविदा करने में उप संविदाओं के लिए प्रक्रिया- (1) कोई यूनिट निम्नलिखित शर्तों के अधीन जिसके अंतर्गत ऐसा तैयार माल जिसका और प्रसंस्करण अपेक्षित है या अर्धतैयार या अर्धप्रसंस्कृत माल जिसमें जडाऊ आभूषण अथवा निविश्टियां समिलित हैं, उपसंविदाकार्ता के परिसर में- (i) किसी उत्पादन प्रक्रिया की उपसंविदा करने के लिए; या (ii) शुल्क के भुगतान के बिना उत्पादन के भाग को ले जा सकेगी अर्थात् -

(क) यूनिट, जहां कहीं संभव हो, परियोजना अनुमोदन के समय अनुमति के लिए स्वतः आवेदन करेगी और ऐसे प्रारंभिक अनुमोदन के आधार पर विनिर्दिष्ट अधिकारी उत्पादन प्रक्रिया(ओं) के भाग की या उत्पादन के भाग की उप संविदा करने की अनुज्ञा देगा;

(ख) जहां परियोजना के अनुमोदन के समय अनुज्ञा नहीं ली गई है या नए सिरे से अनुज्ञा होने की इम्प्सा की गई है वहां यूनिट उप संविदाकार/उपसंविदाकारों के नाम और पते, या घरेलू टैरिफ क्षेत्र के उपसंविदाकार होने की दशा में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पंजीयन क्रमांक, यदि पंजीकृत हो, और पूरी की जाने वाली प्रक्रियाओं का ब्यौरा उपसंविदाकार के परिसर में अपेक्षित उत्पादन और उक्त प्रक्रियाओं के लिए स्वप्रभाणित निवेश- निर्गत अनुषात अन्तर्विष्ट करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करेगी;

(ग) उपर्युक्त (ख) के अधीन ब्यौरों की जांच करने के पश्चात् विनिर्दिष्ट अधिकारी किसी उत्पादन प्रक्रिया की उपसंविदा करने या उत्पादन के भाग की उपसंविदा करने, जैसा भी मामला हो, के लिए वार्षिक अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा;

(घ) यूनिट, कच्चा माल, ईधन के सिवाय खपत की जाने वाली सामग्री, आयातित या प्रसंस्करण के बगैर घरेलू रूप से खरीदे गए संघटक की घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उपसंविदा करने के लिए विनिर्दिष्ट अधिकारी को उपसंविदा के लिए बाहर ले जाने वाली ऐसी सामग्री पर छोड़े गए शुल्क को पूरा करने हेतु बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगी :

परन्तु बैंक गारंटी ऐसी यूनिट द्वारा अपेक्षित नहीं होगी जिसका कारोबार एक करोड़ रु. या इससे अधिक का है या जहाँ यूनिट बेदाम ट्रैक रिकार्ड के साथ विशेष आर्थिक जोन में दो वर्ष से अधिक अवधि से स्थित है ।

(इ.) विनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी भेजे गए और प्राप्त किए गए माल के सत्यापन के प्रयोजनार्थ छुटपुट कर्मकार के परिसर का या विशेष आर्थिक जोन के द्वार पर छुटपुट कर्मकार से माल की प्राप्ति के पश्चात् यदृच्छिक जांच कर सकेगा :

परन्तु जहां उपसंविदा करने के लिए विशेष आर्थिक जोन से बाहर सोने- चांदी के रूप में ले जाई गई बहुमूल्य धातु जिस पर परिशुद्धता या शुद्धता या निर्माण या क्रमांक की विविन्दित है वहां बेशकीमती धातु का मूल्यनिर्धारण अनिवार्य नहीं होगा;

(ब) कोई यूनिट यथास्थिति स्वामी या प्रबंध निदेशक या कार्यकारी भागीदार या कंपनी सचिव या कंपनी या फर्म द्वारा इस संबंध में सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति, द्वारा पूर्व प्रमाणित क्रमागत अंक वाले चालानों के अधीन माल को हटाएगी और उक्त चालान में माल का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाएगा;

(छ) प्राधिकृत अधिकारी विशेष आर्थिक जोन द्वार पर उपसंविदा किए जाने के पश्चात् माल को वापस प्राप्त करते समय माल के सत्यापन के लिए माल के पहचान चिह्नों का उल्लेख करेगा :

परन्तु जहां उपसंविदा करने के लिए संवेदनशील मदों को बाहर भेजा जाता है वहां विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा यूनिट के जोखिम संबंधी पहलू या पिछले निष्पादन पर आधारित, यदि अपेक्षित हो तो, नमूने और रखे जा सकते हैं;

परन्तु रत्न और आभूषण यूनिटों के लिए नमूने लेने की आवश्यकता नहीं होगी;

(ज) उपसंविदा करने के लिए बाहर भेजा गया माल यूनिट को उसे हटाए जाने की तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर, जो विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा बढ़ाए जाने के लिए लेखबद्ध कारणों से बढ़ाई जाए, के भीतर वापस की जाएगी;

(झ) यूनिट द्वारा उपसंविदा किए जाने के पश्चात् उपखण्ड (ज) के अधीन दी गई अवधि के भीतर माल को वापस न किए जाने पर विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उपसंविदा के लिए बाहर ले जाई गई माल पर शुल्क वसूल करने के लिए कार्रवाई की जाएगी ।

(2) विनिर्दिष्ट अधिकारी यूनिट को उपसंविदाकार के परिसर से तैयार माल निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन सीधे निर्यात करने की अनुमता दे सकेगा, अर्थात् -

- (i) उपसंविदाकार एक निर्यातानुख इकाई या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या जैव प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या विशेष आर्थिक जोन या घरेलू टैरिफ क्षेत्र इकाई है, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में पंजीकृत है;
- (ii) उपसंविदाकार के परिसर से तैयार माल के निर्यात की अनुमता केवल प्रत्यक्ष निर्यात के लिए दी जाएगी न कि तीसरे पक्षकार के मार्फत;
- (iii) उपसंविदाकार के परिसर से निर्यातित माल का नमूना उपसंविदाकार द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी को निर्यातित माल की उपसंविदाकार से माल लेते समय लिए गए नमूने के साथ पहचान स्थापित करने के लिए बंद स्थिति में भेजे जाएंगे,

- (iv) शुल्क मुक्त माल का पोत परिवहन पत्र सामान्य निर्यात की दिशा में नौवहन बिल को सामान्य निर्यात के मामलों की तरह निर्यात के पत्तन पर प्रसंस्कृत किया जाएगा और पोत परिवहन पत्र यूनिट और उप संविदाकार के नाम से फाइल किया जाएगा;
- (v) ऐसे निर्यात के लिए माल बंधपत्र के अधीन उप संविदाकर्ता के परिसर से हटाया जाएगा।

परंतु विदेश में उप संविदा करने की दिशा में, माल या तो यूनिट को वापिस कर दिया जाएगा या उस देश या किसी तीसरे देश में क्रेताओं को विक्रय किया जा सकेगा।

(3) उप संविदाकार के परिसर में प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट, स्कैप या अवशिष्ट या तो यूनिट को वापिस किया जा सकेगा या शुल्क के भुगतान पर इनकी निकासी इस प्रकार की जा सकेगी मानो उक्त अपशिष्ट या स्कैप या अवशिष्ट की यूनिट द्वारा निकासी की गई हो या यदि उप संविदाकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क हेतु पंजीकृत है तो उसे क्षेत्रीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी की उपस्थिति में उप संविदाकार के परिसर में नष्ट किया जा सकेगा।

परंतु शुल्क के संदाय पर उप संविदाकार के परिसर में अपशिष्ट या स्कैप की निकासी या उन्हें नष्ट करने की दिशा में यह विदेश व्यापार नीति के अधीन शुल्क छूट हकदारी स्कीम के लिए अधिसूचित मानक इन्युट आउटपुट मानदण्डों के अनुसार या अनुमोदन समिति द्वारा यथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा:

परंतु जहाँ उप-संविदाकार का परिसर विदेश में स्थित है वहाँ उप-संविदाकार के परिसर में उत्पन्न स्कैप, अपशिष्ट या अवशिष्ट या तो यूनिट को वापिस किया जाएगा या विदेश में नष्ट किया जा सकेगा।

(4) कोई यूनिट निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उसी विशेष आर्थिक जोन के भीतर स्थित किसी अन्य यूनिट को उत्पादन या उत्पादन प्रक्रिया के किसी भाग की उप-संविदा कर सकेगी।

- (i) माल का संचलन क्रमबद्ध वालानों के अधीन हो और यूनिट द्वारा माल के ऐसे संचलन का अभिलेख रखा जाएगा।
- (ii) पूँजीगत माल के विनिर्माण के लिए यूनिट द्वारा आयातित या उपाप्त गई कच्ची सामग्री को उस यूनिट द्वारा प्रयोग किए जाने हेतु पूँजीगत माल के विनिर्माण या बनाने के प्रयोजनार्थ किसी अन्य यूनिट को अंतरित की जा सकेगी जिसने कच्ची सामग्रियाँ आयात या उपाप्त की है।

43. घरेलू टैरिफ क्षेत्र की यूनिट के लिए निर्यात हेतु उप संविदा करना:- कोई यूनिट, विनिर्दिष्ट अधिकारी से वार्षिक अनुज्ञा के आधार पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए घरेलू टैरिफ क्षेत्र के किसी निर्यातक की ओर से निर्यात हेतु उप संविदा कर सकेगी।

(क) सहित संपूर्ण कच्ची सामग्री जिसके अंतर्गत अर्ध तैयार माल और इंधन सहित उपभोज्य पदार्थ भी है घरेलू टैरिफ क्षेत्र के निर्यातक द्वारा प्रदाय किए जाएंगे;

(ख) घरेलू टैरिफ क्षेत्र के निर्यातक की ओर यूनिट द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तैयार माल का निर्यात किया जाएगा;

परन्तु किसी निर्यातोन्मुखी यूनिट या इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव-प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट की ओर से उप संविदा करने की दशा में, तैयार माल का निर्यात या तो यूनिट से या निर्यातोन्मुख यूनिट या इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की यूनिट से या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव-प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट से किया जा सकेगा;

- (ग) निर्यात दस्तावेज संयुक्त रूप से घरेलू टैरिफ क्षेत्र के निर्यातक और यूनिट के नाम पर होगा;
- (घ) घरेलू टैरिफ क्षेत्र के निर्यातक शुल्क वापसी की ब्रांड दर के माध्यम से निविष्टियों पर रांत्त शुल्क की वापसी के लिए हकदार होंगे।

\* 44. कृषि कर्म संविदा - कृषि या बागवानी उत्पादों के उत्पादन या प्रसंस्करण में लगी हुई कोई यूनिट विनिर्दिष्ट अधिकारी से वार्षिक अनुज्ञा के आधार पर, घरेलू टैरिफ क्षेत्र के फार्म से निवेश ले जा सकेगा। फसल पूर्व और पश्चात उपचार के लिए बीज, उर्वरक और रसायन, पौधा पोषण हेतु प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व, पौधा और वृद्धि रेग्युलेटर्स और अन्य कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ, कीटनाशक, फफूंदीनाशी, खरपतवार नाशी, शाकनाशी पदार्थ और निम्नलिखित उपकरण अर्थात् :-

- (क) फिल्टर्स;
- (ख) ड्रिपलायर्स, ड्रिपलाइन्स एवं ड्रिप-फिटिंग्स;
- (ग) सूक्ष्म स्प्रिकलर्स एवं मिस्टर्स;
- (घ) कृषि स्प्रिकलर्स;
- (ड.) उर्वरक टंकियाँ;
- (च) वाल्व;
- (छ) उर्वरक पम्प्स और कैमिकल्स इंजेक्शन्स;
- (ज) क्रेट, ड्रम और संरक्षण माध्यम (जैसे एसिटिक अम्ल और सिरका);
- (झ) ग्रेडिंग तालिका;
- (अ) ग्रीन हाउस उपकरण, अनुषंगी सामग्री, हीटेड रॉटिंग टेबल्स, प्रोपेगेशन ट्रे, सीडिंग मशीनें;
- (ट) पौधे और उनके हिस्से, बीज, छोटे पौधे, कन्द, कलियाँ, प्रकन्द, रूट कटिंग्स, सभी प्रकार की कलमें, उत्तक संवर्धन सामग्री और बीजरोपण और पौधा-रोपण में प्रयुक्त अन्य कनस्पति रूप में उत्पादित सामग्री;
- (ठ) वृद्धिकारी माध्यम जैसे पीट मोस (जिसके अंतर्गत पीट लीटर्स समेत चाहे एकत्रित हो या नहीं भी हैं) पीयर लाइट/वर्नीकुलेट, रॉकवुल, कोका पीट, हाइड्रोकॉर्न, फोम आधारित माध्यम और अन्य कृषि माध्यम;

परन्तु कि ऐसी मदों का संचलन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगा:-

- (i) यूनिट द्वारा संविदा फार्म/फार्मों की निविष्टियों का प्रदाय उन निविष्टि उत्पादन मानकों के अधीन होगी, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाएं;
- (ii) यूनिट और घरेलू टैरिफ क्षेत्र के किसान (किसानों) के बीच संविदा कृषि करार होगा;
- (iii) यूनिट पिछले दो वर्षों से कार्य कर रही हो और कृषि और बागवानी उत्पादों के निर्यात में लगी हुई हो;

परंतु यदि यूनिट दो वर्ष से विद्यमान नहीं है तो पूँजी माल पर छोड़े गये शुल्क या बाहर ले जाने के लिए प्रस्तावित निविष्टियों की सममूल्य की बैंक गारंटी विनिर्दिष्ट अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी;

45. निर्यात:- (1) कोई यूनिट अनुमोदन पत्र के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार माल या सेवाओं का जिसके अंतर्गत कृषि उत्पादों, भागतः प्रसंस्कृत माल, आयात और निर्यात मदों के वर्गीकरण आयात व्यापार नियंत्रण (सुमेलीकृत प्रणाली) के अधीन वर्जित मदों के सिवाय सब एसेम्बलीय और संघटक भी है, का निर्यात कर सकेगी और यूनिट विनिर्माण प्रक्रिया से उत्पन्न उप-उत्पाद, अस्वीकृत सामान, अपशिष्ट स्क्रैप का निर्यात भी कर सकेगी ।

(2) व्यापार या मुक्त व्यापार और भण्डागार या सेवा यूनिट से भिन्न कोई यूनिट यदि आवश्यक हो तो भारतीय रिजर्व बैंक से स्पष्टीकरण लेने के अधीन रहते हुए के राज्य ऋण के वापसी भुगतान या क्रेता के एस्क्रो रूपी लेखा के विरुद्ध भारतीय रूपयों में रूस को निर्यात कर सकेगी ।

(3) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विकल्प से लगी हुई कोई यूनिट वास्तविक निर्यात जिसके अंतर्गत डाटा संचार संपर्क का उपयोग करते हुए व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात या कोरियर सेवाओं के माध्यम से निर्यात भी कर सकेगी ।

(4) राज्य व्यापार उद्यमों पर लागू विदेश व्यापार नीति के प्रतिबंध विशेष आर्थिक जोन में स्थित विनिर्माण यूनिटों को लागू नहीं होंगे:

परंतु लौह अयस्क का निर्यात उपबंधित उन शर्तों के होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं ।

(5) न्यूनतम निर्यात कीमत और विदेश व्यापार नीतियों में यथा उपबन्धित उपभोक्ता पैक में अधीन रहते हुए निर्यात की अपेक्षा धरेलू रूप से उपाप्त कच्ची सामग्रियों की दशा में लागू होगी और इनका निर्यात और प्रसंस्करण या विनिर्माण कार्यकलापों के बिना किया जाएगा ।

(6) वस्त्र मदों का निर्यात द्विपक्षीय करारों, यदि कोई हो, द्वारा शासित होगा ।

(7) कोई यूनिट निर्यात की सभी अनुमत पद्धतियों के माध्यम से वैक्स माउल्ड्स, सिल्वर माउल्ड या गैर कीमती धातु मिश्रण या रबड माउल्ड्स में बने नमूनों सहित किसी सीमा के बिना मुक्त नमूनों का निर्यात कर सकेगी ।

46. निर्यात के लिए प्रक्रिया - (1) विशेष आर्थिक जोन से, यथास्थिति, समुद्री प्रत्तनों या वायु प्रत्तनों या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन या भू-सीमाशुल्क स्टेशन के मार्फत या डाक द्वारा या कोरियर द्वारा या व्यक्ति द्वारा, निर्यात की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी:-

(क) यूनिट विशेष आर्थिक जोन में सीमाशुल्क के प्राधिकृत अधिकारी को संगत दस्तावेजों अथात बीजक, पैकिंग सूची और मुद्रा घोषणा प्ररूप (जीआर) (दो प्रतियों में) के साथ चार प्रतियों में पोत परिवहन पत्र फाइल करेगी:

परंतु पच्चीस हजार अमरीकी डॉलर तक के निर्यात मूल्य या ऐसे निर्यात मूल्य के लिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कियां जाए भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. एफ ई एम ए 223/2000-आर बी, तारीख 3 मई, 2000 द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (माल एवं सेवाओं का निर्यात) विनियम, 2000 में निर्दिष्ट जी आर या एसडीएफ या पीपी या साफ्टवेयर निर्यात घोषणा फार्मॉ में घोषणा करने से छूट दी जाएगी;

(ख) नौवहन बिल को एक क्रमगत क्रमांक देकर पंजीकृत किया जाएगा और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इसका मूल्यांकन उसी रीति और प्रक्रिया से किया जाएगा जो किसी प्रतिहस्ताक्षर की किसी अपेक्षा के बिना मुक्त नौवहन बिल के अधीन निर्यातों के मामले में किया जाता है;

(ग) वस्तुओं को नैमी परीक्षण के अधीन नहीं रखा जाएगा और यूनिट द्वारा स्व-प्रमाणन के आधार पर "भांडे पर निर्यात आदेश" दिया जाएगा:

परंतु वस्तुएं यूनिट के विकल्प देने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुक्त पोत परिवहन पत्र में विहित सन्नियमों अनुदेशों के अनुसार परीक्षण के पश्चात मुद्रांकन की जाए।

परंतु यह भी कि यदि अभौतिक रूप में सेवाओं का निर्यात किया जाता है तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार यूनिट द्वारा स्व-प्रमाणन के आधार पर निर्यात मूल्य प्रस्तुत किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण:-** "स्व-प्रमाणन" का यूनिट द्वारा निर्यात के अंतर्गत, पात्र को मुद्रा करने या माल के पैकेज के संबंध में प्रमाणन से अभिप्रैत है और इसमें पात्र की प्रतियों पर उक्त यूनिट के मालिक या कार्यशील भागीदार या प्रबंध निदेशक या कम्पनी सचिव या ऐसे मामले में, इस विषय पर कम्पनी या कार्यशील भागीदार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा पात्र या पैकेज की सामग्री या मुद्रांकन के बारे में दिया गया प्रमाणन शामिल है जिसमें यह बताया गया हो कि निर्यात के अधीन माल के संबंध में पैकेज या पात्र को उसकी उपस्थिति में मुद्रांकन किया गया है।

(घ) पत्तन, वायुपत्तन, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या पात्र भाड़ा स्टेशन या भू-सीमाशुल्क स्टेशन पर माल की परीक्षण केवल विशेष आसूचना या सूचना के मामले में यथास्थिति उक्त पत्तन, वायुपत्तन, अंतर्देशीय पात्र डिपो या पात्र भाड़ा स्टेशन या भू-सीमाशुल्क स्टेशन के अधिकार क्षेत्र वाले उप या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त से लिखित अनुमति लेने के पश्चात की जाएगी।

(ङ) उक्त यूनिट विशेष आर्थिक जोन में स्थित अंतर्देशीय पात्र डिपो के जरिए या किसी पत्तन या विमानपत्तन या अंतर्देशीय पात्र डिपो के माध्यम से निर्यात कर सकती है।

परन्तु स्थोरा की बड़ी मात्रा में निर्यात के मामले में जहाँ परेषण में विशेष आर्थिक क्षेत्र से स्थोरा का परिवहन संभव नहीं है, ऐसे स्थोरा के निर्यात के मामले में विनिर्दिष्ट अधिकारी लगाने वाले शुल्क हेतु बंध पत्र के निष्पादन होने पर इस शर्त के अधीन अनुमति, दे सकता है कि यूनिट बंध-पत्र के अधीन ऐसे स्थोरा के हटा लेने के 90 दिन के भीतर निर्यात का प्रमाण प्रस्तुत करेगी, ऐसा न करने पर अनिर्यातित माल पर लगने वाला शुल्क बंध-पत्र की शर्तों के अनुसार संदेय होगा;

(2) रत्न और आभूषणों के निर्यात की प्रक्रिया निम्न होगी -

(i) प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने वाले पोत परिवहन पत्र और बीजक के साथ पैकिंग सूची में निम्नलिखित का अन्तर्विष्ट किया जाएगा:

(क) मदों का विवरण ;

(ख) सोना या चांदी या प्लेटिनम की शुद्धता एवं भार और रत्नों का प्रकार जैसे हीरा, रुबी, सेफायर, क्यूबिक जिरकान और ऐसे ही रत्न जो जड़ने के लिए प्रयुक्त किए गए हों और इनका कैरेट में भार; और

(ग) आभूषण मद के पोत पर्यन्त विशुल्क मुल्यदर और टुकड़ों में परिमाणा तथा कुल मूल्य

(ii) यूनिट नाम निर्दिष्ट अभिकरण द्वारा जारी किए गए काल्पनिक दर प्रमाण पत्र के आधार पर आभूषण निर्यात कर सकती है और यह दर काल्पनिक दर प्रमाण पत्र में दी गई अमरीकी डालर या भारतीय रुपयों में दर और उस समय विद्यमान सोना या अमरीकी डालर की दर पर आधारित होगा:

परन्तु नाम निर्दिष्ट अभिकरण द्वारा जारी किया गया यह प्रमाणपत्र लदान की तारीख से तीन कार्य दिवसों से अधिक या केवलीय सरकार द्वारा, जो भी सूचित किया गया हो उससे पहले का नहीं होगा;

(iii) नामनिर्दिष्ट अभिकरण से उधारी पर सोना या चांदी या प्लेटिनम प्राप्त करने वाली यूनिट विदेश व्यापार नीति के अधीन उसी सोना या चांदी या प्लेटिनम आभूषण के लिए विहित अवधि के भीतर इनका निर्यात करेगी;

परन्तु यूनिट बकाया ऋण की रकम में ब्याज का भुगतान करके इस प्रकार के ऋण सीधी खरीद में परिवर्तित कर सकता है यदि विदेश व्यापार नीति के अधीन विहित अवधि के भीतर उन्होंने विकल्प दिया है।

(iv) नामनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा जारी किए गए काल्पनिक दर प्रमाणपत्र के आधार पर आभूषण के निर्यात के मामले में, यूनिट कीमत नियत कर सकती है और निर्यात के लिए विहित अवधि के भीतर जोने के ऋण की पुनः अदायगी कर सकती है जैसा केंद्र सरकार ने समय समय पर अधिसूचित किया जाए:

परन्तु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नामनिर्दिष्ट अभिकरण को कीमत की सूचना दी जाएगी जिसमें बैंक परिक्राम्य दस्तावेजों में दर की अंतिम पुस्ति दिखानी होगी ।

(3) साफ्टवेयर निर्यात की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी :-

(i) यूनिट साफ्टवेयर या प्रसंस्कृत आंकड़ों का निर्यात कर सकती है । आंकड़ा लिंक के माध्यम से काल सेंटर सेवाएं या इंटरनेट या ई-मेल या अन्य इलैक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए और

विदेशी मुद्रा प्रबंधन(माल और सेवा का निर्यात) विनियम 2000 के अधीन विकास आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऐसे निर्यात के लिए साप्टवेयर निर्यात घोषणा प्रस्तुप सहित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999(1999 का 42) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राधिकृत व्यौहारी को प्रस्तुत किया जाएगा ;

(ii) यूनिट विदेश में 'आन साइट' परामर्श सेवा प्रदान कर सकती है। यह अनुबंध विवरण प्रस्तुति या क्रय आदेश और प्रेषित विदेशी मुद्रा और प्राधिकृत अधिकारी के पास विदेश में प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के अधीन है ।

(iii) परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में परामर्श सेवा स्थल पर प्रदान करने के लिए यूनिट द्वारा प्राप्त प्रतिफल की गणना नियम 53 के अधीन शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन की सकारात्मक गणना के प्रयोजन से की जाएगी ।

(4) यूनिट डाक से माल का निर्यात कर सकती है जो विदेशी डाकखाने के मध्य की निर्यात हेतु लागू प्रक्रिया के अधीन है ।

(5) कूरियर के माध्यम से निर्यात केवल अनुज्ञात होगा यदि कूरियर एक प्राधिकृत कूरियर है । सीमा शुल्क आयुक्त के पास रजिस्ट्रीकृत है जिसकी अधिकारिता गेटवे विमानपत्तन है और कूरियर निर्यात और आयात (निकासी) विनियम, 1998 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा ।

परन्तु विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अभिरक्षक द्वारा कूरियर को माल सौंपने के लिए अनुज्ञात होगा ।

(6) यूनिट निजी सामान के रूप में इसकी ओर से यूनिट द्वारा प्राधिकृत विदेशी यात्रियों से ले जाने पर माल का निर्यात कर सकता है, ये निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थातः :-

(i) यूनिट प्राधिकृत अधिकारी के पास पोत परिवहन पत्र, बीजक और मुद्रा घोषणा प्रस्तुत करेगी,

(ii) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पोत परिवहन पत्र का निर्धारित उसी रीति से किया जायेगा जैसा कि मुक्त पोत परिवहन पत्र के अधीन निर्यात के मामले में किया जाता है,

(iii) विशिष्ट अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी के अधीन अनुमोदित प्राधिकृत अभिकरण द्वारा निर्धारित पोत परिवहन पत्र के आवरण के अधीन सामान का विशेष आर्थिक क्षेत्र से विमानपत्तन में अंतरण किया जाएगा,

(iv) विमानपत्तन में सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी की गई 'निरोधन रसीद' के बदले में विमानपत्तन पर भाण्डागार गृह में माल जमा किया जायेगा ।

(v) मूल निरोधन रसीद प्रस्तुत किए जाने पर प्रस्थान के समय लदान प्राधिकृत यात्री को सौंपा जायेगा ,

(vi) विशेष आर्थिक क्षेत्र से सामान के हटाये जाने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर विमानपत्तन पर सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निर्यात प्रमाण यूनिट द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा ,

(vii) जहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र और विमानपत्तन में अभिरक्षक सुविधा उपलब्ध है वहाँ अभिरक्षक द्वारा विमानपत्तन पर माल प्राधिकृत यात्री को आंतरित किया जायेगा या सुपुर्द किया जायेगा ।

(viii) यदि ग्राहक स्थल पर निर्यातित माल की मरम्मत के लिए कल पुजाँ की जरूरत विदेश आबद्ध यात्री द्वारा कल पुजाँ के साथ वैयक्तिक वहन की अनुमति होगी और निर्यात के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात् :-

- (क) निर्यात के लिए प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति पत्र, और
- (ख) मूल्य सहित बीजक

(ix) सुपुर्दगी आधार नगद या स्वीकृति के विरुद्ध दस्तावेज पर प्राधिकृत यात्री द्वारा निर्यात के लिए किसी सामान के साथ वैयक्तिक वहन की अनुमति दी जा सकती है परन्तु यूनिट निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अर्थात्:-

- (क) पोत परिवहन पत्र की प्रति, और
- (ख) आगम का बैंक प्रमाण पत्र माल के परिवान के तीस दिन के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा ।

(x) दो मिलियन अमरीकी डालर तक के मूल्य के रन और आभूषण की मदों या पांच लाख रुपये से अनधिक का अन्य सामान जो कि विदेश में प्रदर्शनी करने या उसमें भाग लेने के लिए है के वैयक्तिक वहन के लिए विकास आयुक्त के अनुमोदन से ही अनुमति दी जाएगी और यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् :-

- (i) यूनिट देश छोड़ते समय विमानपत्तन पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों को ऐसे माल का वैयक्तिक वहन किए जाने की घोषणा करेगा और आवश्यक पृष्ठांकन प्राप्त करेगा, और
- (ii) यूनिट सामान्य बैंकिंग माध्यमों से प्रदर्शनी की समाप्ति की तारीख से पैतालीस दिन के भीतर या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे दिन के भीतर यूनिट माल वापस लायेगी या बिक्री प्राप्ति की वापसी करेगा ,

(iii) विदेश आबद्ध यात्री द्वारा माल को साथ ले जाने के लिए यूनिट द्वारा निर्यात के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाएगा, अर्थात्:-

- (क) यूनिट द्वारा फाइल की गई पोत परिवहन पत्र बिल की प्रति
- (ख) विदेशी क्रेता द्वारा अपने आगमन के समय सीमा शुल्क को प्रस्तुत किए गए करेंसी घोषणा पत्र की प्रति ,
- (ग) बैंक से विदेशी मुद्रा प्राप्ति या नगदीकरण प्रमाण पत्र

(7) भारत छोड़ते समय यात्रियों के लिए बिक्री के लिए भारत के अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में प्रस्थान विश्राम कक्ष पर स्थापित शोरूम में यूनिट माल का प्रदर्शन कर सकती है। ये विमानपत्तन पर अधिकारित रखने वाले सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा अधिकथित शर्तों और प्रक्रियाओं के अधीन होगा। परन्तु अविकृत की शैष मदों को 45 दिनों के भीतर यूनिट को निर्यातित या लौटा दिया जाएगा।

(8) यूनिट विदेश में स्थापित अनुमत दुकानों में बिक्री या प्रदर्शनी के लिए या अपने वितरकों या अभिकर्ताओं के शोरूम में माल जिसमें रत्न और आभूषण सम्मिलित है का निर्यात कर सकती है :-

परन्तु माल निर्यात की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के भीतर विदेश में अविकृत सामान का पैतालीस दिन के भीतर आयात किया जायेगा।

(9) यूनिट विदेश में प्रदर्शनी में भाग लेने या प्रदर्शन के लिए रत्न और आभूषण सहित माल का निर्यात कर सकती है। ये निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्-

(i) यूनिट विदेशी प्रदर्शनी में भाग लेने या प्रदर्शन और बिक्री के लिए माल विदेश ले जाने हेतु विकास आयुक्त को अग्रिम सूचना देगा।

(ii) पोत परिवहन बिल के साथ सुसंगत दस्तावेज प्राधिकृत अधिकारी के पास फाइल किये जाएंगे और उन प्रक्रियाओं का अनुसरण करना होगा जो मुक्त पोत परिवहन पत्र के लिए लागू है।

(iii) रत्नों और आभूषण के मामले में प्रदर्शनी के लिए बाहर ले जाने वाली मदों का फोटो ग्राफ यूनिट द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत किया जायेगा।

(iv) प्रदर्शनी या प्रदर्शनों द्वारे में जो माल अविकृत रह जाएगा प्रदर्शनी की समाप्ति के पैतालीस दिन के भीतर या ऐसे दिन के भीतर जो केन्द्र सरकार ने अधिसूचित किया हो, उनका आयात किया जायेगा।

(v) यूनिट आयातों के मामले में यथापेक्षित अविकृत सामान के आयात के लिए प्रविष्टि पत्र प्रस्तुत करेगी और उनको निर्धारित रूप में किया जायेगा और वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो आयातित माल के लिए लागू होगी।

(vi) इस प्रकार के आयातित माल को शुल्क मुक्त यूनिट में प्रवेश की अनुमति होगी जो कि निर्यात दस्तावेजों के संदर्भ में माल की पहचान साबित होती हो :

परन्तु ऐसे मामलों में माल का परीक्षण यदा-कदा लदान के दस प्रतिशत तक निर्बन्धित होगा;

(vii) यूनिट प्रदर्शनी में विक्रय किए गये सामान के सम्बन्ध में विप्रेषण देश का प्रमाण प्रस्तुत करेगी

(10) यूनिट किसी दूसरी यूनिट के माध्यम से या वणिक निर्यातक या दर्जा धारक या निर्यात उन्मुख इकाई या इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट के माध्यम से सामान और सेवाओं का निर्यात करेगी ये निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं: अर्थात्-

- (i) सेवा और सामान का विनिर्माण या विकास सम्बन्धित यूनिट में किया जायेगा ,
- (ii) प्राधिकृत प्रचालकों से सम्बन्धित सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन या अन्य किसी शर्त की अपेक्षा यूनिट द्वारा निरन्तर उन्मुक्त रखी जाएगी,,
- (iii) ऐसे उपायि निर्यात आदेश इन नियमों के प्रावधानों के तहत पूरे किये जाएंगे और सामानों का यूनिट से प्रत्यक्ष अन्तरण व विमानपत्तन या पत्तन में किया जायेगा ।
- (iv) यूनिट ने जिस मूल्य पर हैसियत धारक या व्यापारी निर्यातक या अन्य यूनिट या निर्यातोन्मुख यूनिट या इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट की सेवा या सामान को आपूर्ति के आधार पर यूनिट द्वारा सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन की पूर्ति मान जाएगी ।

परन्तु ऐसे निर्यात को यूनिट द्वारा ही बाध्यताओं को पूरा करने पर समुचित स्थान दिया जाएगा ।

(11) व्यापारी निर्यातक या हैसियत धारक के माध्यम से निर्यात की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी:

- (i) विशेष आर्थिक क्षेत्र से या किसी अन्य पत्तन के माध्यम से माल का सीधे ही निर्यात किया जाएगा जहां वणिक निर्यातक ने अपना पोत परिवहन पत्र प्रस्तुत किया है । ऐसे मामले में माल का गुलाबी पोत परिवहन पत्र के आधार पर विशेष आर्थिक क्षेत्र से निर्यात के उक्त पत्तन पर सीधे ही संचलन होगा मानो इस माल का संचलन एक भाण्डागार से दूसरे भाण्डागार में हुआ हो।
- (ii) निर्यात दस्तावेजों में वणिक निर्यातक या प्रतिष्ठा धारक और यूनिट का नाम का अन्तर्विष्ट होगा;
- (iii) वणिक निर्यातक या हैसियत धारक यथास्थिति वह मुक्त पोत परिवहन पत्र के तहत माल का निर्यात करेगा और दावा त्याग प्रस्तुत करेगा कि इस प्रकार के निर्यात किए गए माल पर विदेश व्यापार नीति के अधीन किसी निर्यात संवर्द्धन स्कीम के अधीन कोई प्रति अदायगी, शुल्क छूट पास बुक ऋण या निर्यात बाध्यताओं की पूर्ति सुविधा का लाभ नहीं लेगा ।

(12) यूनिट सामान, जिसमें आयातित माल या घरेलू टैरिफ क्षेत्र से खरीदे गए सामान, किसी अन्य यूनिट या इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट को अंतरण कर सकता है जो निम्नलिखित प्रक्रिया के अधीन है, अर्थात् :-

(i) प्राप्त करने वाली निर्यातोन्मुख यूनिट या इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट भाण्डागारण के लिए पांच प्रतिशत में बीजक खरीद प्रमाण के साथ प्रविष्टि बिल प्रस्तुत करेगा । जो निर्यातोन्मुखी यूनिट या इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट के प्रभारी सीमा शुल्क अधिकारी को पैकिंग सूची भी देगा इसके साथ साथ अनुमोदन पत्र एवं अनुमोदन पत्र एवं बॉर्डिंग लाइसेंस प्रति लगाएगा ।

परन्तु यदि प्राप्त करने वाला यूनिट विशेष आर्थिक क्षेत्र यूनिट है तो घरेलू उपभोग हेतु प्रविष्टि पत्र भाण्डागार के लिए प्रविष्टि पत्र के स्थान पर फाइल करेगा :

(ii) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रविष्टि पत्र के आधार पर प्राप्त करने वाले निर्यातोन्मुख यूनिट या इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र के यूनिट को निकासी का अनुज्ञात करेगा ।

(iii) प्राप्त करने वाला निर्यातोन्मुख यूनिट या इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या विशेष आर्थिक क्षेत्र यूनिट आपूर्तिकर्त यूनिट पर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकृत अधिकारी को पुनः भाण्डागारण प्रमाणपत्र पैतालीस दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा । ऐसा न करने पर प्राधिकृत अधिकारी निर्यातोन्मुख यूनिट या इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या विनिर्दिष्ट अधिकारी के अधिकारिता में सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क अधिकारी को इस तथ्य से अवगत कराएगा यथास्थिति प्राप्त करने वाले निर्यातोन्मुख यूनिट या इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या किसी अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र यूनिट जैसी भी स्थिति हो, से लागू शुल्क की मांग की जा सके;

(iv) जहाँ सप्लाई करने वाले और प्राप्त करने वाले यूनिट एक ही विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित है तबाँ माल के संचलन जिसके अंतर्गत कच्ची सामग्री भी सम्मिलित है, की अनुज्ञा प्राप्त करने वाले और पूर्ति करने वाले दोनों यूनिटों के लेखों का अनुरक्षण प्रविष्टि के अधीन होगा और कोई प्रविष्टि पत्र फाइल करने के लिए अपेक्षित नहीं होगा ।

(13) प्राधिकृत अधिकारी किसी यूनिट को यह अनुमति दे सकता है कि वह निर्यातोन्मुख यूनिट या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या सीमाबद्ध भाण्डागार को निम्नलिखित शर्तों के अधीन शुल्क के भुगतान के बिना माल का अंतरण कर सकता है, अर्थात्:-

(i) यूनिट प्राप्त करने वाले निर्यातोन्मुख यूनिट या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट के प्रभारी सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा जारी उपात करने वाले प्रमाण पत्र पर माल का अंतरण करेगा ;

(ii) निर्यातोन्मुख यूनिट या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या सप्लाई करने वाले विशेष आर्थिक क्षेत्र यूनिट द्वारा प्राप्त करने वाले निर्यातोन्मुख यूनिट या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट यथास्थिति प्राधिकृत अधिकारी की ओर से भाण्डागारण प्रविष्टि पत्र प्रस्तुत किया जाएगा ;

(iii) निर्यातोन्मुख यूनिट या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट प्राप्त करने वाले निर्यातोन्मुख यूनिट या साफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट के अधिकारिता सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा सम्यक हस्ताक्षरित पुनः भाष्टागारण प्रमाण पत्र प्राधिकृत अधिकारी को माल की निकासी की तारीख से पैतालीस दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा;

(iv) जहाँ निर्यातोन्मुख यूनिट या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट माल की निकासी के पैतालीस दिन के भीतर पुनः भाष्टागारण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो प्राधिकृत अधिकारी प्राप्त करने वाले यूनिट के सीमा शुल्क अधिकारी के सामने यह मामला उठाएगा, जो भी स्थिति हो, जो इस प्रकार के निर्यातोन्मुख यूनिट या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट के विरुद्ध वसूली कार्रवाई प्रारम्भ करगा;

(v) जहाँ घरेलू टैरिफ क्षेत्र में प्रविष्ट ऐसे माल को, जिस पर शुल्क छूट पास बुक स्कीम के अधीन हकदारी का उपभोग किया गया हो, उसी रूप में या ऐसी प्रक्रिया के अधीन रहते हुए, जो विनिर्माण को कोटि में नहीं आती है, किसी निर्यातोन्मुख यूनिट या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट में, सीधे या उसी विशेष आर्थिक क्षेत्र या किसी अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र के माध्यम से हटाया जाता है, वहाँ शुल्क छूट पास बुक स्कीम के अधीन उपभोग की गई हकदारी के बराबर सीमाशुल्क का संदाय किया जाएगा ।

## अध्याय 5

शर्तें जिनके अधीन माल, विशेष आर्थिक क्षेत्र से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में हटाया जा सकेगा ।

47. घरेलू टैरिफ क्षेत्र में विक्रय - (1) कोई यूनिट धारा 30 के अधीन सीमा शुल्क का संदाय करके घरेलू टैरिफ क्षेत्र में, विनिर्माण प्रक्रिया या उससे संबंधित प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अस्वीकृत या अपशिष्ट या कबाड़ या अवशिष्ट या खंडित हीरे या सह उत्पादों सहित माल और सेवाओं का निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए विक्रय कर सकेगी, अर्थात् :

(क) किसी यूनिट द्वारा विनिर्मित माल का उप नियम (1) के अधीन घरेलू टैरिफ क्षेत्र विक्रय विदेश व्यापार नीति के उपबंधों के अधीन भारत में समान माल के आयात को लागू होने वाला आयात लाइसेंस प्रस्तुत करने पर होगा:

परन्तु आयातित माल या घरेलू टैरिफ क्षेत्र से उपाप्त ऐसा माल, जो विनिर्माण प्रक्रिया के अधीन रहे बिना विक्रित किया गया हो, विदेश व्यापार नीति के उन उपबंधों के अधीन होगा, जो भारत में समान माल के आयात को लागू है

(ख) यूनिट द्वारा विनिर्माण प्रक्रिया या उससे संबंधित प्रक्रिया के दौरान अस्वीकृत या कबाड़ या अपशिष्ट या अवशिष्ट के उपनियम (1) के अधीन घरेलू टैरिफ क्षेत्र विक्रय निर्यात और आयात मदों के आयात व्यापार वर्गीकरण नियंत्रण (सुमेलिकृत प्रणाली) के उपबंधों के अधीन नहीं होगा:

परन्तु केन्द्रीय सरकार, इस खण्ड के अधीन उल्लिखित ऐसे माल के किसी या सभी वर्गों के लिए ऐसे निबर्धन अधिसूचित कर सकेगी, जो वह ठीक समझे ।

(2) सोना, चांदी या प्लेटिनम का कबाड़ या धूल या झाड़न को किसी यूनिट से भारत सरकार की टकसाल या निजी टकसाल को भेजा जा सकेगा और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार स्टेंडर्ड बार में लौटाया जा सकेगा या उक्त कबाड़ में निहित सोने, चांदी और प्लेटिनम के अंश पर शुल्क का संदाय करने पर बेचा जा सकेगा।

परन्तु निकासी के समय और सरकारी टकसाल या निजी टकसाल को परख और निर्धारण के लिए सोना या चांदी या प्लेटिनम की झाड़न या कबाड़ या धूल के नमूनों का मूल्य, यथास्थिति, सरकारी टकसाल या निजी टकसाल, से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

(3) किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र या यूनिट के आबद्ध पावर प्लांट या डीजल उत्जनन सेट में विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता के विद्युत संयंत्र में उत्जनित अतिरिक्त विद्युत उपभोग्य और विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों पर शुल्क का संदाय करने पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र को अंतरित किया जा सकेगा;

(क) जहाँ कहीं आवश्यक समझा जाए विकास आयुक्त द्वारा प्राप्त अतिरिक्त बिजली के प्रस्ताव की, राज्य बिजली बोर्ड के परामर्श से जांच की जाएगी;

परन्तु एक ही विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर बिजली की बिक्री के लिए राज्य बिजली बोर्ड का परामर्श अपेक्षित नहीं होगा।

(ख) विद्युत की एक यूनिट के उत्पादन मानदंड अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएंगे।

(ग) अन्य यूनिट को या समान या अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता को या निर्यातोन्मुख यूनिट या इलैट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट को अतिरिक्त बिजली का विक्रय शुल्क के संदाय के बिना किया जाएगा।

(घ) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अतिरिक्त बिजली के विक्रय के लिए यूनिट विनिर्दिष्ट अधिकारी या राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी से अनुमति प्राप्त करेगी।

(ङ.) घरेलू टैरिफ क्षेत्र को अतिरिक्त बिजली की बिक्री पर शुल्क वही होगा जो इन नियमों में उपबन्धित है।

(4) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकासी किए गए माल का मूल्यांकन और निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

48. घरेलू टैरिफ क्षेत्र में विक्रय की प्रक्रिया- (1) घरेलू टैरिफ क्षेत्र क्रेता घरेलू उपभोग की प्रविष्टि का बिल प्राधिकृत अधिकारिया को प्रस्तुत करेगा, जिसमें वह माल और/या सेवाओं का संपूर्ण विवरण अर्थात् बनावट और माल नम्बर और क्रम संख्याक और बीजक के साथ विनिर्देशों और पैकिंग सूची देगा:

परन्तु घरेलू उपभोग के लिए प्रविष्टि बिल घरेलू टैरिफ क्षेत्र के क्रेता से प्राधिकार के आधार पर किसी यूनिट द्वारा भी फाइल किया जा सकेगा ।

(2) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकासी किए गए माल और / या सेवाओं का मूल्यांकन भारत में आयातित माल को लागू सीमा शुल्क अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपर्यांत के अनुसार निर्धारित किया जाएगा ।

परन्तु जहां माल का प्रदाय किसी विदेशी सत्ता के अनुदेशों पर संविदा विनिर्माता यूनिट द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में किया जाता है वहां घरेलू टैरिफ क्षेत्र क्रेता द्वारा प्रविष्टि बिल, विदेशी सत्ता द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक बीजक पर अभिलिखित संव्यवहार के मूल्य के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) जहाँ किसी यूनिट द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र से उपाप्त गया माल घरेलू टैरिफ क्षेत्र को उसी रूप में या पर्याप्त प्रसंस्करण के बिना वापस भेज दिया जाता है वहाँ ऐसे माल को पुनः आयातित माल माना जाएगा तथा वह ऐसी प्रक्रिया और शर्तों के अध्याधीन होगा, जो भारत के बाहर से माल के सामन्य पुनः आयात की दशा में लागू होती है ।

परन्तु ऐसी दशा में, जहां ऐसा माल, घरेलू टैरिफ क्षेत्र में यथास्थिति में वापस भेजा जाता है और जहां ऐसे माल पर आयात शुल्क 'शून्य' हो और ऐसे माल के उपापन के समय ऐसे माल के संबंध में किसी नियात फायदे की अनुमति नहीं दी गयी हो, तो यूनिट का केवल बीजक के आधार पर ही ऐसी माल की घरेलू टैरिफ क्षेत्र को वापस आपूर्ति करने की अनुमति दी जा सकेगी और ऐसे मामलों में प्रविष्टि बिल दाखिल करना अपेक्षित नहीं होगा ।

49. घरेलू टैरिफ क्षेत्र में हटाया जाना - कुछ मामलों में शुल्कों का उपशमन (1) कोई निमानुसार यूनिट शुल्क का भुगतान करने के बाद विशेष आर्थिक जोन में प्रयोग के पश्चात घरेलू टैरिफ क्षेत्र में पूंजीगत माल को हटा सकेगी:-

(क) ऐसे माल पर शुल्क उनके अवक्षयित मूल्य पर और माल के हटाने के तारीख को लागू दर पर उद्गृहीत किया जाएगा ।

(ख) मूल्य में अवक्षयण उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से अथवा जहां ऐसी पूंजीगत माल उत्पादन के प्रारंभ के बाद यूनिट में प्राप्त हुई हों, तो उत्पादन के लिए ऐसी माल का प्रयोग किए

जाने वाली तारीख से घरेलू खपत के लिए प्रविष्टि बिल प्रस्तुत करने की तारीख तक दी अवधि के लिए अनुज्ञान किया जाएगा ।

(ग) मूल्य में अवक्षयण सीधी पंक्ति पद्धति में अनुज्ञान किया जाएगा, जो नीचे विनिर्दिष्ट किया गया है, अर्थात् : -

(i) कंप्यूटर और कंप्यूटर आवरण के लिए पहले वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए दस प्रतिशत की दर पर, आठ प्रतिशत की दर पर दूसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए, पांच प्रतिशत की दर पर तीसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए, चौथे और पांचवें वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए एक प्रतिशत की दर पर;

(ii) कंप्यूटर और कंप्यूटर आवरणों के अतिरिक्त पूँजीगत माल के लिए पहले वर्ष में दो ग्रतिशत की दर पर प्रत्येक तिमाही के लिए, तीन प्रतिशत की दर पर दूसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए तीन प्रतिशत की दर पर, तीसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए, चौथे और पांचवें वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए छार्ड प्रतिशत की दर पर और उसके बाद प्रत्येक तिमाही के लिए दो प्रतिशत की दर पर ।

स्पष्टीकरण - (1) किसी तिमाही के किसी भाग के लिए मूल्य अवक्षयण की संगणना के प्रयोजन के लिए उस तिमाही में लागू दर को ध्यान में रखा जाएगा ।

(2) शुल्क के भुगतान पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र द्वारा आपूर्ति किया गया माल मरम्मत के उद्देश्य से निकासी की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर यूनिट में वापस लाया जा सकेगा अथवा ऐसी अवधि के भीतर जो विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा बढ़ाई जाए या वारंटी अवधि के भीतर जो भी पंश्चात्यर्ती में हो, मरम्मत के मूल्य पर शुल्क के भुगतान पर इस शर्त के अध्यधीन वापस लाया जा सकेगा कि वस्तु की पहचान विनिर्दिष्ट अधिकारी के समाधानप्रद रूप में स्थापित की गई है ।

(3) जिन माल पर उनके उपापन के समय निर्यात हकदारी उपभोग की गई हो, उन्हें उपभोग की गई निर्यात हकदारियों के बराबर शुल्क का भुगतान करके इस शर्त के अध्यधीन घरेलू टैनिक क्षेत्र में वापस लाया जा सकेगा कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र में वापस लायी जा रहे माल की पहचान विनिर्दिष्ट अधिकारी के समाधानप्रद रूप में स्थापित की गई है ।

परन्तु जहाँ कोई निर्यात हकदारियां उपभोग नहीं की गई हों वहाँ ऐसे माल को शुल्क का भुगतान किए बिना घरेलू टैरिफ क्षेत्र में वापस लाया जा सकेगा ।

(4) कोई यूनिट शुल्क का भुगतान किए बिना विशेष आर्थिक जोन से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निम्नलिखित माल का अंवरण कर सकेगा ।

(क) लागू शुल्क के भुगतान के बाद विशेष आर्थिक जोन में आयातित और प्रविष्ट माल और ऐसे माल की किसी प्रसंस्करण के बिना घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकासी इस शर्त के अध्यधीन की गई हो कि माल की पहचान विनिर्दिष्ट अधिकारी के समाधानप्रद रूप में स्थापित कर दी गई है;

(ख) धातु के आद्यानों को छोड़कर प्रयोग की गई पैकिंग सामग्रियां;

(ग) किसी यूनिट द्वारा माल के प्रवेश और प्रयोग के दो वर्ष के पश्चात मान्यता प्राप्त गैर वाणिज्यिक शैक्षिक संस्थानों या नामित पंजीकृत धर्मार्थ हस्पतालों या सार्वजनिक पुस्तकालयों या सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान और विकास संस्थापनाओं या भारत सरकार या राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के संगठनों को विनिर्दिष्ट अधिकारी के अनुमोदन से दान किए गए प्रिंटर, प्लाटर, स्कैनर, मॉनीटर, की-बोर्ड और भंडारण यूनिटों (चाहे आयातित हो या घरेलू टैरिफ क्षेत्र से खरीदी गई हो) सहित कंप्यूटर और कंप्यूटर आवरण ।

50. घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अस्थायी रूप से हटाया जाना- (1) यूनिट शुल्क के भुगतान के बिना घरेलू टैरिफ क्षेत्र निम्नलिखित माल अस्थायी रूप से हटा सकेगी, अर्थात्-

(क) मरम्मत के लिए पूंजीगत माल और उनके पूर्जे और उनकी वापसी;

(ख) प्रदर्शन, निर्यात संवर्धन, प्रदर्शनी के लिए माल और उनकी वापसी;

(ग) जॉब कार्य, परीक्षण, मरम्मत, पुनः परिष्करण करने और अंशांकन के लिए माल और उनकी वापसी;

(घ) किसी यूनिट या विकासकर्ता के प्राधिकृत कर्मचारियों के प्रयोग के लिए लैपटाप या नोटबुक कंप्यूटर या दृश्य प्रक्षेपण प्रणालियां ।

(ङ) प्राधिकृत अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से कोई अन्य माल ।

(2) कोई यूनिट विनिर्दिष्ट अधिकारी को सूचना दे कर और ऐसी माल के स्थानांतरण के लिए अभिलेख रख कर माल का, मरम्मत या पुनर्स्थापना या परीक्षण या अंशांकन, गुणवत्ता परीक्षण और अनुसंधान और विकास प्रयोजनों के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र या विदेश में अंतरण सकेगी ।

(3) कोई यूनिट प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे माल की वापसी का वचन देकर ऐसे माल को गुणवत्ता परीक्षण या अनुसंधान और विकास प्रयोजनों के लिए शुल्क के संदाय के बिना किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या संरथान को अंतरित कर सकेगी;

परन्तु यदि ऐसा माल परीक्षण की प्रक्रिया में या अनुसंधान और विकास के समय उपभोग अथवा नष्ट हो गया हो तो यूनिट द्वारा प्रयोगशाला या संस्थान से इस आशय का एक प्रमाणपत्र विनिर्दिष्ट अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।

51. घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अस्थायी रूप से हटाये जाने की प्रक्रिया- (1) नियम 50 के उप नियम (1) से (3) तक के अंतर्गत आने वाले कार्यकलापों के लिए माल को क्रमवार संख्या दे कर पूर्व अधिप्रमाणित चालानों जो प्रबंध निदेशक या स्वामी या कार्य कर रहे भागीदार या कंपनी सचिव या कंपनी या मालिक या कार्य कर रहे भागीदार इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणित हो, परं यूनिट द्वारा हटाया जा सकेगा;

(2) पूर्व अधिप्रमाणित क्रम संख्यांक वाले चालानों का प्रयोग करने से पूर्व उनकी क्रम संख्याएं प्राधिकृत अधिकारी को सूचित की जाएंगी;

(3) माल के पहचान चिट्ठन, अर्थात् बनावट और नमूने और क्रम संख्यांक तथा ऐसे परीक्षण या मरम्मत या अंशाकन या पुनःइंजीनियरिंग अथवा पुनर्सुधार के पश्चात वापस प्राप्त हुए माल के विनिर्देशन यूनिट के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जारी किए गए और ऐसे माल को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में ले जाते समय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए पूर्व अधिप्रमाणित चालान में उल्लिखित पहचान के साथ मिलनी चाहिए;

(4) माल को विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर ले जाने की तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि, जिसकी विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा अनुमति दी गई हो, विशेष आर्थिक जोन में वापस लाया जाएगा;

(5) यदि कोई यूनिट उप- नियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विशेष आर्थिक जोन में माल को वापस लाने में असफल रहती है तो ऐसी माल पर लागू शुल्क का यूनिट द्वारा भुगतान किया जाएगा;

(6) उप- नियम (1) के उपबंधों के अध्यधीन, यूनिट पूंजीगत माल सहित माल को उसी या किसी दूसरे विशेष आर्थिक जोन की अन्य यूनिट या निर्यातोन्मुख यूनिट में अथवा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या किसी घरेलू टैरिफ क्षेत्र यूनिट में परीक्षण या मरम्मत या अंशाकन, पुनःइंजीनियरिंग या पुनःसुधार के लिए हटा सकेगी और वापस कर सकेगी :

परन्तु उसी विशेष आर्थिक जोन के भीतर माल का अंतरण आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता यूनिटों द्वारा अभिलेख रख कर किया जाएगा ।

(7) कोई यूनिट विशेष आर्थिक जोन से लैपटाप कंप्यूटरों और दृश्य प्रक्षेपण (प्रणाली) प्रणालियों को ऐसी यूनिट के प्राधिकृत कर्मचारियों के प्रयोग के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया के अधीन रहते हुए बाहर ले जा सकेगी है, अर्थात्-

(क) यूनिट, लैपटाप कंप्यूटरों या दृश्य- प्रक्षेपण प्रणालियों के लिए जिम्मेदार होगी;

(ख) यूनिट कर्मचारी को उसके नाम से ग्राधिकृत करते हुए और पूरा विनिर्देश देते हुए अर्थात् उन लैपटाप कंप्यूटरों और दृश्य प्रक्षेपण प्रणालियों की क्रम संख्या, नमूना संख्या और बनावट देकर एक प्रमाण पत्र जारी करेगा जिन्हें प्रसंस्करण क्षेत्र से अस्थायी रूप से बाहर ले जाने का और प्रमाण पत्र की एक प्रति और उसकी यूनिट द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी को अभिस्वीकृति पूर्वांकित की जाएगी;

(ग) यूनिट लैपटाप कंप्यूटर या दृश्य प्रक्षेपण प्रणाली को अस्थायी रूप से हटाये जाने के लिए खंड (ख) के अंतर्गत जारी ऐसे प्राधिकार प्रमाण पत्र का अभिलेख रखेगी ।

52. अन्य हकदारियाँ - (1) घरेलू टैरिफ क्षेत्र से बहुमूल्य और अर्द्धबहुमूल्य रत्नों और कृत्रिम रत्नों और प्रसंस्कृत मोतियों के आपूर्तिकर्त्ता विदेश व्यापार नीति और पुस्तिका में यथा उपबंधित है, पुनः पूर्ति लाईसेंस प्रदान किए जाने के पात्र होंगे;

परंतु पुनः पूर्ति लाईसेंस के लिए आवेदन विकास आयुक्त को किया जाएगा ।

(2) प्रास्थिति धारक प्रमाण-पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए यूनिट के निर्यात के बोर्ड पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उद्यमी के निर्यात के बोर्ड पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के साथ या इसका विपर्यन, जोड़ा जा सकता है ।

(3) कोई यूनिट अपने विदेशी मुद्रा खाते में अपने शत-प्रतिशत निर्यात आगम रख सकेगा ।

(4) साफ्टवेयर यूनिटों को कम्प्यूटर प्रणाली का प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए (वाणिज्यिक प्रशिक्षण सहित) रहते हुए उपयोग करने के लिए अनुज्ञान किया जा सकेगा कि इस प्रयोजनार्थ कोई कम्प्यूटर टर्मिनल विशेष आर्थिक जोन परिसर से बाहर प्रतिष्ठापित नहीं किया जाएगा ।

(5) कोई यूनिट निःशुल्क आयातित या उपाप्त की गई एक फैक्स मशीन को विनिर्दिष्ट अधिकारी को इसके स्थान की सूचना देने के अधीन रहते हुए, विशेष आर्थिक जोन से बाहर अपनी पसंद की जगह पर स्थापित कर सकती है ।

(6) यूनिट रजिस्ट्रीकृत या प्रशासनिक कार्यालय में आयातित या बिना शुल्क उपाप्त किए गए दो से अनधिक व्यक्तिगत कम्प्यूटर प्रतिष्ठापित कर सकती है तथा यूनिट इलेक्ट्रानिक संपर्क के प्रयोजनार्थ अपेक्षित मोडेम आदि उपकरण भी प्रतिष्ठापित कर सकती है ।

(7) सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए साफ्टवेयर यूनिटों द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति संचार संपर्कों के जरिए यूनिट में प्रतिष्ठापित सुविधा प्राप्त कर सकेगा ।

#### अध्याय- 6

##### विदेशी मुद्रा उपार्जन - अपेक्षाएं और निम्रानी

53. शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन:- यूनिट धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा प्राप्त करेगी जिसकी से गणना उत्पादन शुरू होने से पाँच वर्ष की अवधि तक के लिए समग्र रूप से निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार की जाएगी:-

धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा = क - ख > 0

जहाँ

क. निर्यातों का बोर्ड पर्यन्त निःशुल्क मूल्य है, जिसमें यूनिट द्वारा नेपाल और भूटान से पूर्णतः परिवर्तनीय मुद्रा के विरुद्ध निर्यात और उनके उत्पादों की निम्नलिखित आपूर्ति शामिल है :-

(क) अग्रिम लाइसेंस के या शुल्क छूट या माफी स्कीम के अंतर्गत शुल्क मुक्त पुनः पूर्ति प्रमाण-पत्र या विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत हीरा पेशगी लाइसेंस के संबंध में माल की आपूर्ति;

(ख) विदेश व्यापार नीति के अधीन पूँजीगत माल निर्यात संवर्धन स्कीम के अधीन लाइसेंस धारकों को पूँजीगत माल की आपूर्ति;

(ग) बहुपक्षीय या द्विपक्षीय अभिकरणों द्वारा या उन अभिकरणों की प्रक्रियाओं के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित निधियों या उन निधियों, जिनमें सीमाशुल्क शामिल किए बिना निविदा मूल्यांकन के लिए विधिक करारों में व्यवस्था है, द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को माल की आपूर्ति;

(घ) पूँजीगत माल की आपूर्ति, जो संयोजित या असंयोजित अवस्था में हो और इसमें संयंत्र, मशीनरी, अनुबंधी सामान, औजार, साँचे, उत्पादन के स्तर तक स्थापना प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त माल और उर्वरक संयंत्रों को रेल पर्यन्त निःशुल्क के दस प्रतिशत तक के कलपुर्जे शामिल हैं;

(ङ.) किसी परियोजना या प्रयोजन हेतु ऐसे माल की आपूर्ति जिनके संबंध में वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना द्वारा शून्य सीमाशुल्क पर ऐसे माल के आयात की अनुमति दी है;

(च) उपर्युक्त (ङ.) के अंतर्गत न आने वाली विद्युत परियोजनाओं और परिशोधनशालाओं को माल की आपूर्ति;

(छ) संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को माल की आपूर्ति;

(ज) अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के विपरीत प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के जरिए नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं को माल की आपूर्ति;

(झ) विदेश व्यापार नीति के अन्तर्गत या सीमाशुल्क अधिनियम और मुक्त व्यापार एवं भण्डागार जोन की धारा 65 के अन्तर्गत स्थापित वचनबद्ध भण्डागार, जहाँ भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाता है को की गई आपूर्ति;

(ञ) विदेश व्यापार नीति के अन्तर्गत माल के निःशुल्क आयात की विशेष हकदारी के अधीन आपूर्ति;

(ट) विशेष आर्थिक जोन के भीतर प्रदान की गई सेवाओं या घरेलू टैरिफ क्षेत्र में प्रदत्त और मुक्त विदेशी मुद्रा में देय सेवाओं या ऐसी सेवाएं जो भारतीय रूप में प्रदान की गई जो कि अन्यथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा में देय मानी गई हो सहित सेवा यूनिटों द्वारा सेवाओं का निर्यात;

(ठ) सूचना प्रौद्योगिकी करार (आईटीए- ) की मदों और अधिसूचित शून्य शुल्क दूरसंचार या इलैक्ट्रॉनिक मदे अर्थात् मानिटरों हेतु रंगीन डिस्प्ले ट्यूबें और रंगोन मानिटरों हेतु डिफ्लेक्शन संघटक या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य मदों की आपूर्ति;

(ड) उसी या अन्य विशेष आर्थिक जोन या निर्यातोन्मुख यूनिट अथवा इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिटों अथवा जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट में अन्य यूनिटों और विकासकर्त्ताओं को आपूर्ति, परन्तु ऐसे माल और सेवाएं, ऐसी यूनिटों और विकासकर्त्ताओं द्वारा आयात या खरीदी के लिए अनुज्ञान हो;

(ढ) घरेलू टैरिफ क्षेत्र के क्रेता के मुद्रार्जक विदेशी मुद्रा खाते से विदेशी मुद्रा में या विदेशों से प्राप्त मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र को माल की आपूर्ति;

(ण) किसी मुक्त व्यापार एवं भाण्डागारण जोन की यूनिट द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा पर माल की आपूर्ति ।

**स्पष्टीकरण:-** इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए खण्ड (ड) के अन्तर्गत आपूर्तियां यथा लागू उपापन ग्रमाण-पत्र पर की जाएंगी और खण्ड (घ) से (ज) और (झ) के अन्तर्गत आपूर्तियां केन्द्र सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संबंधित शुल्क छूट के निबंधनों और शर्तों के अनुसार की जाएंगी;

और

ख. इसमें निम्नलिखित की रकम शामिल होंगी-

(क) सुसंगत अवधि के दौरान प्राधिकृत प्रचालनों के लिए प्रयुक्त सभी आश्रातित निविष्टियों के लागत बीमा और भाड़े (सीआईएफ) मूल्य की कुल रकम और समुद्र बीच आधार पर क्रय किए गए माल सहित सभी आयातित पूंजीगत माल का लागत बीमा और भाड़ा मूल्य और निर्यात कमीशन, रायल्टी, फीस, लाभांश, पहले पांच वर्ष की अवधि के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधारों पर ब्याज और अन्य प्रभारों के रूप में विदेशी मुद्रा में किए गए सभी संदायों का मूल्य;

(ख) अन्य यूनिट या निर्यातोन्मुख यूनिट या इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क की यूनिट से या बांडेड भाण्डागारों से प्राप्त या भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों से उपाप्त माल या नाम निर्दिष्ट अभिकरणों से उपाप्त बहुमूल्य धातुओं का मूल्य

(ग) शुल्क मुक्त आयातित या किसी पट्टादाता कम्पनी से पट्टे पर लिए गए, निशुल्क और यूनिट के पास बने रहने की अवधि के लिए त्रण उधारों पर या अंतरण पर ग्रादा पूंजीगत माल के यथानुपात लागत बीमा भाड़े सहित माल और सेवाओं का लागत बीमा भाड़ा मूल्य;

**स्पष्टीकरण:-** इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए "निविष्टियों" से कच्ची सामग्री, मध्यवर्ती, संघटक, खपत योग्य वस्तुएं, पुर्जे और पैकेजिंग सामग्री अभिप्रेत हैं।

(घ) शुद्ध विदेशी मुद्रा की वार्षिक संगणना हेतु आयातित पूंजीगत माल के मूल्य और विदेशी तकनीकी जानकारी फीस के एकमुश्त संदाय को प्रथम वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष 10% की दर से परिशोधित किया जाएगा।

54. कार्यनिष्पादन की निगरानी - (1) यूनिट के कार्यनिष्पादन की निगरानी इन नियमों के साथ संलग्न उपबंधों में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमोदन समिति द्वारा की जाएगी।

(2) यदि अनुमोदन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि किसी यूनिट ने सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन ग्राप्त नहीं किया है या उसने अनुमोदन पत्र या बंध पत्र एवं विधिक वचनपत्र के किसी निबंधन या शर्त को मानने में असफल रही है तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन की जाने वाली कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त यूनिट के विस्तृद्वचेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के उपबंधों के अधीन दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

## अध्याय 7

### अपील

55. अपील का प्रस्तुप - अनुमोदन समिति द्वारा धारा -15 के अधीन पारित किसी आदेश से व्यक्तित अथवा धारा 16 के अधीन अनुमति पत्र रद्द करने के विस्तृद्वचेश कोई व्यक्ति बोर्ड को प्रस्तुप- में अपील दायर कर सकता है।

56. वह समय, जिसके भीतर अपील दायर की जानी है - (1) कोई अपील व्यक्तित व्यक्ति द्वारा नियम 18 के अधीन अनुमोदन समिति के आदेश की उसे संसूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी;

(2) जब अपील उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की समाप्ति के बाद फाइल की जाती है, तो उसके साथ उन तथ्यों को उपवर्णित करते हुए एक शपथपत्र द्वारा समर्थित एक आवेदन पत्र जिसके आधार पर अपीलकर्ता बोर्ड का यह समाधान करेगा कि उसके पास उक्त तीस दिन की अवधि में अपील फाइल न करने के लिए पर्याप्त कारण हैं;

परन्तु यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता के पास उपर्युक्त अवधि के भीतर अपील फाइल न करने के पर्याप्त कारण हैं तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उपर्युक्त अवधि की समाप्ति पर किन्तु अनुमोदन समिति को आदेश की उसको संसूचना की तारीख से पैतालीस दिन की समाप्ति से पूर्व अपील ग्रहण कर सकेगा।

57. फीस का संदाय - (1) प्रत्येक अपील के साथ दो हजार पाँच सौ रुपये की फीस होगी;

(2) फीस की राशि वेतन एवं लेखा अधिकारी, वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली के पक्ष में दय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा की जाएगी ।

58. अपील की विषय वस्तु- नियम 55 के अधीन फाइल की गई प्रत्येक अपील अंग्रेजी या हिन्दी में लिखी जाएगी और उसमें विभिन्न शीर्षों के अधीन अपील के आधारों का स्पष्ट रूप में उल्लेख किया जाएगा और ऐसे आधारों को क्रमवार संख्या दी जाएगी ।

59. प्रपत्र के साथ क्या संलग्न करें :- प्रत्येक अपील प्ररूप - में दो प्रतियों में फाइल की जाएगी और इसके साथ अनुमोदन समिति के उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की दो प्रतियां (जिसमें से कम से कम एक प्रमाणित प्रति होगी) तथा अपील में उल्लिखित आपत्ति के आधारों के समर्थन में अन्य दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे;

**स्पष्टीकरण:-** इस नियम के प्रयोजन के लिए "प्रमाणित प्रति" के अंतर्गत अपीलकर्ता को दी गई मूल प्रति के साथ ही अपीलकर्ता अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित उसकी फोटो प्रति भी है ।

60. शपथ पत्र का फाइल किया जाना - कोई तथ्य जिसका अभिलेख से पता न चलता हो अथवा विरुद्ध होना अभिकथित किया गया हो वहाँ उसका स्पष्ट रूप से संक्षेप में उल्लेख किया जाएगा और सम्यक रूप से शपथ लिया गया शपथ पत्र दिया जाएगा ।

61. बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने के अपीलकर्ता के अधिकार:- प्रत्येक अपीलकर्ता, बोर्ड के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए स्वयं उपस्थित हो सकेगा अथवा एक या अधिक चार्टड एकाउंटेंट अथवा कम्पनी सचिवों अथवा लागत लेखाकारों अथवा विधि व्यवसायियों को बोर्ड के समक्ष प्राधिकृत कर सकता है ।

**स्पष्टीकरण:** इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

(क) "चार्टड एकाउंटेंट" से चार्टड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में यथापरिमाणित चार्टड एकाउंटेंट अभिप्रेत है, जिसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।

(ख) "कम्पनी सचिव" से कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 2 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) में यथा परिमाणित कम्पनी सचिव अभिप्रेत है, जिसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के अन्तर्गत व्यवसाय का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है;

(ग) "लागत लेखाकार" से लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में यथापरिमाणित लागत लेखाकार अभिप्रेत है, जिसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के अन्तर्गत व्यवसाय का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो;

(घ) "विधि व्यवसायी" से कोई अधिवक्ता, वकील या किसी उच्च न्यायालय का एटार्नी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत व्यवसायस्त प्लीडर भी है ।

62. प्राधिकार का फाइल किया जाना - अपीलकर्ता की ओर से अपील की सुनवाई पर प्रस्तुत होने वाला प्राधिकृत प्रतिनिधि सुनवाई शुरू होने से पूर्व बोर्ड के समक्ष प्राधिकार फाइल करेगा ।

63. अपील फाइल करने की प्रक्रिया - (1) अपीलकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा फाइल की गयी अपील अनुमोदन बोर्ड (उप सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110001) को भेजी जाएगी ।

(2) उप नियम (1) के अन्तर्गत डाक द्वारा भेजी गई अपील बोर्ड को उस तारीख को की गई मानी जाएगी जिस दिन वह बोर्ड के सदस्य - सचिव के दिल्ली स्थित कार्यालय में प्राप्त की जाएगी ।

64. जानकारी और दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना - (1) बोर्ड अपील पर विचार करने से पूर्व अपीलकर्ता या अनुमोदन समिति या दोनों से ऐसी और जानकारी तथा दस्तावेज, जो वह आवश्यक समझता है, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(2) संबंधित पक्षकार ऐसी जानकारी और दस्तावेज, ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर प्रस्तुत करेंगे ।

65. अपील की सुनवाई की तारीख और स्थान को संसूचित करना - बोर्ड अपील पर विचार करने से पूर्व अपीलकर्ता को अपील की सुनवाई की तारीख और स्थान की संसूचना देगा ।

66. अपील की सुनवाई - (1) नियत दिन को अथवा ऐसे किसी अन्य दिन को, जिसको सुनवाई स्थगित हो, अपीलकर्ता की अपील के समर्थन में सुनवाई की जाएगी । तब बोर्ड, यदि आवश्यक हो, अपील के विरुद्ध अनुमोदन समिति या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुनेगा और ऐसी दशा में आवेदक का जवाब के लिए हकदार होगा ।

(2) यदि अपीलकर्ता अपील की सुनवाई के लिए बुलाए जाने पर स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित नहीं होता है, तो बोर्ड गुण-दोष के आधार पर अपील को निपटारा कर सकता है:

परन्तु जहाँ किसी अपील का उपर यथाउपर्बंधित के अनुसार निपटारा किया गया है और अपीलकर्ता बाद में उपस्थित होकर बोर्ड का यह समाधान कर देता है कि अपील को सुनवाई के लिए मंगाए जाने के समय उसके उपस्थित न होने के लिए पर्याप्त कारण था तो बोर्ड एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने वाला आदेश जारी करेगा और उस अपील को पुनः स्थापित करेगा ।

67. बोर्ड के आदेश - बोर्ड -

- (क) नियम 55 के अधीन उसको की गई अपील पर विचार करने के पश्चात;
- (ख) नियम 64 में निर्दिष्ट अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात, और
- (ग) नियम 66 के अधीन सुनवाई के पश्चात,

ऐसे आदेश पारित करेगा अथवा ऐसे निर्देश देगा जो उसके आदेशों को प्रभावी करने अथवा उनके संबंध में आवश्यक या समीचीन हो ।

68. आदेश का हस्ताक्षरित और तारीखबद्द किया जाना - बोर्ड का आदेश लिखित में होगा और उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा एवं तारीख डाली जाएगी ।

69. आदेश का पक्षकारों को संसूचित किया जाना - बोर्ड, आदेश पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात, अपीलकर्ता और अनुमोदन समिति को उसकी संसूचना देगा ।

### अध्याय 8

#### प्रकीर्ण

70. पहचान पत्र - (1) विशेष आर्थिक जोन के प्रसंस्करण क्षेत्र में व्यक्तियों के प्रवेश को विकास आयुक्त द्वारा पहचान पत्र जारी करने के माध्यम से विनियमित किया जाएगा ।

(2) पहचान पत्र पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और उद्यमियों और यूनिट के नियमित कर्मचारियों को प्ररूप - ट में जारी किया जाएगा:

परन्तु जब कोई ऐसा कर्मचारी, जिसे कोई पहचान पत्र जारी किया गया है यूनिट अथवा विकासकर्ता के नियोजन में नहीं रहता है तो उक्त पहचान पत्र तुरंत अभ्यर्थित किया जाएगा और उस तिथि से अविधिमान्य समझा जाएगा;

(3) विकास आयुक्त द्वारा सामान्य आगन्तुकों और ठेकेदारों को अस्थाई पहचान पत्र जारी किया जा सकेगा और विशेष आर्थिक जोन के प्रवेश द्वार पर ऐसी प्रविष्टियों का उचित अभिलेख रखा जाएगा;

71. विदेशी मुद्रा प्रेषण - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार माल, सॉफ्टवेयर और सेवाओं के निर्यात मूल्य को प्राप्त किया जा सकेगा और उसके उद्गम देश को भेजा जा सकेगा ।

72. रुण यूनिटों का पुनरुद्धार - (1) कोई यूनिट, जिसे उचित प्राधिकारी द्वारा रुण घोषित कर दिया गया है, विकास आयुक्त के माध्यम से बोर्ड को विचार किए जाने के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज प्रस्तुत करेगा और बोर्ड प्रचलित नियमों के अनुसार सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की पूर्ति की अवधि में अधिकतम पांच वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारण पर विचार करेगा ।

(2) अवधि के विस्तारण पर, अप्रयुक्त कच्ची सामग्री और आयातित या घरेलू तौर पर उपाप्त किए गए पूँजीगत माल को उसके प्रारंभिक मूल्य पर अग्रनीत करने की अनुमति दी जाएगी और यूनिट द्वारा निष्पादित बंध पत्र सह विधिक वचनबंध को तदनुसार संशोधित किया जाएगा ।

(3) यदि कोई नई सत्ता किसी रूण इकाई की सभी आस्तियों और दायित्वों को अपने अधिकार में तने की इच्छुक है तो उप-नियम (1) के अनुसार यथाउपबंधित ऐसी आस्तियों और दायित्वों के अंतरण पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा ।

(4) जहाँ किसी यूनिट को उप-नियम (1) के तहत सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन की पूर्ति हेतु अवधि में विस्तारण मंजूर किया जाता है वहाँ स्थान पर उसका कब्जा बना रहेगा ।

(5) जहाँ एक यूनिट को दूसरी यूनिट द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है वहाँ दायित्व उस नई यूनिट को अंतरित हो जाएंगे, जिसने उस रूण यूनिट को अपने अधिकार में लिया है ।

73. उस अवधि के लिए, जिसमें किसी विशेष आर्थिक जोन में विनिर्दिष्ट अधिकारी को पदस्थापित नहीं किया गया है, विकास आयुक्त द्वारा प्राधिकृत एक सीमाशुल्क अधिकारी, जो सीमाशुल्क के राजपत्रित अधिकारी पंक्ति के नीचे की पंक्ति का न हो, विनिर्दिष्ट अधिकारी के कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करेगा ।

74. यूनिटों की निकासी- (1) यूनिट, विकास आयुक्त के अनुमोदन से विशेष आर्थिक जोन से अलग होने का विकल्प ले सकेगी और यह निकासी आयातित या स्वदेशी पूँजीगत माल, कच्ची सामग्रियों, संघटकों, उपभोज्य वस्तुओं, भंडार में मौजूद अतिरिक्त पुर्जों और तैयार माल पर लागू शुल्कों के संदाय के अध्यधीन होगी :

परन्तु यदि यूनिट ने सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं की है तो यह निकासी, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अधीन अधिरोपित किए जाने वाली शास्ति के अध्यधीन होगी ।

(2) यूनिट की निकासी पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी, अर्थात्:-

- (i) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति का भुगतान किया जाएगा और यदि शास्ति अधिरोपित करने संबंधी आदेश के विरुद्ध कोई अपील लंबित है तो, यदि यूनिट ने सक्षम प्राधिकारी से स्थगन आदेश प्राप्त किया है और उचित प्राधिकृती द्वारा न्यायनिर्णीत शास्ति के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत की है, निकासी पर तभी विचार किया जाएगा जब तक कि अपीलीय प्राधिकारी यूनिट को इस अपेक्षा से छूट प्रदान करने हेतु कोई विशिष्ट आदेश जारी नहीं कर देता है । शास्तियों के संदाय के लिए, जो अधिरोपित की जाएं, विकास आयुक्त के पास एक विधिक वचनबंध निष्पादित किया जा सकेगा ।
- (ii) यदि यूनिट, अनुमोदन पत्र के निबंधनों और शर्तों को पूरा करने में असफल रहती है और शास्तिक कार्यवाही की जानी है या प्रक्रियाधीन हैं, तो शास्तियों के संदाय के लिए, जो अधिरोपित की जाएं, विकास आयुक्त के पास एक विधिक वचनबंध निष्पादित किया जा सकेगा ।

(iii) यूनिट अंतिम निष्क्रमण की तारीख तक यूनिट मानी जाती रहेगी ।

(3) किसी रत्न एवं आभूषण यूनिट द्वारा अपने प्रचालन, आभूषण के विनिर्माण हेतु स्वर्ण एवं अन्य कीमती धातु, अलौंय, रत्न और उपलब्ध अन्य सामग्री संबंधी कार्य बंद किए जाने की दशा में उसे केन्द्र सरकार द्वासा नाम निर्दिष्ट किसी अभिकरण को उक्त एजेंसी द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत पर सौंप दिया जाएगा ।

(4) विकास आयुक्त किसी यूनिट को एक बारगी विकल्प के रूप में विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत विद्यमान नियात संवर्धन पूँजीगत माल स्कीम के अधीन पूँजीगत माल पर शुल्क के संदाय पर विशेष आर्थिक जोन से निष्क्रमण की इस बात के अधीन रहते हुए अनुमति प्रदान कर सकेगा कि उक्त यूनिट ने उक्त स्कीम के अंतर्गत पात्रता मानदण्डों को पूरा किया हो ।

(5) पूँजीगत माल हेतु मूल्य हास के मानदण्ड वही होंगे जो नियम 49 के उप- नियम (1) में दिए गए हैं ।

75. स्वःघोषणा- इन नियमों में जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, यूनिट या विकासकर्ता द्वारा जोन में या उससे माल का सभी प्रकार का आंतरिक और बाह्य संचलन स्वःघोषणा के आधार पर किया जाएगा और विकास आयुक्त या विनिर्दिष्ट अधिकारी के विशिष्ट आदेश प्राप्त किए बिना इस माल की कोई नियमित जांच नहीं की जाएगी ।

76. धारा 2 के उप-खण्ड (य) के प्रयोजनों के लिए ' सेवाएं ' निम्नलिखित होंगी, अर्थात्:-

व्यापार, भण्डारण, अनुसंधान और विकास सेवाएं, बैंक ऑफिस प्रचालन, कॉल सेंटर, कंटेंट डेवलपमेंट या एनिमेशन, डाटा प्रोसेसिंग जैसी सूचना समर्थित सेवाओं सहित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सेवाएं, अभियांत्रिकी एवं अभिकल्प, ग्राफिक सूचना प्रणाली सेवाएं, मानव संसाधन सेवाएं, बीमा दावा संबंधी कार्रवाई, विधिक आकड़ा आधार, चिकित्सा लिप्यंत्रण, वेतन पंजी, दूरस्थ अनुस्काण, राजस्व लेखाकरण, सहायता केन्द्र एवं वेबसाइट सेवाएं और अपटटीय बैंककारी सेवाएं, व्यावसायिक सेवाएं (कानूनी सेवाओं एवं लेखाकरण को छोड़कर), आपरेटर रहित किराया/पट्टा सेवाएं, अन्य व्यापारिक सेवाएं, कुरियर सेवाएं, दृश्य-श्रव्य सेवाएं, निर्माण एवं संबंधित सेवाएं, वितरण सेवाएं (फूटकर सेवाओं को छोड़कर), शैक्षिक सेवाएं, पर्यावरण संबंधी सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, अस्पताल सेवाएं, अन्य मानव स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन एवं यात्रा से संबंधित सेवाएं, सेवाएं, आमोद-प्रमोद, सांस्कृतिक एवं खेल-कूद सेवाएं, मनोरंजन सेवाएं, आतिथ्य सेवाएं, परिवहन एवं पाइप लाइन परिवहन के सभी तरीकों की अनुषंगी सेवाएं ।

77. किसी यूनिट को ग्राप्त छूटों, रियायतों, शुल्क वापसी या किसी अन्य लाभ के प्रति संहरण या रद्दकरण हेतु प्रक्रिया- (1) जहां धारा 16 के अंतर्गत अनुमोदन पत्र रद्द कर दिया गया है वहां उक्त यूनिट अनुमोदन पत्र के रद्दकरण के तीस दिन के भीतर विकास आयुक्त को उक्त यूनिट से संबंधित पूँजीगत माल, तैयार माल, कच्ची सामग्री और स्टॉक में पड़ी खपत योग्य माल के संबंध में

छूटों, शुल्क वापसी, रियायतों एवं किसी अन्य लाभ के ब्यौरे प्रस्तुत करेगी और विकास आयुक्त सीमा शुल्क के रूप में उक्त यूनिट द्वारा सरकार को प्रेषित की जाने वाली राशि निर्धारित करने के लिए विनिर्दिष्ट अधिकारी को निर्देश देगा।

(2) विनिर्दिष्ट अधिकारी यूनिट द्वारा प्रदत्त ब्यौरों के आधार पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उक्त माल की निकासी हेतु उक्त यूनिट द्वारा प्रेषित की जाने वाली राशि की मात्रा का निर्धारण करेगा और उसको [संसूचना] देगा, जिसे सूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर प्रेषित किया जाएगा।

परन्तु फिर भी तीन मास की इस अवधि को विकास आयुक्त द्वारा अभिलिखित किए जाने वाले वैध कारणों से तीन मास से अनधिक की और अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

परन्तु यह और कि प्रेषित की जाने वाली राशि ऐसे माल पर उक्त यूनिट द्वारा प्राप्त छूटों, शुल्क वापसी एवं रियायतों और/या भारत में आयात के समय ऐसे तैयार माल पर संदेय सीमा शुल्क की मात्रा से अधिक नहीं होगी।

(3) उप- नियम (1) और (2) के उपबंधों के होते हुए भी यूनिट ऐसे माल के संबंध में छूटों, शुल्क वापसी, रियायतों या प्राप्त किसी अन्य लाभ को वापस किए बिना शुल्क मुक्त लाइसेंस पर उक्त माल का निर्यात या अंतरण कर सकेगी।

परन्तु निर्यात संवर्धन पूँजीगत माल स्कीम के लाइसेंस पर अंतरित पूँजीगत माल के संबंध में यूनिट उस शुल्क को वापस करेगी जो निर्यात संवर्धन पूँजीगत माल स्कीम के उपबंधों के अधीन लागू हो।

(4) जहां ऐसे किसी उद्यमी के मामले में जिसका अनुमोदन पत्र रद्द कर दिया गया है और जो उप- नियम (2) में यथा- उपबंधित विहित अवधि के भीतर समस्त माल को हटाने की शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहता है वहां विकास आयुक्त रेहनशुद्ध माल को छोड़कर ऐसे माल को कब्जे में ले लेगा और इस शर्त के अधीन रहते हुए सार्वजनिक नीलामी के जरिए उसकी बिक्री पर देगा कि ऐसी नीलामी के बिक्री आगमों को एक निर्दिष्ट खाते में जमा किया जाएगा और ऐसी आय के एक भाग को उस ढंग से रखा जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए।

(5) ऐसा कोई उद्यमी जिसका अनुमोदन पत्र रद्द कर दिया गया है और जो नियम 52 के अंतर्गत अपेक्षित सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन की पूर्ति करने में विफल रहा है, उस जुर्माने के संदाय हेतु उत्तरदायी होंगा जिसे विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1982 (1982 का 22) के उपबंधों के अनुसार न्याय निर्णयन प्राधिकारी द्वारा लगाया जाए।

परन्तु अनुमोदन- पत्र के रद्दकरण के समय स्टॉक में रखे गए घरेलू टैरिफ क्षेत्र से उपाप्त ऐसी कच्ची सामग्री, संघटक, खपत योग्य वस्तु और पुर्जी, जिन पर किसी निर्यात हकदारी का लाभ उठाया गया है, को लाभ प्राप्त निर्यात हकदारियों के समतुल्य अतिरिक्त शुल्क के संदाय पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र से हटाया जाएगा।

परन्तु यह और कि जिस माल पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र से उपाप्त के समय किसी निर्यात हकदारी या शुल्क छूट का लाभ नहीं उठाया गया है, उसे शुल्क के संदाय के बिना घरेलू टैरिफ क्षेत्र से हटा लिया जाएगा।

प्रस्तुप - क

## विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना करने के लिए आवेदन पत्र

(नियम 3 देखें)

1. उपक्रम का पूरा नाम और पता  
(स्पष्ट शब्दों में)

आवेदक का नाम

पूरा पता

(लिमिटेड कंपनियों के संबंध में  
रजिस्ट्री कार्यालय तथा अन्य  
के संबंध में मुख्य कार्यालय)

पिन कोड

दूरभाष सं.

फैक्स सं.

स्थायी ई-मेल पता

यथास्थिति प्रत्येक निदेशक/  
भागीदार/संप्रवर्तक का नाम  
और पता

## 2. आवेदक फर्म या कंपनी का स्वरूप

- (क) पब्लिक लिमिटेड कंपनी
- (ख) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
- (ग) पूर्ण स्वामित्व
- (घ) भागीदारी
- (ङ.) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

टिप्पणी: कृपया कंपनियों की दशा में संगम-अनुच्छेद और ज्ञापन के और भागीदारी फर्मों के संबंध और भागीदारी विलेख के साथ निगमन प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की जानी चाहिए।

## 3. प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवस्थिति:

क्या प्रस्ताव निम्नलिखित के लिए है-

- (क) बहु उत्पाद के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र
- (ख) विनिर्दिष्ट सेक्टर के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र
- (ग) मुक्त व्यापार तथा भांडागारण क्षेत्र
- (जो भी लागू हों, उस पर निशान [✓] लगाएं)

## 4. (क) प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र की सबसे निकटतम समुद्र तट या विमानपत्तन या रेल या मुख्य सड़क से दूरी।

- (ख) प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र के क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) बताएं।
- (ग) क्या आवेदक भूमि का मालिक है और भूमि उसके कब्जे में है।
- (घ) पट्टाधृत भूमि की दशा में, पट्टाधारी का नाम और पट्टे की शर्तें।
- (ङ.) यदि भूमि स्वामित्व या कब्जे में नहीं है तो भूमि के अधिग्रहण के लिए उठाए जाने वाले कदम।
- (च) क्या क्षेत्र नजदीक है या नहीं अथवा वहाँ कोई बीच में रास्ता है?

5. प्रस्तावित वित्तीय/विनिधान के ब्यौरे:

- भूमि का मूल्य
- प्रस्तावित अवसंरचना का मूल्य, अर्थात् :
  - भूमि का विकास
  - सीमा की दीवारें, सड़कें, नाले, जल आपूर्ति, बिजली इत्यादि
  - तैयार बना हुआ फैक्टरी क्षेत्र
  - पत्तन
  - हवाई अड्डा
  - अन्य, यदि कोई हो, ब्यौरा दें
- कुल विनिधान

6. वित्त पोषण के माध्यम

- साधारण पूँजी
- आवधिक ऋण
- बाह्य व्यापारिक उधार, यदि कोई हों, ब्यौरे दें
- कोई अन्य स्रोत

कुल

7. साधारण, जिसमें विदेशी निवेश भी शामिल हैं

(i)	(₹ हजार)	(रुपये लाख)
(क) प्राधिकृत	_____	_____
(ख) अभिदाय कृत	_____	_____
(ग) समादत्त पूँजी	_____	_____

टिप्पणी: यदि यह कोई विद्यमान कंपनी है तो कृपया विद्यमान तथा प्रस्तावित पूँजी ढाँचे का अलग-अलग ब्यौरा दें

(ii) समादत्त पैंजी (राशि रूपयों में) में शेयर धारण का नमूना

रूपये (लाखों में)	(अमेरीकी \$ हजार)
-------------------	-------------------

(क) विदेशी धारिता	—————
(ख) अनिवासी भारतीय कंपनी/व्यक्तिगत धारिता	—————
(i) देश प्रत्यावर्ती	—————
(ii) देश गैर प्रत्यावर्ती	—————
(ग) निवासी धारिता	—————
(घ) कुल	—————

8. विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में पहचान किए गए क्षेत्र का विकासः कृपया निम्नलिखित बौरे दें - क्षेत्र हेक्टेयर में

(i) विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकास के लिए प्रस्तावित कुल क्षेत्र	—————
(ii) प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र	—————
(iii) प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रस्तावित विकास के क्रियाकलाप अर्थात् :-	—————

(क) स्थल विकास	—————
(ख) सीमा की दीवारों का निर्माण	—————
(ग) सड़कों का निर्माण	—————
(घ) जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा नाली प्रणाली का संस्थापन	—————
(ड.) विद्युत वितरण प्रणाली	—————
(च) टेलीकाम संबंधी सुविधाएं	—————
(छ) कारखाना भवनों तथा भांडागारों का निर्माण	—————
(ज) कोई अन्य क्रियाकलाप, जो प्रसंस्करण क्षेत्र में अपेक्षित हो	—————

(iv) गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र	—————
(v) गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रस्तावित क्रियाकलाप अर्थात्	—————
(क) आवासीय	—————
(ख) वाणिज्यिक कॉम्प्लैक्स	—————

(ग) आमोद-प्रमोद गतिविधियाँ

(घ) सामाजिक सुख-सुविधाएँ- ब्यौरे दें

(ड.) अन्य - विनिर्दिष्ट करें

(vi) प्रचालन के मानक और प्रस्तावित सुविधाओं का अनुसंधान

9. निर्यातों और पहले पाँच वर्ष की अवधि में संभवत उत्पन्न किए जाने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को इंगित करें।

(प्रस्ताव की आर्थिक और वाणिज्यिक व्यवहार्यता बताते हुए परियोजना रिपोर्ट संलग्न करें)

10. क्या आवेदक ने किसी अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना करने के लिए भारत सरकार से कोई अनुमति या अनुमोदन प्राप्त किया है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा दिया जाए और/या ऐसा कोई आवेदन भारत सरकार या राज्य सरकार के समक्ष विचारार्थ लंबित है ?

11. क्या आवेदक या उसके किसी भागीदार/निदेशक, जो किसी अन्य कंपनी के भी भागीदार/निदेशक या इसकी संबद्ध समुदायों के विरुद्ध कोई कार्रवाई चल रही है । विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992/सीमा शुल्क अधिनियम 1962/विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999/केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन या उन्हें किसी लाइसेंस या आशय पत्र या अनुमति पत्र प्राप्त करने से विवरित किया गया है।

स्थान : \_\_\_\_\_ आवेदक के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

तारीख : \_\_\_\_\_ नाम स्पष्ट अक्षरों में \_\_\_\_\_

प्रदानाम \_\_\_\_\_

कार्यालय की मुद्रा/मोहर \_\_\_\_\_ दूरभाष सं. \_\_\_\_\_

ई-मेल \_\_\_\_\_

वैब-साइट, यदि कोई है \_\_\_\_\_

निवास का पूरा पता \_\_\_\_\_

टिप्पणी:- परियोजना रिपोर्ट सहित आवेदन पत्र की 25 प्रतियाँ भेजें

वचनबंध

मैं/हम एतद्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों का पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त घोषणा मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

मैं/हम किसी अन्य शर्त, जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुबंधित की जाए, का पालन करूँगा/करेंगे। मैं/हम पूर्णतया समझता हूँ/हैं कि उपर्युक्त कथन के आधार पर मुझे/हमें दिया गया कोई अनुमोदन पत्र रद्द किए जाने या किसी अन्य कार्रवाई के लिए, जो मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाए, यदि यह पाया जाता है कि कोई भी वक्तव्य या उसमें कोई तथ्य गलत या असत्य पाया गया है, के लिए दायी होगा। उपर्युक्त जानकारी के समर्थन में सम्यक रूप से शपथ लिया गया शपथ पत्र संलग्न है।

स्थान :	आवेदक के हस्ताक्षर
तारीख :	नाम स्पष्ट अक्षरों में
	पदनाम
कार्यालय की मुद्रा/मोहर	दूरभाष सं.
	ई-मेल
	वैब-साइट, यदि कोई है
	निवास का पूरा पता

प्रस्तुप-ख

( विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता के लिए अनुमोदन पत्र का प्रस्तुप)

(नियम 6 देखें)

सं.

-इंपीजेड

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(एसईजेड अनुभाग)

\* \* \* \* \*

तारीख :

सेवा में

विषय: ..... पर विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना

संदर्भ: आपके प्रस्ताव सं. ..... तारीख .....

महोदय,

आपके उपर्युक्त आवेदन के संबंध में, भारत सरकार ग्राम.....,  
 जिला....., राज्य..... में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) , के  
 विकास, प्रचालन और अनुरक्षण के प्रस्ताव का निम्नलिखित व्यौरों के अनुसार अनुमोदन करती  
 है:-

1. प्रस्ताव और परियोजना ब्यौरे:- बहु उत्पाद के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र या विनिर्दिष्ट सेक्टर के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की ..... क्षेत्रफल में ..... पर (स्थान, जिला और राज्य का नाम) स्थापना।
2. विकासकर्ता ..... (विकासकर्ता का नाम)
3. सामान्य शर्तें :-  
  - (i) विकासकर्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास, प्रचालन और अनुरक्षण करेगा।
  - (ii) विकासकर्ता प्राधिकृत परिचालनों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 12 और 22 के अधीन यथाअपेक्षित बंधपत्र और विधिक वंचनबंध निष्पादित करेगा।
  - (iii) विकासकर्ता भारत सरकार और राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों के सुसंगत कानूनों और विनियमों के अधीन विभिन्न कानूनी प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगा।
  - (iv) विकासकर्ता विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नस्थापन के लिए उपयुक्त उपबंध करेगा।
  - (v) परियोजना, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार कार्यान्वयन और संचालित की जाएगी।
  - (vi) विकासकर्ता पर्यावरणीय अपेक्षाओं का पालन करेगा।
  - (vii) सह-विकासकर्ता को क्षेत्रीय नियोजन, मल व्ययन प्रदूषण नियंत्रण, के संबंध में स्थानीय विधियों, नियमों, विनियमों या उपविधियों, श्रम विधियों और वैसी ही विधियों का, जो स्थानीय रूप से लागू हों, पालन करना होगा।
  - (viii) विकासकर्ता, परियोजना के लिए अपेक्षित निधियाँ, उग्रहेगा और बाह्य वाणिज्यिक ऋण, यदि कोई हो, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा।
  - (ix) यह अनुमोदन तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य है, जिसमें विकासकर्ता परियोजना को क्रियान्वित करेगा। परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक छमाही में भारत सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

(x) यह अनुमोदन उसमें अनुबंधित किन्हीं निबन्धनों और शर्तों के उल्लंघन की दशा में निलंबित किए जाने के लिए दायी होगा ।

(xi) सुविधाओं का प्रचालन और अनुस्करण प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार और प्रयोक्ताओं के समाधानप्रद रूप में किया जाएगा ।

(xii) विकासकर्ता सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त मानवशक्ति रखेगा ।

(xiii) प्रयोक्ता प्रभार, विकास आयुक्त और प्रयोक्ता के परामर्श से तय किए जाएँगे । यह सहमत शर्तों के अनुसार पुनरीक्षण के अधीन होगा ।

(xiv) विकासकर्ता, विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास, प्रचालन और अनुस्करण हेतु किए जाने वाले प्रस्तावित विशिष्ट कार्यकलापों हेतु बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करेगा । बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यकलापों के आधार पर विकासकर्ता की शुल्क मुक्त आयात या नियम 10 के अधीन अनुमोदित क्रियाकलापों के लिए माल की घरेलू आपूर्ति पात्रता विशेष आर्थिक क्षेत्र के अधिसूचित होने के बाद लागू होगी ।

(xv) प्राधिकृत प्रचालन, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा आदेशों में अधिकथित मानदण्डों तथा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार किया जाएगा ।

(xvi) कोई भी शुल्क मुक्त माल, यूनिट या विकासकर्ता के पदधारियों, कर्मकारों, कर्मचारियों या स्वामियों के वैयक्तिक उपयोग या उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं होगा ।

(xvii) सामान्य रूप से, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए तीन वर्ष की वैधता अवधि में विस्तार पर विचार नहीं किया जाएगा । तथापि बोर्ड द्वारा किसी भी अनुरोध पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा । ऐसा अनुरोध अनुमोदित अवधि की समाप्ति से छः मास पूर्व सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

2. यह अनुमोदन इस पत्र के उपाबंध में दी गई बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित अन्य शर्तों के अधीन भी होगा ।

3. विकासकर्ता इस पत्र के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर ऊपर दर्शित सभी निबन्धनों और शर्तों की स्वीकृति की सूचना देगा । भविष्य में सभी पत्राचार उप संचिव (विठ्ठली-11), वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 को भेजे जा सकेंगे ।

4. विकासकर्ता, जिला राजस्व प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित विशेष आर्थिक क्षेत्र को दर्शाने वाले नक्शे के साथ क्षेत्र का सही-सही ब्यौरा भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए भेजेगा।
5. विकासकर्ता, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में उपबंधित किए गए अनुसार माल के आयात, उपापन और उपयोग संबंधी..... विशेष आर्थिक क्षेत्र की विवरणी विकास आमुक्त को प्रस्तुत करेगा।

भवदीय,

उप सचिव/निदेशक  
वाणिज्य विभाग

प्ररूप - ग

विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए अनुमोदन पत्र का प्ररूप

( कृपया नियम 6 देखें )

सं0 /वि0ओ0 क्षे0

भारत सरकार  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
(वि0आ0क्षे0 अनुभाग)

तारीख .....

सेवा में

विषय:- ..... पर विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव।

सन्दर्भ : आपका प्रस्ताव सं0 ..... आरीख .....

महोरंय,

ऊपर उल्लिखित आवेदन के सन्दर्भ में भारत सरकार ..... राज्य में ..... जिले ..... ग्राम के विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई जेड ) में अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सह-विकासकर्ता के रूप में आपका प्रस्ताव नीचे दिए गए ब्यौरे अनुसार मंजूर करती है:-

- (1) सह-विकासकर्ता का नाम .....
- (2) उपलब्ध कराई जाने वाली प्रस्तावित अवसंरचना सुविधाओं का ब्यौरा :-
2. आपका अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने या कोई भी प्राधिकृत प्रचालन करने के लिए उपर्युक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता के साथ तारीख ..... को किया

## 3. सामान्य शर्तें :-

- (i) सह-विकासकर्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार .....विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ।
- (ii) सह-विकासकर्ता प्राधिकृत प्रचालनों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के अधीन यथा-अपेक्षित बंधपत्र सह-विधिक वचनबंध निष्पादित करेगा ।
- (iii) सह-विकासकर्ता भारत सरकार और राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों के सुसंगत कानूनों और विनियमों के अधीन विभिन्न कानूनी प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगा ।
- (iv) परियोजना विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार कार्यान्वित और प्रचालित की जाएगी ।
- (v) सह-विकासकर्ता पर्यावरणीय अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा ।
- (vi) सह-विकासकर्ता को क्षेत्रीय नियोजन, मल व्ययन, प्रदूषण नियंत्रण, के संबंध में स्थानीय विधियों, नियमों, विनियमों या उप-नियमों श्रमिक विधियों और स्थानीय रूप से लागू वैसी ही विधियों का पालन करेगा ।
- (vii) सह-विकासकर्ता सृजित की जाने वाली सुविधाओं के लिए अपेक्षित नियिधियाँ जुटाएगा । विदेशी वाणिज्यिक ऋण, यदि कोई हो, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा ।
- (viii) यह अनुमोदन तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य है, जिस समय के भीतर सह-विकासकर्ता अनुमोदित सुविधाएं सृजित करेगा ।
- (ix) यह अनुमोदन, उसमें अनुबंधित निबन्धनों और शर्तों के उल्लंघन की दशा में रद्द किए जाने के लिए दायी होगा ।
- (x) सुविधाओं का प्रचालन और अनुरक्षण प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार और उपयोक्ताओं के समाधानप्रद रूप में किया जाएगा ।
- (xi) सह-विकासकर्ता सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त मानवशक्ति बनाए रखेगा ।
- (xii) प्रयोक्ता प्रभार विकास आयुक्त और प्रयोक्ता के परामर्श से तय किए जाएंगे । यह सहमत शर्तों के अनुसार पुनरीक्षण के अधीन होगा ।
- (xiii) सह-विकासकर्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रस्तावित विशिष्ट कार्यकलापों के लिए बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करेगा । बोर्ड द्वारा

अनुमोदित कार्यकलापों के आधार पर सह-विकासकर्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र के अधिसूचित किए जाने के बाद अनुमोदित कार्यकलापों हेतु माल के शुल्क मुक्त आयात या घरेलू उपापन के लिए पात्र होगा ।

(xiv) प्राधिकृत प्रचालन विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा आदेशों में अनुबंधित मानदण्डों तथा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार किया जाएगा ।

(xv) कोई भी शुल्क मुक्त माल यूनिट या विकासकर्ता के पदधारियों, कर्मकारों, कर्मचारियों या स्वामियों के वैयक्तिक उपयोग या उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं होगा ।

(xvi) सामान्य रूप से कार्यान्वयन हेतु तीन वर्षों की वैधता अवधि में विस्तार पर विचार नहीं किया जाएगा । तथापि, बोर्ड द्वारा किसी भी अनुरोध पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा । ऐसे अनुरोध अनुमोदित अवधि की समाप्ति से छः मास पूर्व सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा ।

4. यह अनुमोदन इस पत्र के उपांध में दी गई बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित अन्य शर्तों के अधीन भी होगा ।

5. सह-विकासकर्ता इस पत्र के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर ऊपर इंगित सभी निबन्धनों और शर्तों की स्वीकृति की संसूचना देगा । भविष्य में सभी पत्राचार उप सचिव (विंशठोर्डो), वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 को भेजे जा सकेंगे ।

6. सह-विकासकर्ता विशेष क्षेत्र नियम, 2006 में दिए गए अनुसार माल के आयात, उपापन, उपयोग संबंधी..... विशेष आर्थिक क्षेत्र की विवरणी विकास आयुक्त को प्रस्तुत करेगा ।

भवदीय,

उप सचिव/निदेशक  
वाणिज्य विभाग

### विकासकर्ता के लिए बंधपत्र सह विधिक बचनबध

(नियम 12 के उपनियम (5) और नियम 22 के उपनियम (1) का उप-खंड (ii) देखें)

हम.....जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय.....में है, (जिसे इसमें इसके पश्चात आबद्धकारी कहा गया है (जिस के अंतर्गत, जब तक कि संदर्भ अथवा अर्थ के प्रतिकूल न हो, हमारे वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, समापक, विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती भी हैं) एतद्वारा संयुक्ततः और पृथकतः विकास आयुक्त या विनिर्दिष्ट अधिकारी के माध्यम से कार्य कर रहे, भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें यहाँ इसके बाद “सरकार” कहा गया है, के प्रति रु. ....(.....रूपये मात्र) धारण करते हैं और आबद्ध करते हैं, जिसके लिए ठीक तरह से और वास्तविक रूप से भुगतान करने हेतु हम आबद्धकारी इन विलेखों के द्वारा अपने को आबद्ध करते हैं।

और हम, आबद्धकारियों को ..... विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास, प्रचालन और अनुरक्षण करने के लिए या .....विशेष आर्थिक क्षेत्र में विकास, प्रचालन और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अनुरक्षण के लिए अनुमोदन पत्र सं. ..... तारीख ..... में अनुबंधित निबंधनों और शर्तों पर सरकार द्वारा एक अनुमोदन पत्र दिया गया है तथा हम आबद्धकारियों ने उक्त निबंधनों और शर्तों को सम्यकरूप से स्वीकार कर लिया है।

और विनिर्दिष्ट अधिकारी ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के अनुसार .....विशेष आर्थिक क्षेत्र में माल के भण्डारण के स्थान को अनुमोदित कर दिया है, जिसमें शुल्क्य माल विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 7 और 26 के अधीन शुल्क के भुगतान, करों या उपकरों या शुल्क वापसी तथा रियायत से छूट प्राप्त करते हुए प्राधिकृत प्रचालन के प्रयोजन हेतु समय-समय पर जो स्वदेश में ही प्राप्त अथवा आयातित हैं अथवा साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिटों या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिटों या उसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र यूनिटें या अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र से, प्राप्त है, को एक वर्ष या ऐसी विस्तारित अवधि, जो विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जाए, जमा किया जायेगा।

और विनिर्दिष्ट अधिकारी ने आबद्धकारी को, यथास्थिति, पत्तनों, या विमानपत्तनों या अन्तर्देशीय आधान डिपों या विनिर्दिष्ट भूमि सीमाशुल्क केन्द्रों या सीमाशुल्क भांडागारों, भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों से विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश के लिए शुल्क मुक्त आयोजित माल की निकासी की अनुमति दी है।

और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने आबद्धकारियों को शुल्क मुल्क आयातित माल और घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से प्राप्त शुल्क मुक्त माल के प्रवेश की अनुमति दी है, जिसे इसमें इसके बाद से विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और आदेशों के अधीन यथा उपबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र में माल कहा गया है।

और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने उपर्युक्त आबद्धकारियों द्वारा समय-समय पर विशेष आर्थिक क्षेत्र में लाये गये माल के अनंतिम निर्धारण की अनुमति दी है जिसे मूल्य या विवरण या गुणवत्ता या उसके साक्ष्य सम्बंध में पूरी जानकारी के अभाव में अथवा आबद्धकारी के अनुरोध के अनुसार रक्षायनिक या उसके संबंध में अन्य परिक्षणों के अनुपालन के कारण या अन्यथा अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

अब ऊपर लिखित बंधपत्र-सह-विधिक वचनबंध की शर्तें ये हैं कि:-

1. हम, आबद्धकारी, उक्त माल के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र, अधिनियम, 2005 के सभी उपबंधों और उसके अधीन बनाये गये नियमों और आदेशों का पालन करेंगे।
2. हम, आबद्धकारी विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 25 के उपबंधों के अनुसार माल और सेवाओं पर उपभोग किए गए छूट शुल्क वापसी, उपकर और रियायतों के फायदों के बराबर धनराशि को वापस करेंगे।
3. हम, आबद्धकारी, यथास्थिति सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा-शुल्क उपायुक्त, को पत्तन अथवा विमानापत्तन अथवा अन्तर्देशीय आधान डिपों अथवा भू सीमा शुल्क केन्द्र अथवा किसी भंडागार पर उनके समाधान में साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे कि किसी भंडागार अथवा किसी यूनिट

से प्रेषण की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर उक्त माल विशेष आर्थिक क्षेत्र में सम्यक रूप से पहुँच गया है।

4. हम, आबद्धकारी यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होंगे कि आयात के स्थान या विनिर्माण के कारखाने अथवा भंडागार से विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रेषित किये जाने पर और विपर्येन उक्त माल के अंतरण के दौरान कोई चोरी नहीं होगी और हम, आबद्धकारी, चोरी हुए माल पर यदि कोई हो, शुल्क अदा करेंगे।

5. हम, आबद्धकारी घरेलू टैरिफ क्षेत्र से प्राप्त अथवा आयातित सभी माल का उचित रूप से विस्तृत लेखा जोखा रखेंगे जिसमें स्टाक में शेष माल और हमारे दायित्व के अन्तर्गत घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अस्थायी रूप से विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर भेजे जाने वाला माल शामिल है, और हम उचित अधिकारी अथवा ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के निरीक्षण के लिए ऐसा लेखा पेश करेंगे।

6. हम, आबद्धकारी विकास आयुक्त और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के अधीन यथा विहित तिमाही/छमाही के अन्त की पश्चातवर्ती 30 दिन की अवधि के भीतर तिमाही और छमाही विवरणियां प्रस्तुत करेंगे। अनुबंधित समय के भीतर ऐसी सूचनाओं की गलत प्रस्तुति अथवा ऐसी सूचनाओं को प्रस्तुत करने में असफल होने पर, प्राधिकृत प्रचालनों को करने के लिए हमें दी अनुमति को वापस ले लिया जायेगा और/अथवा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में और आयातों/घरेलू उपापन तथा बिक्री की अनुमति को रोका जा सके।

7. हम, आबद्धकारी समय-समय पर यथा संशोधित विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 तथा उनके अधीन किए गये आदेशों में अनुबंधित अन्य शर्तों को पूरा करेंगे।

8. हम, आबद्धकारी उस नाम तथा शैली में परिवर्तन नहीं करेंगे, जिसके अधीन हम, आबद्धकारी कारोबार कर रहे हैं अथवा स्थल में विशेष आर्थिक क्षेत्र.....के विकास आयुक्त की लिखित अनुमति के सिवाय कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।

यदि उपर्युक्त प्रत्येक शर्तों का हम, आबद्धकारियों द्वारा समुचित रूप से अनुपालन किया जाता है तो उपर्युक्त लिखित बंधपत्र सह विधिक बचनबंध शून्य और निष्पभावी हो जायेगा, अन्यथा वह पूरी तरह प्रवृत्त और प्रभावी तथा मूल्य परक रहेगा।

हम, आबद्धकारियों और सरकार द्वारा एतद्वारा निम्नलिखित घोषणा की जाती कि:-

1. उपर्युक्त लिखित बंधपत्र सह-विधिक बचनबंध किसी कार्य के, जिसमें लोकहित है निष्पादन हेतु दिया गया है।
2. सरकार विनिर्दिष्ट अधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से उपरोक्त शर्त 2 में यथा उपबंधित आबद्धकारी से शोध्य रकम की वसूली कर सके।

और भारत के राष्ट्रपति, अपने विकल्प पर उपरोक्त लिखित बंधपत्र सह बचनबंध या दोनों को अन्तर्गत अपने अधिकारों का पृष्ठांकन करके सभी हानि अथवा क्षतिपूर्तियों की पूर्ति करने के लिए सक्षम होंगे।

मैं/हम आगे यह और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि यह बंधपत्र-सह-बचनबंध ऐसे किसी कार्य, जिसमें सार्वजनिक हित शामिल है, के निष्पादन के लिए केन्द्रीय सरकार के आदेश के अधीन प्रदान किया जाता है।

इन विलेखों में जहाँ सन्दर्भ में ऐसी अपेक्षा की गयी हो, एकबचन के घोतक शब्दों में बहुबचन तथा विपर्यन भी है।

इसके साक्ष्य इसमें उपर उल्लिखित आबद्धकारी (आबद्धकारियों) ने आज तारीख .....200 को इन विलेखों पर अपने हस्ताक्षर किये।

स्थान

तारीख

आबद्धकारियों के हस्ताक्षर

नाम और निवास का पता

साक्षी (1) पता (1) व्यवसाय (1)

(2) पता (2) व्यवसाय (2)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से आज तारीख ..... 200 को  
स्वीकृत किया गया।

विकास आयुक्त/विनिर्दिष्ट अधिकारी

हस्ताक्षर और तारीख

नाम.....

पदनाम.....

प्रस्तुत - ड.

विकास आयुक्त को प्रस्तुत की जाने वाली वि.आ.क्से. विकासकर्ता/सह विकासकर्ता हेतु

तिमाही और अर्धवार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुत

(कृपया नियम 12 और 22 देखें)

अवधि.....

रिपोर्ट की अवधि: तिमाही (अप्रैल-जून) (जुलाई-सितम्बर) (अक्टूबर-दिसम्बर) (जनवरी-मार्च) और  
छमाही (अप्रैल-सितम्बर) (अक्टूबर-मार्च)

- विकासकर्ता/सह-विकासकर्ता का नाम और पता
- अनुमोदन पत्र की सं. और तारीख

3. विकासकर्ता/सह-विकासकर्ता का नाम और पता
4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत प्रचालनों का व्यौरा
5. भूमि
  - (i) विकास हेतु प्रस्तावित कुल क्षेत्र
  - (ii) अब कब्जे में क्षेत्र और भावी विकास योजनाएं
  - (iii) प्रसंस्करण क्षेत्र हेतु निर्धारित क्षेत्र
  - (iv) विकसित प्रसंस्करण क्षेत्र का व्यौरा
6. (क) प्राधिकृत प्रचालनों हेतु प्रारंभ से अन्तिम तिमाही/छमाही (अथ शेष) हेतु किए गए माल के आयात या उपापन का व्यौरा  
(ख) चालू तिमाही/छमाही के दौरान प्राधिकृत प्रचालनों हेतु किए गए माल का आयात या उपापन  
(ग) आयातित या प्राप्त [(क)+(ख)] माल के उपभोग का व्यौरा
7. तिमाही/छमाही के अंत में स्टाक में रखे माल (आयातित या प्राप्त) का व्यौरा  
(क) + (ख) - (ग)
8. विकसित अवसंरचना का व्यौरा:-  
प्रसंस्करण क्षेत्र में  
गैर - प्रसंस्करण क्षेत्र में
9. परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति का अन्य व्यौरा:-

(हस्ताक्षर)  
विकासकर्ता/सह विकासकर्ता

## निम्नलिखित के लिए समेकित आवेदन प्रक्रम

(नियम 17 देखें)

1. विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिटों को स्थापित करना;
2. उप-ठेका देने के लिए वार्षिक अनुमति ;
3. आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड संख्या का आवंटन;
4. विशेष आर्थिक क्षेत्र में भूमि/औद्योगिक शेडों का आवंटन;
5. जल का कनेक्शन;
6. रजिस्ट्रीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र;
7. लघु उद्योग रजिस्ट्रीकरण;
8. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण;
9. विद्युत कनेक्शन;
10. भवन अनुमोदन योजना;
11. बिक्री कर रजिस्ट्रीकरण;
12. फैक्ट्रियों के निरीक्षणालय से अनुमोदन;
13. प्रदूषण नियंत्रण की स्वीकृति, जहाँ आवश्यक है;
14. कोई भी अन्य अनुमोदन, जो राज्य सरकार से अपेक्षित हो ।

1. आवेदन-पत्र, संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र के वेतन और लेखा अधिकारी के पक्ष में पाँच हजार रुपए का एक क्रासड डिमांड ड्राफ्ट के साथ प्रस्तावित क्रियाकलापों के ब्यौरे की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित 5 प्रतियों में संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास आयुक्त को भेजा जाना चाहिए ।

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

आवेदन पत्र सं.

तारीख

## डिमांड ड्राफ्ट का ब्यौरा

धनराशि रूपए \_\_\_\_\_  
 ड्राफ्ट संख्या \_\_\_\_\_  
 ड्राफ्ट की तारीख \_\_\_\_\_  
 के पक्ष में \_\_\_\_\_  
 (बैंक का नाम)  
 भुगतान का स्थान \_\_\_\_\_

भाग - I

1. आवेदक फर्म/कंपनी का पूरा नाम और  
 पूरा पता (साफ अक्षरों में)

लिमिटेड कंपनियों के मामले में \_\_\_\_\_  
 रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और अन्य के लिए \_\_\_\_\_  
 मुख्यालय \_\_\_\_\_  
 पिन कोड \_\_\_\_\_  
 टेली सं. \_\_\_\_\_  
 फैक्स सं. \_\_\_\_\_  
 स्थायी ई-मेल पता \_\_\_\_\_  
 थेबसाइट, यदि कोई है \_\_\_\_\_  
 पासपोर्ट सं., यदि कोई है \_\_\_\_\_  
 बैंक का नाम, पते और खाता सं. सहित \_\_\_\_\_  
 डिजीटल हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
 आयकर स्थायी खाता संख्यांक \_\_\_\_\_  
 (प्रति संलग्न करें)

2. आवेदक फर्म की संरचना :-

(कृपया उपयुक्त बॉक्स में सही

पब्लिक लिमिटेड कंपनी

प्राइवेट लिमिटेड कंपनी

का निशान लगाएं)

भागीदारी

स्वामित्वधारी

अन्य ( कृपया उल्लेख करें)

(कम्पनियों की दशा में संगत अनुच्छेदों और संगम ज्ञापन तथा भागीदारी फर्मों की दशा में और (भागीदारी विलेख) के साथ निगमन के प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें ।)

3. औद्योगिक व्यवनांश का स्वरूप

i. बड़े

ii. मझोले

iii. लघु

4. यथास्थिति, प्रत्येक निदेशक/भागीदार/स्वामित्व

का नाम व पूरा पता, टेलीफोन नं. सहित

5. विनिर्माण/सेवा क्रियाकलापों की मद्दें-

(उप-उत्पादों/सह-उत्पादों सहित)

(यदि आवश्यकता हो, अतिरिक्त शीट लगाएं)

मद (मदों) का विवरण

क्षमता (यूनिट =)

(सेवा यूनिटों के लिए आवश्यक नहीं)

6. विनिधान

(लाख रुपयों में)

(क) ( संयंत्र और मशीनरी)

(i) स्वदेशी

(ii) आयात सीआईएफ मूल्य

(iii) कुल (i) + (ii)

## (ख) वित्तीय स्रोतों का व्यौरा

7. सामग्रियों और अन्य निवेशों का  
आयात और स्वदेशी आवश्यकता

(मूल्य रूपयों में)

आयात

स्वदेशी

(क) पूँजीगत माल

(ख) कच्चा माल, संघटक, उपभोज्य, पैकिंग

सामग्री, ईंधन आदि, 5 वर्ष के लिए

(परियोजना रिपोर्ट में व्यौरा दें, अर्थात् पूँजीगत माल

की सूची, कच्चे माल का विवरण

और अन्य निविष्टियाँ, आदि)

कुल:

8. अवसंरचनात्मक अपेक्षाएँ

1. भूमि की आवश्यकता:-

(क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)

- (i) फैक्ट्री और कार्यालय
- (ii) भांडागार/भंडारण
- (iii) अन्य, विनिर्दिष्ट करें

2. निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता

3. जल की आवश्यकता

(किलो लीटर में)

- (i) औद्योगिक (प्रक्रिया) प्रयोजनों के लिए
- (ii) पीने के प्रयोजनों के लिए
- (iii) अन्य, उल्लेख करें
- (iv) कुल आवश्यकता

## 4. बहिस्त्राव अपचार

(i) बहिस्त्राव की मात्रा और प्रकृति तथा व्ययन का तरीका

(ii) उल्लेख करें, क्या स्वंय का बहिस्त्राव उपचार संयंत्र बनाया जाएगा।  
( किलोवाट में)

## 5. विद्युत की आवश्यकता

## 9. नियोजन

पुरुष

महिला

## 10. क्या विदेशी प्रौद्योगिकी करार की परिकल्पना की गई है

(उपयुक्त स्थान पर (✓) का निशान लगाएँ)

हाँ..... नहीं.....

(i) विदेशी सहयोगी का नाम और पूरा पता

(ii) सहयोग का स्वरूप

## 1. विदेशी विनिधान सहित ईकियटी भागीदारी

(i)	(₹ हजार में)	(लाख रुपए में)
(क) प्राधिकृत	_____	_____
(ख) अभिदत्त	_____	_____
(ग) समादत्त पूँजी	_____	_____

टिप्पणी: यदि यह विद्यमान कंपनी है, तो विद्यमान और प्रस्तावित पूँजीगत ढाँचे का अलग अलग व्यौरा दें।

(iii) समादत्त पूँजी में अंशधारिता का स्वरूप (धनराशि रूपयों में)

(लाख रुपयों में) (हजार यू एस \$)

(क) विदेशी अंशधारिता	_____	_____
(ख) प्रवासी भारतीय कंपनी/व्यैक्तिक अंशधारिता	_____	_____

(i)	प्रत्यावर्तनीय	-----	-----
(ii)	गैर प्रत्यावर्तनीय	-----	-----
(ग)	निवासी अंशधारिता	-----	-----
(घ)	कुल ईकिटी	-----	-----
(ङ.)	बाह्य वाणिज्यिक	-----	-----
	उधार (ब्यौरा दें)		

## 2. तकनीकी सहयोग

(परियोजना रिपोर्ट में ब्यौरा दें)

(करों का योग)

(क)	एकमुश्त भुगतान	-----
(ख)	डिजाइन और ड्राइंग शुल्क	-----
(ग)	विदेशी तकनीशियन को भुगतान	-----
(घ)	स्वामिरख (निर्यातों पर)	-----
(ङ.)	स्वामिरख (यदि परिकल्पित है, घरेलू टैरिफ क्षेत्र विक्री पर)	-----

(च) करार की अवधि ----- (वर्षों में)

## 3. विपणन सहयोग

(परियोजना रिपोर्ट में ब्यौरा दें)

## 11. विदेशी मुद्रा तुलन पत्र

कुल कुल

पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा (पाँच वर्ष)

लाख रुपयों में/हजार डालर में

1. पहले पाँच वर्षों में निर्यातों का एफओबी मूल्य							
2. * पहले पाँच वर्षों के लिए विदेशी मुद्रा बहिर्गमन							
3. शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन पहले पाँच वर्षों (1) - (2) के लिए							

\* मशीनरी के आधात के सीआईएफ मूल्य, कच्चा माल, संघटक, उपभोज्य, स्पेयर्स, पैकिंग सामग्री और लाभांश तथा लाभों की प्रत्यर्पित धनराशि, रॉयल्टी, एकमुश्त जानकारी शुल्क, डिजाइन और ड्राइंग शुल्क, विदेशी तकनीशियनों को भुगतान, विदेश में भारतीय तकनीशियनों के प्रशिक्षण के लिए भुगतान, निर्यात पर कमीशन, बाह्य वाणिज्यिक उधारी पर ब्याज, आस्थगित भुगतान क्रेडिट पर ब्याज और कोई अन्य भुगतान, विदेशी मुद्रा बहिर्गमन में शामिल होगा।

## 12. अन्य सूचना

(i) क्या आवेदक को कोई औद्योगिक लाइसेंस अथवा ईओयू/एसईजेड/एसटीपी/ईएचटीपी योजना के अधीन एलओआई/एलओए जारी किया गया है। यदि ऐसा है तो पूरा व्यौरा दें, अर्थात् संदर्भ संख्या, जारी करने की तारीख, विनिर्माण की मद्दें और प्रत्येक परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति।

(ii) क्या आवेदक अथवा किसी भी भागीदार/निदेशक जो दूसरी कंपनी अथवा फर्मों, इसकी सहयोगी कंपनियों में भी भागीदार/निदेशक है, के विरुद्ध विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 अथवा विदेशी

मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 अथवा सीमाशुल्क  
 अधिनियम 1962 अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क  
 अधिनियम, 1944 के अधीन कार्रवाई  
 की गई है अथवा कोई लाइसेंस/आशयपत्र/  
 अनुमति पत्र प्राप्त करने से विवर्जित किया गया है।

स्थान :	आवेदक के हस्ताक्षर	_____
तारीख :	नाम साफ अक्षरों में	_____
	पदनाम	_____
कार्यालय की मुद्रा/मोहर	दूरभाष सं.	_____
	ई-मेल	_____
	वैब-साइट, यदि कोई है	_____
	घर का पूरा पता	_____

### वचनबंध

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं/हम ऐसी किसी भी शर्त से आबद्ध हूँ/हैं, जो कि विकास आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाएगी। मैं/हम पूर्णतया सहमत हूँ/हैं कि उपर्युक्त कथन के आधार पर मुझे/हमें प्राप्त कोई भी अनुमति पत्र/अनुमोदन पत्र रद्द किए जाने या किसी अन्य कार्रवाई जोकि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर की जाए के लिए भागी होऊगा/होंगे यदि कोई भी कथन या तथ्य गलत या असत्य पाया गया।

उपर्युक्त जानकारी के समर्थन में शपथ पत्र संलग्न है।

स्थान :	आवेदक के हस्ताक्षर	_____
तारीख :	नाम साफ अक्षरों में	_____
	पदनाम	_____

कार्यालय की मुद्रा/मोहर

दूरभाष सं.

ई-मेल

वैब-साइट, यदि कोई है

घर का पूरा पता

दूरभाष सं.

टिप्पणी: यहां जिन आवेदनों के प्ररूप नहीं दिए गए हैं उन्हें विकास आयुक्त से प्राप्त करें।

## भाग - II

यदि विनिर्माण प्रचालनों में उप-ठेके की  
परिकल्पना की गई है ; मिम्नलिखित  
व्यौरा प्रस्तुत करें :

(i) निम्नलिखित के लिए उप-ठेके की अनुमति अपेक्षित है-

- (क) उत्पादन प्रक्रिया का भाग (मात्रा का उल्लेख करें)
- (ख) कोई विशेष उत्पादन प्रक्रिया (व्यौरा दें)

(ii) उप ठेकेदार का नाम, पता और अन्य व्यौरे

तथा क्या उप-ठेकेदार:-

- (क) घरेलू टैरिफ क्षेत्र यूनिट/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय रजिस्ट्रीकृत अथवा  
अन्यथा है

(ख) अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र यूनिट

- (ग) नियातोन्मुख यूनिट अथवा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट अथवा  
साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट

प्ररूप ~ ४

(यूनिट हेतु अनुमोदन पत्र का प्ररूप)

(कृपया नियम 19 देखें)

विकास आयुक्त का कार्यालय

.....विशेष आर्थिक क्षेत्र

वाणिज्य विभाग, भारत सरकार

तारीख .....

विषय:- विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट की स्थापना के लिए आपका प्रस्ताव

सन्दर्भ:- आपका आवेदन सं0..... तारीख .....

प्रिय श्री,

उपर्युक्त आवेदन के सन्दर्भ में विकास आयुक्त, .....विशेष आर्थिक क्षेत्र को प्राधिकृत प्रचालन अर्थात् विनिर्माण और निम्नानुसार व्यापार सहित सेवाएं देने के लिए ..... राज्य में ..... पर यूनिट की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अधीन विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट को अनुज्ञेय सभी सुविधाएं और हकदारियाँ आपको विस्तारित करते हैं :-

प्राधिकृत प्रचालन

1. विनिर्माण की मद (मदे)
2. सेवा क्रियाकलाप :

यह अनुमोदन निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन है :

- (i) आपको विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार व्यापार की मदों सहित व्यापार और सेवाओं हेतु विनिर्मित/आयातित/अर्जित माल का निर्यात उत्पादन/सेवा कार्यकलापों के प्रारम्भ की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए करना होगा । इस प्रयोजन के लिए आपको

विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में यथानिर्दिष्ट बंधपत्र और विधिक वचनबंध का निष्पादन करना होगा ।

- (ii) आपको प्रदूषण नियंत्रण अपेक्षाओं को पूरा करना होगा जो प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकारी विहित करें ।
- (iii) आप उत्पादन के प्रारंभ से विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट के रूप में आपके प्रचालन की अवधि हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में विहित किए गए अनुसार सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा (एन एफ ई) प्राप्त करेंगे । ऐसा करने में असफल रहने पर आपके ऊपर विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अधीन शास्त्रिक कार्रवाई की जा सकती है ।
- (iv) आप निर्यात और आयात मदों के आई टी सी(एच एस) वर्गीकरण के अधीन उन निषिधि मदों को छोड़कर इस अनुमोदन के अधीन अपने प्राधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित सभी मद्दे घरेलू टैरिफ क्षेत्र से आयात या प्राप्त कर सकेंगे ।
- (v) आप विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार घरेलू टैरिफ क्षेत्र में माल या सेवा की सुपुर्दग्धी/बिक्री कर सकेंगे ।
- (vi) यह अनुमोदन पत्र इसके जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य है । आप परियोजना का कार्यान्वयन और उत्पादन एक वर्ष की अवधि या उसे अवधि के भीतर, जो विस्तारित की जाए, करेंगे ।
- (vii) उत्पादन के प्रारंभ की तारीख से विकास आयुक्त को अवगत कराया जाएगा ।
- (viii) यह अनुमोदन पत्र उत्पादन के प्रारंभ की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।

- (ix) यह अनुमोदन आपके परियोजना प्रस्ताव/आवेदन में प्रस्तुत ब्यौरे पर आधारित है ।
- (x) आप विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों का पालन करेंगे ।
- (xi) आपको विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार अनुमोदन के नवीकरण या समाप्त करने का वकल्प होगा ।
- (xii) आपको इस अनुमोदन पत्र के जारी होने से 45 दिनों के भीतर विकास आयुक्त को उपर्युक्त और निबन्धनों और शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करनी होगी ।
- (xiii) यदि आप ऊपर निर्धारित शर्तों के अनुपालन में असफल रहते हैं तो इस अनुमोदन पत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार रद्द कर दिया जाएगा ।
- (xiv) अनुमोदन पत्र के निबन्धनों और शर्तों में संशोधन/परिवर्तन या उसकी वैधता अवधि में विस्तार से संबंधित सभी भावी पत्राचार विकास आयुक्त को संबोधित किए जाएंगे ।

भवदीय,

विकास आयुक्त  
विशेष आर्थिक क्षेत्र

प्रति प्रेषित :-

सहायक आयुक्त/उपायुक्त/संयुक्त आयुक्त (सीमा शुल्क.....विशेष आर्थिक क्षेत्र)

प्रस्तुति - ज

**विशेष आर्थिक क्षेत्र यूनिट के लिए बंधपत्र-सह-विधिक वचनबंध  
(नियम 22 देखें)**

यह बंधपत्र-सह-वचनबंध मैसर्स ..... (विधिक प्राप्ति अर्थात् कम्पनी अथवा फर्म), जो किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र की एक यूनिट है, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ..... में स्थित है और ..... में स्थित फैक्ट्री/सेवा (जिसे इसमें इसके बाद “आबद्धकारी” कहा गया है, जिसके अर्थात् जब तक उसके संदर्भ अथवा अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, समापक, विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती शामिल हैं) के बीच आज तारीख ..... 200..... को एक बंधपत्र-सह-वचनबद्धता की गई। एतद्वारा संयुक्ततः और पृथकतः ..... विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास आयुक्त या विनिर्दिष्ट अधिकारी के भाध्यम से कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके बाद “सरकार” कहा गया है) के बीच आज तारीख ..... को किया गया, इसके द्वारा हम आबद्धकारी, सरकार के प्रति ₹0 ..... (..... रुपये मात्र) धारित करते हैं और स्वयं को आबद्ध करते हैं जिसके लिए ठीक तरह से और वास्तविक रूप से भुगतान करने हेतु हम, आबद्धकारी इन प्रस्तुतियों के द्वारा अपने को आबद्ध करते हैं।

विकास आयुक्त ने आबद्धकारियों को तारीख ..... का अनुमति पत्र सं0..... जारी किया है, जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 और इसके अधीन जारी किए गए आदेशों जिन्हें इसमें इसके बाद नियम कहा गया है, के अधीन उपबंधित सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन प्राप्त करने की आवश्यकता सहित, विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई की स्थापना और प्रचालन के लिए निर्वंधन और शर्तें शामिल हैं, और आबद्धकारियों ने अपने तारीख ..... के पत्र संख्या ..... द्वारा उक्त अनुमोदन पत्र के निर्बन्धन और शर्तों को सम्यक रूप से स्वीकार कर लिया है।

और हम, आबद्धकारियों को ..... विशेष आर्थिक क्षेत्र में ..... नाम के परिसर के प्रयोग के लिए प्राधिकृत किया गया है जहाँ शुल्क्य माल प्राधिकृत प्रचालन के प्रयोजन हेतु आयातित अथवा घरेलू टैरिफ क्षेत्र से प्राप्त होगा अथवा निर्यातोन्मुख यूनिटों अथवा साफ्टवेयर

प्रौद्योगिकी पार्क यूनिटों अथवा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिटों अथवा उसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र यूनिट अथवा अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होगा जिन्हें इसमें इसके बाद शुल्क के भुगतान, करों अथवा उपकरों अथवा शुल्क वापसी अथवा रियायतों से विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 की धारा 7 और 26 के अधीन छूट प्राप्त करने वाले माल के रूप में कहा जाएगा तथा जिसे अनुमोदन पत्र की विधिमान्यता अवधि के साथ-साथ की अवधि को लिए स्वीकार और जमा किया जाएगा ।

और आबद्धकारी, विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश के लिए, यथास्थिति, पत्तनों अथवा हवाई अड्डों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय आधान डिपो अथवा विनिर्दिष्ट भू-सीमाशुल्क गृह अथवा सीमाशुल्क भण्डागार अथवा भारत में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, से शुल्क मुक्त माल की निकासी कर सकते हैं ।

और आबद्धकारी माल, विनिर्मित माल अथवा सेवाओं को शुल्क का भुगतान किए बिना हटा सकेंगे और इन्हें विदेशों में निर्यात हेतु वायु मार्ग अथवा समुद्र अथवा रेल अथवा सड़क अथवा कूरियर अथवा डाक द्वारा प्रेषित कर सकेंगे अथवा अन्य नियार्तोंनु यूनिटों को आपूर्ति कर सकेंगे अथवा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिटों अथवा साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिटों अथवा उन्हीं या अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिटों को शुल्क का भुगतान किए बिना आपूर्ति कर सकेंगे ।

और आबद्धकारियों को उक्त माल अथवा आंशिक रूप से विनिर्मित या संसाधित माल को, उपरेका देने हेतु या जाँच या मरम्मत या कैलिब्रेशन या री-इंजीनियरिंग अथवा पुर्नसुधार करने अथवा प्रदर्शित करने के प्रयोजन हेतु शुल्क के भुगतान बिना घरेलू टैरिफ क्षेत्र में किसी अन्य स्थान में हटाने हेतु अनुमति दी गई है और विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपर्योगों के अनुसार यूनिट को वापस किया जाएगा ।

और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने विशेष आर्थिक क्षेत्र में लाए गए माल अथवा उक्त आबद्धकारी द्वारा विनिर्मित माल की समय-समय पर अनन्तिम निर्धारण की अनुमति दी है जिसे

मूल्य का ब्यौरा अथवा उसकी गुणवत्ता अथवा उसके प्रभाण अथवा उनके संबंध में रासायनिक अथवा अन्य परीक्षणों को पूरा न किए जाने के संबंध में अथवा अन्यथा आबद्धकारी के अनुरोध पर पूर्ण सूचना के अभाव में अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका ।

अब ऊपर लिखित बंधपत्र सह-व्यवनिधि की शर्तें ये हैं कि :-

1. हम, आबद्धकारी उक्त माल के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के सभी उपबंधों उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों का विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्राधिकृत प्रचालन हेतु पालन करेंगे ।
2. हम, आबद्धकारी मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को अथवा उससे पहले ऊपर अनुमोदन पत्र में उल्लिखित वैधता की समाप्ति पर, हटाए न गए माल या प्रभार्य सभी शुल्कों को अदा करेंगे ।
3. हम, यथास्थिति आबद्धकारी सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमाशुल्क, उपायुक्त को पत्तन अथवा विमान पत्तन अथवा अन्तर्राष्ट्रीय आधान डिपो अथवा भू-सीमा शुल्क गृह अथवा किसी भण्डागार पर किसी भण्डागार अथवा यूनिट से भेजने की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर उनके समाधान के साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे कि उक्त माल विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिट में सम्यक रूप से पहुँच गया है ।
4. हम, आबद्धकारी यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे कि उक्त माल के आयात के स्थान, विनिर्माण के कारखाने अथवा भण्डागार से विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिट को प्रेषित किए जाने पर और विपर्येन उक्त माल की दुलाई के दौरान कोई चोरी नहीं होगी और हम, आबद्धकारी चोरी हुए माल पर, यदि कोई हो, शुल्क अदा करेंगे ।
5. हम, आबद्धकारी आयातित घरेलू टैरिफ क्षेत्र से ग्राप्त अथवा उपभोग किए गए और प्रयुक्त सभी माल का उचित रूप से विस्तृत लेखा-जोखा रखेंगे जिसमें स्टॉक में शेष माल और हमारे दायित्व के अन्तर्गत घरेलू टैरिफ क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर अस्थाई रूप से भेजा जाने वाला माल शामिल है और हम विनिर्दिष्ट अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी के निरीक्षण के लिए ऐसा लेखा-जोखा पेश करेंगे ।

6. हम, आबद्धकारी विकास आयुक्त को निर्यात हेतु उत्पादन/सेवा क्रियाकलापों के आरम्भ की तारीख, ऐसी तारीख के एक महीने के भीतर सूचित करेंगे।
7. हम, आबद्धकारी उत्पादन अथवा सेवा क्रियाकलापों के आरम्भ के बाद विकास आयुक्त और विनिर्दिष्ट अधिकारी को चार्टर्ड लेखाकार द्वारा प्रमाणित विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के अधीन विहित प्रूरूप में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 90 दिनों की अवधि के भीतर वार्षिक कारोबार विवरणी प्रस्तुत करेंगे। विहित अवधि के भीतर ये सूचना दे पाने में असफल रहने अथवा ऐसी सूचना के गलत प्रस्तुति के मामले में प्राधिकृत प्रचालन हेतु मंजूरी को वापस ले लिया जाएगा और/ अथवा घरेलू टैरिफ क्षेत्र भावी आयातों और विक्रियों को रोक दिया जाएगा।
8. हम, आबद्धकारी सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन प्राप्त करेंगे और अनुसोदन पत्र में अनुबंधित अन्य शर्तों को पूरा करेंगे तथा जब ऐसी शर्तों की पूर्ति को रोक दिया गया हो अथवा सरकार के कानून और आदेश, घोषणा अथवा विनियमों अथवा अध्यादेश के कारण देरी हुई हो, उसके सिवाय उक्त सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अपार्जन प्राप्त करने में असफल होने की दशा में हम विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के उपबंधों के अधीन शास्तिक कार्रवाई के भागी होंगे।
9. हम, आबद्धकारी विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार घरेलू टैरिफ क्षेत्र में माल और सेवाओं पर शुल्क का भुगतान करेंगे।
10. हम, आबद्धकारी विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 25 के उपबंधों के अनुसार माल और सेवाओं पर प्राप्त छूट, शुल्क वापसी, उपकर और रियायतों के लाभ के बराबर रकम वापस करेंगे।
11. हम, आबद्धकारी विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय विशेष आर्थिक क्षेत्र में लाए गए माल और सेवाओं अथवा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में विनिर्मित माल अथवा सेवाओं का निपटान नहीं करेंगे।
12. हम, आबद्धकारी उप टेका देने अथवा परीक्षण अथवा मरम्मत अथवा पुनः सुधार करने अथवा प्रसंस्करण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ शुल्क का भुगतान किए बिना घरेलू

हैरिक क्षेत्र में अरथाई आधार पर ले जाने के लिए नियमों में अनुबंधित शर्तों और सीमाओं का अनुपालन करेंगे ।

13. हम, आबद्धकारी उस नाम तथा शैली में परिवर्तन नहीं करेंगे जिसके अन्तर्गत हम, आबद्धकारी कारोबार कर रहे हैं अथवा विकास आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना तिनिर्माण स्थल में परिवर्तन नहीं करेंगे ।
14. हम, आबद्धकारी विकास आयुक्त और विनिर्दिष्ट अधिकारी, को निदेशक मंडल/साझेदार, दूरभाष संख्या, ई मेल पता, वेबसाइट, पासपोर्ट नं0, बैंक के पते और फैक्ट्री के पते में किसी भी परिवर्तन की तुरंत सूचना देंगे ।
15. सरकार विनिर्दिष्ट अधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से उपरोक्त शर्त संख्या-2 में यथा उपबंधित आबद्धकारी से शोध्य रकम की वसूली कर सके ।

परंतु भारत के राष्ट्रपति, अपने विकल्प पर, उपर्युक्त लिखित शपथपत्र या दोनों के अधीन हानियों और क्षतियों की बंधपत्र की राशि या अपने अधिकारों के पृष्ठांकन में पूर्ति के लिए सक्षम है ।

16. इस विषय में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कोई अन्य आदेश अंतिम और आबद्ध होगा तथा हम, आबद्धकारी, एतद्वारा ऐसे किसी आदेश का बिना किसी शर्त के अनुपालन करने की शपथ लेते हैं ।
17. हम, आबद्धकारी, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 तथा नियमों के उपबंधों में किए गए परिवर्तनों, यदि कोई हों, द्वारा आबद्ध होंगे ।
18. इस दस्तावेज या इसके अधीन निष्पादित किसी अन्य दस्तावेज पर संदेय किसी भी स्टाम्प शुल्क का संदाय हम करेंगे ।

यदि उपर्युक्त प्रत्येक और हरेक शर्त को हम, आबद्धकारी, पूरा करते हैं तो उपर्युक्त बंधपत्र-सह-विधिक वचनबंध शून्य और निष्प्रभावी हो जाएगा, अन्यथा यह पूर्णतः प्रवृत्त और प्रभावी रहेगा ।

हम, आबद्धकारी तथा सरकार एतद्वारा निम्नलिखित घोषणा करते हैं :-

1. उपर्युक्त लिखित बंधपत्र-सह-विधिक वचनबंध एक ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए दिया जा रहा है, जिसमें लोकहित निहित है,  
इसमें सन्दर्भ के अनुसार जो शब्द एकवचन को इंगित करते हैं, उसमें उनका बहुवचन भी निहित है और इसका विपर्येन भी निहित है।

इसके साक्ष्य स्वरूप, इसमें उपर उल्लिखित आबद्धकारियों ने आज जारीख को इस विलेख पर अपने हस्ताक्षर किए।

स्थान :

आबद्धकारी के हस्ताक्षर

तारीख :

नाम तथा निवास का पता

साक्षी (1)

पता (1)

व्यवसाय (1)

(2)

पता (2)

व्यवसाय (2)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए तारीख ..... को स्वीकार किया गया।

हस्ताक्षर तथा तारीख

हस्ताक्षर तथा तारीख

नाम .....

नाम .....

विकास आयुक्त/संयुक्त/  
उप विकास आयुक्त

संयुक्त/उप/सहायक  
सीमाशुल्क

प्ररूप-झ

## यूनिटों के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट

(नियम 22 देखें)

अवधि.....

रिपोर्ट करने की अवधि : वार्षिक (अप्रैल - मार्च)

1. यूनिट का नाम

2. विनिर्माण की मद/सेवा संबंधी कार्यकलाप

3. निर्यात (अन्तर्राष्ट्रीय)

(लाख रुपये में)

क) वर्ष के लिए निर्यात का एफ ओ बी

(निर्यात की मद्दें दर्शाएं)

ख) पाँच वर्ष की अवधि के लिए निर्यात

का संचयी मूल्य

ग) निर्यात के देश

4. आयात (वहिर्गमन)

(लाख रुपये में)

क. इस्तेमाल किया गया कच्चा माल और अन्य निविष्टियाँ

(क) आयातित कच्चे माल, उपभोज्यों, उपस्करों,

पैंकिंग सामग्री आदि का आरंभिक शेष

(ख) वर्ष के दौरान आयातित कच्चे माल, उपभोज्यों

उपस्करों, पैंकिंग सामग्री आदि का सी आई एफ मूल्य

(ग) कच्चे माल, उपभोज्यों, उपस्करों,

पैंकिंग सामग्री आदि का संचयी मूल्य

(घ) वर्ष के दौरान आयातित कच्चे माल,

उपभोज्यों, उपस्करों, पैंकिंग सामग्री आदि का मूल्य

अथवा एस ई जेड/ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी

में अन्य यूनिटों से प्राप्त तैयार वस्तुएं/सेवाएँ

(ड.) कुल (ग +घ)

(च) वर्ष के दौरान आयातित कच्चे माल,

उपभोज्यों, उपस्करों, पैंकिंग सामग्री आदि का मूल्य

अथवा एस ई जेड/ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी

में अन्य यूनिटों से प्राप्त तैयार वस्तुएं/सेवाएँ

(छ) आयातित कच्चे माल, उपभोज्यों, उपस्करों,

पैंकिंग सामग्री आदि का अंत अतिशेष

(ज) वर्ष के दौरान वार्स्टविक रूप से उपयोग में

लाए गए आयातित कच्चे माल, उपभोज्यों,

उपस्करों, पैंकिंग सामग्री आदि का मूल्य

{(ड.) —[ च+छ ] }

ख. पूंजीगत माल

(i) रिपोर्टार्धीन वर्ष के अन्त तक पूंजीगत माल,

आयात और अतिरिक्त पुर्जों का वर्षवार सी  
आई एफ मूल्य

(ii) वर्ष के दौरान एस ई जेड/ई ओ यू/ई एच टी पी/एस

टी पी में अन्य यूनिटों में प्राप्त आयातित पूंजीगत माल  
और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य

(iii) कुल (i) + (ii)

(iv) वर्ष के दौरान एस ई जेड/ई ओ यू/ई एच टी पी/

एस टी पी में अन्य यूनिटों को अंतरित आयातित  
पूंजीगत माल और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य

(v) वर्ष के दौरान आयातित पूंजीगत माल

और अतिरिक्त पुर्जों का कुल मूल्य

(iii) - (iv)

(vi) विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम.....

के अनुसार एन एफ ई परिकलन करने के लिए  
आयातित पूंजीगत वस्तुओं का अनुपातिक  
परिशोधित मूल्य

5. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा का अन्य वहिर्गमन

(स्वामिस्व, तकनीकी जानकारी शुल्क, लाभांश/  
लाभ का प्रत्यागमन, बिक्री कमीशन का भुगतान,  
विदेशी ऋणों पर ब्याज आदि)

6. कुल बहिर्भाग [4.क.(ज) 4.ख (vi)+5]
7. वर्ष के लिए शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन [3 (क)-6]
8. पिछले वर्ष के अन्त में शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन की स्थिति
9. 5 वर्ष की अवधि के लिए संचयी शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन [7 +8]

टिप्पणी : एन एफ ई के परिकलन के ब्यौरों के लिए कृपया नियम ..... को देखें।

## भाग - 2

### 1. डी टी ए बिक्री

मूल्य

(लाख रुपये में)

- (क) सैयार वस्तुओं/सेवाओं की बिक्री
- (ख) अस्वीकृत माल की बिक्री
- (ग) उपोत्पाद की बिक्री
- (घ) अवशिष्ट/स्कैप/रेमनेन्ट की बिक्री
- (ड.) कुल

उद्यम का पूर्जीगत ढांचा

क. i) प्राधिकृत पूर्जी

ii) समादत्त पूर्जी

ख. विदेशी निवेश :

एफ डी आई

एन आर आई

क) स्वीकृत

ख) वर्ष के दौरान वास्तविक अन्तर्वाह

ग) 5 वर्षों के लिए संचयी वास्तविक निवेश

( 二 )

Theatre 34

(ii)+(i) ~~पर्याप्त~~ (iii)

### ହେଲ୍ପ କାନ୍ଫିଲ୍ ପାର୍ଟିଲ୍ (iii)

גְּדוּלָה (1)

لہلہ (۴)

卷之六

(to the Duke)

10

مکالمہ

٤

مکالمہ

प्रस्तुति-

अपील के लिए प्रस्तुति (नियम 55 देखें)  
कार्यालय प्रयोग के लिए

तारीख.....

1. अपीलकर्ता का नाम
2. पता :
3. उस प्राधिकारी का नाम और पता,  
जिसके विनिश्चय अथवा आदेश का  
अपील में जिक्र किया गया है
4. वह संक्षिप्त विनिश्चय, जिसके विरुद्ध अपील की गई है
5. विनिश्चय पर पुनः विचार करने के कारण
  - 1.
  - 2.
  - 3.
6. अन्य कोई टिप्पणी

अपील कर्ता के हस्ताक्षर .....

नाम, स्पष्ट अक्षरों में .....

स्थान .....

पदनाम .....

तारीख.....

टेली फोन नं0 .....


ई मेल पता .....

फैक्स .....

अपील के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

1. निर्णय/अस्वीकृति पत्र की प्रतिलिपि

वेतन और लेखा अधिकारी, वाणिज्य विभाग नई दिल्ली के पक्ष में 2500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट



### स्थायी पहचान पत्र

(नियम 70 देखें)

क्रम सं०

जारी करने की तिथि

कब तक वैध है

1. क) यूनिट का नाम (स्थायी फोटो पास के मामले में)  
ख) ठेकेदार का नाम व पता, लाइसेंस नं० सहित  
(अस्थायी फोटो पास के मामले में)
2. पास धारक का नाम
3. पदनाम

विकास आयुक्त के हस्ताक्षर .....

### अनुदेश

1. क्षेत्र के भीतर रहने पर पास धारक को यह पास गले में लटकाना होगा ।
2. यह पास अहस्तांतरणीय है ।
3. सुरक्षा और सीमाशुल्क कर्मचारियों द्वारा मांगने पर यह पास दिखाना होगा ।
4. पास धारक और उसके वाहन की गेट नं०..... पर सुरक्षा स्टाफ द्वारा जांच की जा सकती है ।
5. पास के गुम हो जाने की सूचना तत्काल सुरक्षा अधिकारी को दी जानी चाहिए ।
6. वैधता अवधि समाप्त होने अथवा पास के लिए व्यक्ति के अयोग्य होने पर इस पास को यूनिट/ ठेकेदार के माध्यम से सुरक्षा अधिकारी..... को वापस करना होगा ।

उपांच्छ - ।

(नियम 54 देखें)

विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिटों के कार्यनिष्पादन की वार्षिक निगरानी करने के लिए दिशा-निर्देश

- (1) अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही समाप्त होने से पहले वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (प्ररूप 1 में) के आधार पर अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित शर्तों के अनुपालन के लिए यूनिट के कार्यनिष्पादन की वार्षिक समीक्षा की जाएगी, जिसे स्वतंत्र चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया जाएगा ।
- (2) जिन यूनिटों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से प्रचालन का एक वर्ष पूरा नहीं किया है, उनकी निगरानी नहीं की जाएगी । यदि किसी यूनिट ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से 5 वर्ष से कम पूरे किए हैं तो यूनिट ने जितने वर्ष पूरे किए हैं उतने ही वर्षों के लिए निगरानी की जाएगी । जिन यूनिटों ने 5 वर्ष से ज्यादा पूरे कर लिए हैं उन पुराने यूनिटों के मामले में केवल ऐसे वर्षों की निगरानी की जाएगी जो 5 वर्षों के बाद के ब्लाक में आते हैं ।

वार्षिक निगरानी के लिए मानदण्ड

- (i) पहले और दूसरे वर्ष में नकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा वाले यूनिटों को इनके कार्यनिष्पादन की जाँच के लिए निगरानी सूची में रखा जाएगा ।
- (ii) कारण बताओ नोटिस : यदि किसी यूनिट की तीसरे वर्ष के अन्त में भी नकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा है तो इसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा । यदि पांचवे वर्ष तक भी नकारात्मक कार्य निष्पादन जारी रहता है तो विकास आयुक्त नियम 25 के अधीन शास्त्रिक कार्यवाही करेगा ।

## उपाबंध ॥

(नियम 5 का उपनियम (3) देखें)

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षेत्र	न्यूनतम क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आन्ध्र प्रदेश	सूचना प्रौद्योगिकी	6 हेक्टेयर
2.	दिल्ली	सूचना प्रौद्योगिकी	6 हेक्टेयर
3.	गुजरात	परिधान	38 हेक्टेयर
		भेषज	48 हेक्टेयर
4.	हरियाणा	सूचना प्रौद्योगिकी	3 हेक्टेयर
5.	झारखण्ड	आटोमोबाइल और संधटक	36 हेक्टेयर
6.	कर्नाटक	सूचना प्रौद्योगिकी	4 हेक्टेयर
7.	केरल	सूचना प्रौद्योगिकी	9 हेक्टेयर
		खाद्य प्रसंस्करण	12 हेक्टेयर
8.	महाराष्ट्र	भेषज और जैव प्रौद्योगिकी	21 हेक्टेयर
9.	मध्य प्रदेश	सूचना प्रौद्योगिकी	8 हेक्टेयर
10.	पंजाब	भेषज	32 हेक्टेयर
11.	तमिलनाडु	फुटवियर	60 हेक्टेयर
12.	पश्चिम बंगाल	चर्म उत्पाद	44 हेक्टेयर

[ फा. सं. एफ. 1(7)/2005-ईपीजैड ]

राहुल खुल्ला, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
(Department of Commerce)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th February, 2006

**G.S.R. 54(E).**—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

**CHAPTER I**  
**PRELIMINARY**

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Special Economic Zones Rules, 2006.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
  - (a) "Act" means the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);
  - (b) "Advance Licence" means an Advance Licence issued under Duty Exemption and Remission Scheme of the Foreign Trade Policy;
  - (c) "Authorised Officer" means an Inspector or Preventive Officer or Appraiser or Superintendent of Customs posted in the Special Economic Zone and authorized by the Specified Officer to discharge any of his functions under these rules;
  - (d) "Bio Technology Park unit" means a unit approved under the Bio-Technology Park Scheme of the Foreign Trade Policy;
  - (e) "capital goods" means any plant, machinery, equipment or accessories required for manufacture or production, either directly or indirectly, of goods or for rendering services, or for development of Special Economic Zone, including those required for construction, replacement, modernization, technological upgradation or expansion and also include material handling equipment, packaging machinery and equipments, refractories for initial lining, refrigeration equipment, power generating sets, machine tools, equipment and instruments for testing, research and development, quality and pollution control system, for use in manufacturing, construction, mining, agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry, sericulture and viticulture, and in the services sector;
  - (f) "component" means one of the parts of a sub-assembly or assembly of which a

manufactured product is made up and into which it may be resolved and includes an accessory or attachment to the component;

(g) "consumable" means any item, (including fuels, high speed diesel oil, light diesel oil and other such petroleum products) which is required for a manufacturing process, which may or may not be substantially or totally consumed during a manufacturing process but does not necessarily form part of the end product;

(h) "custodian" means any person referred to in section 45 of the Customs Act, 1962;

(i) "Customs Act" means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(j) "drawback" means drawback referred to in the Customs Act, 1962;

(k) "Duty Entitlement Pass Book Scheme" means the Duty Exemption Pass Book Scheme framed under the Foreign Trade Policy;

(l) "Duty Free Replenishment Certificate" means Duty Free Replenishment Certificate issued under the Foreign Trade Policy;

(m) "Electronic Hardware Technology Park unit" means a unit approved in accordance with the Electronic Hardware Technology Park Scheme framed under the Foreign Trade Policy;

(n) "Export Oriented Unit" means a unit approved in accordance with the Export Oriented Unit scheme framed under the Foreign Trade Policy;

(o) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy notified from time to time by the Central Government under section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (22 of 1992);

(p) "Form" means the form appended to these rules;

(q) "Handbook" means the Handbook of Procedures framed under the Foreign Trade Policy;

(r) "Import Trade Control (Harmonized System) Classifications of Export and Import Items" means the items notified from time to time by the Central Government under section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992);

(s) "infrastructure" means facilities needed for development, operation and maintenance of a Special Economic Zone and includes industrial, business and social amenities like development of land, roads, buildings, sewerage and effluent treatment facilities, solid waste management facilities, port, including jetties, single point moorings, storage tanks and interconnecting pipelines for liquids and gases, Inland Container Depot or Container Freight Station, warehouses, airports, railways, transport system, generation and distribution of power, gas and other forms of energy, telecommunication, data transmission network, information technology network, hospitals, hotels, educational

institutions, leisure, recreational and entertainment facilities, residential and business complex, water supply, including desalination plant, sanitation facility;

(t) "Nominated Agency" means:-

- a) the MMTC Ltd, being a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
- b) the Handicraft and Handloom Export Corporation Limited, being the company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
- c) the State Trading Corporation of India Limited, being the company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
- d) the Projects and Equipment Corporation of India Limited being the company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956); and
- e) any other agency authorized by the Reserve Bank of India;

(u) "raw material" means:-

- (a) basic materials which are needed for the manufacture of goods, but which are still in a raw, natural, unrefined or un-manufactured state; and
- (b) any materials or goods which are required for the manufacturing process (including, catalysts for initial charge), packing material, whether they have actually been previously manufactured or are processed or are still in a raw or natural state;

(v) "Replenishment Licence" means the Replenishment Licence issued under the Foreign Trade Policy;

(w) "section" means the section of the Act;

(x) "Sector" means one or more products or one or more services falling under a category such as engineering, textiles and garments, pharmaceuticals and chemicals, handicrafts, gem and jewellery, electronics hardware and software, including information technology enabled services and bio-technology;

(y) "Software Technology Park unit" means a unit approved under the Software Technology Parks Scheme of the Foreign Trade Policy;

(z) "spares" means a part or a sub-assembly or assembly for substitution, that is ready to replace an identical or similar part or sub-assembly or assembly and includes a component or an accessory;

(za) "Special Economic Zone for multi-product" means a Special Economic Zone where Units may be set up for manufacture of two or more goods in a sector or goods falling in two or more sectors or for trading and warehousing or rendering of two or more services in a sector or rendering of services falling in two or more sectors;

(zb) "Special Economic Zone for specific sector" means a Special Economic Zone meant exclusively for one or more products in a sector or one or more services in a sector;

(zc) "Special Economic Zone in a port or airport" means a Special Economic Zone in an existing port or airport for manufacture of goods in two or more goods in a sector or goods falling in two or more sectors or for trading and warehousing or rendering of services;

(zd) "Specified Officer" in relation to a Special Economic Zone means Joint or Deputy or Assistant Commissioner of Customs for the time being posted in the Special Economic Zone;

(ze) "status holder" means an exporter recognized under the Foreign Trade Policy;

(2) All other words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

## CHAPTER-II

### PROCEDURE FOR ESTABLISHMENT OF SPECIAL ECONOMIC ZONE

3. **Proposal for setting up of Special Economic Zone.**— Every proposal under sub-sections (2) to (4) of section 3 shall be made in Form – A.

4. **Forwarding of proposal to Board.**— (1) The State Government shall forward the proposals received under sub-sections (2) and (4) of section 3 to the Board of Approval (Deputy Secretary, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Udyog Bhavan, New Delhi – 110011) alongwith its recommendations, within forty-five days of receipt of such proposal:

Provided that where the Board approves a proposal received under sub-section (3) of section 3, the person shall obtain concurrence of the State Government within six months from the date of such approval.

(2) While forwarding a proposal under sub-rule (1), the State Government shall ensure that the requirements under rule 5 have been complied with and shall attach copies of relevant notifications issued by it in this regard.

5. **Requirements for establishment of a Special Economic Zone.**— (1) The Board may approve as such or modify and approve a proposal for establishment of a Special Economic Zone, in accordance with the provisions of sub-section (8) of section 3, subject to the requirements of minimum area of land and other terms and conditions indicated in sub-rule (2).

(2) The requirements of minimum area of land for a class or classes of Special Economic Zone in terms of sub-section (8) of section 3 shall be the following, namely:—

(a) A Special Economic Zone for multi product shall have a contiguous area of one thousand hectares or more:

Provided that such Special Economic Zone established exclusively for services may have a contiguous area of one hundred hectares or more:

Provided further that in case a Special Economic Zone is proposed to be set up in Assam, Meghalaya, Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Tripura, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Sikkim, Jammu and Kashmir, Goa or in a Union territory, the area shall be two hundred hectares or more:

Provided also that at least twenty five per cent. of the area shall be earmarked for developing processing area:

Provided also that the fulfillment of the requirement of the contiguous area shall be considered and decided by the Board on a case to case basis on merits;

(b) A Special Economic Zone for a specific sector or in a port or airport, shall have a contiguous area of one hundred hectares or more:

Provided that in case a Special Economic Zone is proposed to be set up exclusively for electronics hardware and software, including information technology enabled services, the area shall be ten hectares or more with a minimum built up processing area of one lakh square meters:

Provided further that in case a Special Economic Zone is proposed to be set up exclusively for bio-technology, non-conventional energy, including solar energy equipments/cell, or gem and jewellery sectors, the area shall be ten hectares or more:

Provided also that in case a Special Economic Zone for a specific sector is proposed to be set up in Assam, Meghalaya, Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Tripura, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Sikkim, Jammu and Kashmir, Goa or in a Union territory, the area shall be fifty hectares or more for the Special Economic Zones not covered under the first and second proviso:

Provided also that at least fifty per cent. of the area shall be earmarked for developing processing area;

(c) Special Economic Zone for Free Trade and Warehousing shall have an area of forty hectares or more with a built up area of not less than one lakh square meters:

Provided that a Free Trade and Warehousing Zones may also be set up as part of a Special Economic Zone for multi-products:

Provided further that in a Special Economic Zone for a specific sector, Free Trade and Warehousing Zone may be permitted with no minimum area requirement but subject to the condition that the maximum area of such Free Trade and Warehousing Zone shall not exceed twenty per cent. of the processing area.

(3) The requirements of the minimum area of land for the Special Economic Zones, -

(a) which had been, before the commencement of these rules , -

- recommended by the Board of Approval constituted by the notification of the Government of India, in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) Number 14/1/2001-EPZ dated the 7<sup>th</sup> August, 2001; and
- approved by the Central Government;

(b) which had acquired or taken possession of the land required for setting up of the Special Economic Zones before the commencement of these rules; and

(c) which are situated in any of the States mentioned under column (2) of the Annexure II to these rules,

shall, for each sector under column (3) of the Annexure II, be such as mentioned in the corresponding entries under column (4) against each such sector situated in the State mentioned under column (2) of the said Annexure II.

(4) The Developer or Co-Developer shall have at least twenty-six percent of the equity in the entity proposing to create business, residential or recreational facilities in a Special Economic Zone in case such development is proposed to be carried out through a separate entity or a special purpose vehicle being a company formed and registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

(5) Before recommending any proposal for setting up of a Special Economic Zone, the State Government shall endeavor that the following are made available in the State to the proposed Special Economic Zone Units and Developer, namely: -

- exemption from the State and local taxes, levies and duties, including stamp duty, and taxes levied by local bodies on goods required for authorized operations by a Unit or Developer, and the goods sold by a Unit in the Domestic Tariff Area except the goods procured from domestic tariff area and sold as it is;
- exemption from electricity duty or taxes on sale, of self generated or purchased electric power for use in the processing area of a Special Economic Zone;
- allow generation, transmission and distribution of power within a Special Economic Zone subject to the provisions of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003);
- providing water, electricity and such other services, as may be required by the developer be provided or caused to be provided;
- Delegation of power to the Development Commissioner under the Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947) and other related Acts in relation to the Unit;

(f) Delegation of power to the Development Commissioner under the Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947) in relation to the workmen employed by the developer.

(g) Declaration of the Special Economic Zone as a Public Utility Service under the Industrial Disputes Act, 1947 (No.14 of 1947);

(h) Providing single point clearance system to the Developer and unit under the State Acts and rules;

(6) The State Government shall, while recommending a proposal for setting up of Special Economic Zone to the Board indicate whether the proposed area falls under reserved or ecologically fragile area as may be specified by the concerned authority.

6. Letter of Approval to the Developer.- (1) The Central Government shall, within thirty days of the communication received by it under sub-section (10) of section 3 grant a letter of approval in Form B to the person or the State Government concerned or in Form C, if the approval is for providing infrastructural facilities in the Special Economic Zone, incorporating additional conditions, if any, specified by the Board while approving the proposal.

(2) The letter of approval of a Developer granted under sub-rule (1) shall be valid for a period of three years within which time, effective steps shall be taken by the Developer to implement the approved proposal:

Provided that the Board may, if it is satisfied, extend the validity period for a further period not exceeding two years upon a request made in writing by the Developer or Co-developer.

7. Details to be furnished for issue of notification for declaration of an area as Special Economic Zone.- (1) The Developer shall furnish to the Central Government, particulars required under sub-section (1) of section 4 with regard to the area referred to in sub-section (2) or sub-section (4) of section 3, (hereinafter referred to as identified area), with proof of legal right and possession and a certificate from the State Government or the authorized agency that the said area is free from all encumbrances:

Provided that where the Developer has leasehold right over the identified area, the lease shall be for a period not less than twenty years.

(2) The identified area shall be contiguous and vacant and it shall have no public thoroughfare subject to third proviso to clause (a) of sub-rule (2) of rule 5.

8. Notification of Special Economic Zone.- After the submission of details as required under rule 7 and other details, if any, required by the Central Government and on acceptance of the conditions specified in the Letter of Approval, the Central Government shall notify the identified area as a Special Economic Zone under sub-

section (1) of section 4, if the area proposed for notification is not less than the minimum area prescribed under rule 5.

9. **Grant of Approval for Authorized Operations.**— The Developer shall submit to the Board the details of operations proposed to be undertaken in the Special Economic Zone for obtaining authorization under sub-section (2) of section 4 at the time of seeking approval for setting up of Special Economic Zone or thereafter:

Provided that exemptions, drawbacks and concessions shall be available for the authorized operations as per the procedure specified in rule 12 after the Special Economic Zone had been notified under rule 8:

Provided further that the Developer of an existing Special Economic Zone shall submit to the Board the details of operations proposed to be undertaken in the Special Economic Zone for the purpose of availing exemptions, drawbacks and concessions.

10. **Permission for procurement of items.**— The Approval Committee may permit goods and services to carry on the operations authorized under rule 9:

Provided that for the Special Economic Zones set up by the Central Government, the goods and services required for the authorized operations may be approved by the Board:

Provided further that exemptions, drawbacks and concessions on the goods and services allowed to a Developer or Co-developer, as the case may be, shall also be available to the contractors appointed by such Developer or Co-developer and all the documents in such cases shall bear the name of the Developer or Co-developer alongwith the contractor and these shall be filed jointly in the name of the Developer or Co-developer and the contractor:

Provided also that the Developer or Co-developer, as the case may be, shall be responsible and liable for proper utilization of such goods in all cases.

11. **Processing and non-processing area.**— (1) The Development Commissioner of the concerned Special Economic Zone shall be the authority for demarcating the areas falling within the Special Economic Zone under the provisions of section 6.

(2) The processing area and Free Trade and Warehousing Zone shall be fully secured by boundary wall or wire mesh fencing having a height of at least two meters and forty centimeters above plinth level with top sixty centimeters being barbed wire fencing with mild steel angle with specified entry and exit points.

(3) The Development Commissioner shall ensure compliance of the requirements of sub-rule (2).

(4) The authorized persons shall only be allowed to enter the processing area of a Special Economic Zone.

(5) The land or built up space in the processing area or Free Trade and

Warehousing Zone shall be given on lease only to the entrepreneurs holding a valid Letter of Approval issued under rule 19 and the lease period shall be co-terminus with the validity of the Letter of Approval:

Provided that the Developer may, with the prior approval of the Approval Committee, grant on lease land or built up space, for creating facilities such as canteen, public telephone booths, first aid centres, creche and such other facilities as may be required for the exclusive use of the Unit.

(6) The developer holding land on lease basis shall assign lease hold right to the entrepreneur holding valid Letter of Approval.

(7) Any transfer by way of sub-lease or any other mode by the Developer shall be valid only if the same is made to a person holding a valid letter of approval issued by the Development Commissioner.

(8) The Developer may allot land in the processing area on lease basis to a person desiring to create infrastructure facilities for use by the prospective Units.

(9) The Developer shall not sell the land in a Special Economic Zone.

(10) The Developer may allot the land in the non-processing area for business and social purposes such as educational institutions, hospitals, hotels, recreation and entertainment facilities, residential and business complexes:

Provided that infrastructure for business or social purposes in the Special Economic Zone, as may be approved by the Board, shall be eligible for exemptions, concessions and drawback.

(11) The Special Economic Zone shall be deemed to be a port, airport, inland container depot, land customs station under section 7 of the Customs Act in accordance with the provisions of section 53 from the date notified in this behalf:

Provided that Specified Officer may designate any area or area(s) in the Special Economic Zone as an area for loading and unloading of import or export cargo:

Provided further that in case the said port, airport, inland container depot, land customs station area is to be used for loading and unloading of import or export cargo meant for Domestic Tariff Area importers and exporters also, storage for such cargo shall be in a separate enclosure and deliveries for such cargo shall be allowed by the Authorized Officer of the Special Economic Zone based on Bill of Entry, assessed by the Assistant or Deputy Commissioner of Customs having jurisdiction over the said Customs Station.

12. Import and procurement of goods by the Developer.—(1) The Developer may import or procure goods from the Domestic Tariff Area, without payment of duty, taxes and cess for the authorized operations, subject to the provisions contained in sub-rule (2) to (8).

(2) The Developer shall make an application, after obtaining approval for

the authorized operation under rule 9, to the Development Commissioner along with the list of goods and services, including machinery, equipments and construction materials required for the authorized operations, duly certified by a Chartered Engineer for approval by the Approval Committee.

(3) The Developer shall declare the place of storage of goods within the Special Economic Zone to the Specified Officer:

Provided that in case the storage is outside the processing area but within the Special Economic Zone, such storage shall comply with such safeguards as may be necessary for the purpose and approved by the Specified Officer.

(4) The goods imported or procured from the Domestic Tariff Area by the Developer for authorized operations shall be kept in a clearly demarcated area for inspection by the authorized officer before such goods are brought into use.

(5) The Developer shall execute a Bond-cum-Legal Undertaking in Form D, jointly with the Development Commissioner and Specified Officer, with regard to proper accountal and utilization of goods for the authorized operations within a period of one year or such period, as may be extended by the Specified Officer.

(6) The Developer shall maintain a proper account of the import or procurement, consumption and utilization of goods and submit quarterly and half-yearly returns to the Development Commissioner in Form E for placing the same before the Approval Committee for consideration.

(7) The Developer shall submit a half-yearly certificate for the period ending 31st March and 30<sup>th</sup> September of every financial year regarding utilization of goods from an independent Chartered Engineer, other than the one who has given a certificate for the purpose of sub-rule (2), to Development Commissioner and Specified Officer and every certificate under this sub-rule shall be filed within thirty days of the period specified, as the case may be.

(8) The Developer shall not remove goods from the Special Economic Zone to the Domestic Tariff Area except with the permission of the Specified Officer and on payment of duty applicable on such goods.

13. A Developer may export or transfer capital goods and spares including construction equipment that have become obsolete or surplus to another Developer, or Unit after obtaining the approval of the Specified Officer.

14. Procedure applicable on import or procurement of goods and services, their admission, and clearance of goods. - The procedures applicable to Units on import or procurement of goods and services, their admission, clearance of goods, shall apply, *mutatis-mutandis*, to the Developer, except that in case of a Developer, goods imported or procured from Domestic Tariff Area shall be allowed to be moved or utilized for the purposes of authorized operations in the non-processing area of Special Economic Zone as well.

15. Monitoring.— The utilization of the goods imported or procured from the Domestic Tariff Area by the Developer shall be monitored by the Approval Committee.

16. Transfer of Letter of Approval of Developer.— The relevant provisions of section 3, and these rules, as far as may be, apply for transfer of Letter of Approval of a Developer under clause (a) of sub-section (9) of section 10.

### CHAPTER- III

#### PROCEDURE FOR ESTABLISHMENT OF A UNIT

17. Proposal for approval of Unit - (1) A consolidated application seeking permission for setting up of a Unit and other clearances, including those indicated below, shall be made to the Development Commissioner, in Form F, in five copies, with a copy to the Developer:-

- (a) Setting up of unit in a Special Economic Zone;
- (b) Annual permission for sub-contracting;
- (c) Allotment of Importer-Exporter Code number;
- (d) Allotment of land/industrial sheds in the Special Economic Zone;
- (e) Water connection;
- (f) Registration-cum-Membership Certificate;
- (g) Small Scale Industries Registration;
- (h) Registration with Central Pollution Control Board;
- (i) Power connection;
- (j) Building approval plan;
- (k) Sales tax registration;
- (l) Approval from inspectorate of factories;
- (m) Pollution control clearance, wherever required;
- (n) Any other approval as may be required from the State Government.

(2) The Development Commissioner shall get the proposal scrutinised and get it placed before the Approval Committee for its consideration.

(3) The proposals received under clauses (c) and (e) of sub-section (2) of section 9 shall be placed before the Board by the Development Commissioner for its consideration.

18. Consideration of proposals for setting up of Unit in a Special Economic Zone. - (1) The Approval Committee may approve or approve with modification or reject a proposal placed before it under sub-rule (2) of rule 17, within fifteen days of its receipt:

Provided that where the approval is to be granted by the Board in terms of sub-rule (3) of rule 17, the Board shall approve or approve with modification or reject such proposal within forty-five days of its receipt:

Provided further that the Approval Committee or the Board, as the case may be, shall record the reasons, in writing, where it approves a proposal with modifications or where it rejects a proposal and Development Commissioner by order shall communicate such reasons to the person making the proposal.

(2) The Approval Committee shall approve the proposal if it fulfills the following requirements, namely: -

- (i) the proposal meets with the positive net foreign exchange earning requirement as provided in rule 53;
- (ii) availability of space and other infrastructure support applied for, is confirmed by the Developer in writing, by way of a provisional offer of space;

Provided that the Developer shall enter into a lease agreement and give possession of the space in the Special Economic Zone to the entrepreneur only after the issuance of Letter of Approval by the Development Commissioner:

Provided further that a copy of the registered lease deed shall be furnished to the Development Commissioner concerned within six months from the issuance of the Letter of Approval;

(iii) the applicant undertakes to fulfill the environmental and pollution control norms, as may be applicable;

(iv) the applicant submits proof of residence, namely, passport or ration card or driving licence or voter identity card or any other proof of the proprietor or the partners of partnership firms or Directors of the Company, as the case may be, to the satisfaction of Development Commissioner;

(v) the applicant submits the Income tax returns, along with annexures, of the Proprietor or Partners, or in the case of a company, audited balance sheet for the last three years.

(3) the proposal shall also fulfill the following sector specific requirements, namely:-

(a) export of high-grade iron ore, that is sixty-four per cent. Fe and above, except iron ore of Goa origin and Redi origin, which would be subject to approval of Board;

(b) no sub-contracting or job work of polyester yarn shall be permitted in Domestic Tariff Area or in Export Oriented Unit or Units in other Special Economic Zone:

Provided that this restriction shall not apply to the Units which intend to send the fabric, made by them out of polyester or texturised yarn, for sub-contracting but the third party exports shall not be permitted;

(4) No proposal shall be considered for:-

(a) recycling of plastic scrap or waste;

Provided that extension of Letter of Approval for an existing Unit shall be decided by the Board;

(b) enhancement of the approved import quantum of plastic waste and scrap beyond the average annual import quantum of the unit since its commencement of operation to the existing Units;

(c) reprocessing of garments or used clothing or secondary textiles materials and other recyclable textile materials into clipping or rags or industrial wipers or shoddy wool or yarn or blankets or shawls;

Provided that extension of Letter of Approval for an existing Unit shall be decided by the Board;

(d) import of other used goods for recycling;

Provided that extension of Letter of Approval for an existing Unit shall be decided by the Board;

Provided further that reconditioning, repair and reengineering may be permitted subject to the condition that exports shall have one to one correlation with imports and all the reconditioned or repaired or re-engineered products and scrap or remnants or waste shall be exported and none of these goods shall be allowed to be sold in the Domestic Tariff Area or destroyed;

(e) Export of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies unless it fulfils the conditions indicated in the Import Trade Control (Harmonized System) Classifications of export and import items;

(f) if there is any instance of violation of law or public policy by the promoters, having a bearing on the merits of the proposal.

(5) The Units in Free Trade and Warehousing Zones or units in Free Trade and Warehousing Zone set up in other Special Economic Zone, shall be allowed to hold the goods on account of the foreign supplier for dispatches as per the owner's instructions and shall be allowed for trading with or without labeling, packing or re-packing without any processing;

Provided that refrigeration for the purpose of storage and assembly of Completely Knocked Down or Semi Knocked Down kits shall also be allowed by the Free Trade and Warehousing units undertaking the said activities:

Provided further that these Units may also re-sell or re-invoice or re-export the goods imported by them:

Provided also that all transactions by a Unit in Free Trade and Warehousing Zone

shall only be in convertible foreign currency;

(6) Units may also be setup for providing services or manufacturing services to Overseas Entities subject to following conditions, namely:-

(a) Capital goods, raw materials including consumables sub-assemblies, components, semi-finished goods shall be supplied by the Overseas Entity free of cost;

(b) Capital goods for setting up such facilities may also be supplied on loan or lease basis, provided the notional value of such capital goods shall be taken into account for calculation of Net Foreign Exchange Earnings under rule 53.

(c) finished goods shall be exported out of the country or transferred to the Customs Bonded Warehouse to be maintained by the Overseas entity;

Provided that any supplies of finished goods shall be as per the instructions of the Overseas entity.

(d) the Unit shall receive the consideration for its manufacturing services in convertible foreign exchange directly from the said overseas entity;

(e) in case the said manufacturing facility is used by the Unit for carrying out production on its own account, separate accounts shall be maintained for the manufacturing and service activity.

Explanation: - "Overseas Entity" means a non-resident or a person of foreign origin and includes a company not incorporated in India.

19. Letter of Approval to a Unit.- (1) On approval of a proposal under rule 18 and 19, Development Commissioner shall issue a Letter of Approval in Form G, for setting up of the Unit:

(2) The Letter of Approval shall specify the items of manufacture or particulars of service activity, including trading or warehousing, projected annual export and Net Foreign Exchange Earning for the first five years of operations, limitations, if any on Domestic Tariff Area sale of finished goods, by-products and rejects and other terms and conditions, if any, stipulated by the Board or Approval Committee:

Provided that the Approval Committee may also approve proposal for broadbanding, diversification, enhancement of capacity of production, change in the items of manufacture or service activity, if it meets the requirements of rule 18.

Provided further that the Approval Committee may also approve change of the entrepreneur of an approved unit, if the incoming entrepreneur undertakes to take over the assets and liabilities of the existing Unit.

(3) An entrepreneur holding Letter of Approval issued under sub-rule (1) shall only be entitled to set up a Unit in processing area of the Special Economic Zone or Free Trade and Warehousing Zone, as the case may be:

Provided that a proposal for setting up of a Unit in a Special Economic Zone or Free Trade Warehousing Zone shall be entertained only after the processing area of the Special Economic Zone or Free Trade Warehousing Zone has been demarcated under rule 11.

(4) The Letter of Approval shall be valid for one year within which period the Unit shall commence production or service or trading or Free Trade and Warehousing activity and the Unit shall intimate date of commencement of production or activity to Development Commissioner:

Provided that upon a request by the entrepreneur, further extension may be granted by the Development Commissioner for valid reasons to be recorded in writing for a further period not exceeding two years:

Provided further that the Development Commissioner may grant further extension of one year subject to the condition that two-thirds of activities including construction, relating to the setting up of the Unit is complete and a chartered engineer's certificate to this effect is submitted by the entrepreneur.

(5) If the Unit has not commenced production or service activity within the validity period or the extended validity period under sub-rule (4), the Letter of Approval shall be deemed to have been lapsed with effect from the date on which its validity expired.

(6) The Letter of Approval shall be valid for five years from the date of commencement of production or service activity and it shall be construed as a licence for all purposes related to authorized operations, and, after the completion of five years from the date of commencement of production, the Development Commissioner may, at the request of the Unit, extend validity of the Letter of Approval for a further period of five years, at a time.

(7) If an enterprise is operating both as a Domestic Tariff Area unit as well as a Special Economic Zone Unit, it shall have two distinct identities with separate books of accounts, but it shall not be necessary for the Special Economic Zone unit to be a separate legal entity:

Provided that foreign companies can also set up manufacturing units as their branch operations in the Special Economic Zones in accordance with the provisions of Foreign Exchange Management (Foreign exchange derivatives contracts) Regulations, 2000.

20. Administrative Control of Special Economic Zones.— Every Special Economic Zone shall be under the administrative control of a Development Commissioner appointed under sub-section (1) of section 11.

21. Offshore Banking Unit. - (1) The application for setting up and operation of Offshore Banking Unit in Special Economic Zone shall be made to the Reserve Bank of India in the Form VI prescribed under Banking Regulation (Companies) Rules, 1949 under section 23 of the Banking Regulation Act, 1949.

(2) The terms and conditions subject to which an Offshore Banking Unit may be set up and operated in a Special Economic Zone shall be as specified in the Notification number FEMA 71/2002-RB dated 7<sup>th</sup> September, 2002 by the Reserve Bank of India, as amended from time to time.

#### CHAPTER- IV

#### TERMS AND CONDITIONS SUBJECT TO WHICH ENTREPRENEUR AND DEVELOPER SHALL BE ENTITLED TO EXEMPTIONS, DRAWBACKS AND CONCESSIONS

22. Terms and conditions for availing exemptions, drawbacks and concessions to every Developer and entrepreneur for authorized operations.- (1) Grant of exemption, drawbacks and concession to the entrepreneur or Developer shall be subject to the following conditions, namely:-

(i) the Unit shall execute a Bond-cum-Legal Undertaking in Form H, with regard to its obligations regarding proper utilization and accountal of goods, including capital goods, spares, raw materials, components and consumables including fuels, imported or procured duty free and regarding achievement of positive net foreign exchange earning;

(ii) the Developer and Co-Developer shall execute the Bond-cum-Legal Undertaking in Form D with regard to their obligations regarding proper utilization and accountal of goods, including goods procured or imported by a contractor duly authorized by the Developer or Co-Developer as the case may be;

(iii) the Bond-cum-Legal Undertaking shall be jointly accepted by Development Commissioner and by the Specified Officer:

Provided that the Bond-cum-Legal Undertaking executed by the Unit or the Developer including Co-Developer shall cover one or more of the following activities, namely:-

(a) the movement of goods between port of import or export and the Special Economic Zone;

(b) the authorized operations, as applicable to Unit or Developer;

(c) temporary removal of goods or goods manufactured in Unit for the purposes of repairs or testing or calibration or display or processing or sub-contracting of production process or production or other temporary removals into Domestic Tariff Area without

payment of duty;

(d) re-import of exported goods.

(iv) The procedure for execution of Bond-cum-Legal Undertaking shall be as under:-

(a) the Bond-cum-Legal Undertaking, where the entrepreneur or Developer is a company shall be executed by the Managing Director of the company or the Director(s) or any person who has or have been duly authorized for this purpose by a resolution of the Board of Directors of the company and shall be affixed with the common seal of the company; where the entrepreneur is a partnership firm, Bond-cum-Legal Undertaking shall be executed by all the partners or authorized partner(s); where the entrepreneur is a Hindu Undivided Family, the, Bond-cum-Legal Undertaking shall be executed by the Kartha; and where the entrepreneur is a proprietorship concern, the Bond-cum-Legal Undertaking shall be executed by the proprietor;

(b) the value of the Bond-cum-Legal Undertaking shall be equal to the amount of effective duties leviable on import or procurement from the Domestic Tariff Area of the projected requirement of capital goods, raw materials, spares, consumables, intermediates, components, parts, packing materials for three months as applicable but which will not be levied on account of admission of such goods into the Unit or the amount of effective duties leviable on import or procurement from Domestic Tariff Area of the projected requirements of goods for the authorized operation by the developer but will not be levied on account of admission of such goods into the Special Economic Zone;

(c) where the value of Bond-cum-Legal Undertaking executed falls short on account of requirement of additional goods, the Unit or the Developer shall submit additional Bond-cum-Legal Undertaking;

(d) there shall be no debit and credit, the Bond-cum-Legal Undertaking amount shall be monitored quarterly or yearly on the basis of Quarterly Progress Report or Annual Progress Report submitted by the Developer or Unit, as the case may be, and in case of any shortfall in the Bond-cum-Legal Undertaking amount, a fresh or additional Bond-cum-Legal Undertaking shall be furnished;

(e) the original of Bond-cum-Legal Undertaking shall be maintained by the office of Development Commissioner and certified copies shall be given to the Specified Officer and Unit or Developer;

(f) the value of the Bond-cum-Legal Undertaking in respect of gems and jewellery units shall be calculated on rates as notified by the Central Government, from time to time;

(g) duly completed Bond-cum-legal undertaking executed by the Unit or Developer, in accordance with the rules above, as the case may be, shall be deemed to have been accepted, if no communication is received within seven working days from the date of its submission.

(2) Every Unit and Developer shall maintain proper accounts, financial yearwise, and such accounts which should clearly indicate in value terms the goods imported or procured from Domestic Tariff Area, consumption or utilization of goods, production of goods, including by-products, waste or scrap or remnants, disposal of goods manufactured or produced, by way of exports, sales or supplies in the domestic tariff area or transfer to Special Economic Zone or Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park or Software Technology Park Units or Bio-technology Park Unit, as the case may be, and balance in stock:

Provided that Unit and Developer shall maintain such records for a period of seven years from the end of relevant financial year:

Provided further that the Unit engaged in both trading and manufacturing activities shall maintain separate records for trading and manufacturing activities.

(3) The Unit shall submit Annual Performance Reports in the Form I, to the Development Commissioner and the Development Commissioner shall place the same before the Approval Committee for consideration.

(4) The Developer shall submit Quarterly Report on import and procurement of goods from the Domestic Tariff Area, utilization of the same and the stock in hand, in Form E to the Development Commissioner and the Specified Officer and the Development Commissioner shall place the same before the Approval Committee.

23. Supplies from the Domestic Tariff Area to a Unit or Developer for their authorized operations shall be eligible for export benefits as admissible under the Foreign Trade Policy.

24. (1) The procedure for grant of drawback claims and Duty Entitlement Pass Book credit to a Developer or Unit shall be as under:

(a) Drawback Claims: The triplicate copy of the assessed Bill of Export shall be treated as the drawback claim and processed in the Customs section of the Special Economic Zone and the Specified Officer shall be the disbursing authority for the said claims:

Provided that the Specified Officer shall follow the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules 1995, circulars and instructions made in this regard to sanction of duty drawback claims and the interest on delayed payments.

(b) Duty Entitlement Pass Book Credit: An application for grant of Duty Entitlement Pass Book credit for supplies from Domestic Tariff Area to a Unit or Developer may be made by the Domestic Tariff Area Supplier or the Unit or Developer in the format prescribed under the Foreign Trade Policy.

(2) A Unit or Developer shall file application for Duty Entitlement Pass Book claim with the Development Commissioner concerned or the Domestic Tariff Area supplier may claim the same from the concerned Licensing Authority of the Office of the Directorate General of Foreign Trade or the Development Commissioner concerned.

25. Where an entrepreneur or Developer does not utilize the goods or services on which exemptions, drawbacks, cess and concessions have been availed for the authorized operations or unable to duly account for the same, the entrepreneur or the Developer, as the case may be, shall refund an amount equal to the benefits of exemptions, drawback, cess and concessions availed without prejudice to any other action under the relevant provisions of the Customs Act, 1962, the Customs Tariff Act, 1975, the Central Excise Act, 1944, the Central Excise Tariff Act, 1985, the Central Sales Tax Act, 1956, the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 and the Finance Act, 1994 (in respect of service tax) and the enactments specified in the First Schedule to the Act, as the case may be:

Provided that if there is a failure to achieve positive net foreign exchange earning, by a Unit, such entrepreneur shall be liable for penal action under the provisions of Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 and the rules made there under.

26. General Conditions of Import and Export.- A unit may export goods and services, including agro-products, partly processed goods, sub-assemblies, components, by-products, rejects, waste or scrap except prohibited items of exports indicated in the Import Trade Control (Harmonized System) Classifications of Export and Import items:

Provided that export of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies shall be subject to fulfillment of the conditions indicated in the Import Trade Control (Harmonized System) Classification of Export and Import items:

Provided further that if any permission is required for import under any other law, the same shall be allowed with the approval of the Board of Approval.

27. Import and Procurement. - (1) A Unit or Developer may import or procure from the Domestic Tariff Area without payment of duty, taxes or cess or procure from Domestic Tariff Area after availing export entitlements or procure from other Units in the same or other Special Economic Zone or from Export Oriented Unit or Software Technology Park unit or Electronic Hardware Technology Park unit or Bio-technology Park unit, all type of goods, including capital goods (new or second hand), raw materials, semi-finished goods, (including semi-finished Jewellery) component, consumables, spares goods and materials for making capital goods required for authorized operations except prohibited items under the Import Trade Control (Harmonized System) Classifications of Export and Import Items.

(2) In case of any doubt as to whether any goods or services are required by a Unit or Developer for authorized operations or not, it shall be decided by the Development Commissioner.

(3) The import of duty free material for setting up educational institutions, hospitals, hotels, residential and/or business complex, leisure and entertainment facilities or any other facilities in the non-processing area of the Special Economic Zone shall be as approved by the Board and import of no duty free material shall be permitted for operation and maintenance of such facilities:

Provided further that any goods for the personal use of, or consumption by officials, workmen, staff, owners or any other person in relation to a Unit or Developer, shall not be eligible for exemptions, drawbacks and concessions or any other benefit in accordance with the provisions of sections 7 or 26.

(4) A Unit or Developer may also source capital goods, without payment of duty, taxes or cess from a domestic or foreign leasing company, under a valid lease agreement and in such cases the Unit or Developer and the domestic or foreign leasing company shall jointly file documents for import or domestic procurement, as the case may be.

(5) A Unit may import or procure from Domestic Tariff Area, all types of goods and services, without payment of duty, taxes or cess for creating a central facility for use by Units in Special Economic Zone and where such facility is created for software development, the same may also be accessed by software exporters of Domestic Tariff Area.

(6) A gem and jewellery Unit may also source on outright purchase basis or loan basis, gold or silver or platinum through the Nominated Agencies and where such sourcing is on loan basis, the same shall be subjected to the conditions applicable to such transactions under the provisions of the Foreign Trade Policy in force:

Provided that the conditions applicable to loan transaction shall not apply where the Unit converts such loan into outright purchase by paying the outstanding loan amount and interest within the period for export prescribed under the Foreign Trade Policy applicable to the loan transaction.

(7) The goods already imported or shipped or arrived before the issue of Letter of Approval shall be eligible for duty free clearance provided customs duty has not been paid and goods have not been cleared from Customs or cleared and placed in the Bonded Warehouses.

(8) No import or export of rough diamonds shall be permitted unless the shipment parcel is accompanied by Kimberley Process Certificate issued by the Development Commissioner.

(9) Where goods or parts thereof, imported or procured from Domestic Tariff Area are found to be defective or otherwise unfit for use or which have been damaged or become defective after such import or procurement, may be sent outside the Special Economic Zone without payment of duty for repairs or replacement, to the supplier or his authorized dealer or be destroyed:

Provided that where overseas supplier or the Domestic Tariff Area supplier of goods does not insist for re-export or for supply back to the Domestic Tariff Area of goods, the same shall not be insisted upon and such goods shall be destroyed with the permission of the Specified Officer:

Provided further that destruction shall not be permitted in case of precious and semi-precious stones and precious metals:

Provided also that in case of return of goods procured from the Domestic Tariff Area, the same shall be allowed on refund of the export entitlement which have been received or availed or claimed by the Domestic Tariff Area supplier or the Unit or the Developer, as the case may be.

(10). The Assessment of imports and domestic procurement by a Developer or a Unit, shall be on the basis of self-declaration and shall not be subjected to routine examination except in case of procurement from the Domestic Tariff Area under the claim of export entitlements:

Provided that where based on a prior intelligence the examination becomes necessary the same shall be carried out by the Authorized Officer(s) after obtaining written permission from the Development Commissioner or the Specified Officer.

(11) If examination of any import or export of goods or goods procured from the Domestic Tariff Area is required, the same shall be carried out at the Special Economic Zone gate or if the same is not possible, in an area so notified by the Specified Officer for this purpose, and no examination shall be carried out in the premises of the Unit unless requested by the unit and specifically permitted in writing by the Specified Officer.

28. (1) A Unit or Developer may import goods directly into the Special Economic Zone or through any other:

- (a) ports or airports;
- (b) land customs stations;

- (c) inland container depots;
- (d) foreign post offices;
- (e) authorized couriers; or
- (f) through personal baggage of passengers authorized by the Special Economic Zone Unit; or
- (g) Via Satellite data communication such as internet or any other telecommunication link.

(2) Goods imported through ports or airports, land customs stations, or inland container depots shall be allowed to be transferred in full cargo load or less than container load cargo by direct transfer from such port or airport or Inland container Depot or land customs station to the Special Economic Zone.

(3) The import of Information Technology enabled services, including software, shall also be allowed through data communication link, internet, e-mail or any other electronic mode.

(4) The Unit or Developer may also procure goods required for the authorized operations, without payment of duty, from International Exhibitions held in India or from bonded warehouses set up under the Foreign Trade Policy and under the Customs Act in the Domestic Tariff Area;

(5) The goods imported by the Unit or Developer shall be allowed to be transferred from the port or airport to the Special Economic Zone without examination by the Customs Authorities at the port or airport, as the case may be:

Provided that the goods may be examined with the prior permission of the Assistant or Deputy Commissioner of Customs in writing in case there is specific adverse information or intelligence:

(6) The goods imported by a Developer or Unit shall be transshipped by the carrier or its agent directly to the Special Economic Zone.

(7) Where import cargo destination is other than the Special Economic Zone, delivery shall be allowed at the destination port or airport on the strength of Bill of Entry assessed by Special Economic Zone Customs without any Transshipment Bond:

Provided that in case of high value goods imported through the airport, the goods may be transferred to the Custodian who shall transfer the same to a designated Customs Area located inside the Processing Area designated by the Specified Officer for further delivery to the Unit or Developer:

Provided further that the high value cargo imported through the airport may also be transferred under the Customs escort at the option of the Unit or the Developer

29. (1) Direct delivery shall be permitted at the place of import for clearance of goods imported by Units and Developer from ports or airports or land customs stations or inland container depots as is being done in the case of import of perishable or lifesaving drugs.

(2) The Unit or Developer, hereinafter referred to as the Special Economic Zone Importer, shall follow the following procedure for imports, namely:-

(a) the Special Economic Zone Importer shall file Bill of Entry for home consumption in quintuplicate giving therein, description with specially stamped endorsement as "Special Economic Zone Cargo" along with Bill of Lading or Airway Bill and invoice and packing list with the Authorized Officer who shall register and assign a running annual serial number and assess the Bill of Entry, on the basis of transaction value, which shall not require any counter signature of the Specified Officer:

Provided that where the Bill of Entry is not assessed on the date of filing itself, the goods shall be allowed to be transferred to Special Economic Zone Importer on the basis of the registered Bill of Entry, if an endorsement to this effect has been made by the Authorized Officer:

Provided further that where the goods including Capital Goods are supplied free of cost or on loan or lease basis, the Bill of Entry shall be filed jointly in the name of the Special Economic Zone importer, and the supplier:

Provided also that where the goods including Capital Goods are supplied on loan or lease basis by a domestic supplier, the Bill of Entry shall be filed jointly in the name of the Special Economic Zone importer and domestic supplier;

(b) the registered or assessed Bill of Entry shall be submitted to the Customs Officer at the place of import and the same shall be treated as permission for transfer of goods to the Special Economic Zone Importer;

(c) in case of sealed full container load, the goods shall be transferred to Special Economic Zone on the basis of registered or assessed Bill of Entry after verification of the seal, without customs escort;

(d) in case of other cargo, goods shall be allowed to be transferred to Special Economic Zone on the basis of registered or assessed Bill of Entry either under customs escort or under transshipment procedure, at the option of Special Economic Zone Importer:

Provided that no separate documents or transshipment bond shall be required to be filed and the transshipment permission shall be stamped on the fifth copy of the Bill of Entry;

(e) on arrival of goods as full container load cargo or sealed truck, seal on the container or the truck, as the case may be, shall be verified by the authorized officer, at the Special Economic Zone gate of entry;

(f) on arrival of goods in less than container load cargo, verification of marks and numbers shall be carried out at random by the authorized officer at the Special Economic Zone gate of entry:

Provided that where verification of marks and numbers of less than container load cargo cannot be undertaken at Special Economic Zone gate of entry, the goods shall be allowed to be taken directly to the premises of the Special Economic Zone Importer or to the premises of the custodian, as the case may be, and verification undertaken there;

- (g) the Special Economic Zone importer shall submit fifth copy of Bill of Entry bearing endorsement of the authorized officer that the goods have been received in Special Economic Zone, to the Customs Officer in charge of the airport or port or inland container depot or land customs station or post office or public or private bonded warehouses, as the case may be, within forty-five days from the date of clearance of goods from such airport or port or inland container depot or land customs station or post office or public or private bonded warehouse, as the case may be, failing which the officer in charge of such airport or port or inland container depot or land customs station or post office or public or private bonded warehouse, as the case may be, shall write to the Specified Officer for raising demand of applicable duty from the Special Economic Zone importer;
- (h) endorsement regarding verification of marks and numbers in case of less than container load cargo or inspection of seal in the case of full container load cargo or sealed truck by the authorized officer and the receipt of the goods by the Special Economic Zone importer shall be deemed to be the completion of the customs procedure for out of charge of the goods.

(i) where goods are imported through courier –

- (a) the authorized officer shall assess the goods;
- (b) the courier shall deliver the goods under customs escort or to the custodian for delivery of goods to Special Economic Zone Importer;
- (c) in case the Special Economic Zone is located away from the station where the goods have been imported by the courier, the goods shall be transshipped to Special Economic Zone Importer under transshipment procedure:

Provided that no separate documents or transshipment bond shall be required to be filed and the transshipment permission shall be stamped on the fifth copy of the Bill of Entry.

Provided further that if the Special Economic Zone Importer is not able to get the courier parcels duty free, the duty paid by the said Importer on such eligible goods shall be refunded by the Specified Officer as if the imported goods have been exported to the Special Economic Zone and such refund shall be in accordance with the provisions of section 74 of the Customs Act, 1962.

(3) The procedure for delivery through the Port, Inland Container Depot,

Custodian's designated customs area, in case of high value parcels imported by gem and jewellery Units, located in Special Economic Zone shall be as under:-

(i) where goods are consigned to an Inland Container Depot located in a Special Economic Zone, transfer of goods shall be by the carrier appointed for the purpose and the goods shall be delivered to the Inland Container Depot in the Special Economic Zone by the container line or custodian.

(ii) after receipt of goods in the Special Economic Zone Inland Container Depot, delivery of goods shall be made by the custodian of the Inland Container Depot after verification of marks and number of packages of less than container load cargo and verification of seal of full container load cargo, in the premises of the custodian on the basis of assessed Bill of Entry.

(iii) filing of advance Bill of Entry may not be required before arrival of the goods in the Special Economic Zone and the Special Economic Zone Importer may, at his option, file the Bill of Entry before or after arrival of goods:

Provided that where verification cannot be undertaken in the premises of the custodian or if the Special Economic Zone importer so requests, goods shall be allowed to be taken to the premises of the Special Economic Zone Importer, by the Specified Officer and thereafter the goods may be verified there.

(iv) there shall be no examination of the goods and the goods shall be deemed to be out of charge on the day of handing over of the goods to the Special Economic Zone Importer.

(4) Procedure for Import by Post.- where goods are imported by post, the Special Economic Zone Importer shall follow the procedure specified in sub-rule (2) and shall file the Bill of Entry with the authorized officer with clear marking as "Postal Imports" and subject to following conditions, namely:-

- (i) the post-office registration number as indicated in the intimation letter issued by the post office shall be taken as the import general manifest and item number of the Bill of Entry;
- (ii) the copy of intimation letter received from the post office shall be pasted on the reverse side of the original Bill of Entry;
- (iii) where Special Economic Zone is situated away from the foreign post office, goods shall be moved to Special Economic Zone under customs escort or shall be handed over to the custodian of Special Economic Zone or delivered to the Unit or its authorized representative after sealing of the parcel.

(5) The units may import goods including precious goods namely gold or silver or platinum or gem and jewellery as personal baggage through an authorized passenger subject to the following procedure, namely:-

- (i) the authorized passenger bringing the precious goods shall declare the

goods with the customs authorities at the airport in the arrival hall in the declaration form as specified by Commissioner of Customs in charge of the airport along with a duly acknowledged copy of intimation submitted to the authorized officer;

- (ii) the authorized passenger shall hand over the goods duly packed indicating name and address of the consignee Unit and accompanied by invoice and packing list to the customs authorities at the airport for detention in the warehouse under a detention receipt;
- (iii) the customs officer of the airport shall detain the goods and issue detention receipt;
- (iv) the Unit shall file Bill of Entry in quintuplicate along with a copy of invoice, packing list and declaration with the authorized officer and the detention receipt number issued by the customs officer at the airport shall be treated as Import General Manifest and item number;
- (v) after assessment of Bill of Entry, original Bill of Entry shall be retained by the authorized officer and the remaining copies shall be handed over to the authorized representative of the Unit for presenting at the airport detention counter where goods shall be allowed clearance after receiving the original detention receipt along with the authorization from the Unit, by making entries in the warehouse register and detention receipt register;
- (vi) after release, the goods shall either be moved to the Unit under the Customs escort or shall be delivered to the Custodian or authorized representative of the Unit after sealing;
- (vii) the goods shall be allowed to be taken to the Unit after verification of marks and number of packages by the Authorized Officer at the gate of entry of the Special Economic Zone.

(6) For the import of computer software or services through data communication or telecommunication links, the Unit shall file consolidated Bill of Entry for a month within three working days of the closure of the month along with the invoice and other relevant documents and shall obtain notional 'out of charge' from the Authorized Officer, subject to the following conditions, namely:-

- (i) import documents shall be routed through banks or advance payments for imports could be routed through Foreign Currency Account;
- (ii) instructions, if any, issued by the Reserve Bank of India, from time to time, in this behalf shall be complied with.

(7) A Unit may import the goods exported by it which are either found to be defective or damaged by the overseas buyer or have not been taken delivery of by the overseas buyer, by following the procedure under sub-rule (2) and subject to

the following conditions: -

- (i) the identity of the goods is established at the time of re-import ; and
- (ii) the goods are re-imported within the warranty period or the validity of the maintenance contract or a period of one year from the date of export, whichever is later.

(8) Replacement of goods imported but found defective shall be allowed admission in Special Economic Zone by way of import or replacement through authorized dealer of the overseas supplier in India.

30. Procedure for procurements from the Domestic Tariff Area.- (1) The Domestic Tariff Area supplier supplying goods to a Unit or Developer shall clear the goods, as in the case of exports, either under bond or as duty paid goods under claim of rebate on the cover of ARE-1 referred to in notification number 40/2001-Central Excise (NT) dated the 26<sup>th</sup> June, 2001 in quintuplicate bearing running serial number beginning from the first day of the financial year.

(2) Goods procured by a Unit or Developer, on which Central Excise Duty exemption has been availed but without any availment of export entitlements, shall be allowed admission into the Special Economic Zone on the basis of ARE-1.

(3) The goods procured by a Unit or Developer under claim of export entitlements shall be allowed admission into the Special Economic Zone on the basis of ARE-1 and a Bill of Export filed by the supplier or on his behalf by the Unit or Developer and which is assessed by the Authorised Officer before arrival of the goods:

Provided that if the goods arrive before a Bill of Export has been filed and assessed, the same shall be kept in an area designated for this purpose by the Specified Officer and shall be released to the Unit or Developer only after completion of the assessment of the Bill of Export;

(4) A copy of the ARE-1 and/or copy of Bill of Export as the case may be, with an endorsement by the authorized officer that goods have been admitted in full into the Special Economic Zone shall be forwarded to the Central Excise Officer having jurisdiction over the Domestic Tariff Area supplier within forty-five days failing which the Central Excise Officer shall raise demand of duty against the Domestic Tariff Area supplier;

(5) Where a Bill of Export has been filed under a claim of drawback or Duty Entitlement Pass Book, the Unit or Developer shall claim the same from the Specified Officer and jurisdictional Development Commissioner respectively and in case the Unit or Developer does not intend to claim entitlement of drawback or Duty Entitlement Passbook Scheme, a disclaimer to this effect shall be given to the Domestic Tariff Area Supplier for claiming such benefits:

Provided that the Duty Entitlement Passbook Scheme may be claimed by Domestic Tariff Area Supplier from the Development Commissioner or their jurisdictional Regional Licencing Authority of the Directorate General of Foreign Trade:

(6) The Bill of Export shall be assessed in accordance with the instructions and procedures, including examination norms, laid down by the Department of Revenue as applicable to export goods:

Provided that at the time of assessment, it shall be specifically examined whether the goods are required for the authorized operations by the Unit or Developer, with reference to the Letter of Approval or the list of goods approved by the Approval Committee for the Developer.

(7) On arrival of the goods procured from the Domestic Tariff Area at the Special Economic Zone gate, the Authorized Officer shall examine the goods in respect of description, quantity, marks and other relevant particulars given in the ARE-1, invoice, Bill of Export and packing list and also as per the examination norms laid down in respect of export goods in cases where the goods are being procured under claim of an export entitlement.

(8) Drawback or Duty Entitlement Pass Book credit against supply of goods by Domestic Tariff Area supplier shall be admissible provided payments for the supply are made from the Foreign Currency Account of the Unit.

(9) A copy of the Bill of Export and ARE-1 with an endorsement of the Authorized Officer that the goods have been admitted in full in the Special Economic Zone, shall be treated as proof of export.

(10) Where the goods are to be procured by a Unit or Developer from a Domestic Tariff Area supplier who is not registered with the Central Excise authorities, or is a trader or merchant exporter, the procedure under sub-rule (1) and (2) above shall apply, *mutatis mutandis*, except that the goods shall be brought to the Special Economic Zone under the cover of an Invoice and the ARE-1 shall not be required.

(11) The Unit or Developer may also procure goods from Domestic Tariff Area without availing exemptions, drawbacks and concessions on the basis of invoice or transport documents, issued by the supplier;

Provided that such invoices or transport documents shall be endorsed to the effect that no exemptions, drawbacks and concessions have been availed on the said supplies.

(12) Procedure for procurement from warehouse shall be as under: -

(a) where goods are to be procured from warehouse, a Unit or Developer shall file a Bill of Entry with the specified Officer;

(b) the Unit or Developer shall submit Bill of Entry assessed by the Authorized Officer to the Customs Officer in charge of the warehouse from where the Special Economic Zone Unit or Developer intends to procure the goods;

(c) the Customs Officer in charge of the warehouse shall allow clearance of the goods from the warehouse for supply to the Unit or Developer

without payment of duty on the cover of ex-bond Shipping Bill and on the basis of Bill of Entry duly assessed by the Authorized Officer;

(d) where the re-warehousing certificate by way of endorsement by the Authorized Officer on the copy of ex-bond Shipping Bill is not received by the Customs Officer in charge of warehouse within forty-five days from the date of clearance of the goods from the warehouse, the Customs Officer in charge of the warehouse shall proceed to demand applicable duty from the supplier:

Provided that for procurement of goods from Nominated Agency located in Special Economic Zone, the procedure as specified by Specified Officer shall be followed and there shall be no requirement of assessment of Bill of Entry or transfer of the goods under the cover of ex-bond Shipping Bill.

(13) A Special Economic Zone Unit or Developer may also procure goods from international exhibitions held in India following the procedures under sub-rule (12).

(14) A Unit or Developer may also procure goods or services, without payment of duty from an Export Oriented Unit or Software Technology Park Unit or Bio-Technology Park Unit, by following procedures under sub-rule (12).

(15) A Unit or Developer may procure goods and services from another Unit located in the same or any other Special Economic Zone, subject to following conditions, namely:-

- (i) the receiving Unit or Developer shall file Bill of Entry for home consumption with the Authorized Officer, in quintuplicate, giving description of the goods along with an invoice and packing list for assessment;
- (ii) on the basis of such assessed Bill of Entry, the goods shall be allowed to be transferred to the receiving Unit or Developer under transshipment permit;
- (iii) there shall be no requirement to file any additional documents or bond(s) for the purpose of transshipment of goods and the transshipment permission shall be stamped on the Bill of Entry itself;
- (iv) the supplying Unit shall submit the re-warehousing certificate to the Specified Officer having jurisdiction over the supplying unit within forty five days, failing which the Specified Officer of the supplying Unit shall write to the Specified Officer having jurisdiction over the receiving Unit or Developer for demand of duty from the receiving Unit or Developer;

(v) where the supplying and receiving Units or Developer are located in the same Special Economic Zone, the provisions of sub rules (i) to (iv) shall not apply and the movement of goods shall be allowed and such transactions shall be recorded in the regular books of accounts of the receiving Unit or Developer and the supplying Unit and no Bill of Entry shall be required to be filed.

(16) Procurement of cut and polished diamonds and precious and semi precious stones from Domestic Tariff Area.- A gem and jewellery Unit may procure cut and polished diamonds and precious and semi precious stones from the Domestic Tariff Area, as per the following procedure, namely :-

- (i) the parcel shall be brought into the Zone in a sealed condition by the authorized representative of the Domestic Tariff Area supplier or Customs House Agent, who shall present the invoice clearly marked original, duplicate and triplicate to the Authorized Officer at the gate;
- (ii) the Authorized Officer shall register the invoice at the gate of the Special Economic Zone and endorsing the registration number on the original and duplicate copies of the Invoice and the parcel shall be allowed to be taken into the premises of the Unit and such goods shall be separately accounted for by the Unit;
- (iii) the duplicate copy of the invoice with the endorsement of the Authorized officer shall be forwarded to the supplier in the Domestic Tariff Area for claiming Replenishment Licence from the Development Commissioner of the Special Economic Zone.

31. The exemption from payment of service tax on taxable services under section 65 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) rendered to a Developer or a Unit (including a Unit under construction) by any service provider shall be available for the authorized operations in a Special Economic Zone.

32. The exemption from levy of taxes on sale or purchase of goods, other than newspapers, under the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956) shall be available on goods meant for undertaking authorized operations by the Developer or the Unit:

Provided that the dealer selling goods in the course of inter state trade or commerce to a registered dealer under the Central Sale Tax Act, 1956 shall furnish a declaration in Form – I prescribed under the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957.

33. Admission of goods.- Any goods imported or procured from Domestic Tariff Area, required for authorized operations, shall be admitted into the Special Economic Zone subject to the following conditions, namely:-

- (i) the goods imported or procured from Domestic Tariff Area shall be brought into the premises of Unit;

(ii) the goods, which require frequent entry into and exit from the Zone and which are not required for carrying out authorized operations shall be allowed into or out of the Special Economic Zone on the basis of general permission of the Specified Officer, who shall record the reasons for such permission;

(iii) hazardous goods may be admitted into specially designated area or installation of Special Economic Zone subject to such safeguards as may be specified by Specified Officer;

34. Utilization of goods. - The goods admitted into a Special Economic Zone shall be used by the Unit or the Developer only for carrying out the authorized operations but if the goods admitted are utilized for purposes other than for the authorized operations or if the Unit or Developer fails to account for the goods as provided under these rules, duty shall be chargeable on such goods as if these goods have been cleared for home consumption:

Provided that in case a Unit is unable to utilize the goods imported or procured from Domestic Tariff Area, it may export the goods or sell the same to other Unit or to an Export Oriented Unit or Electronics Technology Park Unit or Software Technology Park Unit or Bio-technology Park Unit, without payment of duty, or dispose off the same in the Domestic Tariff Area on payment of applicable duties on the basis of an import licence submitted by the Domestic Tariff Area buyer, wherever applicable.

35. Co-relation of import consignment with corresponding export consignment. - The Unit shall account for the entire quantity of goods imported or procured duty free, by way of export, sales or supplies in Domestic Tariff Area or transfer to other Special Economic Zone Unit or Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park unit or Software Technology Park Unit or Bio-technology Park Unit or bonded warehouses and the balance held in stock:

Provided that at no point of time the Unit shall be required to co-relate every import consignment with its export or transfer to other Special Economic Zone Unit or Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park unit or Software Technology Park Unit or Bio-technology Park Unit or sales in Domestic Tariff Area or supply to bonded warehouses except in case of goods covered under proviso to clause (d) of sub-rule (4) of rule 18 and goods held as stock and the Unit may adopt 'First-in-First-Out' method and a consignment which has been received first, shall be deemed to have been utilized first.

36. Filing of documents for admission and removal. - All documents for admission of goods into and out of Special Economic Zone shall be filed before the Authorized Officer of Customs.

37. Duration of goods or services in a Special Economic Zone. - (1) The goods admitted to a Special Economic Zone shall be utilized, exported or disposed off in accordance with the Act and rules within the validity period of the Letter of Approval issued to the Unit or in the case of a Developer within a period of one year or such extended period as may be allowed by the Specific Officer under sub-rule (5) of rule 12.

(2) On failure to utilize or dispose off goods as provided such goods shall be liable for payment of duty as if the goods have been removed to Domestic Tariff Area on the date of expiry of the said validity period under sub-rule (1).

38. Transfer of ownership and removal of goods.- The goods or services admitted into Special Economic Zone without payment of duty or manufactured or produced or partly processed or semi-finished goods may be transferred or given on loan to a Unit or Developer within the same Special Economic Zone or in another Special Economic Zone or to an Export Oriented Unit or to a unit in Electronic Hardware Technology Park or to a Unit in Software Technology Park, Bio-Technology Park unit without payment of duty, subject to the following conditions, namely:-

- (i) the transferee or loanee Unit or Developer is entitled for duty free procurement of the goods for its authorized operations;
- (ii) the supplying and receiving Unit or Developer, as the case may be, shall maintain proper account of goods transferred or of goods given or taken on loan;
- (iii) the goods transferred or given on loan basis shall not be counted for the purpose of Net Foreign Exchange Earning by the Unit;
- (iv) the transferred goods (other than the raw material procured from Domestic Tariff Area) shall be accounted, as import by the receiving unit while the value of the same shall be deducted from the import of the transferring unit;
- (v) transfer or loan of goods to Units or developers in other Special Economic Zones or to Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park unit or Software Technology Park unit or Bio-technology Park unit shall be allowed with the prior written permission of the Specified Officer and subject to such conditions as may be imposed.

39. Destruction of goods.- (1) After advance intimation to the Specified Officer, a Unit may destroy, without payment of duty, goods including capital goods, procured from Domestic Tariff Area or goods imported or goods manufactured or produced by the Unit including rejects or waste or scrap or remnants within the Special Economic Zone:

Provided that obtaining environmental clearance if any required for such destruction shall be the responsibility of the Unit.

(2) Where it is not possible to destroy goods within the Special Economic Zone, destruction of goods under sub-rule (1) shall be carried out, outside the Special Economic Zone with the permission of Specified Officer and in the presence of the Authorized Officer:

Provided that destruction of precious and semi-precious stones and precious metals shall not be allowed.

(3) The Unit shall be required to pay back the drawback and Duty Exemption Pass Book credit availed in of case destruction of goods procured from Domestic Tariff Area.

(4) Where any goods procured from Domestic Tariff Area under claim of drawback or Duty Entitlement Passbook Scheme credit or under any export promotion scheme are destroyed due to natural calamities, the zone unit shall be required to pay drawback or Duty Entitlement Passbook Scheme credit claimed on such goods:

Provided that in case where the Unit has procured the goods from Domestic Tariff Area against payment of foreign exchange, the Unit shall not be liable to pay back drawback or Duty Entitlement Passbook Scheme credit or any export incentive claimed on such goods.

40. Movement of goods to and from non-processing area.- The movement of goods to and from non-processing area to a processing area and from one processing area of Special Economic Zone to a different processing area of the same Special Economic Zone shall be under serially numbered challans pre-authenticated by the owner or Managing Director or working partner or the company secretary or by any person duly authorized in this behalf by the company or firm, as the case may be, and the challans shall contain complete description of goods.

41. Sub-Contracting.- (1) A Unit, may subcontract a part of its production or any production process, to a unit(s) in the Domestic Tariff Area or in a Special Economic Zone or Export Oriented Unit or a unit in Electronic Hardware Technology Park unit or Software Technology Park unit or Bio-technology Park unit with prior permission of the Specified Officer to be given on an annual basis and subject to following conditions, namely: -

- (a) the finished goods requiring further processing or semi-finished goods including studded jewellery, taken outside the Special Economic Zone for sub-contracting shall be brought back into Unit within one hundred and twenty days or within such period as may be extended by the Specified Officer for reasons to be recorded in writing for grant of such extension;
- (b) cut and polished diamonds and precious and semi-precious stones (except rough diamonds, precious or semi-precious stones having zero duty) shall not be allowed to be taken outside the Special Economic Zone for sub-contracting;
- (c) a gem and jewellery Unit may receive plain gold or silver or platinum jewellery from the Domestic Tariff Area or from an Export Oriented Unit or from a Unit in the same or another Special Economic Zone in exchange of equivalent content of gold or silver or platinum contained in the said jewellery after adjusting permissible wastage or manufacturing loss allowed under the provisions of the Foreign Trade Policy read with

the Handbook of Procedures;

(d) in sub-contracting or exchange, wastage shall be permitted as per the wastage norms admissible under the Foreign Trade Policy read with the Handbook of Procedures;

Provided that the total wastage of the Unit, including the wastage of the subcontractor or the supplier of Jewellery on exchange basis, shall not in any case exceed the wastage permissible under the Foreign Trade Policy read with the Handbook of Procedures;

(e) the Domestic Tariff Area Unit undertaking sub-contracting or supplying jewellery against exchange of gold or silver or platinum shall not be entitled to export entitlements;

(f) the value of the sub-contracted production of a Unit in any financial year shall not exceed the value of goods produced by the Unit within its own premises in the immediately preceding financial year;

Provided that a Unit, sub-contracting part of the production or production process to other Unit in the same Special Economic Zone shall not require the permission of the Specified Officer provided that both the supplying and receiving Units shall maintain proper account of the goods involved in the subcontracting.

**Explanation:** For removal of doubts it is clarified that the expression "subcontracting" of a part of its production under this rule shall mean sub-contracting all the production processes for conversion of raw material into finished products but only for a part of the quantity of the finished products exported during the year or in the first year of production, the value of the goods subcontracted shall not exceed the value of goods produced by the unit in its own premises during the first year of production.

(g) a Unit engaged in trading or warehousing shall not be allowed the facility of subcontracting of production or production process in the domestic tariff area;

(h) a Unit may remove, with the permission of Specified Officer, moulds or jigs or tools or fixtures or tackles or instruments or hangers and patterns and drawings to the premises of sub-contractor(s), subject to the condition that these shall be brought back to the premises of the Unit immediately on expiry of such sub-contracting arrangement and submission of a quarterly verification report from the Central Excise Officer having jurisdiction over the sub-contractor that such goods are lying in the sub-contractor's premises and are being used for production of goods on account of the Unit;

(i) raw materials, components and consumables excluding fuel may be sent along with these goods, or separately.

(2) The Development Commissioner may also permit subcontracting of part of the production process abroad and in such cases, the goods may be exported from

the sub-contractor's premises abroad subject to following conditions, namely:-

- (a) sub-contracting charges shall be declared in the export declaration forms and invoices and other related documents;
- (b) the export proceeds shall be fully repatriated in favour of the Unit.

42. Procedure for sub-contracting in Domestic Tariff Area or in a Unit in other Special Economic Zones or in Export Oriented Unit or in Electronic Hardware Technology Park unit or in Software Technology Park Unit or Bio-technology Park Unit or sub-contracting abroad. (1) A Unit may take goods, including finished goods requiring further processing or semi-finished or semi-processed goods, including studded jewellery or inputs to the sub-contractor's premises – (i) for sub-contracting any production process; or (ii) part of the production, without payment of duty, subject to following conditions, namely:-

- (a) the Unit shall wherever possible apply for the permission at the time of project approval itself and based on such initial approval, the Specified Officer shall permit sub-contracting of part of production process(es) or part of the production;
- (b) where the permission has not been taken at the time of project approval or a new permission is sought, the unit shall file an application containing the name and address of the sub-contractor(s), Central Excise registration number in the case of the Domestic Tariff Area sub-contractor, if registered, and details of the processes to be carried out or quantum of production sought to be carried out at the sub-contractor's premises and self certified input output ratio for the said processes;
- (c) after examination of details under sub clause (b), the Specified Officer may grant annual permission for sub-contracting any production process or sub-contracting part of the production, as the case may be;
- (d) the Unit, removing raw materials, consumables excluding fuel and components, imported or domestically procured without any processing, for sub-contracting into the Domestic Tariff Area, shall furnish bank guarantee to Specified Officer to cover the duty foregone on such materials being taken out for sub-contracting;

Provided that bank guarantee shall not be required by a unit whose turnover is rupees one crore or above or where the unit is in the Special Economic Zone for more than a period of two years with an unblemished track record;

- (e) the Specified Officer or the Authorized Officer may make random checks either at the job worker's premises or after receipt of goods from the job worker at the Special Economic Zone gate for the purpose of verification of goods which were sent and received;

Provided that where the precious metal in bullion form, having marking of fineness or purity or make or serial number is taken out of the Special Economic Zone for

sub-contracting, appraisal of precious metals shall not be mandatory;

(f) a Unit shall remove the goods under serial numbered challans pre-authenticated by the owner or Managing Director or working partner or the company secretary or by any person duly authorized in this behalf by the company or firm, as the case may be and complete description of goods shall be provided on the challan;

(g) the authorized officer at the Special Economic Zone gate shall note down the identification marks of the goods for verification of the goods when received back after subcontracting;

Provided that where sensitive items are sent out for sub-contracting, based on the risk profile or past performance of the unit, sample may be drawn and retained by the Specified Officer, if required:

Provided that for gem and jewellery Units, there shall be no requirement for drawal of samples;

(h) the goods sent out for sub-contracting shall be returned to the Unit within one hundred and twenty days from the date of removal or within such period as may be extended by the Specified Officer for reasons to be recorded in writing for granting such extension;

(i) in case of failure by the Unit to bring back the goods after sub-contracting within the period under sub clause (h), action shall be taken by the Specified Officer to recover the duty on the goods taken out for sub-contracting.

(2) The Specified Officer may permit the Unit to export the finished goods directly from the sub-contractor's premises subject to following conditions, namely:-

- (i) the sub-contractor is an Export Oriented Unit or an Electronic Hardware Technology Park Unit or Bio-technology Park Unit or a Special Economic Zone Unit or a Domestic Tariff Area Unit which is registered with the Central Excise Department;
- (ii) export of finished goods from the sub-contractor's premises shall be allowed only by way of direct export and not through third party;
- (iii) sample of goods exported from the sub-contractors premises shall be sent by the sub-contractor in sealed condition, to the Specified Officer for establishing identity of the goods exported with the sample drawn at the time of taking out of the goods to the sub-contractor;
- (iv) shipping Bill for duty free goods shall be processed at the port of export as in the case of normal export and shipping bill shall be filed in the name of the Unit and sub-contractor;
- (v) goods for such export shall be removed from the sub-contractor's

premises under bond:

Provided that in case of subcontracting abroad, the goods shall either be returned to the Unit or may be sold to buyers in that country or any third country.

(3) Waste, scrap or remnants generated during processes at the sub-contractor's premises may either be returned to the Unit or may be cleared on payment of duty as if the said waste or scrap or remnants have been cleared by the Unit or may be destroyed at the sub-contractor's premises in the presence of jurisdictional Central Excise Officer if the sub-contractor is a Central Excise registrant:

Provided that in case of clearance of waste or scrap at sub-contractor's premises on payment of duty or destruction thereof the same shall be in accordance with the Standard Input Output Norms notified for the Duty Exemption Entitlement Scheme under the Foreign Trade Policy or as fixed by Approval Committee:

Provided that where the subcontractor's premises are located abroad, the scrap, waste or remnants generated at the sub-contractors premises may either be returned to the Unit or may be disposed off abroad;

(4) A Unit may sub-contract a part of production or production process in another Unit within the same Special Economic Zone subject to the following conditions, namely:-

- (i) the movement of goods shall be under serially numbered challans and record of such movement of goods shall be maintained by the Unit;
- (ii) raw material imported or procured by the Unit for manufacture of capital goods may be transferred to another unit for the purpose of manufacture or fabrication of capital goods for use by the Unit which had imported or procured the raw materials.

43. Sub-contracting for Domestic Tariff Area unit for export.- A Unit may, on the basis of annual permission from the Specified Officer, undertake sub-contracting for export on behalf of a Domestic Tariff Area exporter, subject to following conditions, namely:-

- (a) all the raw material including semi-finished goods and consumables including fuel shall be supplied by Domestic Tariff Area exporter;
- (b) finished goods shall be exported directly by the Unit on behalf of the Domestic Tariff Area exporter;

Provided that in case of subcontracting on behalf of an Export Oriented Unit or an Electronic Hardware Technology Park unit or an Software Technology Park unit or Bio Technology Park unit, the finished goods may be exported either from the Unit or from the Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park unit or Software Technology Park unit or Bio-Technology Park unit;

- (c) export document shall be jointly in the name of Domestic Tariff Area

exporter and the Unit;

(d) the Domestic Tariff Area exporter shall be eligible for refund of duty paid on the inputs by way of brand rate of duty drawback.

**44. Contract Farming.**— A Unit engaged in production or processing of agriculture or horticulture products, may, on the basis of annual permission from the Specified Officer, remove to a farm in the Domestic Tariff Area, inputs, namely, seeds, fertilizers and chemicals for pre and post harvest treatment, micro nutrients, plant and growth regulators and other organic and inorganic substances used for plant nutrition, insecticides, fungicides, weedicides, herbicides and the following equipments, namely:-

- (a) Filters;
- (b) Dripliers, Driplines and Drip-fittings;
- (c) Micro sprinklers and misters;
- (d) Agriculture sprinklers;
- (e) Fertilizer Tanks;
- (f) Valves;
- (g) Fertilizer pumps and chemical injections;
- (h) Crates, drums and preservation media (Such as acetic acid and vinegar);
- (i) Grading Tables;
- (j) Green House equipment, accessories, heated rooting tables, propagation trays, seeding machines;
- (k) Plants or parts thereof, seeds, saplings, tubers, bulbs, rhizomes, root cuttings, all types of grafts, tissue culture material and other vegetatively propagated material utilized for sowing or planting;
- (l) Growing media such as Peat Moss (including peat litres whether or not agglomerated), Perlite/ vermiculite, rockwool, coca peat, hydrocorn, foam based medium and other cultivation medium;

Provided that the removal of such items shall be subject to following conditions, namely: -

- (i) supply of inputs by Unit to the contract farm(s) shall be subject to the input-output norms as may be approved by the Board;
- (ii) there shall be contract farming agreement between the Unit and the Domestic Tariff Area farmer(s);
- (iii) the Unit has been in existence for at least two years and is engaged in export of agriculture or horticulture products;

Provided that bank guarantee equivalent to the duty foregone on the capital goods or inputs proposed to be taken out shall be furnished to the Specified Officer if the Unit has not been in existence for two years;

**45. Exports.**— (1) A Unit may export goods or services as per the terms and conditions of Letter of Approval including agro-products, partly processed goods, sub-assemblies and components except prohibited items under the Import Trade Control (Harmonized System) Classification of Export and Import Items and the

Unit may also export by-products, rejects, waste scrap arising out of the manufacturing process.

(2) A Unit, other than a trading or Free Trade and Warehousing or service Unit, may export to Russian Federation in Indian Rupees against repayment of State Credit or Escrow Rupee Account of the buyer, subject to clearance from the Reserve Bank of India, required, if any.

(3) A Unit engaged in development of computer software may undertake export, including export of professional services, using data communication links or do physical exports, including through courier service.

(4) The Foreign Trade Policy restrictions on State Trading Enterprises shall not apply to Special Economic Zone manufacturing Units:

Provided that export of iron ore shall be subject to conditions as may be laid down by the Central Government from time to time.

(5) Minimum export price and requirements of export in consumer pack as provided for in the Foreign Trade Policy shall apply in case the raw materials are procured indigenously and exported without further processing or manufacturing activities.

(6) The export of textile items shall be governed by bilateral agreements, if any.

(7) A Unit may export free samples without any limit, including samples made in wax moulds or silver mould or non precious metal alloy or rubber moulds through all permissible modes of export.

46. Procedure for Export. - (1) The procedure for export from Special Economic Zone through seaports or airports or Inland Container Depot or Container Freight Station or Land Customs Station or by Post or by Courier or by Personal Carriage, as the case may be, shall be as under: -

(a) the Unit shall file Shipping Bill, in quadruplicate, with the Authorized Officer of Customs in the Special Economic Zone together with relevant documents, namely, invoice, packing list and Currency Declaration Form (GR) (in duplicate):

Provided that there shall be exemption from declaration in the forms, GR or SDF or PP or SOFTEX as referred in the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000 notified vide Reserve Bank of India Notification No: FEMA 23/2000-RB dated 3<sup>rd</sup> May, 2000 as amended from time to time in respect of export value up to US\$ twenty five thousand or for export value as may be notified by the Reserve Bank of India, from time to time;

(b) the Shipping Bill shall be registered, assigned a running serial number and assessed by the Authorized Officer in the manner and procedure as is followed in case of exports under free shipping bill without any requirement of the counter signature;

(c) the goods shall not be subjected to routine examination and 'Let Export Order' shall be given on the basis of self certification by the Unit:

Provided that goods may be sealed after examination, as per the norms prescribed for free shipping bills, at the option of the Unit, by the Authorized Officer

Provided further that if services are exported in non-physical form, the export value is to be furnished by the Unit on self certification basis as per the instructions of the Reserve Bank of India.

*Explanation.-* "Self certification" means the certification regarding sealing of container or package of goods under export given by the Unit and includes the certificate regarding contents and sealing of the container or package given by the owner or the working partner or the Managing Director or the Company Secretary of the said Unit or any person authorized in this behalf by the owner or company or working partner, as the case may be, on the copies of Shipping Bill stating that the package or container in respect of goods under export have been sealed in his presence;

(d) the goods may be examined at the port, airport Inland Container Depot or Container Freight Station or Land Customs Station only in case of specific intelligence or information after obtaining the written permission of Deputy or Assistant Commissioner of Customs having jurisdiction over the said port, airport, Inland Container Depot or Container Freight Station or Land Customs Station, as the case may be, in writing;

(e) the Unit may export through Inland Container Depot located in the Special Economic Zone, or through any port or airport or Inland Container Depot:

Provided that in case of export of large quantities of cargo where it may not be possible to ship the cargo from the Special Economic Zone in one consignment, the Specified Officer may allow the export of such cargo on execution of a Bond for the duty involved subject to the condition that the Unit shall submit the proof of export within ninety days of removal of such cargo under Bond, failing which applicable duty on the goods not exported shall be payable in terms of the Bond;

(2) The procedure for export of gems and jewellery shall be as under:-

(i) the shipping bill and the invoice alongwith packing list presented to the authorized officer shall contain the following:

- (a) description of the items;
- (b) weight and purity of gold or silver or platinum and the type of gems stone, such as, diamond, ruby, sapphire, cubic zircon and the like which has been used for studding and its weight in carats; and
- (c) free on board price rate of the jewellery item and quantity in pieces and the total value;

(ii) the Unit may export jewellery on the basis of a notional rate certificate

issued by the Nominated Agency and this rate will be based on the prevailing Gold or US Dollar rate and the US Dollar or Indian Rupees rate given in the notional rate certificate:

Provided that the certificate issued by the Nominated Agency shall not precede the date of shipment by more than three working days or as may be notified by Central Government;

(iii) the Unit obtaining gold or silver or platinum from the Nominated Agency on loan basis shall export gold or silver or platinum jewellery within the period prescribed for the same under the Foreign Trade Policy:

Provided that the unit can convert such loan into outright purchase by paying the outstanding loan amount plus interest provided they exercise this option within the period prescribed under the Foreign Trade Policy.

(iv) in the case of export of jewellery on the basis of notional rate certificate issued by the Nominated Agency, the Unit may fix the price and repay the gold loan within the prescribed period for export as may be notified by the Central Government from time to time:

Provided that the price shall be communicated to the Nominated Agency for issue of a certificate showing the final confirmation of the rate to the bank negotiating the document.

(3) Procedure for export of software shall be as under:-

(i) a Unit may export software or processed data, including call center services via data link or internet or e-mail or through other electronic mode and the Software Export Declaration Form for such exports duly certified by Development Commissioner under the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulation, 2000, shall be submitted, to the authorized dealer within the period specified under the Foreign Exchange Management Act 1999. (42 of 1999);

(ii) a Unit may provide consultancy services "on site" abroad subject to submission of details of the contract or purchase order and foreign exchange remitted and the persons deputed abroad to the Authorised Officer;

(iii) the consideration received by the Unit for providing on site consultancy services in convertible foreign exchange shall be counted for the purpose of calculating positive Net Foreign Exchange Earning under rule 53.

(4) The Unit may export goods by post subject to the procedure applicable to export through Foreign Post Office.

(5) Export through couriers shall be allowed only if the courier is an authorised courier, being registered with the Commissioner of Customs having jurisdiction over

the gateway airport and the procedure specified in the Courier Export and Import (Clearance) Regulations, 1998 shall be followed:

Provided that Goods shall be allowed to be handed over to the courier by the custodian as per the procedure specified by the Specified Officer.

(6). A Unit may export goods to be carried by foreign bound passengers authorized by the Unit in this behalf as personal baggage, subject to the following conditions, namely:-

- (i) the Unit shall submit the shipping bill, invoice and Currency Declaration Form (GR) with the authorised officer;
- (ii) the Shipping Bill shall be assessed by the Authorised Officer in the same manner as is done in the case of exports under free shipping bill;
- (iii) the goods shall be transferred from the Special Economic Zone to the airport under the cover of assessed shipping bill by the authorized agency approved by the Specified Officer or under escort of Authorized Officer;
- (iv) the goods shall be deposited with the warehouse at the airport against a "detention receipt" issued by the Customs authorities at the airport;
- (v) the consignment shall be handed over to the authorized passenger at the time of departure on submission of original detention receipt;
- (vi) the Unit shall submit to the Specified Officer, the proof of export issued by the Customs authority at the airport within a period of fifteen days from the date of removal of the goods from the Special Economic Zone;
- (vii) where the facility of custodian is available in the Special Economic Zone and the Airport, goods shall be transferred and delivered to the authorized passenger at the airport by the custodian.
- (viii) personal carriage of spare parts by foreign bound passenger shall be allowed in case the spare parts are required for repairs of exported goods at customer site and following documents shall be submitted as proof of export, namely:-
  - (a) permission letter from the authorised officer for exports; and
  - (b) invoice with value.
- (ix) personal Carriage of any goods for exports by authorized passenger on Document Against Acceptance or Cash On Delivery basis may be allowed provided the Unit submits following documents, namely:-
  - (a) copy of Shipping Bill; and
  - (b) the bank Certificate for realization of proceeds shall be submitted

within thirty days of delivery of the goods.

(x) personal carriage of gems and jewellery items of the value not exceeding US\$ two million or other goods not exceeding rupees five lakhs in value, for holding or participating in overseas exhibitions shall be permitted with the approval of the Development Commissioner and subject to the following conditions, namely:-

- (i) the Unit shall declare personal carriage of such goods to the Customs authorities at the airport while leaving the country and obtain necessary endorsement; and
- (ii) Unit shall bring back goods or repatriate the sale proceeds within forty five days from the date of closure of exhibition through normal banking channels or within such days as may be notified by the Central Government;
- (iii) for personal carriage of goods by foreign bound passenger, the following documents shall be submitted by a Unit as proof of exports, namely:-
  - (a) copy of shipping bill filed by the Unit;
  - (b) copy of the Currency Declaration Form filed by the Foreign buyer with the Customs at the time of his arrival;
  - (c) foreign exchange realisation or encashment certificate from the Bank;

(7) A Unit may display the goods in the showrooms set up at departure lounge in international Airports in India for sale to passengers leaving India subject to the conditions and procedures laid down by the Commissioner of Customs having jurisdiction of the Airport:

Provided that the items remaining unsold within a period of forty-five days shall be exported or returned to the Unit.

(8) A Unit may export goods, including gems and jewellery, for display or sale in the permitted shops set up abroad or in the show rooms of their distributors or agents:

Provided that the items not sold abroad within a period of one hundred and eighty days from the date of their export shall be imported within a period of forty-five days.

(9) A Unit may export goods, including gems and jewellery for display or participation in exhibitions abroad subject to following conditions, namely:-

- (i) the Unit shall give advance intimation to the Development Commissioner to participate in the exhibition abroad or for taking goods abroad for display and sale;
- (ii) shipping bill along with relevant documents shall be filed with the authorized officer in the same manner and following the same

procedure as applicable to free shipping bill;

- (iii) photographs of the items being taken out for exhibition, attested by the Unit, shall be furnished in case of gems and jewellery;
- (iv) goods unsold in the exhibition or display tour shall be imported within forty-five days from the completion of the exhibition or within such days as may be notified by the Central Government;
- (v) the Unit shall file Bill of Entry for import of unsold goods as required in case of imports and it shall be assessed in the same manner and subject to same procedure as applicable to imported goods;
- (vi) the goods so imported shall be allowed admission into the Unit free of duty, subject to establishment of identity of the goods with reference to export documents;

Provided that the examination of goods in such cases shall be restricted to ten per cent. of the consignments at random;

- (vii) the Unit shall submit proof of inward remittance in respect of goods sold in the exhibition.

(10) A Unit may export goods and services, through a another Unit or merchant exporter or status holder or Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park Unit or Software Technology Park Unit or Bio-technology Park Unit subject to following conditions, namely:-

- (i) goods or services shall be manufactured or developed in the Unit concerned;
- (ii) requirements of positive Net Foreign Exchange Earning or any other conditions relating to authorized operations shall continue to be discharged by the Unit;
- (iii) export orders so procured shall be executed within the provisions of these rules and the goods shall be directly transferred from the Unit to the airport or port of shipment;
- (iv) fulfillment of positive Net Foreign Exchange Earning by the Unit shall be reckoned on the basis of the price at which the goods or services were supplied by the Unit to the status holder or merchant exporter or other Unit or Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park Unit or Software Technology Park Unit or Bio-technology Park Unit;

Provided that such export shall be counted towards fulfillment of obligations of the Unit only.

(11) The procedure for export through a merchant exporter or status holder shall

be the following,-

- (i) goods shall be exported directly from the Special Economic Zone or through any other port where the merchant exporter files his shipping bill, in which case the goods shall move directly from the Special economic Zone to the said port of export on the basis of pink shipping bill as if these were movement of goods from one Warehouse to another;
- (ii) export document shall contain the name of the merchant exporter or the status holder and the Unit;
- (iii) merchant exporter or status holder, as the case may be, shall export goods under a free Shipping Bill and submit a disclaimer that no Drawback, Duty Exemption Pass Book credit or fulfillment of export obligation under any export promotion scheme under the Foreign Trade Policy shall be availed by him on the goods so exported.

(12) A Unit may transfer goods, including goods imported or procured from Domestic Tariff Area, to another Unit or Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park Unit or Software Technology Park Unit or Bio-technology Park Unit, subject to the following procedures, namely,-

- (i) the receiving Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park Unit or Software Technology Park Unit or Bio-technology Park Unit shall file Bill of Entry for warehousing, in quintuplicate along with invoice, procurement certificate issued by the Customs Officer incharge of the receiving Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park unit or Software Technology Park unit or Bio-technology Park unit and packing list with the Authorised Officer along with copy of the Letter of Approval and bonding licence;

Provided that in case the receiving Unit is a Special Economic Zone unit, Bill of Entry for home consumption shall be filed in place of Bill of Entry for warehousing

- (ii) on the basis of such Bill of Entry assessed by the Authorised Officer, goods shall be allowed to be cleared to receiving Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park Unit or Software Technology Park Unit or Bio-technology Park Unit or to a Unit in another Special Economic Zone ;
- (iii) the receiving Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park Unit or Software Technology Park Unit or Bio-technology Park Unit or Special Economic Zone Unit shall submit the re-warehousing certificate to the Authorised Officer having jurisdiction over the supplying Unit within forty-five days, failing which the Authorised Officer shall communicate this fact to the Officer of Customs or Excise having jurisdiction over the Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park Unit or Software Technology Park Unit or Bio-technology Park Unit or to the Specified Officer for demand of applicable duty from the receiving Export Oriented Unit or Electronic Hardware

Technology Park Unit or Software Technology Park Unit or Bio-technology Park Unit or Unit in another Special Economic Zone , as the case may be;

- (iv) where supplying and receiving Units are located in the same Special Economic Zone, movement of goods including raw materials shall be allowed subject to maintenance of accounts by both receiving and supplying Units and no Bill of Entry shall be required to be filed.

(13) The Authorized Officer may permit a Unit to transfer goods to an Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park Unit or Software Technology Park Unit or Bio-technology Park Unit or to a bonded warehouse, without payment of duty subject to following conditions, namely.-

- (i) the Unit shall transfer the goods against Procurement Certificate issued by the Central Excise or Customs Officer in charge of receiving Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park Unit or Software Technology Park Unit or Bio-Technology Park Unit;
- (ii) a warehousing Bill of Entry shall be filed by the Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park Unit or Software Technology Park Unit or Bio-technology Park Unit or by the supplying Special Economic Zone Unit on behalf of the receiving Export Oriented Unit or Software Technology Park Unit or Bio-technology Park Unit, as the case may be, with the Authorised officer;
- (iii) export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park Unit or Software Technology Park Unit or Bio-Technology Park Unit shall submit re-warehousing certificate duly signed by the Central Excise or Customs officer having jurisdiction over the receiving Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park Unit or Software Technology Park Unit or Bio-Technology Park Unit within a period of forty five days from the date of clearance of the goods to the Authorised Officer;
- (iv) where the Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park Unit or Software Technology Park Unit or Bio-Technology Park Unit fails to submit the re-warehousing certificate within the period of forty-five days of clearance of goods, the Authorised officer shall take up the matter with the Central Excise or Customs Officer of the receiving Unit to initiate recovery proceeding against such Export Oriented Unit or Software Technology Park Unit or Bio-Technology Park Unit, as the case may be;
- (v) where goods admitted into a Unit from Domestic Tariff Area on which entitlement under Duty Exemption Pass Book Scheme had been availed are removed as such or after subjecting it to a process not amounting to manufacture to an Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park Unit or Software Technology Park Unit

or Bio-Technology Park Unit directly or through a Unit in the same Special Economic Zone or another Special Economic Zone, the Customs duty equal to entitlement availed under the Duty Exemption Pass Book Scheme shall be paid.

## CHAPTER- V

### CONDITIONS SUBJECT TO WHICH GOODS MAY BE REMOVED FROM A SPECIAL ECONOMIC ZONE TO THE DOMESTIC TARIFF AREA

47. Sales in Domestic Tariff Area.- (1) A Unit may sell goods and services including rejects or wastes or scraps or remnants or broken diamonds or by-products arising during the manufacturing process or in connection therewith, in the Domestic Tariff Area on payment of Customs duties under section 30, subject to the following conditions, namely:-

(a) Domestic Tariff Area sale under sub-rule (1) of goods manufactured by a Unit shall be on submission of import licence, as applicable to the import of similar goods into India, under the provisions of the Foreign Trade Policy:

Provided that goods imported or procured from the Domestic Tariff Area and sold as such without being subjected to any manufacturing process shall be subject to the provisions of the Foreign Trade Policy as applicable to import of similar goods into India.

(b) Domestic Tariff Area sale under sub-rule (1) of rejects or scrap or waste or remnants arising during the manufacturing process or in connection therewith by the Unit shall not be subject to the provisions of the Import Trade Control (Harmonized System) of Classification of Export and Import Items:

Provided that the Central Government may notify restrictions, as it deems fit on all or any class of such goods mentioned under this clause.

(2) Scrap or dust or sweeping of gold or silver or platinum may be sent to Government of India Mint or Private Mint from a Unit and returned in standard bars in accordance with the procedure specified by Customs authorities or may be sold in the Domestic Tariff Area on payment of duty on the gold or silver or platinum content in the said scrap:

Provided that the value of samples of gold or silver or platinum sweepings or scrap or dust taken at the time of clearance and sent to the Government Mint or Private Mint for assaying and assessment shall be finalized on the basis of reports received from the Government Mint or Private Mint, as the case may be.

(3) Surplus power generated in a Special Economic Zone's Developer's Power Plant in the SEZ or Unit's captive power plant or diesel generating set may be transferred to Domestic Tariff Area on payment of duty on consumables and raw materials used for generation of power subject to the following conditions, namely:-

(a) proposal for sale of surplus power received by the Development Commissioner shall be examined in consultation with the State Electricity Board, wherever considered necessary:

Provided that consultation with State Electricity Board shall not be required for sale of power within the same Special Economic Zone;

(b) norms for production of a unit of power shall be approved by the Approval Committee;

(c) sale of surplus power to other Unit or Developer in the same or other Special Economic Zone or to Export Oriented Unit or to Electronic Hardware Technology Park Unit or to Software Technology Park Unit or Bio-technology Park Unit, shall be without payment of duty;

(d) for sale of surplus power in Domestic Tariff Area, the Unit shall obtain permission from the Specified Officer and the State Government authority concerned;

(e) duty on sale of surplus power to the Domestic Tariff Area shall be as provided for in this rule.

(4) Valuation and assessment of the goods cleared into Domestic Tariff Area shall be made in accordance with Customs Act and rules made there under.

48. Procedure for Sale in Domestic Tariff Area.— (1) Domestic Tariff Area buyer shall file Bill of Entry for home consumption giving therein complete description of the goods and/or services namely, make and model number and serial number and specification along with invoice and packing list with the Authorised Officers:

*Provided that the Bill of Entry for home consumption may also be filed by a Unit on the basis of authorization from a Domestic Tariff Area buyer.*

(2) Valuation of the goods and/or services cleared into Domestic Tariff Area shall be determined in accordance with provisions of Customs Act and rules made thereunder as applicable to goods when imported into India:

Provided that where the goods are supplied in Domestic Tariff Area by a contract manufacturing Unit on the instructions of an Overseas entity, the Bill of Entry shall be filed by the Domestic Tariff Area buyer on the basis of transaction value recorded on the commercial invoice issued by the Overseas entity.

(3) Where goods procured from Domestic Tariff Area by a Unit are supplied back to the Domestic Tariff Area, as it is or without substantial processing, such goods shall be treated as re-imported goods and shall be subject to such procedure and conditions as applicable in the case of normal re-import of goods from outside India:

Provided that in the case where such goods are supplied back to the Domestic Tariff Area, as it is, and where the import duty on such goods is 'Nil' and while

procurement of such goods no export benefits were allowed against such goods, the Unit may be allowed to supply back such goods to Domestic Tariff Area on the basis of invoice only and filing of Bill of Entry in such cases shall not be required.

49. Domestic Tariff Area removals - abatement of duties in certain cases.- (1) A Unit may remove capital goods to Domestic Tariff Area after use in Special Economic Zone on payment of duty as under:-

- (a) duty shall be levied on such goods on the depreciated value thereof and at the rate in force on the date of removal of the goods;
- (b) depreciation in value shall be allowed for the period from the date of commencement of production or where such capital goods have been received in the Unit after such commencement of production from the date such goods have been put to use for production till the date of presentation of Bill of Entry for home consumption;
- (c) depreciation shall be allowed in straight line method as specified below, namely-
  - (i) for computer and computer peripherals for every quarter in the first year at the rate of ten per cent. for every quarter in the second year at the rate of eight per cent. for every quarter in the third year at the rate of five per cent. for every quarter in the fourth and fifth year at the rate of one per cent.;
  - (ii) for capital goods other than computer and computer peripherals for every quarter in the first year at the rate of four per cent. for every quarter in the second year at the rate of three per cent. for every quarter in the third year at the rate of three per cent. for every quarter in the fourth and fifth year at the rate of two and half per cent. and thereafter for every quarter at the rate of two per cent.

*Explanation.-* For the purpose of computing depreciation for any part of a quarter, the rate applicable to such quarter in full shall be considered;

(2) Goods supplied by a Unit to Domestic Tariff Area on payment of duty may be brought back to the Unit for the purpose of repair within a period of six months from the date of clearance, or within such period as may be extended by the Specified Officer or within the warranty period whichever is later, on payment of duty on the value of repairs subject to the condition that the identity of goods is established to the satisfaction of the Specified Officer;

(3) Goods on which any export entitlements were availed at the time of procurement of goods may be supplied back to the Domestic Tariff Area on payment of duty equivalent to the export entitlements availed subject to the condition that the identity of goods being supplied back to the Domestic Tariff Area is established to the satisfaction of the Specified Officer:

Provided that where no export entitlements are availed, such goods may be

supplied back to the Domestic Tariff Area without payment of duty.

(4) A Unit may remove following goods from the Special Economic Zone to Domestic Tariff Area without payment of duty: -

- (a) goods imported and admitted into the Special Economic Zone after payment of applicable duty and such goods are cleared into Domestic Tariff Area, without any processing, subject to the condition that the identity of goods is established to the satisfaction of the Specified Officer;
- (b) used packing materials except metal containers;
- (c) Computer and computer peripherals, including printer, plotter, scanner, monitor, key board and storage units (whether imported or procured from Domestic Tariff Area) donated with the approval of the Specified Officer to the recognized non-commercial educational institutions or registered charitable hospitals or public libraries or public funded research and development establishments or organizations of Government of India or Government of a State or Union Territory, after two years of admission of goods and use by a Unit,

50. Temporary Removals to Domestic Tariff Area.- (1) The Unit may temporarily remove following goods to Domestic Tariff Area without payment of duty, namely: -

- (a) capital goods and parts thereof for repairs and return thereof;
- (b) goods for display, export promotion, exhibition and return thereof;
- (c) goods for job work, test, repair, refining and calibration and return thereof;
- (d) laptop or notebook computers or video projection systems for use by authorized employees of a Unit or developer;
- (e) any other goods with the prior approval of the Authorized Officer.

(2) A Unit may transfer goods to Domestic Tariff Area or abroad for repair or replacement or testing or calibration, quality testing and research and development purposes under intimation to the Specified Officer and on maintenance of records for movement of such goods.

(3) A Unit may transfer goods for quality testing or research and development purposes, to any recognized laboratory or institution, without payment of duty, on giving an undertaking to the authorized officer for the return of such goods:

Provided that if such goods have been consumed or destroyed in the process of testing or at the time of research and development, a certificate from the laboratory or institution to that effect shall be furnished to the Specified Officer by the Unit.

51. Procedure for temporary removals in Domestic Tariff Area.— (1) Removal of goods for the activities covered under sub-rule (1) to (3) of rule 50 shall be undertaken by the Unit on the cover of serially-numbered pre-authenticated challans, authenticated by the Managing Director or owner or working partner or the Company Secretary or by any person duly authorized in this behalf by the Company or owner or working partner;

(2) Before making use of pre-authenticated serial numbered challans, the serial numbers of the same shall be intimated to authorized officer.

(3) Identification marks, namely, make and model and serial number and specification of the goods received back after such test or repair or calibration or re-engineering or re-conditioning should match with those mentioned in the pre-authenticated challan issued by the authorized representative of the Unit and signed by the Authorized Officer at the time of taking out such goods into Domestic Tariff Area;

(4) The goods shall be brought back to the Special Economic Zone within one hundred and twenty days from the date of taking the goods out of the Special Economic Zone or within such extended period as may be permitted by the Specified Officer;

(5) If a Unit fails to bring back the goods into Special Economic Zone within the period specified in sub-rule (4), the duty applicable on such goods shall be paid by the Unit;

(6) Subject to the provisions in sub-rule (1), the Unit may remove goods, including capital goods, to another unit in the same or in another Special Economic Zone, or to Export Oriented Unit or to Electronic Hardware Technology Park Unit or to Software Technology Park Unit or Bio-technology Park Unit or to a domestic tariff area unit for test or repairs or calibration or re-engineering or re-conditioning and return:

Provided that transfer of goods within the same Special Economic Zone shall be undertaken on maintenance of records by the supplying and receiving units.

(7) A Unit may take out lap top computers and video projection system(s) out of the Special Economic Zone temporarily for use by the authorized employees of such unit subject to following procedure, namely: -

(a) Unit shall account for the laptop computers or video projection system(s);

(b) Unit shall issue a certificate authorizing the employee by name and giving the full specification, namely, serial number and model number and make of the laptop computers and video projection system intended to be taken outside the processing area temporarily and a copy of the certificate shall be endorsed to Specified Officer and acknowledgement received by the Unit;

(c) Unit shall maintain a record of such certificate of authorization issued

under clause (b) for temporary removal of laptop computer or video projection system.

**52. Other Entitlements.-** (1) Supplier of precious and semi-precious stones and synthetic stones and processed pearls from Domestic Tariff Area to Units shall be eligible for grant of Replenishment Licence as provided under the Foreign Trade Policy and Handbook:

Provided that the application for the Replenishment Licence shall be made to the Development Commissioner.

(2) Free on Board value of export of the Unit can be clubbed with Free on Board value of export of entrepreneur in the Domestic Tariff Area or vice versa for the purpose of according status holder certificate.

(3) A Unit may retain hundred per cent. of their export proceeds in their Foreign Currency account.

(4) Software units may be allowed to use the computer system for training purpose (including commercial training) subject to the condition that no computer terminal shall be installed outside the Special Economic Zone premises for this purpose.

(5) A Unit may install one fax machine imported or procured duty free at a place of its choice, outside the Special Economic Zone, subject to intimation of its location to the Specified Officer.

(6) The Unit may install personal computers not exceeding two in number imported or procured duty free in the registered or administrative office and the Unit may also install equipments like modem etc. required for the purpose of electronic connectivity.

(7) For information technology and information technology enabled services, persons authorized by the software units may access the facility installed in the Unit through communication links.

## CHAPTER - VI

### FOREIGN EXCHANGE EARNING – REQUIREMENTS AND MONITORING

**53. Net Foreign Exchange Earnings.-** The Unit shall achieve Positive Net Foreign Exchange to be calculated cumulatively for a period of five years from the commencement of production according to the following formula, namely:-

$$\text{Positive Net Foreign Exchange} = A - B > 0$$

where:

A: is Free on Board value of exports, including exports to Nepal and Bhutan against freely convertible currency, by the Unit and the value of following

supplies of their products, namely: -

- (a) supply of goods against Advance Licence or Duty Free Replenishment Certificate under the Duty Exemption or Remission Scheme or Diamond Imprest Licence under the Foreign Trade Policy;
- (b) supply of capital goods to holders of licence under the Export Promotion Capital Goods scheme under the Foreign Trade Policy;
- (c) supply of goods to projects financed by multilateral or bilateral agencies or funds as notified by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance under International Competitive Bidding in accordance with the procedures of those agencies or funds, where the legal agreements provide for tender evaluation without including the customs duty;
- (d) supply of capital goods, including those in unassembled or disassembled condition as well as plants, machinery, accessories, tools, dies and such goods which are used for installation purposes till the stage of production and spares to the extent of ten per cent. of the free on rail value to fertilizer plants;
- (e) supply of goods to any project or purpose in respect of which the Ministry of Finance, by a notification, permits the import of such goods at zero customs duty;
- (f) supply of goods to the power projects and refineries not covered in (e) above;
- (g) supply to projects funded by United Nations Agencies;
- (h) supply of goods to nuclear power projects through competitive bidding as opposed to International Competitive Bidding;
- (i) supply made to bonded warehouses set up under the Foreign Trade Policy or under section 65 of the Customs Act and free trade and warehousing zones, where payment is received in foreign exchange;
- (j) supply against special entitlements of duty free import of goods under the Foreign Trade Policy;
- (k) export of services by services units including services rendered within Special Economic Zone or services rendered in the Domestic Tariff Area and paid for in free foreign exchange or such services rendered in Indian Rupees which are otherwise considered as having been paid for in free foreign exchange by the Reserve Bank of India;
- (l) supply of Information Technology Agreement items and notified zero duty telecom or electronic items, namely, Color Display Tubes for monitors and Deflection components for colour monitors or any other items as may be notified by the Central Government;
- (m) supply to other units and Developers in the same or other Special Economic Zone or Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park or Software Technology Park Units or Bio-technology Park Unit provided that such goods and services are permissible for import or procurement by such units and Developers;

- (n) supply of goods to Domestic Tariff Area against payment in foreign exchange from the Exchange Earners Foreign Currency account of the Domestic Tariff Area buyer or Free Foreign Exchange received from overseas;
- (o) supply of goods against free foreign exchange by a Free Trade and Warehousing Zone Unit;

*Explanation:* For the purposes of this sub-rule, the supplies under clause (m) shall be against procurement certificate, as applicable and the supplies under clauses (d) to (h) and (j) shall be as per the terms and conditions of the respective duty exemption notified by the Central Government, in the Ministry of Finance;

and

B: consist of sum of the following:-

(a) sum total of the Cost Insurance and Freight value of all imported inputs used for authorized operations during the relevant period and the Cost Insurance and Freight value of all imported capital goods including goods purchased on high seas basis even though paid for in Indian Rupees and the value of all payments made in foreign exchange by way of export commission, royalty, fees, dividends, interest on external commercial borrowings during the first five year period or any other charges;

(b) value of goods obtained from other Unit or Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park or Software Technology Park Unit or Bio-technology Park Unit or from bonded warehouses or procured from international exhibitions held in India or precious metals procured from nominated agencies;

(c) the Cost Insurance Freight value of the goods and services, including pro-rata Cost Insurance Freight of capital goods, imported duty free or leased from a leasing company or received free of cost and or on loan basis or on transfer for the period they remain with Unit;

*Explanation:* - for the purposes of this sub-rule "Inputs" mean raw materials, intermediates, components, consumables, parts and packing materials.

(d) for annual calculation of Net Foreign Exchange, value of imported capital goods and lump sum payment of foreign technical know-how fee shall be amortized at the rate of ten per cent. every year from the first year to tenth year.

54. Monitoring of performance.—(1) Performance of the Unit shall be monitored by the Approval Committee as per the guidelines given in Annexure appended to these rules.

(2) In case the Approval Committee come to the conclusion that a Unit has not achieved positive Net Foreign Exchange Earning or failed to abide by any of the terms and conditions of the Letter of Approval or Bond-cum-Legal Undertaking, without prejudice to the action that may be taken under any other law for the time being in force, the said Unit shall be liable for penal action under the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992

## CHAPTER- VII

## APPEAL

55. Form of Appeal.- Any person aggrieved by an order passed by the Approval Committee under section 15 or against cancellation of Letter of Permission under section 16, may prefer an appeal to the Board in the Form J.

56. Time within which appeal is to be preferred.- (1) An appeal shall be preferred by the aggrieved person within a period of thirty days from the date of communication to him of the order of the Approval Committee under rule 18;

(2) When the appeal is preferred after the expiry of the period of thirty days specified in sub- rule (1), it shall be accompanied by an application supported by an affidavit setting forth the facts on which the appellant relies to satisfy the Board that he has sufficient cause for not preferring the appeal within the said period of thirty days:

Provided that if the Board is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the aforesaid period, it may for reasons to be recorded in writing, admit the appeal after the expiry of the aforesaid period but before the expiry of forty-five days from the date of communication to him of the order of the Approval Committee.

57. Payment of fees .- (1) Every appeal shall be accompanied by a fee of rupees two thousand and five hundred;

(2) The amount of fees shall be deposited by way of a Demand Draft, drawn in favour of Pay and Accounts Officer, Department of Commerce, New Delhi.

58. Contents of appeal. -Every appeal filed under rule 55 shall be written in English or Hindi and shall set forth concisely under distinct heads the grounds of appeal and such grounds shall be numbered consecutively.

59. What to accompany form.- Every appeal shall be filed in the Form J in duplicate and shall be accompanied by two copies (at least one of which shall be certified copy) of the order of the Approval Committee appealed against and other documents to support the grounds of objection mentioned in the appeal:

Explanation:- For the purpose of this rule "certified copy" includes the copy which was originally supplied to the appellant as well as a photostat copy thereof duly authenticated by the appellant or his authorised representative as a true copy.

60. Filing of affidavits. - Where a fact which cannot be borne out by, or is contrary to, the record is alleged, it shall be stated clearly and concisely and supported by a duly sworn affidavit.

61. Rights of Appellant to appear before the Board.- Every appellant may appear before the Board in person or authorize one or more chartered accountants or company secretaries or cost accounts or legal practitioners or any of his or its officers to present his or its case before the Board.

*Explanation:* for the purpose of this rule,-

- (a) "chartered accountant" means a chartered accountant as defined in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Chartered Accountants Act, 1949 and who has obtained a certificate of practice under sub-section (1) of section 6 of that Act;
- (b) "company secretary" means a company secretary as defined in clause (c) of sub-section (1) of section 2 of the Company Secretaries Act, 1980 and who has obtained a certificate of practice under sub-section (1) of section 6 of that Act;
- (c) "cost accountant" means a cost accountant as defined in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 and who has obtained a certificate of practice under sub-section (1) of section 6 of that Act;
- (d) "legal practitioner" means an advocate, vakil or an attorney of any High Court, and includes a pleader in practice.

62. **Authorisation to be filed.**— An authorised representative appearing for the appellant at the hearing of an appeal shall file an authorization from the appellant to the Board before the commencement of the hearing.

63. **Procedure for filing appeal.**— (1) An appeal shall be preferred by the appellant or his authorised representative and be sent to the Board of Approval (Deputy Secretary, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Udyog Bhavan, New Delhi – 110011);

(2) An appeal sent by post under sub-rule (1) shall be deemed to have been preferred to the Board on the day on which it is received in the office of the Member Secretary to the Board at Delhi.

64. **Furnishing of information and documents.**— (1) The Board may, before considering the appeal, require the appellant or the Approval Committee or both to furnish such further information and documents, as it considers necessary.

(2) Parties concerned shall furnish such information and documents within thirty days of such order.

65. **Date and place of hearing of appeal to be communicated.**— The Board shall communicate, before considering the appeal, to the appellant the date and place of the hearing of the appeal.

66. **Hearing of appeal.**— (1) On the day fixed or on any other day to which the hearing may be adjourned, the appellant shall be heard in support of the appeal. The Board shall, then, if necessary, hear the Approval Committee or its authorised representative against the appeal and in such case the appellant shall be entitled to reply.

(2) In case the appellant does not appear in person or through an authorised representative when the appeal is called for hearing, the Board may dispose of the appeal on merits:

Provided that where an appeal has been disposed of as provided above and the appellant appears afterwards and satisfies the Board that there was sufficient cause for his non-appearance, when the appeal was called for hearing, the Board shall make an order setting aside the ex parte order and restore the appeal.

67. Orders by the Board.- The Board shall, -

- (a) after considering the appeal preferred to it under rule 55;
- (b) after considering further documentary evidence referred to in rule 64, and
- (c) after giving hearing under rule 66;

pass such orders or give such directions as may be necessary or expedient to give effect to, or in relation to, its orders.

68. Order to be signed and dated.- The Order of the Board shall be in writing and shall be signed and dated.

69. Order to be communicated to the party.- The Board shall, after the order is signed, cause it to be communicated to the appellant and to the Approval Committee.

## CHAPTER VIII

### MISCELLANEOUS

70. Identity Cards.- (1) The entry of persons to the processing area of the Special Economic Zone shall be regulated by the Development Commissioner through issue of identity cards.

(2) The identity card shall be valid upto a period of five years and shall be issued, in the format given in Form K, to the entrepreneurs and regular employees of the Units:

Provided that when any employee who has been issued an identity card ceases to be in employment of the Unit or Developer, the said identity card shall be surrendered forthwith and shall be deemed to be invalid from such date;

(3) Temporary identity card may be issued by the Development Commissioner to the casual visitors and contractors and a proper record of such entries shall be maintained at the Special Economic Zone Gate;

71. Foreign Exchange Remittances.- Export value of goods, software and services may be realized and repatriated as per instructions of the Reserve Bank of India issued from time to time.

72. Revival of sick units.- (1) A unit which has been declared sick by the appropriate authority shall submit a revival package through Development Commissioner to Board for consideration and the Board shall consider the extension in the period for fulfillment of Positive Net Foreign Exchange for a further period up to a maximum of five years at the prevalent norms.

(2) On extension of the period, unutilized raw material and imported or domestically procured capital goods shall be allowed to be carried forward at their original value and the Bond-cum-Legal Undertaking executed by the unit shall be revised accordingly.

(3) In case a new entity is willing to takeover all the assets and liabilities of a sick Unit, transfer of such assets and liabilities as provided under sub-rule (1) shall be considered by the Board.

(4) Where a Unit is granted extension of period for fulfillment of Positive Net Foreign Exchange Earning under sub-rule (1), the space would continue to be in its possession.

(5) Where a Unit is taken over by another unit, the liability shall pass on to the new unit which is taking over the sick unit.

73. For the period when the Specified Officer is not posted in a Special Economic Zone, an officer of customs, not below the rank of a Gazetted Officer of Customs, authorized by Development Commissioner shall discharge duties and functions of the Specified Officer.

74. Exit of Units.—(1) The Unit may opt out of Special Economic Zone with the approval of the Development Commissioner and such exit shall be subject to payment of applicable duties on the imported or indigenous capital goods, raw materials, components, consumables, spares and finished goods in stock:

Provided that if the unit has not achieved positive Net Foreign Exchange, the exit shall be subject to penalty that may be imposed under the Foreign Trade (Development and Regulation), Act, 1992.

(2) The following conditions shall apply on the exit of the Unit, namely:-

(i) Penalty imposed by the competent authority would be paid and in case an appeal against an order-imposing penalty is pending, exit shall be considered if the unit has obtained a stay order from competent authority and has furnished a Bank Guarantee for the penalty adjudicated by the appropriate authority unless the appellate authority makes a specific order exempting the Unit from this requirement;

(ii) In case the Unit has failed to fulfill the terms and conditions of the Letter of Approval and penal proceedings are to be taken up or are in process, a legal undertaking for payment of penalties, that may be imposed, shall be executed with the Development Commissioner;;

(iii) The Unit shall continue to be treated a unit till the date of final exit.

(3) In the event of a gems and jewellery unit ceasing its operation, gold and other precious metals, alloys, gem and other materials available for manufacture of jewellery shall be handed over to an agency nominated by the Central Government

at a price to be determined by that agency.

(4) Development Commissioner may permit a Unit, as one time option, to exit from Special Economic Zone on payment of duty on capital goods under the prevailing Export Promotion Capital Goods Scheme under the Foreign Trade Policy subject to the Unit satisfying the eligibility criteria under that Scheme.

(5) Depreciation norms for capital goods shall be as given in sub-rule (1) of rule 49.

75. Self Declaration.— Unless otherwise specified in these rules all inward or outward movement of goods into or from the Zone by the Unit or Developer shall be based on self declaration made and no routine examination of these goods shall be made unless specific orders of the Development Commissioner or the Specified Officer are obtained.

76. The “services” for the purposes of sub-clause (z) of section 2 shall be the following, namely: -

Trading, warehousing, research and development services, computer software services, including information enabled services such as back-office operations, call centers, content development or animation, data processing, engineering and design, graphic information system services, human resources services, insurance claim processing, legal data bases, medical transcription, payroll, remote maintenance, revenue accounting, support centers and web-site services, off-shore banking services, professional services (excluding legal services and accounting) rental/leasing services without operators, other business services, courier services, audio-visual services, construction and related services, distribution services (excluding retail services), educational services, environmental services, financial services, hospital services, other human health services, tourism and travel related services, recreational, cultural and sporting services, entertainment services, transport services, services auxiliary to all modes of transport, pipelines transport.

77. Procedure for withdrawal or cancellation of exemptions, concessions, drawbacks or any other benefits to a Unit.— (1) Where the Letter of Approval has been cancelled under section 16, the Unit shall furnish to the Development Commissioner, within thirty days of the cancellation of the Letter of Approval, the details of the exemptions, drawbacks, concessions and any other benefit in respect of the Capital Goods, finished goods, raw materials and consumables lying in stock, relatable to the Unit and the Development Commissioner shall direct the Specified Officer to determine the amount to be remitted to the Government by the Unit in the form of Customs Duty.

(2) The Specified Officer shall, based on the details provided by the Unit shall assess and communicate the quantum of amount to be remitted by the unit for clearing the said goods in the Domestic Tariff Area, which shall be remitted within a period of three months from the date of communication:

Provided, however, that this period of three months may be extended for a further period not exceeding three months, by the Development Commissioner for valid reasons to be recorded in writing:

Provided further that the amount to be remitted shall not exceed the exemptions, drawbacks and concessions availed of by the Unit on such goods and/or the Customs Duty payable on such finished goods when imported into India.

(3) Notwithstanding the provisions of sub-rule (1) and (2) the Unit shall export or transfer the said goods, against duty-free licence, without remitting the exemptions, drawbacks, concessions or any other benefits availed in respect of such goods:

Provided that in respect of Capital Goods, transferred against Export Promotion Capital Goods Scheme licence, the Unit shall remit the duties as may be applicable under the provisions of the Export Promotion Capital Goods Scheme.

(4) Where in the case of an entrepreneur whose Letter of Approval has been cancelled and who fails to comply with the conditions of removal of all goods within the prescribed period as provided in sub-rule (2), the Development Commissioner shall take over possession of such goods excluding hypothecated goods and dispose off the same through public auction subject to the condition that the sale proceeds of such auction shall be deposited in a designated account and apportionment of such proceeds shall take place in the manner as approved by the Central Government.

(5) An entrepreneur whose Letter of Approval has been cancelled and has failed to meet positive net foreign exchange earning as required under rule 52, it shall be liable for payment of penalty as may be imposed by the adjudicating authority in accordance with the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992).

Provided that raw materials, components, consumables and spares procured from Domestic Tariff Area held in stock at the time of cancellation of Letter of Approval, on which any export entitlements were availed, shall be removed to the Domestic Tariff Area on payment of additional duty equivalent to the export entitlements availed:

Provided further that goods on which no export entitlements or duty exemption were availed on their procurement from Domestic Tariff Area, shall be removed to Domestic Tariff Area, without payment of duty.

## Form - A

**APPLICATION FOR SETTING UP OF SPECIAL ECONOMIC ZONE**  
(See rule 3)

**I.** Name and address of the  
Undertaking in full (Block Letters)

Name of the Applicant \_\_\_\_\_

Full Address \_\_\_\_\_

(Regd. Office in case of limited  
companies & Head Office for  
others) \_\_\_\_\_

Pin Code \_\_\_\_\_

Tel. No. \_\_\_\_\_

Fax No. \_\_\_\_\_

Permanent E-Mail Address \_\_\_\_\_

Name and address of each  
of the Directors/Partners/  
Promoters, as the case may be  
\_\_\_\_\_

**II.** Nature of the applicant Firm or Company:

- (a) Public Limited Company
- (b) Private Limited Company
- (c) Proprietorship
- (d) Partnership
- (e) Others (please specify) \_\_\_\_\_

Note:-Copy of certificate of incorporation alongwith Article of Association and Memorandum in case of companies and partnership deed in case of partnership firms may please be attached.

**III.** (i) Location of the proposed Special Economic Zone:

- (a) Industrial Development for  
Manufacture of Product \_\_\_\_\_
- (b) Export Processing Zone \_\_\_\_\_
- (c) Free Trade and Warehousing Zone \_\_\_\_\_

(Tick [ ] as applicable)

**IV.** (a) Distance from the nearest Sea Port or Airport or Rail or Road to the proposed Special Economic Zone  
(b) Indicate the area of the proposed Special Economic Zone (in Hectares)  
(c) Whether the applicant is owner of the land and the land is in his possession  
(d) In the case of lease hold land, name of the lessor and the lease duration  
(e) If the land is not in ownership or possession, steps being taken for acquisition of land  
(f) Whether the area is contiguous or not or whether there is any thoroughfare?

## V. Proposed Financial/Investment Details:

- (i) Cost of Land.
- (ii) Cost of proposed infrastructure, namely:
  - (a) Development of land.
  - (b) Boundary walls, roads, drainage, water supply, electricity, etc.
  - (c) Ready Built up factory premises.
  - (d) Port.
  - (e) Airport.
  - (f) Others, if any, give details.
- (iii) Total Investments

## VI. Means of Financing

- a) Equity Capital
- b) Term Loan
- c) External Commercial Borrowings, if any, furnish details.
- d) Any other source

Total

## VII. Equity including Foreign Investment

(i)	\$ Thousand)	(Rs.lakhs)
(a) Authorized	_____	_____
(b) Subscribed	_____	_____
(c) Paid up Capital	_____	_____

Note: If it is an existing company, please give the break up of the existing and proposed capital structure

## (ii) Pattern of share holding in the paid-up capital (Amount in Rupees)

	(Rs. in lakhs)	(US \$ Thousand)
(a) Foreign holding	_____	_____
(b) Non Resident Indian company / individual holding	_____	_____
(i) Repatriable	_____	_____
(ii) Non-repatriable	_____	_____
(c) Resident holding	_____	_____
(d) Total	_____	_____

## VIII Development of identified area as Special Economic Zone: Give the following details:-

Area in hectares

- (i) Total area proposed for development as Special Economic Zone.
- (ii) Area proposed to be developed as processing area.

(iii) Development activities proposed in the processing area, namely: –

- (a) site development,
- (b) construction of boundary walls,
- (c) construction of roads,
- (d) installation of water supply and sanitation and sewage systems,
- (e) power distribution system,
- (f) telecom facilities,
- (g) construction of factory buildings and warehouses.
- (h) Any other activity which may be required in the processing area.

(iv) Area proposed to be developed as non-processing area.

(v) Activities proposed in the non-processing area, namely: –

- (a) Residential.
- (b) Commercial complex.
- (c) Recreation facilities.
- (d) Social amenities – give details.
- (e) Others – specify.

(vi) Standards of operation and maintenance of the facilities proposed

IX. Indicate exports and direct and indirect employment likely to be generated during the first five year period.

(Attach a Project Report outlining the economic and commercial viability of the proposal)

X. Has the applicant obtained any, Permission or Approval from Government of India for setting up any other SEZ/s, if so, details may be given and/or whether any such application is pending consideration before the State Government or Government of India?

XI. Has the applicant or any of his partners/Directors who are also partners/Directors of any other company or its associate concerns are being proceeded against and have been debarred from getting any License or Letter of Intent or Letter of Permission under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992/Custom Act, 1962/Foreign Exchange Management Act, 1999/Central Excise Act, 1944.

Place : _____	Signature of the Applicant _____
Date : _____	Name in Block Letters _____
	Designation _____
Official Seal/Stamp _____	Tel. No. _____
	E-mail _____
	Web-Site, if any _____
	Full Residential Address _____

Note: Furnish 25 copies of the application with project report.

UNDERTAKING

I/We hereby undertake to abide by the provisions of the Special Economic Zones Act, 2005 and rules and orders made there-under.

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We will abide by any other condition, which may be stipulated by the Government of India or the State Government. I/We fully understand that any Letter of Approval granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements or facts therein are incorrect or false. An affidavit duly sworn in support of the above information is enclosed.

Place : _____	Signature of the Applicant _____
Date : _____	Name in Block Letters _____
	Designation _____
Official Seal/Stamp _____	Tel. No. _____
	E-mail _____
	Web-Site, if any _____
	Full Residential Address _____

Form - B

**(FORMAT FOR LETTER OF APPROVAL FOR SEZ DEVELOPER)**  
(See rule 6)

No. \_\_\_\_\_ -EPZ  
 Government of India  
 Ministry of Commerce & Industry  
 Department of Commerce  
 (SEZ Section)

Dated the \_\_\_\_\_

To,

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Subject: - Setting up of Special Economic Zone at \_\_\_\_\_  
 Reference: - Your proposal/s No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_

Sir(s),

With reference to your above mentioned application, Government of India is pleased to approve your proposal for development, operation and maintenance of the Special Economic Zone (SEZ) at village \_\_\_\_\_, District \_\_\_\_\_ in the State of \_\_\_\_\_, as per details given below:-

I. PROPOSAL and PROJECT DETAILS:- To set up a Special Economic Zone for multi-product or a Special Economic Zone for specific sector over an area of \_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_ (Place, District and Name of the State).

II. DEVELOPER:- \_\_\_\_\_ (Name of the developer)

## III General Conditions:

- (i) The Developer shall develop, operate and maintain the Special Economic Zone in terms of the Special Economic Zones Act, 2005 and the rules made there-under.
- (ii) The Developer shall execute Bond-cum-Legal Undertaking as required under rules 12 and 22 of the Special Economic Zone Rules, 2006 for the authorised operations.
- (iii) The Developer shall obtain the required approval from various statutory authorities under relevant statutes and regulations of the Government of India and the State Government and local bodies.
- (iv) The Developer shall make adequate provision for rehabilitation of the displaced persons.
- (v) The project shall be implemented and operated in terms of the Special Economic Zones Act, 2005 and the rules and orders made there-under.
- (vi) The Developer shall conform to the environmental requirements.
- (vii) The Developer shall abide by the local laws, rules, regulations or bye-laws in regard to area planning, sewerage disposal, pollution control, labour laws and the like as may be locally applicable.
- (viii) The Developer shall raise the required funds for the project. External commercial borrowing, if any, will be as per the guidelines of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Government of India, New Delhi.
- (ix) This approval is valid for a period of three years within which time the Developer shall implement the project. The project implementation progress report will be submitted to Government of India every six months.
- (x) This approval is liable to be suspended in case of violation of any of the terms and conditions stipulated herein.
- (xi) The operation and maintenance of the facilities will be made as per the standards specified in the proposal and to the satisfaction of the users.
- (xii) The Developer shall maintain adequate manpower to provide the facilities.
- (xiii) The user charges will be finalized in consultation with the Development Commissioner and the users. This shall be subject to revision as per the agreed terms.
- (xiv) The Developer shall obtain the approval of Board for specific activities proposed to be undertaken for development, operation and maintenance of Special Economic Zone. Based on the activities approved by the Board, the Developer shall be entitled for duty free import or domestic procurement of goods for the approved activities under rules 10 after the Special Economic Zone has been notified.
- (xv) The authorized operations shall be carried out in terms of the parameters laid down in the Special Economic Zones Act, 2005 and the Rules and orders made there-under and in accordance with the proposal approved herein.
- (xvi) No duty free goods shall be available for personal use of, or consumption by officials, workers, staff or owners of the Unit or Developer.
- (xvii) Normally, no extension of validity period of three years for implementation of the project will be considered. Any request, however, may be considered by the Board, on merits. Such request shall be submitted to the Government six months before expiry of the approval period.

This approval shall be also subject to other conditions as approved by the Board as given in the Annexure to this letter.

The Developer may convey acceptance of all the terms and conditions indicated above within thirty days of the date of issue of this letter. All future correspondence may be addressed to the Deputy Secretary (SEZ), Department of Commerce, Calyog Bhavan, New Delhi-11.

The Developer may send exact details of the area along with a map indicating the Special Economic Zone area certified by the District Revenue Authorities for notification in the Gazette of India.

5. The Developer shall furnish to the Development Commissioner, ----- Special Economic Zone returns on import, procurement and utilization of goods, as provided for under the Special Economic Zone Rules, 2006.

Yours faithfully,

Deputy Secretary/Director  
Department of Commerce

**(FORMAT FOR LETTER OF APPROVAL FOR PROVIDING INFRASTRUCTURE FACILITIES IN SEZ)**  
**(See rule 6)**

No. \_\_\_\_\_ /SEZ  
 Government of India  
 Ministry of Commerce & Industry  
 Department of Commerce  
 (SEZ Section)

Dated the

To,

---



---



---

**Subject:** - Proposal for providing infrastructure facilities in Special Economic Zone at \_\_\_\_\_

**Reference:** - Your proposal/s No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_

Sir(s),

With reference to your above mentioned application Government of India is pleased to approve your proposal as Co-Developer for providing infrastructure facilities in the Special Economic Zone (SEZ) at Village-\_\_\_\_\_, District-\_\_\_\_\_, in the State of \_\_\_\_\_ as per the details given below:

- (1) Name of the Co-Developer \_\_\_\_\_
- (2) Details of infrastructural facilities proposed to be provided : \_\_\_\_\_

2. Your Agreement dated \_\_\_\_\_ entered into with the Developer/s of the aforesigned Special Economic Zone for providing of infrastructure facilities or to undertake any authorised operations shall form part of this approval.

**3. General Conditions:-**

- (i) The Co-developer shall provide infrastructure facilities in the \_\_\_\_\_ Special Economic Zone in terms of the Special Economic Zones Act, 2005 and the rules and the orders made there-under.
- (ii) The Co-developer shall execute Bond-cum-Legal Undertaking as required under the Special Economic Zone Rules, 2006 for the authorised operations.
- (iii) The Co-developer shall obtain the required approval from various statutory authorities under relevant statutes and regulations of the Government of India and the State Government and local bodies.
- (iv) The project shall be implemented and operated in terms of the Special Economic Zones Act, 2005 and the rules and orders made there-under.
- (v) The Co-developer shall conform to environmental requirements.
- (vi) The Co-developer shall abide by the local laws, rules, regulations or bye-laws in regard to area planning, sewerage disposal, pollution control, labour laws and the like as may be locally applicable.
- (vii) The Co-developer shall raise the required funds for the facilities being created. External commercial borrowing, if any, will be as per the guidelines of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Government of India, New Delhi.
- (viii) This approval is valid for a period of three years within which time the Co-developer shall create the approved facilities. The progress of implementation will be submitted to Government of India every six months.
- (ix) This approval is liable to be suspended in case of violation of any of the terms and conditions stipulated herein.

- (x) The operation and maintenance of the facilities will be made as per the standards specified in the proposal and to the satisfaction of the users.
- (xi) The Co-developer shall maintain adequate manpower to provide the facilities.
- (xii) The user charges will be finalized in consultation with the Development Commissioner and the users. This shall be subject to revision as per the agreed terms.
- (xiii) The Co-developer shall obtain the approval of Board for specific activities proposed to be undertaken for development, operation and maintenance of Special Economic Zone. Based on the activities approved by the Board, the Co-developer shall be entitled for duty free import or domestic procurement of goods for the approved activities after the Special Economic Zone has been notified.
- (xiv) The authorized operations shall be carried out in terms of the parameters laid down in the Special Economic Zones Act, 2005 and the rules and orders made there-under and in accordance with the proposal approved herein.
- (xv) No duty free goods shall be available for personal use of, or consumption by officials, workers, staff or owners of the Unit or Developer.
- (xvi) Normally, no extension of validity period of three years for implementation will be considered. Any request, however, may be considered by the Board, on merits. Such request shall be submitted to the Government six months before expiry of the approval period.

4. This approval shall be also subject to other conditions as approved by the Board as given in the Annexure to this letter.

5. The Co-developer may convey acceptance of all the terms and conditions indicated above within thirty days from the date of issue of this letter. All future correspondence may be addressed to the Deputy Secretary (SEZ), Department of Commerce, Udyog Bhavan, New Delhi-11.

6. The Co-developer shall furnish to the Development Commissioner, \_\_\_\_\_ Special Economic Zone returns on import, procurement and utilization of goods, as provided for under the Special Economic Zone Rules, 2006.

Yours faithfully,

Deputy Secretary/Director  
Department of Commerce

Form - D

**BOND-CUM-LEGAL UNDERTAKING FOR DEVELOPER**  
(See sub-rule (5) of rule 12 and sub-clause (ii) of sub-rule (1) of rules 22)

We ..... having our registered office at ..... hereinafter referred to as the Obligors (which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, include our heirs, successors, executors, administrators, liquidators, legal representatives and assignees) hereby hold and firmly bind ourselves jointly and severally unto the President of India, acting through the Development Commissioner and the Specified Officer hereinafter referred to as 'the Government' in the sum of Rs. \_\_\_\_\_ Rupees only) for which payment to be well and truly made, we, the obligors bind ourselves by these presents.

Whereas we, the obligors have been granted by the Government a Letter of Approval to develop, operate and maintain \_\_\_\_\_ Special Economic Zone or develop, operate and maintain infrastructure facilities in \_\_\_\_\_ Special Economic Zone on the terms and conditions stipulated in the Letter of Approval number dated \_\_\_\_\_ and we the obligors have duly accepted the said terms and conditions.

And whereas the Specified Officer has approved the place of storage of goods in ..... Special Economic Zone in terms of Special Economic Zone Rules, 2006 wherein the dutiable goods, imported or sourced indigenously or sourced from other export oriented units, or software technology park units or electronic hardware technology park units or Special Economic Zone units in the same Special Economic Zone or other Special Economic Zone by us from time to time for the purposes of carrying out authorized operations availing exemptions from payment of duties, taxes or cess or drawback and concessions under sections 7 and 26 of the Special Economic Zones Act, 2005, could be deposited for a period of one year or such extended period as may be extended by the Specified Officer.

And whereas the Specified Officer has permitted the obligors to clear duty free imported goods from ports or airports or inland container depots or specified land custom stations or customs warehouses or international exhibition held in India, as the case may be, for admission into the special economic zone.

And whereas the Specified Officer has permitted the obligors admission of duty free imported goods and duty free goods procured from the domestic tariff area, hereinafter referred to as goods, into the special economic zone as provided under the Special Economic Zones Act, 2005 and the rules and orders made there-under.

And whereas the Specified Officer has permitted provisional assessment of goods brought into the special economic zone by the above obligors from time to time which could not be finalized for want of full information as regard to value or description or quality or the proof thereof or for the non-completion of the chemical or other tests in respect thereof or otherwise as per request of the obligors.

**NOW THE CONDITIONS OF THE ABOVE WRITTEN BOND-CUM-LEGAL UNDERTAKING ARE THAT:**

1. We, the obligors shall observe all the provisions of the Special Economic Zones Act, 2005 and the rules and orders made there-under in respect of the said goods.

2. We, the obligors shall refund an amount equal to the benefits of exemptions, drawback, cess and concessions availed on account of the goods and services in terms of provisions of rule 25 of Special Economic Zones Rules 2006.

3. We, the obligors, shall furnish to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs as the case may be, at port or air-port or inland container depot or land customs station or a warehouse evidence to his satisfaction within a period of forty-five days from the date of dispatch from any warehouse or unit that the said goods have duly arrived in the Special Economic Zone.

4. We, the obligors shall be wholly and solely responsible for ensuring that there shall be no pilferage during transit of the said goods when dispatched from the place of import or the factory of manufacture or from the warehouse to the Special Economic Zone and vice versa and we, the obligors, shall pay the duty on pilfered goods, if any.

5. We, the obligors shall maintain detailed accounts of all goods imported or procured from Domestic Tariff Area or consumed and utilized, in proper form, including of those remaining in stock and those sent temporarily outside the Special Economic Zone in the Domestic Tariff Area under our obligation, and shall produce such accounts for inspection of the Specific Officer or such other authorized officer.

6. We, the obligors shall, submit to the Development Commissioner and the Specified Officer, quarterly and half yearly returns within a period of thirty days following the close of quarter/half year, as prescribed under the Special Economic Zone Rules, 2006. In case of wrong submission of such information or failure to submit such information within the stipulated time, the permission granted to us for carrying out the authorized operations may be withdrawn and/or the permission for further imports/domestic procurement and sales in the Domestic Tariff Area may be stopped.

7. We, the obligors shall fulfill other conditions stipulated in the Special Economic Zones Act, 2005, Special Economic Zones Rules, 2006 and orders made there-under, as amended from time-to-time.

8. We, the obligors shall not change the name and style under which we, the obligors, are doing business or change the location except with the written permission of the Development Commissioner of \_\_\_\_\_ Special Economic Zone.

If each and every one of the above conditions is duly complied with by us, the obligors, the above written bond-cum-legal undertaking shall be void and of no effect, otherwise the same shall remain in full force and effect and virtue.

It is hereby declared by us, the obligors, and the Government as follows—

1. The above written bond-cum-legal undertaking is given for the performance of an act in which the public are interested.

2. The Government through the Specified Officer or any other authorized officer may recover the sums due from the obligors as provided for in condition 2 above.

And the President of India shall, at his option, be competent to make good all the loss and damages by endorsing his rights under the above written bond-cum-legal undertaking or both.

I/We further declare that this bond-cum-legal undertaking is given under the orders of the Central Government in the performance of an act in which the public are interested.

In these presents the words imposing singular only shall also include the plural and vice versa where the context so requires.

In witness whereof these presents have been signed this day.....of.....20.....here-in-before written by the obligor(s).

Place

Date

Signature of the Obligors

Name and Residential address

Witness (1) Address (1) Occupation (1)  
(2) Address (2) Occupation (2)

Accepted for and on behalf of the President of India on \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_.

Development Commissioner / Specified Officer

Signature and date

Name \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

Form - E

**FORMAT FOR QUARTERLY AND HALF-YEARLY REPORT FOR  
SEZ DEVELOPER/CO-DEVELOPER TO BE FURNISHED TO THE DEVELOPMENT COMMISSIONER  
(See rules 12 and 22)**

Period -----

**PERIOD OF REPORTING: QUARTERLY (APRIL-JUNE)(JULY-SEPTEMBER)(OCTOBER-DECEMBER)(JANUARY-MARCH) AND HALF-YEARLY (APRIL-SEPTEMBER AND OCTOBER-MARCH)**

1. Name and address of the Developer/Co-developer
2. Letter of Approval No. and date
3. Name and address of Developer/Co-Developer,
4. Details of authorized operations approved by the Board
5. Land
  - (i) Total area proposed for development
  - (ii) Area now in possession and future development plans
  - (iii) Area earmarked for processing area
  - (iv) Details of processing area developed.
6. (a) Details of imports or procurement of goods made for authorized operations from inception till last quarter/half-year (opening balance).
   
(b) Details of imports or procurement of goods made for authorized operations during the current quarter/half-year.
   
(c) Details of consumption of goods imported or procured [(a)+(b)]
7. Details of goods (imported or procured) held in stock at the end of the quarter/half-year.
   
(a) + (b) - (c)
8. Details of infrastructure developed:-
   
In the processing area
   
In the non-processing area
9. Other details of progress of implementation of the project:-

(SIGNATURE)

Developer/Co-developer(s)

**CONSOLIDATED APPLICATION FORM for -**  
**(See rule 17)**

1. Setting up of units in Special Economic Zone;
2. Annual permission for sub-contracting;
3. Allotment of Importer Exporter Code Number;
4. Allotment of land/industrial sheds in the Special Economic Zone;
5. Water Connection;
6. Registration-cum-Membership Certificate;
7. Small Scale Industries Registration;
8. Registration with Central Pollution Control Board;
9. Power connection;
10. Building approval plan;
11. Sales Tax registration;
12. Approval from Inspectorate of factories;
13. Pollution control clearance, wherever required;
14. Any other approval as may be required from the State Government.

1. The application should be submitted to the Development Commissioner of the concerned Special Economic Zone in 5 copies alongwith a crossed Demand Draft of rupees five thousand drawn in favour of The Pay & Accounts Officer of the concerned Special Economic Zone together with a project report giving details of activities proposed.

**For Official Use only**

Application No. \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

**Details of Bank Draft**

Amount Rs. \_\_\_\_\_

Draft No. \_\_\_\_\_

Draft date \_\_\_\_\_

Drawn on \_\_\_\_\_  
 (Name of the Bank)

Payable at \_\_\_\_\_

**PART - I**

I. Name and full address of applicant firm/  
 company (in block letters) \_\_\_\_\_

Registered Office in case of limited  
 company & Head Office for  
 others) \_\_\_\_\_

Pin Code \_\_\_\_\_

Tel. No. \_\_\_\_\_

Fax No. \_\_\_\_\_

Permanent E-Mail Address \_\_\_\_\_

Web-Site, if any \_\_\_\_\_

Passport No., if any \_\_\_\_\_

Name of Bank with Address &amp; Account No. \_\_\_\_\_

Digital Signature \_\_\_\_\_

Income Tax PAN \_\_\_\_\_  
(attach copy)

II. Constitution of the applicant firm: Public Limited Company  
 the Private Limited Company  
 appropriate entry Partnership  
 Proprietor ship  
 Others (please specify)

(Attach copy of Certificate of Incorporation alongwith Articles of Association and Memorandum of Association in case of companies and partnership deed in case of partnership firms.)

III. Nature of the industrial undertaking

- i. Large scale
- ii. Medium scale
- iii. Small scale

IV. Name and complete address of each \_\_\_\_\_  
 Of the Directors/Partners/Proprietor,  
 as the case may be with  
 Telephone numbers

V. ITEM (S) OF MANUFACTURE/SERVICE ACTIVITY:

(Including By-product/Co-products)  
 (If necessary, additional sheets may be attached)

Item(s) Description Capacity (Unit = )  
 (Not required for service unit)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

VI. INVESTMENT: (RS. IN LAKHS)

(a) Plant and Machinery

(i) Indigenous \_\_\_\_\_

(ii) Import CIF value \_\_\_\_\_

(iii) Total (i) + ii) \_\_\_\_\_

(b) Details of source(s) of finance

VII. Import and indigenous requirement  
 of materials and other inputs:

(Value in Rupees)

Import Indigenous

a) Capital Goods  
 b) Raw material, components, consumables, packing material, fuel etc. for 5 years

(Give details in project report, namely list of Capital Goods, description of raw materials, and other inputs, etc).

TOTAL: -----

-----

#### VIII. INFRASTRUCTURE REQUIREMENTS

1. Requirement of land: - (Area in sq. mtrs.)

i. factory & offices  
 ii. Warehousing/storage  
 iii. Others, specify

2. Requirement of built-up area

3. Requirement of Water (in Kilo Litres)

i. For industrial (process) purposes  
 ii. For drinking purposes  
 iii. Others, specify  
 iv. Total requirement

4. Effluent Treatment

i. Quantum and nature of effluents and mode of disposal  
 ii. Specify whether own Effluent Treatment Plant will be created

5. Requirement of Power (in KVA)

#### IX. EMPLOYMENT

Men

Women

#### X. WHETHER FOREIGN TECHNOLOGY AGREEMENT IS ENVISAGED (Tick ( / \ ) the appropriate entry)

Yes \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

(i) Name and Full Address of foreign collaborator

(ii) Nature of Collaboration

#### 1. Equity Participation including Foreign Investment

(i) (\$ in thousand) (Rs. in lakhs)

(a) Authorized \_\_\_\_\_

(b) Subscribed \_\_\_\_\_

(c) Paid up Capital \_\_\_\_\_

Note: If it is an existing company, give the break up of existing and proposed capital structure

(ii) Pattern of share holding in the paid-up capital (Amount in Rupees)

	(Rs. in lakhs)	(US \$ Thousand)
(a) Foreign holding	_____	_____
(b) Non Resident Indian company / Individual holding	_____	_____
(i) Repatriable	_____	_____
(ii) Non-repatriable	_____	_____
(c) Resident holding	_____	_____
(d) Total Equity	_____	_____
(e) External commercial Borrowing (give details)	_____	_____

2. Technical collaboration  
(furnish details in project report)

	(Gross of Taxes)
(a) Lumpsum payment	_____
(b) Design & Drawing fee	_____
(c) Payment to foreign technician	_____
(d) Royalty (on exports)	_____ \$
(e) Royalty (on domestic tariff area sales if envisaged)	_____
(f) Duration of agreement	_____ (Number of years)

3. Marketing collaboration  
(furnish details in project report)

#### XI. Foreign Exchange Balance sheet

	1st	2nd	3rd	4th	5th	Total (5 yrs)
	Rs. In lakhs/\$ in thousand					

1.	FOB value of exports in first five years					
2.	* Foreign Exchange outgo on for the first five years					
3.	Net Foreign Exchange earnings For the first five years (1) - (2)					

\* Foreign exchange outgo shall include the CIF value of import of machinery, raw material, components, consumables, spares, packing materials and amount of repatriation of dividends and profits, royalty, lumpsum

knowhow fee, design and drawing fee, payment of foreign technicians, payment on training of Indian technicians abroad, commission on export, interest on external commercial borrowings, interest on deferred payment credit and any other payments.

### XII. OTHER INFORMATION

i) Whether the applicant has been issued any \_\_\_\_\_  
 Industrial license or LOI/LOA under EOU/SEZ/  
 STP/EHTP scheme. If so,  
 give full particulars, namely reference number,  
 date of issue, items of manufacture and  
 progress of implementation of each project.

ii) Whether the applicant or any of the  
 partner/Director who are also partners \_\_\_\_\_  
 /Directors of another company or firms its  
 associate concerns are being proceeded  
 against or have been debarred from  
 getting any License/Letter of Intent/  
 Letter of Permission under Foreign Trade  
 (Development and Regulation) Act, 1992 or  
 Foreign Exchange Management Act, 1999 or  
 Customs Act, 1962 or Central Excise Act, 1944.

Place : \_\_\_\_\_ Signature of the Applicant \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_ Name in Block Letters \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

Official Seal/Stamp \_\_\_\_\_ Tel. No. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Web-Site, if any \_\_\_\_\_

Full Residential Address \_\_\_\_\_

### UNDERTAKING

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We shall abide by any other condition, which may be stipulated by the Development Commissioner. I/We fully understand that any Permission Letter/Approval granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements or facts therein furnished are incorrect or false.

An affidavit duly sworn in support of the above information is enclosed.

Place: \_\_\_\_\_ Signature of the Applicant \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Name in Block Letters \_\_\_\_\_  
 Designation \_\_\_\_\_

Official \_\_\_\_\_ Full Official address \_\_\_\_\_

Seal/Stamp \_\_\_\_\_ Tel. No. \_\_\_\_\_  
e-mail Address \_\_\_\_\_  
Web-Site \_\_\_\_\_

Full Residential address \_\_\_\_\_

Tel. No. \_\_\_\_\_

Note: Formats of application not given herein may be obtained from the Development Commissioner.

PART - II

If sub-contracting is envisaged in the manufacturing operations, furnish following details:

- i. Sub-contracting permission is required for -
  - (a) part of the production process (quantify)
  - (b) any particular production process (give details)
- ii. Name and address and other particulars of sub-contractor and whether the sub-contractor is
  - (a) Domestic Tariff Area unit/Central Excise Registered or otherwise
  - (b) Other Special Economic Zone unit
  - (c) Export Oriented unit or Electronic Hardware Technology Park unit or Software Technology Park unit.

**(FORMAT FOR LETTER OF APPROVAL FOR UNIT)**  
(See rule 19)

**OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER,  
SPECIAL ECONOMIC ZONE  
DEPARTMENT OF COMMERCE, GOVERNMENT OF INDIA**

Dated the \_\_\_\_\_

**Subject:** Your proposal for setting up a unit in the Special Economic Zone.  
**Reference:** Your application No. ----- dated -----

Dear Sirs,

With reference to the above mentioned application, Development Commissioner, \_\_\_\_\_ Special Economic Zone is pleased to extend to you all the facilities and entitlements admissible to a unit in a Special Economic Zone subject to the provisions of the Special Economic Zones Act, 2005 and the rules and orders made there-under and for the establishment of a unit at \_\_\_\_\_ in the State of \_\_\_\_\_ for undertaking authorized operations, namely, manufacture and rendering services including trading as under:-

**Authorized Operations**

1. Items (s) of manufacture
2. Service activities:

This approval is subject to following terms and conditions:

- (i) You shall export the goods manufactured/ goods imported/procured for trading and services, including items of trading, as per provisions of the Special Economic Zones Act, 2005 and Rules made there-under for a period of five years from the date of commencement of production/service activities. For this purpose, you shall execute the Bond-cum-Legal Undertaking as prescribed under the Special Economic Zone Rules, 2006.
- (ii) You shall fulfil the pollution control requirements, as may be prescribed by the Pollution Control authorities.
- (iii) You shall achieve positive Net Foreign Exchange (NFE) as prescribed in the Special Economic Zone Rules, 2006 for the period you operate as a Unit in the Special Economic Zone from the commencement of production, failing which you shall be liable for penal action under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.
- (iv) You may import or procure from the Domestic Tariff Area all the items required for your authorized operations under this approval, except those prohibited under the ITC (HS) Classifications of Export and Import items.
- (v) You may supply/sell goods or services in the Domestic Tariff Area in terms of the provisions of the Special Economic Zones Act, 2005 and rules and orders made there-under.
- (vi) This Letter of Approval is valid for a period of one year from its date of issue. You shall implement the project and commence production within one year period or within such period as may be extended.
- (vii) Date of commencement of production shall be intimated to the Development Commissioner.
- (viii) This Letter of Approval shall be valid for a period of five years from the date of commencement of production.
- (ix) The approval is based on the details furnished by you in your project proposal/application.

- (x) You shall abide by the provisions of Special Economic Zones Act, 2005 and the rules and orders made there-under.
- (xi) You have the option to renew the approval or exit in terms of the provisions of the Special Economic Zones Act, 2005 and the rules and orders made there-under.
- (xii) You shall confirm acceptance of the above terms and condition to the Development Commissioner within forty-five days of issue of this Letter of Approval.
- (xiii) If you fail to comply with the conditions stipulated above, this Letter of Approval shall be cancelled as per the provisions of the Special Economic Zones Act, 2005 and the rules and orders made there-under.
- (xiv) All future correspondence including for amendments/changes in terms and conditions of the Letter of Approval or for extension of its validity shall be addressed to the Development Commissioner.

Yours faithfully,  
Development Commissioner  
-----SEZ

Copy forwarded to: -

Asstt Commissioner/Deputy Commissioner/Joint Commissioner(Custom)..... Special Economic Zone

Form - H

**BOND-CUM-LEGAL UNDERTAKING FOR SPECIAL ECONOMIC ZONE UNIT.**

(See rule 22)

A bond-cum-legal undertaking made this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ between M/s. \_\_\_\_\_ (legal status i.e. a company or firm), a unit in a Special Economic Zone (SEZ) having its registered office at \_\_\_\_\_ and factory/service unit at \_\_\_\_\_ (hereinafter referred to as "the obligors" which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, include its heirs, successors, executors, administrators, liquidators, legal representatives and assignees) hereby hold and firmly bind ourselves jointly and severally unto the President of India acting through the Development Commissioner of .....Special Economic Zone and the Specified Officer (hereinafter jointly referred to as "Government") in the sum of Rs. ----- (Rupees----- only) for which payment to be well and truly made, we, the obligors, bind ourselves by these presents.

Whereas the Development Commissioner has issued Letter of Approval No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ to the obligors, containing the terms and conditions for setting up and operating the unit in the Special Economic Zone, including the requirement of achieving positive Net Foreign Exchange Earning as provided under the Special Economic Zone Rules, 2006 and orders made there-under, hereinafter referred to as the rules, and the obligors have duly accepted the terms and conditions of the said Letter of Approval, vide their letter No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_.

And whereas we, the obligors have been authorized the use of the premises, namely, in the \_\_\_\_\_ Special Economic Zone wherein dutiable goods, imported or procured from Domestic Tariff Area or procured from Export Oriented units or Software Technology Park units or Electronic Hardware Technology Park units or Special Economic Zone units in the same Special Economic Zone or other Special Economic Zone for the purpose of carrying out the authorized operations, hereinafter referred to as the goods availing exemption from payment of duties, taxes or cess or drawback and concessions under sections 7 and 26 of the Special Economic Zones Act, 2005 could be admitted and deposited for a period which is co-terminus with the validity period of Letter of Approval.

And whereas the obligors can clear duty free imported goods from ports or airports or inland container depots or specified land custom stations or customs warehouse or international exhibitions held in India, as the case may be, for admission into the Special Economic Zone.

And whereas the obligors may remove the goods or goods manufactured or services, without payment of duty and dispatch the same by air or sea or rail or road or courier or post for export to foreign countries or supply to other export oriented units or to electronic hardware technology park units or to software technology park units or to units in the same or other Special Economic Zone, without payment of duty.

And whereas the obligors have been permitted to remove the said goods or goods partially manufactured or processed there-from to any other place in the Domestic Tariff Area without payment of duty for the purpose of sub-contracting or test or repair or calibration or re-engineering or re-conditioning or display and to be returned to the unit thereafter as per the provisions of the Special Economic Zones Act, 2005 and rules and orders made there-under.

And whereas the Specified Officer has permitted provisional assessment of goods brought into the special economic zone or manufactured by the obligors from time to time which could not be finalized for want of full information as regard to value or description or quality or the proof thereof or for the non-completion of the chemical or other tests in respect thereof or otherwise at the request of the obligors.

**NOW THE CONDITIONS OF THE ABOVE WRITTEN BOND-CUM-LEGAL UNDERTAKING ARE THAT:**

1. We, the obligors shall abide by all the provisions of the Special Economic Zones Act, 2005 and the rules and orders made there-under in respect of the goods for authorized operations in the Special Economic Zone.

2. We, the obligors shall pay on or before a date specified in a notice of demand, all duties chargeable on the goods not removed on termination of validity here-in-stated-above of the Letter of Approval.

3. We, the obligors shall furnish to the Asstt. Commissioner of Customs or Dy. Commissioner of Customs, as the case may be, at port or air-port or inland container depot or land customs station or a warehouse evidence to his satisfaction within a period of forty-five days from the date of dispatch from any warehouse or unit that the said goods have duly arrived in our unit in the Special Economic Zone.

4. We, the obligors shall be wholly and solely responsible for ensuring that there shall be no pilferage during transit of the said goods when dispatched from the place of import or the factory of manufacture or from the warehouse to the unit in the Special Economic Zone and vice versa and we, the obligors, shall pay the duty on pilfered goods, if any.

5. We, the obligors shall maintain accounts of all goods imported or procured from the Domestic Tariff Area or consumed and utilized, in proper form, including those remaining in stock and those sent temporarily out side the Special Economic Zone in the Domestic Tariff Area under our obligation and shall produce such accounts for inspection of the Specified Officer or Authorized Officer.

6. We, the obligors shall intimate the date of commencement of the production/service activities for export within one month of such date to the Development Commissioner.

7. We, the obligors shall, after the commencement of production or service activities, submit to the Development Commissioner and the Specified Officer, Annual Performance Return within a period of ninety days following the close of financial year, in the form prescribed under the Special Economic Zone Rules, 2006, certified by a Chartered Accountant. In case of wrong submission of such information or failure to submit such information within the stipulated time, the permission granted to us for carrying out the authorized operations may be withdrawn and/or the permission for further imports and sales in the Domestic Tariff Area may be stopped.

8. We, the obligors shall achieve positive Net Foreign Exchange Earning and shall fulfill other conditions stipulated in the Letter of Approval and in case of failure to achieve the said positive Net Foreign Exchange Earning, except when the fulfillment of such conditions is prevented or delayed because of any law & order, proclamation or regulation or ordinance of the Government, we shall be liable for penal action under the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.

9. We, the obligors shall pay the duties on the goods and services sold in Domestic Tariff Area in terms of Special Economic Zones Act, 2005 and the rules and orders made there-under.

10. We, the obligors shall refund an amount equal to the benefits of exemptions, drawback, cess and concessions availed on account of the goods and services in terms of provisions of rule 25 of Special Economic Zones Rules 2006.

11. We, the obligors shall not dispose of goods and services admitted into the Special Economic Zone or goods manufactured or services to the Domestic Tariff Area except as provided under Special Economic Zones Act, 2005 and the rules and orders made there-under.

12. We, the obligors shall comply with the conditions and limitations stipulated in the rules on temporary removal of goods to the Domestic Tariff Area, without payment of duty, for the purposes of sub-contracting or test or repairs or reconditioning or processing or display.

13. We, the obligors shall not change the name and style under which we, the obligors are doing business or change the location of the manufacturing premises except with the written permission of the Development Commissioner.

14. We, the obligors shall intimate any changes in the Board of Directors/Partners, telephone No., E-mail address, Web-Site, Pass port No., Bank Address and Factory address, forthwith, to the Development Commissioner and the Specified Officer.

15. The Government through the Specified Officer or any other authorized officer may recover the sums due from the obligors as provided for in condition 2 above.

Provided that the President of India shall, at his option, be competent to make good all the loss and damages from the amount of the bond or by endorsing his rights under the above written bond or both.

16. Any other order issued by the Central Government in this regard shall be final and binding and we, the obligors hereby undertake to comply unconditionally with such an order.

17. We, the obligors shall be bound by the changes, if any, made in the provisions of the Special Economic Zones Act, 2005 and the rules.

18. Any stamp duties payable on this document or any document executed there-under shall be borne by us.

If each and every one of the above conditions is duly complied with by us, the obligors, the above written bond-cum-legal undertaking shall be void and of no effect, otherwise the same shall remain in full force and effect and virtue.

It is hereby declared by us, the obligors, and the Government as follows –

I. The above written bond-cum-legal undertaking is given for the performance of an act in which the public are interested.

In these presents the words imposing singular only shall also include the plural and vice versa where the context so requires;

IN WITNESS WHEREOF these presents have been signed this day.....of.....20.....  
hereinbefore written by the obligor(s).

Place

Date

Signature of the Obligor

**Name and Residential address**

Witness (1)      Address (1)      Occupation (1)

(2) Address (2) Occupation (2)

Accepted for and on behalf of the President of India on day of 20

**Signature and date**

**Signature and date**

Name \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

**Development Commissioner/**

It/Dy/Asstt. Commissioner of Customs

#### Joint/Deputy Development Commissioner

Form - 1

## ANNUAL PERFORMANCE REPORT FOR UNITS

Period ---

(See rule 22)

**PERIOD OF REPORTING: ANNUAL (APRIL-MARCH)**

1. Name of the Unit
2. Item of manufacture/service activity.
3. **EXPORT(INFLOW)** (Rs. in Lakhs)
  - a) FOB value of exports for the Year (indicate items of exports)
  - b) Cumulative value of exports for the five year period.
  - c) Countries of exports
4. **IMPORT(OUTFLOW)** (Rs. in Lakhs)
  - A. Raw materials & other inputs utilized.
    - (a) Opening balance of imported raw materials, consumables, components, packing materials etc.,
    - (b) CIF value of raw materials, consumables, components, packing materials etc. imported during the year
    - (c) Cumulative value of raw materials, consumables, components, packing materials etc.
    - (d) Value of imported raw materials, consumables, components, packing materials etc. or finished goods /services received from other units in SEZs/EOUs/ EHTPs/STPs during the year

- (e) Total ( c + d )
- (f) Value of imported raw materials, consumables, components, packing materials etc. or finished goods/services transferred to other units in SEZs/EOUs/EHTP/STP during the year
- (g) Closing balance of imported raw materials, consumables components, packing materials etc.
- (h) Value of imported raw materials, consumables, components, packing materials etc. actually consumed during the year  
{ (e) – [f + g] }

**B. Capital goods**

- (i) Year-wise CIF value of capital goods imports & spares till end of the year under report.
- (ii) Value of imported Capital goods, and spares received from other units in SEZ/EOU/EHTP/STP during the year
- (iii) Total (i) + (ii)
- (iv) Value of imported Capital goods, and spares transferred to other units in SEZ/EOU/EHTP/STP during the year
- (v) Total value of imported capital goods and spares during the year. (iii) – (iv)
- (vi) Proportionate amortized value of imported capital goods taken for NFE calculations as per rule ---- of Special Economic Zone Rules, 2006

5. Other outflow of Foreign Exchange  
(Royalty, technical know-how fee, repatriation of Dividend/Profits, Payment of Sales Commission, Interest on overseas borrowings, etc.) during the year
6. Total outflow [4.A.(h) + 4.B.(vi) + 5]
7. Net Foreign Exchange Earning for the year [3(a) – 6]
8. Net Foreign Exchange Earning position at the end of previous year.
9. Cumulative Net Foreign Exchange Earning for the five year period [7 + 8]

Note: For details of calculation of NFE, please refer to rule -----

## Part - II

1. DTA SALES

- (a) Sale of finished goods/services
- (b) Sales of rejects
- (c) Sale of by product
- (d) Sale of Waste/Scrap/Remnant
- (e) Total

Value  
(Rs. in lakhs)

## 2. Capital structure of the enterprise

## A. i) Authorised capital

## ii) Paid up capital

## B. Overseas investments: -

FDINRI

- a) Approved
- b) Actual inflow during the year
- c) Cumulative actual investment for 5 years

## 3. Employment:

MaleFemale

## 4. Investment in the Zone:

(Rs. In lakhs)

- (a) Building
- (b) Plant and Machinery
  - (i) Indigenous
  - (ii) Import CIF value
  - (iii) Total (i) + (ii)

_____
_____
_____
_____

5. OTHER INFORMATION:(1) External commercial borrowing

External commercial borrowing pending at the end of last year

(a) Less than three years Amount in \$

(b) More than three years -do-

## (2) Cases pending for foreign exchange realization, if any.

Date export

Name of importer

Address

Amount


(S I G N A T U R E)  
with Seal of Co.

Note: - The information given in the formats for APRs should be authenticated by the authorized signatory of the unit and certified by a Chartered Accountant.



Form -K

**Permanent Identity Card**  
(See rule 70)



Serial No.

Date of Issue  
Valid upto

1. a. Name of the Unit (in case of Permanent Photo pass)  
b. Name of the Contractor (in case of temporary Photo pass)  
and address with Licence number.
2. Name of the Pass Holder
3. Designation

Signature of Development Commissioner, \_\_\_\_\_

Instructions

1. This pass should be worn and displayed on the person of the pass holder while inside the Zone.
2. This pass is not transferable.
3. This pass shall be produced on demand by \_\_\_\_\_ Security and Customs staff.
4. The pass holder and his vehicle are liable for Security Check at the \_\_\_\_\_ gate.
5. The loss of this pass shall immediately be reported to the Security Officer, \_\_\_\_\_.
6. This pass shall be surrendered to the Security Officer, \_\_\_\_\_ through the unit/Contractor on expiry or on the person becoming ineligible for a pass.

**ANNEXURE -I**

(See Rule 54)

**GUIDELINES FOR ANNUAL MONITORING OF PERFORMANCE OF UNITS IN SPECIAL ECONOMIC ZONES**

- (1) The annual review of performance of unit and compliance with the conditions of approval shall be undertaken by Approval Committee on the basis of Annual Performance Report (in Form I) duly certified by an independent Chartered Accountant before the end of the first quarter of the following financial year.
- (2) Units, which have not completed one year of operation from the date of commencement of production, will not be monitored. In case a Unit has completed less than five years from the date of commencement of production, it will be monitored for the number of completed years. Annual monitoring in the cases of old units which have completed more than five years will be undertaken for only such number of years which fall in the subsequent block/s of five years.

**CRITERIA FOR ANNUAL MONITORING:**

- i) Units with negative Net Foreign Exchange in the 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> year shall be placed under the Watch List to watch their performance.
- ii) Show Cause Notice: If a Unit continues to be Net Foreign Exchange negative by the end of 3<sup>rd</sup> year, a Show Cause Notice shall be issued. If the negative performance continues till the 5<sup>th</sup> year, Development Commissioner shall initiate penal action as provided under the rule-25.

**ANNEXURE II**  
(see sub-rule (3) of rule 5)

Serial Number	Name of the State	Sector	Minimum Area
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Andhra Pradesh	Information Technology	6 hectares
2.	Delhi	Information Technology	6 hectares
3.	Gujarat	Apparel	38 hectares
		Pharmaceuticals	48 hectares
4.	Haryana	Information Technology	3 hectares
5.	Jharkhand	Automobiles and components	36 hectares
6.	Karnataka	Information technology	4 hectares
7.	Kerala	Information Technology	9 hectares
		Food processing	12 hectares
8.	Maharashtra	Pharmaceuticals and biotechnology	21 hectares
9.	Madhya Pradesh	Information technology	8 hectares
10.	Punjab	Pharmaceuticals	32 hectares
11.	Tamil Nadu	Footwear	60 hectares
12.	West Bengal	Leather Products	44 hectares

[F. No. F. 1(7)/2005-EPZ]  
RAHUL KHULLAR, Jt. Secy.